राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-6 नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का तेतालीसवां दिवस संख्या-28

सोमवार

6 अप्रेल, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

जैसलमेर व सांकड़ा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल संकट

821. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के सांकड़ा क्षेत्र के गांवों में काफी समय से पेयजल का संकट चल रहा है और मजबूरन ग्रामों में लोगों को कुओं से पानी खींच कर कर लाना पड़ रहा है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त जल संकट को हल करने के लिए कोई स्थायी योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) :

(1) पंचायत समिति सांकड़ा क्षेत्र के 1981 की जनसंख्या पर आधारित समस्त 83 आबाद ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त 46 नवसृजित राजस्व ग्रामों में से 26 हेतु योजनाएं स्वीकृत कर 10 को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों एवं ढाणियों में 187 हैण्डपम्प भी कार्यरत हैं। योजनाओं से लाभान्वित लगभग 21 ग्रामों में आपूर्ति अनियमित अथवा अपर्याप्त है जिसका मुख्य कारण विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान होने से अपर्याप्त जल उत्पादन है। कुछ योजनाओं का 40 से 70 लीटर प्रति-व्यक्ति प्रति-दिन का संवर्धन नहीं हुआ है जहां अन्तिम छोर के ग्रामों में अपर्याप्त जलापूर्ति है।

(2) 17 ग्रामों हेतु संवर्धन योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 47 ग्रामों हेतु अन्य संवर्धन योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं एवं अन्य 19 हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं। शेष 20 नवसृजित राजस्व ग्रामों हेतु भी योजनाओं के प्रस्ताव प्रारम्भिक स्थिति में है। संवर्धन एवं नई योजनाओं की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन धन उपलब्धतानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांकड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सांकड़ा भैसड़ा, लूणा, सांवता, नडांग, रासला, अचला, मेराजोत आदि ग्रामों में पेयजल की भयंकर समस्या है और यह समस्या शीतकालीन ऋतु से ही आरम्भ

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्मकाल में क्या हाल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो गांव के नाम बोले, यह 17 में हैं, 19 में हैं, 47 में, 10 में हैं, कौनसे में हैं? 10 की स्थिति है, 26 की स्थिति है, 47 की स्थिति है, 19 की स्थिति है?

श्री जितेन्द्र सिंह : यह उन 83 में से हैं जिनमें पेयजल योजनाएं लागू हो गयी हैं, जिनको पी. एच. ई. डी. स्कीम से जोड़ दिया गया है, जोड़ने के उपरान्त भी ये अंतिम छोर के गांव नहीं हैं इनको जलापूर्ति बहुत कम है और लोगों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जो समस्या है, विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान आता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे क्षेत्र में जो प्रमुख कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने का है वह यह है कि गर्मी में आंधियां चलती हैं और पांच-दस मिनट की आंधी में ही बिजली के पोल्स गिर जाते हैं और यह आये दिन की समस्या है और मुझे समझ में नहीं आता सरकार ने अभी तक इस पर विचार क्यों नहीं किया और गांवों में या शहर में भी विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति भी बंद हो जाती है।

तीसरा, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जैसलमेर क्षेत्र में 243 ग्राम ऐसे हैं जो जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जलापूर्ति योजनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके बारे में क्या विचार है? अकाल राहत के अन्तर्गत टैंकरों से पानी समस्त ग्रामों में उपलब्ध कराया जाता है तो क्या अकाल राहत विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपस में तालमेल बैठा कर इस बार विचार करेंगे या अकाल सहायता विभाग से ढंग के साधन उपलब्ध करा कर इनका स्थाई निराकरण करेंगे? अकाल का भी एक स्थायी निराकरण होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे प्रश्न किया कि कुल आबाद ग्राम 83 हैं। इनमें से पेयजल सुविधा से लाभान्वित ग्राम वैसे तो 83 हैं लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि बिजली की कमी के कारण और यह समस्या पूरे रेगिस्तानी इलाके में है। बिजली विभाग से भी हमने निवेदन किया है कि जो खम्बों की ऊंचाई सामान्यतः रखी जाती है, उसी लम्बाई के खम्बे वहां गाड़ दिये जाते हैं और जब थोड़ी-सी भी आंधी आती है तो हम सब लोग जानते हैं उसमें दिक्कत खड़ी होती है, उस लेवल पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो ग्राम हैं इनमें से ग्रामों की संख्या, जिनका 70 एल. पी. सी. डी. का संवर्धन हो चुका है वह 17 हैं। वह हम कर चुके हैं। शेष ग्रामों की संख्या जिनके लिए संवर्धन योजना स्वीकृत हो चुकी हैं, वे 47 हैं। ग्रामों की संख्या जिनके लिए संवर्धन योजना बनाई जा रही है वह केवल 19 बचे हैं। ग्रामों की संख्या जहां स्वीकृत संवर्धन योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है वह 19 हैं। ग्रामों की संख्या जहां पर स्वीकृत संवर्धन योजनाओं पर कार्य शुरू किया जा रहा है वह 28 हैं। कुल-मिलाकर के इस एक वर्ष में इतनी सारी स्वीकृतियां और काम चालू हुआ है और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगले वर्ष तक यह योजनाएं काफी

Page No. 3

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ठीक हो जायेंगी और बड़ी समस्या का समाधान तब होगा जब इन्दिरा गांधी नहर से पानी इस इलाके को मिले, आपको मिले और बाड़मेर तक भी जाय। वह भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति होने वाली है, वहां भी हम प्रयत्न करेंगे, वहां से मिल जाय। बिजली विभाग का जहां तक सवाल है उनसे भी निवेदन करेंगे और आपने अकाल राहत का काम कहा, यह बिल्कुल ठीक है। अकाल राहत कार्यों में अगर हम को थोड़ी मदद मिलेगी, तो हमारे पास भी धन का अभाव रहता है, वह दोनों मिल जायेंगे तो ज्यादा लाभ पहुंचा पायेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से दो निवेदन हैं। एक तो, जिन पेयजल योजनाओं की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं उनकी टेक्नीकल सेंक्शन शीघ्रताशीघ्र प्राप्त करवा दी जाय और दूसरा, कम से कम जिन ग्रामों में जलापूर्ति का अभाव हैं वहां अधिक से अधिक संख्या में हैण्डपम्प खुदवा दिये जाय क्योंकि इस क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर है, पंचायत समिति सांकड़ा क्षेत्र में भू-जल है और कम से कम इसका उपयोग हो जायेगा और लोगों की इस समस्या का हल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विश्नोईजी, आप बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में और विशेषकर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में यह योजनाएं 10-10 ग्राम की एक-एक साथ बनी हुई हैं एक ग्राम से, ज्योंही ट्यूबवैल चलता है तो दो ग्रामों में चल कर वह बंद हो जाता है। दो घण्टे बाद फिर बिजली आती है फिर वह दो ग्राम में जाता है फिर बंद हो जाता है और बीच में टेप कर लेते हैं, भेड़ पालक हैं, पशु पालक हैं, कई ढाणियां बीच में आती हैं वह तोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से जब इतना बड़ा जल संकट है, पानी आगे नहीं है, लाखों रुपये आपने खर्च कर दिये, स्कीम बनी हुई है तो आपको कम से कम लैण्ड की व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी आप रखते हो वे जे. ईएन. और लाइनमैन वहां नहीं रहते हैं और वह अपने घरों में चले जाते हैं। यह स्कीम राम भरोसे चलती है तो इसके लिए आप अधिकारियों के साथ बैठ कर, जो लम्बी-लम्बी योजनाएं बनी हुई हैं, जिसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेण्ट के खर्च हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है जनता को। सभी माननीय सदस्यों की यही समस्या है, यह केवल जैसलमेर की समस्या नहीं है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या नीति बनायेंगे, ताकि भविष्य में जो टेल एण्ड के ग्राम के आगे ग्राम हैं वहां पर सही ढंग से पानी पहुंच सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य को शायद जानकारी होगी कि मैं हाउस में इस सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि जो इस प्रकार की स्कीम है वह टेल एण्ड पर जो विलेजेज हैं, जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां यदि नए ट्यूबवैल बनाकर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी तो ट्यूबवैल बनायेंगे। अगर इस सारी स्कीम में ही कोई फ़ाल्ट है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे।

तीसरी बात आपने कही कि इन्जीनियर्स वगैरह नहीं चलते, मैं समझता हूं कि

Page No. 4

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दो-तीन दिन में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर स्कीम के लिए एक-एक आफिसर की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स-अप की जाय कि यदि इस स्कीम में कोई गड़बड़ रहती है या पानी नहीं पहुंचता तो यह जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी। चाहे बिजली का प्रश्न हो, चाहे सिंचाई का या रेवेन्यू का प्रश्न हो, एक-एक इस तरह से नोडल एजेन्सी बना कर हम किसी अधिकारी को नियुक्त करेंगे उसके बाद में हम देखेंगे यह चलता है या नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

लघु एवं बड़े उद्योगों के लिए कर्ज

822. **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1990 से फरवरी, 1992 तक उद्योगों (लघु एवं बड़े) के लिए कितनी धनराशि का कर्ज राजस्थान वित्त निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य संस्थाओं से लिया गया? कितनी राशि सरकार एवं बैंकों द्वारा अनुदान के रूप में दी गई? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में इस प्रकार के कितने उद्योग बन्द हैं?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा जनवरी, 1990 से फरवरी, 1992 तक लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को वितरित किये गये ऋण एवं राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं ना ही उनके द्वारा ऐसी सूचना प्रेषित की जाती है।

(2) राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों में से क्रमश: 39 एवं 4230 इकाइयां बंद हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री जी ने छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का स्पष्टत: विवरण नहीं दिया है कि अलग-अलग यह कितनी संख्या में हैं? दूसरा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थान एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की जानकारी नहीं है क्योंकि वह सूचना नहीं देते हैं। मैंने साफ तौर से सवाल में यह निवेदन किया कि उनकी जानकारी लेकर बताया जाय। तीसरा मेरा मंत्री जी से जानना है कि यह जो रूग्ण इकाइयां आपने बतायी हैं उनमें भी स्पष्ट नहीं किया है कि छोटे और बड़े का क्या वर्गीकरण है और कब से यह इकाइयां रूग्ण हैं। जो बीमार इकाइयां हैं, क्या वह नये नाम से दूसरे अपने नये उद्योग लगाते हैं? जब तक उनको अनुदान राशि या दूसरी सुविधायें पूरी होती हैं तब तक तो वह उस उद्योग को चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं, क्या आपकी यह सूचना है? मेरा स्पष्टतया आरोप, यह है कि इनमें ज्यादातर बड़े उद्योगों ने रुपया लिया है और छोटे और मध्यम श्रेणी के, दोनों को मिलाकर आपने घालमेल किया है। कृपया

(श्री सम्पतसिंह)

स्पष्टतया बतायें कि वर्तमान में कुल 4269 इकाइयां हैं आपकी सूचनानुसार तो इन पर आपने अब तक क्या कार्यवाही की और नहीं की तो क्यों नहीं की ? और यह साफ तौर से बतायें कि कितना रुपया इन्होंने ले लिया और उस रुपये को खाकर, अनुदान की राशि को खाकर सैल्स टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब में राहत लेकर फिर नयी इकाइयां नये नाम से ले लेते हैं उन पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं, पहला उनका यह कहना है इसमें घालमेल है, छोटी इकाइयों और बड़ी इकाइयों का पता नहीं पड़ता । मैं विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जो मैंने फिगर दिये हैं आपको इस एनेक्सचर के अन्दर, वित्त निगम द्वारा 195.03 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, यह 5100 इकाइयां हैं जो लघु में ही आती हैं । दूसरा, इसी प्रकार जो रीको द्वारा 40 17 करोड़ का दिया है, इकाइयां बतायी हैं आपको, यह इकाइयां हैं 85 यह भी वही हैं, मध्यम और लघु उद्योग । जो बड़े उद्योग हैं उसके फिगर्स के बारे में आपको हमने कहा कि बैंकों के माध्यम से हमको सूचना नहीं मिल पायी जानकारी चाहने के बाद । आपका क्वेश्चन तो आज आया है लगभग पांच-छह महीने पहले मैंने स्वयं ने इस सम्बन्ध के अन्दर अपने विभाग के माध्यम से कहा था कि जितनी भी संस्थायें हैं हमारी, चाहे आई. डी. बी. आई. हो, चाहे एस. आई. जी. बी. आई. हो, चाहे आई. आर. बी. आई. हो, चाहे आई. एफ. सी. आई. हो, चाहे आई. सी. आई. सी आई. हो, यह जो विभिन्न वित्तीय केन्द्रीय संस्थायें हैं, जिनके मध्यम से बड़े उद्योगों को ऋण मिलते हैं, सरकार के पास इसकी जानकारी आनी चाहिये कि कितना ऋण केपिटल के अगेंस्ट में और कितना ऋण वर्किंग केपिटल के अगेन्स्ट में दिया है, यह फिगर हमारे पास कलेक्ट होकर हमारे डाइरेक्टररेट में और सैक्रेटेरिएट में रहनी चाहिये । लेकिन मुझे दुःख है कि बावजूद 6 महीने की सूचना देने के बाद भी अभी तक हमें वहां से कोई सूचना इस प्रकार की नहीं मिल जायी, इसलिये मैं विवश हूं । लेकिन मैं प्रयत्नशील रहूंगा कि यह आंकड़े राज्य सरकार के पास रहने चाहिये कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं का कितना पैसा इन कारखानों में लगा हुआ है ।

जहां तक आपने दूसरा बीमार इकाइयों के बारे में बताया कि यह 4230 इकाइयां हैं, यह लघु क्षेत्र की हैं । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कालिंग अटेन्शन एक दफा कुछ समय पहले आया था उसमें मैंने बताया था और सारे उसके अन्दर ब्रेकअप दिये थे कि 4200 इकाइयों में भी अधिकांश इकाइयां तो वह हैं जिनमें कि 50 हजार रुपये तक का हमारा पैसा लगा हुआ है, एक लाख की हैं बाकी जो और एक लाख से ऊपर की इकाइयां हैं यह वे इकाइयां हैं जिन पर कि हमारा ज्यादा पैसा लगा हुआ है लेकिन जो लघु औद्योगिक इकाइयां बंद होती हैं, दूसरे माननीय सदस्यों ने कालिंग अटेन्शन के समय कहा था कि आप इस प्रकार करते हैं, दूसरे नहीं करते, हम तो क्लियरकट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कोर्ट में न जाकर, अदालतों के दरवाजे न खटखटा कर सीधा धारा 30 के तहत उसको नोटिस देते हैं, पहले लैटर देते हैं, 30 का नोटिस देने के बाद भी अगर वह जवाब नहीं देते, पैसा जमा नहीं कराते तो धारा 29 के तहत कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद उनका आक्शन कर देते और बाकायदा पब्लिसिटी होती है। तो किसी प्रकार की लेथारिटी या किसी प्रकार का आलस्य हमारे दृष्टिकोण से नहीं रहता कि हम उसके अन्दर करें। बाकी जो यह 39 इकाइयां बतायी हैं यह 39 इकाइयां, अध्यक्ष महोदय, यह 4,000 तो आरम्भ से है यह आज के दो साल के कोई आंकड़े नहीं हैं, जब से वित्त निगम का निर्माण हुआ है या रीको का निर्माण हुआ है तब से लगातार यह इकाइयां बंद होती चली जाती हैं, एक प्रोसिजर होता है जिसके आधार पर हमें पजेशन लेना होता है, हम पजेशन ले लेते हैं और जिनको बी. आई. एफ. आर. में जाना होता है, बी. आई. एफ. आर. में चली जाती हैं, यह जो 39 इकाइयां मैंने बतायी हैं, अध्यक्ष महोदय, इन 39 इकाइयों में से 14 इकाइयां वह हैं जो बी. आई. एफ. आर. के सामने हैं, बाकी हमारे पास हैं। उनका पजेशन हमने लिया हुआ है और उन पर पजेशन लेकर कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार का नहीं है कि इनको बंद कर देने के बाद इनको छूट दे दी जाय और यह मर्जी में आये उस प्रकार लूटते रहें। मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और हम सतर्क भी हैं कि कोई इकाई एक बंद कर दे और बंद इकाई करने के बाद दूसरे नाम से पैसा लेकर दूसरी इकाई चालू कर दे। इस बारे में हम बहुत सतर्क हैं और अभी तक कोई इस प्रकार की हमारे पास सूचना नहीं है। माननीय सदस्य या और भी सदस्य कोई इस प्रकार की सूचना हमको देंगे तो निश्चित रूप से इस सम्बन्ध के अन्दर कार्यवाही की जायगी। यह नहीं हो सकता कि वित्त निगम का या रीको का पैसा ले करके इकाई के अन्दर लगा दे और बाद में उस इकाई को बन्द करके भाग जाय और दूसरी इकाई हमारे यहां ही राजस्थान के अन्दर हमसे ही पैसा लेकर लगा ले। इस प्रकार की कार्यवाही हम अलाऊ नहीं करेंगे।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा-कि मंत्री जी ने स्वयं माना है कि मैं विवश हूं। राजस्थान का नागरिक और भी ज्यादा विवश है कि इतना रुपया चाहे वह आई. एम. एफ. का हो, चाहे वह वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे वह दूसरी संस्थाओं का हो, आखिर तो केन्द्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और उसके नागरिकों को वहन करना होगा। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मेरे प्रश्न की असली मंशा थी कि बड़े उद्योग जो उस रुपये को अपने तरीके से कर्जा लेते हैं, उन पर अनुदान लेते हैं, उन पर दूसरी सुविधायें लेते हैं वह उन इकाइयों को बंद कर देते हैं, कब बंद करते हैं जब कि वह अनुदान राशि वगैरह हजम कर चुके होते हैं तो क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि उनके पास आज सूचना नहीं है, मेरी तो मंशा बड़े उद्योगों के बारे में पूछने की थी और फिर भी जो आपने बिजनस का ट्रेण्ड बताया कि जब से यह कर्जा लिया है तब से यह इकाइयां रूग्ण होती चली जा रही हैं

(श्री सम्पतसिंह)

तो इसका आखिर कहां अन्त है और यह रुपया क्यों इस तरीके से ग्रेवयार्ड में लगाया जा रहा है, उनको उबारने का सरकार के पास क्या उपाय है ? खास तौर से मैं फिर अपने प्रश्न पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, विनम्रता से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वह बड़े उद्योगों के बारे में सूचना दे। इतने अल्पकाल में अगर वह नहीं दे सकें, खुद ने उन्होंने कहा है कि 6 महीने से मैं खुद ट्राई कर रहा हूं, तो क्या वजह है वह बड़े उद्योगपति आपका रुपया ऐंठ जाते हैं और निश्चित रूप से दूसरे नामों से, मैं उदाहरण के लिये बता दूं, माडर्न सिंथेटिक्स, अलवर ने अपनी इकाइयां भीलवाड़ा में बंद की, अलवर में बंद की और फिर दूसरी जगह लगायीं। आज अगर मैं ब्यौरेवार उनका नाम लूं तो आप कहेंगे मैं प्रिजुडिस हूं। आप भी क्यों नहीं जानकारी सदन को देते और अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न की इतनी सूचना मिल चुकी होती है तो मंत्रीजी क्यों विवश हैं. हमारी समझ में नहीं आता। राजधानी परियोजना, जो राष्ट्रीय परियोजना है, से कितना रुपया आपने अब तक लिया और वह रुपया कहां-कहां लगाया, उसका क्या नतीजा आया, मेहरबानी करके यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि जिन उद्योगों में राजस्थान की संस्थाओं का पैसा नहीं लग रहा है, भारत सरकार की संस्थाओं का या राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा लगा रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत गम्भीर बात है। मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा कि जिन उद्योगों ने आर. एफ. सी. या अन्य किसी भी संस्था से पैसा ले रखा है और उन्हीं उद्योगों ने केन्द्रीय बैंकों से पैसा ले रखा है या केन्द्रीय बैंकों से पैसा ले रखा है या केन्द्रीय संस्थाओं से पैसा ले रखा है और उनको जब आप बंद करने की स्थिति में आते हैं, रुग्ण इकाई मानते हो, मंत्री महोदय, आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं, उस स्थिति में जब कब्जा लेने की बात होती है तो राजस्थान सरकार या आर. एफ. सी. कब्जा लेती है उससे पहले वह केन्द्रीय बैंक अपना ताला डाल देती है या राष्ट्रीय संस्थायें जिन्होंने कर्जा उन उद्योगों को दिया है वह रूग्ण इकाई की स्थिति में आती हैं तब वह राष्ट्रीय संस्थायें उस पर ताला डाल देती हैं, तो आप रिकवरी कैसे करेंगे ? मिसाल के तौर पर मेरे जिले में कम से कम दसों उद्योग ऐसे हैं, चाहोगे तो मैं आपको नाम दे दूंगा लिखकर अलग से कि आपके आर. एफ. सी. ने उनकी वसूली करने की बात की तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने ताले डाल दिये कि इसको हमने कब्जे में ले लिया, यह तो डूब गयी है और आप कहते हो कि हमें जानकारी नहीं हैं तो इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या है कि जिस पार्टी को, जिस उद्योग को आप पैसा दे रहे हो, आपके विभाग को इतना नहीं मालूम है, आपके आर. एफ. सी. को इतना नहीं मालूम कि जो उद्योग आज हमसे पैसा ले रहा है उद्योग लगाने के लिये, इसने इससे पहले किस संस्थान से पैसा उठा लिया है ? तो जिससे पहले पैसा उठाया है, लाइबिलिटी तो पहले

(श्री जगमालसिंह यादव)

उनकी बन गयी, फिर आप काहे से वसूल करोगे, कैसे वसूल करोगे उससे ?

श्री अध्यक्ष : श्री शान्तिलाल ।

श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अरावली पर्वत शृंखला के वृक्षारोपण प्रस्ताव के कारण प्रभावित क्षेत्र के लिये बैंकों एवं आर. एफ. सी. एवं भारतीय वित्त निगम द्वारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को प्रदाय किया गया ऋण कुल कितना बाकी है तथा क्या विनियोजित केपिटल का मुआवजा एवं इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से बेकार होने वाले मजदूरों को रोजगार के लिये सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सैनी ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा जब हमारे सामने यह स्थिति आ गयी कि वह पैसा हड़पते हैं । किसी न किसी प्रकार से इण्डस्ट्री का सामान निकालकर कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं । फिर हमारे पास सिर्फ बिल्डिंग कब्जे में आती है । उस पर रीको भी क्लेम कर देता है तो हमारे सामने यह जो समस्या खड़ी हो रही है उनके उपचार करने के लिए कोई प्रभावी योजना सरकार की ओर से या उद्योग विभाग की तरफ से ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार से पैसा ऐंठने की दृष्टि से रोक लगायी जा सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल ।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी आपने बताया था कि जैसे ही ओवर ड्यू होता है और पैसा नहीं देते हैं और हम कब्जा जमा लेते हैं तो इन सिक यूनिट्स में से कितनी पर आपने कब्जा किया ? दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि जब उद्योगपति ऋण लेता है उस समय आप यह क्यों नहीं तय करते हैं कि आपको इसको चलाना है । यूनिट सिक क्यों हो जाती है ? मेरा निवेदन यह है कि जब छोटे-छोटे कर्ज हम किसानों को देते हैं तो उस समय उनको कोई रियायत नहीं करते हैं तो आप उद्योगपतियों के लिए, ऐसे सुविधा भोगी वर्ग के लिए ऐसी रियायतें क्यों देते हैं । चूंकि हमने यह महसूस किया कि आज कोई भी उद्योगपति जो उद्योग लगाता है वह स्वयं कभी भी रूग्ण नहीं होता है । उसका परिवार कभी भी सफर नहीं होता है । वह उद्योग सफर करता है क्योंकि वह पब्लिक मनी है और यह राजस्थान की जनता के लिए अहम सवाल है । इस बारे में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आखिर यह जो बनावटी रूग्णपन पैदा किया जा रहा है, उसके कारण क्या है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह यूनिट्स यहां से वहां शिफ्ट हो गयी है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं ।

श्री सांवरलाल जाट : निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण बात है जो कि उद्योगपति इस प्रकार से पब्लिक मनी का मिसयूज कर रहे हैं, इस पर ऐसी कौन-सी कमेटी बनायी है जिसके माध्यम से आप यह महसूस कर रहे

(श्री सांवरलाल)

हैं कि पावर संकट की वजह से हो रहा है या मार्केट की वजह से या रा-मैटेरियल की वजह से, बिना किसी कारण से वह रूग्ण हो जाता है । चूंकि सही इन्वेस्टमेण्ट हम पैसे का नहीं करते हैं और अफसरशाही भी इनके ऊपर सुपरविजन नहीं रखती है । उसका परिणाम पूरे राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ता है । अगर हम किसानों के लिए बात करें तो वहां पर भी फण्ड्स की बात आ जाती है । इसलिए स्पष्ट नीति क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का यह कहना कि हम विवश है मैं समझता हूं कि जो मैंने सदन के सामने उत्तर दिया उसका इण्टरप्रिटेशन गलत ले रहे हैं । हमारी जो केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या-क्या ऋण किस-किस को दिया गया है यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, उनका स्पेसिफिक सवाल यह है कि जिन संस्थाओं को आपने भी ऋण दिया, केन्द्र ने भी उनको ऋण दिया है । उनके बारे में कह रहे हैं कि जब आप ऋण देते हैं तो आप यह तो पूछते होंगे कि आपने और कहां-कहां से ऋण लिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिल्कुल लिखकर लिया जाता है । फर्स्ट चार्ज जब हमारा होता है, चाहे आर. एफ.सी. या रीको का हो, तभी हम ऋण देते हैं । अगर फर्स्ट चार्ज कहीं दूसरी जगह क्रियेट हो गया तो हम ऋण नहीं देते हैं । इस प्रकार हमारी सुरक्षा है और हम असावधान नहीं हैं ।

दूसरा, अभी यह पूछा गया था कि ग्रेव यार्ड बनती चली जा रही हैं । मैं समझता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि ग्रेव यार्ड बनती चली जा रही हैं । मैं समझता हूं कि इसका प्रतिशत हम देखें । मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के अन्दर 53804 औद्योगिक इकाइयों को अभी तक 1022-61 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है और उसमें से अगर यह कहना कि केवल यह 4230 इकाइयां बंद हैं, उनको भी हम सिक नहीं मान रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिक आसानी से नहीं मानते हैं । बंद हैं क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया था डिफाल्टर हो गए हैं या हमने कब्जा ले लिया है । इस आधार पर इनको सिकनेस के आधार पर जो क्राइटेरिया है कि अगर दो साल के अन्दर वो लगातार नुकसान बता रही है 50 प्रतिशत केपिटल इरोड हो गयी है, अगर यह साबित करेगा तब ही उसको दूसरे एडवान्टेज देंगे, वर्ना नहीं देंगे । यह जो फिगर्स हैं कितना सा अनुपात है । यह तो स्वाभाविक है, होगा ही । बीमार होने के कारण एक नहीं, कई हो सकते हैं । हो सकता है जब प्रोडक्शन शुरू किया हो तो उसको कच्चा माल नहीं मिला हो । रा-मैटेरियल मिलने के बाद जो माल तैयार हुआ वह माल मार्केट में नहीं बिक पाया । बिजली कनेक्शन उसको नहीं मिल पाया । मैनेजमेण्ट में कमी रही । कई चीजें हैं जिसके आधार पर एक यूनिट बीमार होती हैं और इसको देखकर अगर उसकी गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है फिर भी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक इकाई रूग्ण हो गयी तो हम उसके बारे में रि-सैटलमेंट करते हैं, लोन का रि-सैटलमेंट करते हैं, पेनल इण्ट्रेस्ट खत्म करते हैं और कई लाभ देते हैं उसको रिएप्रिशियेट करने के लिए। हमको लेकिन लगता है बिल्कुल डिफाल्टर है, जानबूझकर शरारत की है तो किसी प्रकार का एडवान्टेज नहीं देते हैं, पजेशन हम ले लेते हैं और पजेशन तब ही छोड़ते हैं जब 25 प्रतिशत जो बकाया है वह जमा करा देता है। इसलिए पैसे की दृष्टि से बिल्कुल लापरवाह नहीं है और इस सम्बन्ध में जितनी सतर्कता बरती सकती है लेकर रहे है।

आपने बताया कि अब तक राष्ट्रीय परियोजना के तहत कितना रुपया मिला है? अभी तक केवल भिवाड़ी के लिए 6 करोड़ रुपया मिला है जो उसके डवलपमेण्ट के लिए लगाया जायेगा। यह उस योजना के तहत लाए हैं लेकिन जो ग्रोथ सेण्टर अभी तय हुए हैं उन ग्रोथ सेण्टर्स का अभी पैसा नहीं आया है। जब आयेगा तो काम चालू हो जाएगा। जो बड़े उद्योग हैं उनकी एक प्रक्रिया है कि उनमें जिस समय लोस होता चला जायेगा। कम्पनी एक्ट के तहत बंधन है बी. एफ. आई. आर. में आकर रिपोर्ट करेगा। वह रिपोर्ट करनी पड़ती है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार निश्चित है और यह मानकर चलती है कि जो कारखाने बंद हैं उनको हम तो रिहेबिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर उद्योग और दूसरे उद्योग को राजस्थान सरकार रिहेबिलेट करने की कोशिश कर रही है अपना सेक्रीफाइस देकर भी कि मजदूर बेकार न हो जायं, मजदूरों को काम धंधा दिलाने के लिए हम उनको रिहेबिलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा लेकर चला जायेगा हम बेफिक्र हैं।

जहां बड़े कन्सर्न हैं वहां हमारे डाइरेक्टर रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी सौंपी कि जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें वाच डॉग्स की तरह बैठें, सब तरह की सूचना लेकर देंगे, उनके क्या एकाउन्ट्स हैं, किस प्रकार से चल रहा है, क्या प्रोफिट लोस की सिचुएशन है। अगर उसमें लापरवाही करते हैं तो जिम्मेदारी फिक्स की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला (व्यवधान) आधा घण्टा हो गया।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के बारे में चर्चा हुई। यह सही है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की संख्या जो कई वर्षों से बन्द पड़ी हैं वह बहुत ज्यादा हैं। आज के दो महीने पहले एक बैठक ली थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या यह आयी कि आर. एफ. सी. तो उनको लोन देती है और वो इण्डस्ट्री चालू भी कर देती है। चालू करने के बाद जो वर्किंग केपिटल मिलनी चाहिए बैंकों से, वह नहीं मिलती है। उसके अभाव के कारण यह बन्द होती है। मैंने बैंकर्स के साथ बैठक ली और और कुछ निर्णय लिये कि किस प्रकार से वर्किंग केपिटल की सुविधा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको दी जा सकती है। मैं मानता हूं कि यूनिट को स्टेब्लिश करने के लिए तो हम कर्जा दे देते हैं लेकिन जब वर्किंग केपिटल की व्यवस्था नहीं होगी तब तक छोटे-मोटे उद्योग पनप नहीं सकते हैं। एक तो प्रश्न यह आता है कि इन उद्योगों को बन्द किया जाय वह मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो रुपया खा गये, भाग गये उन से तो रुपया वापस लेना है, उसमें रियायत नहीं दी जायेगी। दूसरा यह है कि जिनको वर्किंग केपिटल देकर किसी प्रकार से रिवाइव कर सकते हैं तो उस प्रकार का प्रोग्राम बनाया है। बैंक से दुबारा बात करेंगे। हमने कुछ निर्णय भी लिये हैं कि किस प्रकार से उनको वर्किंग केपिटल दी जाय। एक संख्या है ऐसे उद्योगों की भी, पिछली बार कई उद्योगों को इस प्रकार की सहायता दे दी गयी थी मैंने स्वयं उसका सर्वे कराया, कई लोग तो मिलते नहीं हैं उनका अता-पता नहीं है कई वर्षों से बकाया है। लोगों को कर्जा मिल गया उस सम्बन्ध में जानकारी की है, उस सम्बन्ध में कई प्रकार के केसेज रजिस्टर हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं। जो इस प्रकार के डिफाल्टर हैं उनके साथ तो कोई रियायत नहीं की जायेगी। लेकिन जो जिनाइनली वर्किंग केपिटल के अभाव में या मार्केट में माल नहीं बिक रहा है इस कारण बन्द हुए हैं तो उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। यह प्रोग्राम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

पर्यटन विकास हेतु डेजर्ट काम्प्लेक्स योजना

823. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के पर्यटन विकास हेतु डेजर्ट काम्प्लेक्स की योजना कब बनायी गई? योजना का सार सदन की मेज पर रखें।

(2) डेजर्ट काम्प्लेक्स से संबंधित किन-किन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के परियोजना विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया? उनमें से कौन-कौनसी योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं?

(3) डेजर्ट काम्प्लेक्स हेतु सरकार ने गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की?

(4) जूनागढ़ महल बीकानेर से संबंधित फ्लड लाइटिंग का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) डेजर्ट काम्प्लेक्स के नाम से कोई योजना नहीं बनायी गयी है। अपितु मरू त्रिकोण (डेजर्ट ट्राइएगल) नाम से एक योजना वर्ष 1991 में बनवायी गयी है। योजना का सार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सम्पूर्ण मरू त्रिकोण योजना जिसकी अनुमानित लागत 274.58 करोड़ रुपये हैं, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय एवं भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। मरू त्रिकोण योजना विदेशी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) मरू त्रिकोण योजना अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राशि व्यय करने का प्रश्न ही नहीं है।

(पर्यटन मंत्री)

(4) जूनागढ़ किले की फ्लड लाइटिंग का प्रस्ताव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया हुआ है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करवाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मरू त्रिकोण नाम आपने डेजर्ट काम्प्लेक्स का रखा होगा लेकिन मरू त्रिकोण के नाम से इस योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में आपने राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटन स्थलों के विकास के लिये क्या-क्या काम किये और गत दो वर्षों में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जिनको मरू त्रिकोण योजना के अन्तर्गत लिया गया है उसमें शैय्यों की क्षमता कितनी बढ़ायी गई है? इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन स्थानों में, जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल, बीकानेर में बीकानेर फेस्टिवल और बाड़मेर में कोई फेस्टिवल मेरी जानकारी के अनुसार शुरू नहीं था लेकिन बीकानेर में बीकानेर फेस्टिवल चालू था जो कार्तिक शुदी पूर्णिमा नवम्बर के महीने में होता था वह कई वर्ष तक चला उसको बन्द क्यों किया गया? इन तीनों प्रश्नों के बारे में उत्तर आने के बाद मैं फिर सवाल करूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि मरू त्रिकोण योजना भी भारत सरकार के विचाराधीन है

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, यह त्रिकोण योजना क्या है, पहले त्रिकोण तो समझा दो?

सुश्री पुष्पा जैन : जैसे ट्राइएंगल तीन जिलों को लेकर उसको डेजर्ट ट्राइएंगल का नाम दिया है। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, लूणी आयेगा उसमें।

श्री रामसिंह बिश्नोई : वह तो इसलिये आयेगा ताकि उसमें पाली आ जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : तो यह योजना अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। अतः योजना के अन्तर्गत राशि व्यय करने का अभी

श्री अध्यक्ष : आप तो इतना ही बता दो बीकानेर का मेला बन्द कर दिया क्या?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य

श्री अध्यक्ष : यह तो विचाराधीन है, क्या बतायेंगे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह मरू त्रिकोण योजना आपने भारत सरकार को कब भेजी और कब तक इसकी स्वीकृति मिलने की सम्भावना है? दूसरा, जूनागढ़ की फ्लड लाइटिंग का काम है

श्री अध्यक्ष : यह उसमें क्या कर सकती है। भारत सरकार से आज मिल जाय तो ये तैयार है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से इन्होंने योजना भेजने के बाद में कभी उसकी कोई

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सुध-बुध नहीं ली है। लगभग एक साल से ज्यादा समय हो गया है....

श्री अध्यक्ष : आप क्या बात कर रहे हो, 278 करोड़ की योजना है उस पर ध्यान नहीं देंगे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : योजना भेजने के बाद एक साल, डेढ़ साल तक कोई सुध-बुध नहीं ली है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका कहना है कि दिल्ली वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसने ध्यान नहीं दिया। मेरे वक्त में कम से कम हर साल डेढ़-दो करोड़ रुपया मिलता था....

श्री अध्यक्ष : आप भी अपनी ओर से कोशिश करिये ताकि जल्दी हो जाय। ये भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जूनागढ़ की फ्लड लाईटिंग का काम तो बहुत साधारण सा है उसको आप कब तक बीकानेर में शुरू करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसमें कहां आता है, आपने डेजर्ट काम्प्लेक्स योजना का पूछा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजें इससे सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप कह रहे हैं वह इसी मरु त्रिकोण योजना का भाग है। यही मतलब है ना। जूनागढ़ वाला उसी का भाग है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जूनागढ़ का अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से है इसीलिये तो इसमें आयेगा नहीं और यदि उसी का भाग है तो योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जूनागढ़ का अलग से भेजा हुआ है, यह इसका पार्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा जब आयेगा तो पूछ लीजिये। नेक्स्ट। श्री दयाराम परमार।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह चौथा प्रश्न इसमें अलग है।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछ लेना। उसी को मैं पहले ले रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसका उत्तर तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी इसको को ले लूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : अब तो दूसरा सवाल ले लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधियों की कमी

824. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दयाराम परमार)

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों में मरीजों को देने के लिये कोई दवाइयां नहीं होती हैं और केवल स्टाफ को वेतन देने के लिए लगा रखा है ?

(2) यदि नहीं, तो खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों में वर्ष 1990-91, 1991-92 में कितना-कितना धन दवाइयों पर व्यय किया गया ? विवरण औषधालय के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) औषधालयों में मरीजों को बजट के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अनुसार जो दवाइयां दी जाती है उसकी सूची देखने से ऐसा लगता है कि 2000 से 3000 रुपये के बीच में हम सालाना दवाइयां ग्रामीण औषधालयों में देते हैं और इनको वितरण करने के लिये एक वैद्य, एक कम्पाउण्डर और फोर्थ क्लास लगा रखा है। इस प्रकार हम तीन हजार तक की दवाइयां सालाना वितरित करते हैं तो क्या सरकार इसको व्यवहारिक दृष्टि से ठीक समझती हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि दवाइयां 4000, 2000, 6000 इस तरह की दी जाती है और उसके लिये तीन स्टाफ मेम्बर रखे जाते हैं। वैद्य, कम्पाउण्डर और फोर्थ क्लास। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी सोशियल सर्विस है जिसमें स्टाफ पर जो खर्चा होता है वह तो जरूरी है मगर जो दवाइयां उपलब्ध करवायी जाती है वह बजट के अनुसार ही उपलब्ध करवायी जाती है और यद्यपि उसकी आवश्यकता अधिक भी हो सकती है। मैं इस बात को मानती हूं कि यह प्रश्न बार-बार हाउस में आता है कि दवाइयों की व्यवस्था समुचित नहीं है और व्यवस्था को समुचित करने के लिये हमने योजना बनायी है।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बी. एफ. सी. से आपको पैसा मिलता है। लास्ट ईयर आपको 30 लाख रुपये मिले थे और आपने दिसम्बर तक केवल 10 लाख रुपया खर्च किया है तो 20 लाख रुपया आपके पास में था उस पैसे से ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है उसमें दवाइयों की व्यवस्था पर क्यों नहीं खर्च करना चाहते ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि बी. एस. सी. बजट में जो प्रावधान रखा गया था उसको पूरा खर्च नहीं किया। उसकी पूरी की दवाइयां खरीद ली गयी है और उनका निर्माण चालू भी है। पिछले वर्ष की दवाइयों की औषधि के साथ मिला कर निर्माण किया जा रहा है मगर बजट यूटिलाइजेशन पूरा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री चुन्नीलालजी।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आपकी

(श्री दयाराम परमार)

दिसम्बर तक की जो प्रगति रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार दवाइयों पर आपने 10 लाख रुपया ही खर्च किया है उसके बाद तीन महीनों में 20 लाख रुपया खर्च कम दिया ? यह मेरे को जानकारी नहीं है कि आपने कौन से महीने में खरीदी ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कह दिया ना कि पूरा खर्च हो गया।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सही नहीं है, आपके फिगर मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : खर्चा पूरा हो गया।

श्री दयाराम परमार : कौन से महीने में कहा ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य को पहले तो यह एक्स्प्लेन करना पड़ेगा कि क्या वह इन औषधालयों की....

श्री अध्यक्ष : सीधा सा सवाल है। जो बजट था उसमें से आपकी रिपोर्ट के मुताबिक दिसम्बर तक 10 लाख रुपया खर्च हुआ है....

श्रीमती विद्या पाठक : जो इन औषधियों का बजट था इन जिलों में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, औषधि का बजट बनाया जाता है पिछले वर्ष की रोगी संख्या के अनुसार और रोगी संख्या में तीन रुपया प्रति बेडेड पेशेंट का और एक रुपया आउट डोर पेशेंट के हिसाब से, मगर वह बजट उतना उपलब्ध होता नहीं है इसलिये बजट के अनुसार औषधियां भेजी जाती है यद्यपि यह सही है कि उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उतना सप्लाई नहीं हो पाता।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल

श्री अध्यक्ष : अब जवाब आ गया।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई सवाल नहीं है। जो पूछने वाले हैं उनका तो हुआ नहीं और बीच में आपका आ गया। नेक्स्ट।

विद्यालयों की क्रमोन्नति

825. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में सरकार द्वारा कितनी प्राथमिक शालाओं को मिडिल में, कितनी शालाओं की सैकण्डरी में एवं कितनी सैकेण्डरी को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) सन् 1991-92 में निम्न विद्यालय क्रमोन्नत किये गये :—

(अ) प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय 271

Page No. 16

(शिक्षा मंत्री)

(ब) उ. प्रा. वि. से मा. वि. 144

(स) मा. वि. से सी. उ मा. वि. 62

उक्त विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। राज्य में विधान सभा क्षेत्रवार विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये जाते हैं। सवाई माधोपुर जिले के निम्नलिखित विद्यालयों को गुणावगुण के आधार पर उ. प्रा. वि. में क्रमोन्नत किया गया है :—

प्रा. वि. से उ. प्रा. वि.

(1) जमुरा

(2) रोडवाला

(3) अरोरा

(4) अमरगढ़ चौकी

(5) चादनहोली

(6) सवाई माधोपुर (छात्रा)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र खण्डार में कोई भी विद्यालय सरकार के मापदण्ड के अनुसार नहीं आते? अगर मापदण्ड में आते थे तो उन विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण था? क्या यह सही है कि खण्डार विधान सभा क्षेत्र की बिल्कुल उपेक्षा बरती गयी है, किसी भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खण्डार विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिये लिख कर दिया था उसमें से एक को क्रमोन्नत कर दिया गया है चौथ का बरवाड़ा। दूसरा, आपने 6 विद्यालय प्राइमरी से अपर प्राइमरी के लिये लिखा था। खेडलीकलां, रोडावदा, रवाना डूंगर, पीपलवाला, जीनापुर। यहां पांचों नोर्म्स में नहीं आते हैं।

श्री चुन्नीलाल : क्या यह सही है कि इन विद्यालयों की दूरी जिला कार्यकारी अधिकारी द्वारा आपको लिखकर भेजी गयी थी कि यह जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनसे मिडिल स्कूल 13 और 14 किलोमीटर दूरी है। क्या ऐसे विद्यालयों को सरकार इस वर्ष क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

श्री हरिकुमार औचिच्य : जैसा मैंने निवेदन किया कि नॉर्म्स में आयेंगे तो देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र बरावंडा में गया।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह पाठशालाएं राजनीतिक आधार पर क्रमोन्नत की जाती हैं, या वाकई में यह मापदण्ड के आधार पर की जाती हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मापदण्ड के क्या आधार हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मापदण्ड वही हैं जो आपकी सरकार ने रखे थे, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परिवर्तन क्या किया है, वह बता दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको याद नहीं हो तो बता दूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे तो याद है। जनसंख्या के आधार पर था, छात्रों की संख्या का आधार था। आपने परिवर्तन क्या किया है, वह बता दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मंत्रीजी उसको आप बदलवाना चाहते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताया ना, आपकी सरकार ने जो मापदण्ड रखे थे, उन मापदंडों में थोड़ा सुधार करके यह व्यवस्था की गई।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपने तो बिगाड़ किया है। उनमें सुधार नहीं किया, बिगाड़ किया है। आपने कोई पैरामीटर्स नहीं रखे, पैरामीटर्स के बाहर स्कूलें खोली हैं आपने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी स्कूलें नहीं खोली गई दो साल में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो मापदण्ड रखे थे, उसमें जो राजनीतिक आधार था, वह हमने हटा दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कल्ला साहब के क्षेत्र में तो कहीं गुंजाइश बची ही नहीं थी।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत किया है जबकि 365 गांव खण्डार क्षेत्र में लगते हैं। सिर्फ एक स्कूल को क्रमोन्नत किया है। क्या सरकार इस भूल को ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुबेर खां।

महारानी कालेज, जयपुर की छात्रा की दुर्घटना में मृत्यु

826. **श्री जुबेर खां (रामगढ़)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष जनवरी, 1991 में महारानी महाविद्यालय, जयपुर के सामने एक छात्रा कु. उषा शर्मा की मिनी बस दुर्घटना में मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि छात्र-छात्राओं ने इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी किया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि आन्दोलनकारी छात्र छात्राओं से समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या था और उसे लागू किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) सत्य यह है कि महारानी महाविद्यालय, जयपुर के सामने छात्रा कु. उषा शर्मा की मिनी बस दुर्घटना के कारण मृत्यु दिनांक 19-12-90 को हुई थी, न कि जनवरी, 1991 में।

(2) जी हां।

(3) इस सम्बन्ध में छात्र संघर्ष समिति एवं प्रशासन के बीच इस बात पर सहमति हो गई थी कि मृतका के परिवार को समुचित मुआवजा दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि सहमति हुई थी और मृतका के परिवार को समुचित मुआवजा दिया जायेगा। यह 19-12-90 को मृत्यु हुई थी और अब 1992 आ गया है। मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि आप यह मुआवजा कब तक दे रहे हैं और दूसरा, कितना दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय आज मिनी बसें हार्न पर हार्न बजाकर जिस रेस तरीके से चलाते हैं, क्या इसी कारण एक्सीडेन्ट होते हैं और मेरा मंत्री महोदय से यह सवाल है कि आप इन मिनी बसों पर जो अंधाधुंध चलती हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री रिलीफ फण्ड से कु. शर्मा के पिताजी एन. सी. शर्मा को 10-4-91 को 5,000/– रुपया रिलीफ फण्ड से दिया....

अनेक माननीय सदस्य : बहुत दिया, साहब।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप पूरी बात सुन तो लीजिए। इसके साथ ही इनके पिताजी, इनके भाई और विश्वविद्यालय छात्रसंघ की ओर से एक ज्ञापन और आया कि एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाये, जो अभी भी विचाराधीन है।

श्री जुबेर खां अध्यक्ष महोदय, मिनी बसें जो स्पीड से चलती हैं इसके बारे में....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रश्न इस बात का नहीं है कि मुआवजा दिया जाये या नहीं दिया जाये, देने पर सरकार विचार कर रही है। प्रश्न यह है कि एक्सीडेंट के सम्बन्ध में क्या सरकार मुआवजा दे, क्योंकि एक्सीडेंट आज तो स्टूडेन्ड का हो गया, आज कोई दूसरा एक्सीडेंट भी हो सकता है जो कि शायद स्टूडेन्ट नहीं हो तो वह भी इसमें....

श्री अध्यक्ष : इसलिए उन्होंने सवाल यह किया कि मिनी बस....

श्री दिग्विजय सिंह : यह प्रश्न इस बात के लिए है कि राज्य सरकार इसे समुचित....

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, मिनी बस वालों से समझौता हुआ है, उसके बाबत पूछ रहे हैं यह।

श्री दिग्विजय सिंह : वही बता रहा हूं। समुचित इसको राहत दी जाये इसके ऊपर सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है और 5000/-रुपये तो उनको अंतरिम सहायता प्रदान की थी। जहां तक मिनी बसों का प्रश्न है, हमने यह आदेश दे दिया है कि मिनी बसों की जो रफ्तार है, उसको सीमित कर दी जाये और बांध दी जाये और उनके गवर्नर्स बांधने के लिए 40 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार जयपुर के अन्दर नहीं चलायी जायेगी, यह आदेश दे दिया गया है और इसको चैक करने के लिए यातायात विभाग को भी निर्दिष्ट कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : यह राहत राशि कब दे दी जायेगी, यह तो

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आना चाहिए स्पेसिफिक कि महीने में, 15 दिन में उसको कब तक राहत राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। आखिर बच्ची तो जान से गई उसके घर वालों को कब तक यह रिलीफ आप दिला देंगे। उसकी कोई तो सीमा हो। कोई केन्द्रीय सरकार से तो आपको स्वीकृति लेनी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप मुझे एक बात समझाइये। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार ने इतने साफ शब्दों में कह दिया कि एक्सीडेंट का मामला है। उसमें हमको जनरल तय करना पड़ेगा। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, आप उसकी वकालात कर रहे है। रोज सैकड़ों एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी कोई वकालत करता नहीं है तो राज्य सरकार सबके बारे में सोच रही है कि एक्सीडेंट किसी का भी हो, उनको मुआवजा दिलाने के लिए नियम बनाये जायें, नीति बनायी जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो साल हो गये।

श्री अध्यक्ष : अब दो साल हो गये, चार साल हो गये, लेकिन इससे बढ़कर और क्या निकल सकता है इसमें।

डा. चन्द्रभान : मंत्री महोदय का जवाब सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह स्पेसिफिक है, इसका कब तक कर देंगे। सबके लिए कर दें, क्या आपत्ति है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय ने जो जबाब दिया है यह मामला विचाराधीन है, जब कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर विचाराधीन क्यों है? सबसे बड़ी बात एक लाख रुपये देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, एक्सीडेंट में किसी को भी नहीं दे सकती सरकार....

श्री अध्यक्ष : यही विचाराधीन है कि एक्सीडेंट्स के मामले में सबको मुआवजा देने के बारे में सोच रही है, उस परिप्रेक्ष्य में इसका भी निर्णय होगा। अब इसका अलग से तो नहीं हो सकता। (व्यवधान) वही कह रही है सरकार। हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, अब आप....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप निर्णय कब तक कर देंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं था। लड़कों ने वहां आन्दोलन किया था और उस आन्दोलन में गवर्नमेंट के लोगों ने समझौता किया था कि हम मुआवजा देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो दे दिया 5,000 रुपये। अब और दे देंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह दाह संस्कार के लिए था क्या कोई?

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, एक लाख रुपये का समझौता हुआ था। 5,000 तो दाह संस्कार में दे दिये इन्होंने....

श्री अध्यक्ष : आप चन्दा करके दे दो अच्छा रहेगा। सरकार का काम नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार यह कहे कि हम तो कंगाल हो गये और अब चन्दा देकर....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं आपकी यदि बहुत ज्यादा सहानुभूति है तो चन्दा करके मदद करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, जिस बात का समझौता हो गया, उस समझौते को मानने के लिए....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों भाषण झाड़ रहे हैं जबर्दस्ती। बड़े जोश में आकर, जैसे कोई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोल रहे हैं। बैठिये, हो गया। काहे को जोश में आ रहे हैं, शांति से बात करिये।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं नहीं यह अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच गये।

श्री अध्यक्ष : आप क्या बात कर रहे हैं जबर्दस्ती जोश में। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

खादी ग्रामोद्योग के बुनकरों को सुविधाएं

827. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खादी एव ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने बुनकर मसूरिया खादी एवं पोलिएस्टर खादी बनाने में कार्यरत हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु जनहित में उन्हें सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बुनकरों को दी जाने वाली सुविधायें अपर्याप्त हैं ?

(4) यदि हां, तो सरकार उन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री मोहन मेघवाल) : (1) राजस्थान में मसूरिया खादी बनाने में 6 एवं पोलिएस्टर खादी बनाने में 160 बुनकर कार्यरत हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) खादी संस्थाओं द्वारा बुनकरों को निर्धारित चार्ट के अनुसार मजदूरी के साथ-साथ 8.33 प्रतिशत अनुग्रह राशि व 8 33 प्रतिशत कल्याण कोष की राशि का सहायता के रूप में भुगतान किया जाता है बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य योजना बजट से उन्हें घर के साथ कर्घाघर निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(3) जी नहीं, खादी आयोग के रेट चार्ट के अनुसार निर्धारित मजदूरी के अलावा अनुग्रह राशि एवं कामगार कल्याण कोष की राशि दी जाती है तथा प्रशिक्षण, कम कीमत पर कर्घा/उपकरण आदि एवं कर्घा घर हेतु 3000/-रुपये आर्थिक सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी, मंत्रीजी ने अभी यह बताया कि कर्घाघर, जो काम हो उसके लिए दिया जाता है, उनकी सूची जरा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बतायें कि किन-किनको घर के अन्दर काम करने के लिए दिया जाता है और जो संस्था को दिया जाता है, वह पर्याप्त है क्या? मेरे हिसाब से वह पर्याप्त नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर में पावरलूम पर कितने बुनकर आश्रित हैं, उनको खादी बोर्ड क्या मदद कर रहा है। खादी आयोग के रेट के अनुसार निर्धारित मजदूरी कितनी-कितनी मिल रही है? इस महगाई में क्या वह परिवार का खर्च चला सकता है? इससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इन्होंने प्रश्न तो खादी मसूरिया और पोलिएस्टर के बारे में किया है लेकिन इन्होंने कर्घाघर के बारे में पूछा है। कर्घाघर में जो हमारे राज्य के बजट के अनुसार 3000/- रुपया हम देते हैं इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बजट के अनुसार जितना रुपया है उतना रुपया ही हम इनको देते हैं। यह पैसा बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में ही दिया जाता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि घर के अन्दर लगाने के लिए आप किन-किन को कर्घाघर दे रहे हैं और यहां पर कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है?

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि यह सिर्फ बुनकरों का सवाल है न कि कतीनों का सवाल है। अगर इसमें कतीनों का सवाल होता तो उसका भी मैं सही जवाब देता, लेकिन ये सिर्फ बुनकरों का ही सवाल था इसलिए इतना ही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री कुबेरसिंह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ बुनकरों का ही सवाल था, ये कह रहे हैं, कि ये राशि घर पर काम करने के लिए दी जाती है यह घर कहां बता रहे हैं, कितनों को घर पर दे रहे हैं। मेरा छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास संख्या है क्या कि कितने बुनकरों को दे रहे हैं।

श्री मोहन मेघवाल : करीब 50 लोगों को देते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कहां-कहां पर है?

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अन्दर देते हैं।

श्री शिवजीराम : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आप जो कर्घाघर देते हैं वह संस्था की जमीन पर बनाते हैं या बुनकर के घर पर बनाते हैं।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 3,000 रुपये देती है और इसके अलावा संस्थायें भी उनको पैसा देती हैं। उसके बाद में जैसा वह बनाए।

Page No. 22

श्री शिवजीराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार नहीं पूछ सकते । नेक्स्ट । श्री कुबेरसिंह ।

तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों के अन्तर–जिला स्थानान्तरण

828. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1991-92 में निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर ने दो वर्ष की सेवाकाल से कम अवधि वाले तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण किये हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? आदेशों की प्राप्ति सदन की मेज पर रखें ।

(2) विभाग में जिला एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण की क्या नीति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि बिन्दु संख्या 1 के आदेश निरस्त भी किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? निरस्तीकरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) जी हां । राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम 1959 के नियम 29 के तहत उक्त स्थानान्तरण किए गए । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के कर्मचारी गण के उसी जिले एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उक्त सेवा नियमों के नियम 28 व 29 में प्रावधान किये गये हैं जिनके उद्धरण सदन के पटल पर रख दिये गये हैं ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कुबेरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नव-नियुक्त अध्यापक का दो वर्ष से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने 6-6 महीने में और 2-2 महीने में स्थानान्तरण किये हैं और इन्होंने उत्तर में नियम बता दिया कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम 1959 के नियम 29 के तहत यह स्थानान्तरण किये गये हैं । इस नियम को पढ़ने से लगता है कि जितने स्थानान्तरण हुए हैं उनमें से इस नियम के अन्तर्गत एक भी नहीं आता है । तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो वर्ष की अवधि का नियम है इसकी पालना करते हैं क्या ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी निवेदन किया कि नियम 28 व 29 के तहत स्थानान्तरण किये गये है और यह स्थानान्तरण स्वेच्छिक हैं यानि पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों की सहमति से किये गये हैं और राज्य सरकार इसके तहत आदेश देती है ।

श्री कुबेरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो नियम बतायें हैं उसमें सिफारिश तो

(श्री कुबेरसिंह)

पंचायत समिति और जिला परिषद की दो वर्ष बाद की जाती है। दो साल बाद जिला परिषद और पंचायत समिति जो अन्तर्जिला स्थानान्तरण चाहती है....

श्री अध्यक्ष : इसमें नीति के अन्तर्गत मंत्री को अधिकार है छूट देने का, इन्होंने जो आदेश निकाला है उसमें लिखा है स्थानान्तरण में दो वर्ष की समयावधि में छूट दी जाती है, छूट देकर किया है। इनको अधिकार है छूट देने का।

श्री कुबेरसिंह : इसमें भी है लेकिन वह सीमित है। इसमें कोई वजह होनी चाहिये कि वह बीमार है या परिवार का कोई आदमी बीमार है या कोई विशेष परिस्थिति है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। यह सवाल ऐसा नहीं है। प्रशासनिक कारण कई होते हैं। जिले के बाहर भी स्थानान्तरण हो सकते हैं। किसी आदमी को दण्ड देने के लिए कि कोई गड़बड़ कर रहा है उसको दूर फेंक देते हैं। यह प्रशासन का मामला है, इसमें कोई नीति लागू नहीं होती है, सुविधा से होता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रशासन को जो सुविधा होती है वह करते हैं।

श्री कुबेरसिंह : मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप उनको पहले पूरा करने दीजिये। प्रश्न उनका है....

श्री रामसिंह विश्नोई : पहाड़ी इलाकों के अन्दर अध्यापक मिलते नहीं हैं। बाहर के लोग वहां अपाइंटमेंट ले लेते हैं फिर बाद में दो-छः महीने में वापिस चले जाते हैं। उन लोगों को अपाइन्टमेंट देने के लिए तो सरकार है नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब सरकार इसके लिए क्या करे। आप स्वयं समझते हैं, किसी की पोस्टिंग हो जाए, कोई जाना नहीं चाहता है स्टे ले आता है अब उसमें सरकार क्या करेगी।....

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो महीने बाद चले जाते हैं फिर स्थान खाली पड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रशासनिक कठिनाइयां हैं जो वह अपने स्तर पर ही ठीक करेंगे....

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें आपको सहयोग करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या सहयोग करें। प्रशासन उनको चलाना है, वह अपनी सुविधा से चलायेंगे उसमें आप और हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न हमको करना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह तो ठीक है कि सरकार को स्थानान्तरण करने का अधिकार है और करे लेकिन प्रश्न यह नहीं है। इसमें प्रश्न यह है कि आदिवासी एरिया के अन्दर लोग एक बार चले तो जाते हैं और महीने-दो-महीने बाद ट्रांसफर कराकर आ जाते हैं वह स्कूलें साल भर खाली पड़ी रहती हैं इसलिए आदिवासी इलाकों के अन्दर इस बात की छूट नहीं होनी चाहिये, यह उनके कहने का मतलब है।

श्री अध्यक्ष : यह छूट हम में से ही जाकर करवाते हैं। नैक्स्ट । (व्यवधान) नैक्स्ट श्री हेमराज।

श्री कुबेरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, हो गया है। हम लोग हाथ हटालें, फिर देख लेंगे सरकार को। हम ही दबाव डालते हैं।

श्री कुबेरसिंह : इस प्रकार की पुनरावृति नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बहस करने के काबिल नहीं है। इसमें बहस का कोई मुद्दा नहीं है। प्रशासन चलाने वाले अपने हिसाब से चलायेंगे। आप आयेंगे तो आप भी अपने हिसाब से चलायेंगे। अब किसी के साथ अन्याय होगा तो, कोर्ट खुले हुए है उसके बारे में तो वकालत की जा सकती है वह इंडीविजुअल बात है।....(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बैठिये।...

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाइये... (व्यवधान) मुझे दस सवाल लेने हैं, आप बैठ जाइये। और यह भाषण झाड़ने की आदत बन्द करिये। यह क्या बात हुई। कोई मामला नहीं है और भाषण झाड़ रहे हैं कि सवाल नहीं लिया जा रहा है आगे। जरूरी सवाल लगे हुए है आपको मैं बोलने नहीं दूंगा।

खनिज अभियन्ता, रामगंज मंडी द्वारा रायल्टी की प्राप्ति

829. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में खनिज अभियन्ता, रामगंज मंडी ने खनन पट्टाधारियों के विरुद्ध कितनी मांग मृतघाटक के तहत अधिक रायल्टी कायम की ? मेजर व माइनर मिनरलवाइज का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी मांग पी. डब्ल्यू. डी. एवं कृषि विपणन बोर्ड ने कायम की ?

कुल मांग प्रत्येक वर्ष में कितनी कायम हुई व उससे कितनी वसूली की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी खनिज अभियन्ता का 1989-90, 1990-91 में टारगेट पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या टारगेट कागजों में पूरा करने के लिए पट्टाधारियों से लोन एवं एडवास के रूप में राशि ली गई ? यदि हां तो क्यों ? प्रत्येक वर्ष में कितना एडवांस लिया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 एव 1990-91 का टारगेट पूर्ण न होते हुए भी टारगेट पूर्ण होने की सूचना खनिज अभियन्ता ने दी है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) खनिज अभियन्ता, रामगंज मण्डी के द्वारा खनन पट्टाधारियों के विरुद्ध मृत-भाटक व अधिक रायल्टी की वर्ष

(राज्य मंत्री, खनिज)

1989-90 व 1990-91 में कायम की गई मांग का विवरण मेजर व माइनर का संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(2) विभिन्न वर्क आर्डरों के विरूद्ध (ठेकेदारों द्वारा प्राप्त परमिट से प्राप्त हुई आय ही मांग निम्नानुसार है जो वर्षवार निम्न है) निम्न मांग कायम की गई :—

वर्ष	पी. डब्ल्यू डी.	कृषि विपणन बोर्ड
1989-90	17064-00	81033-00
1990-91	81066-00	71915-00

(3) जी नहीं। रामगंजमण्डी खण्ड का वर्ष 1989-90 व 1990-91 का जो आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसको पूरा किया गया।

(4) जी नहीं। टारगेट पूरा करने हेतु कार्यालय द्वारा किसी भी पट्टाधारी से कोई लोन एवं एडवान्स की मांग नहीं की गई अपितु विभागीय नीति के अनुसार विभिन्न पट्टाधारियों ने खन्ना जारी कराने हेतु वर्ष 1989-90 व 1990-91 में खन्ना पेठे अग्रिम रायल्टी के क्रमश: रुपये 47,28,292 एवं 58,70,000 जमा हुए।

(5) जी नहीं। 1989-90 व 1990-91 का टारगेट पूर्ण न होते हुए भी टारगेट पूर्ण होने की सूचना खनिज अभियन्ता ने नहीं दी। केवल मात्र राजस्व प्राप्ति की सूचना दी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी में खनिज खनन के टारगेट 1989-90 और 1990-91 के पूरे नहीं हुए हैं, इसका क्या कारण है। इसका कारण यह नहीं है कि नाकों पर लगातार चोरियां हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, कारण मत बताइये।

(12.00 मध्याह्न)

श्री हेमराज मीणा : खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी ने नाकों की चोरियां रोकने के लिए नये नाके कायम किये थे। उन नाकों को दो महीने बाद हटा दिया गया, इसका क्या कारण है ? जो नये नाके स्थापित किये थे उनसे कितनी राजस्व आय प्राप्त हुई ?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 1990-91 का टार्गेट पूरा नहीं हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1988-89 का टार्गेट था 210 लाख रुपये का उसके अगेंस्ट 210.6 लाख आये, 1989-90 का था 240 लाख का उसकी बजाय 242 आये और 1990-91 में 310 लाख का टारगेट था उसकी बजाय 311.86 आये। नाकों को हटा दिया गया उसकी वजह से चोरियां हुई या आय कम हुई, ऐसा माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में पूछा नहीं है, इसलिए नाके हटाये या नहीं हटाये इस बारे में तो मैं जवाब नहीं दे सकता। इतना ही कह सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप जांच करके बता दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : हटाये होंगे तो उसकी मैं जांच करवा लूंगा।

Page No. 26

श्री अध्यक्ष : अल्पसूचना प्रश्न। पूछिये आप।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा स्थगित प्रश्न है, नेक्स्ट यही है।

श्री अध्यक्ष : अब आपका रह गया, टाइम नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : यह स्थगित ले लें, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्या करूं तो।

अल्प सूचना प्रश्न

विद्यालयवार अध्यापकों का आवंटन

5. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले के शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विद्यालयवार अध्यापकों के पदों के आवंटन की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वास्तव में विद्यालयवार स्वीकृत बजट के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत बजट के मुताबिक आवंटित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में कार्य करने हेतु संलग्न किया हुआ है? विद्यालयवार स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन विद्यालयों के अध्यापक अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किये गये हैं ऐसे अध्यापकों के मूल पदस्थापन वाले विद्यालय के छात्रों की पढ़ाई की होने वाली हानि की पूर्ति हेतु क्या योजना है?

(4) क्या एक विद्यालय के अध्यापक को दूसरे विद्यालय में संलग्न करके कार्य लेने हेतु जारी आदेश नियमान्तर्गत हैं? यदि नहीं, तो ऐसे आदेश जारी करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं?

(5) क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) जी हां, वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बूंदी जिले में कुल 28 शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में कार्य करने हेतु लगा रखा है। विद्यालयवार स्थिति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) छात्रों की पढ़ाई की हानि न हो, यह व्यवस्था संस्था प्रधान करते हैं। विभाग ने यह निर्देश दिये हुए हैं कि जिस शिक्षक को जहां से वेतन प्राप्त होता है वहां के लिए तत्काल कार्यमुक्त करें।

(4) जी नहीं, अभी ऐसे प्रकरणों में दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है।

(5) इस सम्बन्ध में जांच नहीं हुई है, अतः कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। जांच के पश्चात् कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(6) दोष सिद्ध होने पर ही सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो आदेश जारी किये हैं सम्बन्धित विद्यालयों में अध्यापकों को वापस भेजने के, ये किस तारीख को किये गये ? क्या यह सही है कि 24 मार्च, 1991 के माननीय शिक्षा मंत्री के स्वयं के आदेशों की पालना शिक्षा विभाग के अधिकारी आज तक नहीं कर रहे हैं ? आज साल भर बाद तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके, उसका कारण क्या है ? यदि की है तो किन-किन अधिकारियों के खिलाफ और उनको किस-किस तरह का दण्ड दिया गया है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 12-7-1990 को इस प्रकार के आदेश दे दिये थे कि जहां कहीं अध्यापक नियुक्त हैं उसकी दूसरी जगह तनख्वाह नहीं उठायी जाय। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां किसी पाठशाला या विद्यालय में अध्यापक का रिक्त स्थान हो या नया पद-सृजन हुआ हो और कोई नहीं पहुंचा हो, तो टैम्परेरी इस शर्त पर कि जहां से हटाया जा रहा है वहां पर पढ़ाई की किसी प्रकार की कोई असुविधा या छात्रों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।

दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्य की भावना यह रही है कि इसकी आड़ में कहीं डैपुटेशन पर बूंदी नगर में अधिकांश लोगों को नहीं लगा दिया गया है। मैंने जो सूची दी है उससे स्पष्ट होगा कि इनको बूंदी नगर में नहीं लगाया गया है। जहां तक पढ़ाई का सवाल है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिस विद्यालय से उनको हटाया गया है वहां छात्रों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां तक कार्य करने का सवाल है, इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी है कि इस नियम के विरुद्ध, व्यवस्था की दृष्टि से तो लगा सकते हैं लेकिन डैपुटेशन जिसको कहते हैं उस प्रकार का कोई डैपुटेशन कहीं पर नहीं किया गया है।

एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि उस जिले में 2009 अध्यापकों में से 28 अध्यापक इस प्रकार दूसरी जगह लगाये जिनको मैंने आदेश दे दिया कि इनको यथास्थान किया जाय वहां पर व्यवस्था हो जाने के पश्चात्।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रामनारायण वर्मा : एक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक

1306. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में काफी लम्बे समय से श्रमिक दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ?

(श्री रामकिशोर सैनी)

(2) क्या यह सही है कि गत दिनों कुछ श्रमिकों को अर्द्धस्थाई किया गया ? यदि हां, तो कितनों को ? नाम एवं दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो किन कारणों से ? इन्हें अब कब तक अर्द्ध-स्थाई नियुक्ति दे दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट नं. एस. बी. 3727/4 दिनांक 10-10-1991 के द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि श्रमिकों को एरियर सहित भुगतान किया जावे ? यदि हां, तो अब तक कितनों को भुगतान दिया गया ? यदि नहीं, तो अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 26 (34) जविप्रा/संस्था/अभि./88 दिनांक 25-2-92 के अन्तर्गत 24 श्रमिकों को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया है । सूची परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) जी हां । श्रमिकों को एरियर सहित भुगतान हेतु दैनिक मजदूरी से संबंधित प्राधिकरण के विभिन्न प्रकोष्ठ से अभिलेख संकलित कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

आवासन मण्डल की पारिजात योजना

1307. **श्री शिवजी राम** (जहाजपुर) : क्या नगरीय विकास एव आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पारिजात योजना एच. आई. जी. टाइप तृतीय, क्वार्टर्स वर्ष 1988 के आवेदकों को फरवरी, 1992 में जारी अलाटमेण्ट लैटर में जमीन की कीमत रु. 59,000 व निर्माण की कीमत रुपये 1,78,200/– बताई गई है ? उक्त धनराशि की तिथिवार, मदवाइज स्थिति दर्शाते हुये विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ठेकेदारों को मार्च, 1991 में यह कार्य अलॉट किया गया व फरवरी, 1992 में आवेदकों को मकान अलॉट कर दिया गया ?

(3) क्या सरकार ने भवन अलाटमेंट पत्र में जो राशि दर्शायी है उसमें 15 माह का 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो ब्याज लगाने का क्या आधार रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सितम्बर, 1988 से मार्च, 1991 तक आवेदकों की राशि का अन्यत्र इस्तेमाल किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवधि का 21 प्रतिशत ब्याज देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पारिजात योजना एच. आई. जी. टाइप तृतीय के क्वार्टर्स 1988 के आवंटन पत्र में भूमि की लागत 59,000/– रुपये

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

व निर्माण लागत के रुपये 1,78,000/– रुपये ली गई है। निर्माण लागत में निर्माण व्यय रुपये 1,27,596/– रुपये के अलावा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खर्चे, प्रशासनिक व्यय शामिल है। उक्त धनराशि की तारीखवार व मद्यवार स्थिति परिशिष्ट "क" 1 से "क" 3 पर उपलब्ध है।

(2) इनमें से 12 मकानों का कार्य फरवरी, 90 में तथा शेष 21 मकानों का कार्य ठेकेदारों को मार्च, 91 में आवंटित किया गया। इन मकानों के आवटन हेतु लाटरी माह अक्टूबर, 91 में निकाली गई थी व माह फरवरी, 92 में आवंटन पत्र जारी किये गये।

(3) भवन आवंटन पत्र में निर्धारित की गई लागत में मण्डल के लागत निर्धारण के सिद्धान्तों के अनुसार मण्डल द्वारा लगाई गई अतिरिक्त राशि पर समस्त ऊपरी व्यय जोड़ते हुए जो आधिक्य राशि निकाली गई केवल उसी पर आवासों की निर्माण अवधि 15 माह के लिये 18% ब्याज लगाया गया है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा सड़क मरम्मत हेतु आमन्त्रित टेण्डर

1308. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) व **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा अजमेर की कॉलोनीज में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कितनी सड़कों के निर्माण हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गये ? क्या निर्धारित समय अवधि में सभी टेण्डरर्स के अनुसार सड़कों का कार्य पूर्ण होकर डामरीकरण कर दिया गया है ?

(2) एल. एच. एम. ब्लॉक, वैशाली नगर (अजमेर) में सड़क निर्माण के टेण्डर कब हुए उसके अनुसार क्या समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया अथवा नहीं ? क्या उस पर डामर कार्य पूर्ण हो गया है ? उक्त ब्लाक में क्या न्यास द्वारा जल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था एवं बगीचे आदि की व्यवस्था कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा अजमेर की कॉलोनियों में वर्ष 90-91 में 6 व 91 92 में 18 सड़कों के निर्माण हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गये। वर्ष 90-91 के 6 कार्यों में तीन कार्य पूर्ण हो गये तथा 2 में डामरीकरण करना शेष है एवं एक कार्य न्यायालय के स्टे के कारण बन्द पड़ा हुआ है। वर्ष 91-92 में किये गये 18 टेण्डरों में से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 7 कार्यों में डामर उपलब्ध न होने की वजह से डामरीकरण का कार्य शेष है तथा 4 कार्य प्रगति पर है।

(2) एल. एच. एम. ब्लाक, वैशाली नगर (अजमेर) में सड़क निर्माण के टेण्डर 13-3-91 को हुए कार्यादेश के अनुसार कार्य शुरू करने एवं समाप्त करने की तिथियां क्रमशः 15-4-91 तथा 14-8-91 थी।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

डामरीकरण के अलावा सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है। डामर उपलब्ध होते ही डामरीकरण का कार्य भी पूर्ण करवा दिया जावेगा।

उक्त ब्लाक में पानी व्यवस्था हेतु 3.90 लाख की राशि जलदाय विभाग को दिनांक 22-6-91 को भिजवायी गयी थी जिसके अन्तर्गत जलदाय विभाग द्वारा करीब 70% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बिजली व्यवस्था पूर्व में ही की गयी थी। बगीचे की व्यवस्था नहीं की गयी है, क्योंकि एल. एम. एच. ब्लाक में बगीचे के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया था।

सुशीलपुरा (जयपुर) का विकास कार्य

1309. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा कॉलोनी, श्याम नगर के पास, अजमेर रोड, जयपुर जो कि पूर्व में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत था, अब जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलोनी का विकास जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या विकास कार्य कब-कब किये गये?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलोनी में रोड लाइट, सड़क तथा नालियों का निर्माण कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कॉलोनी में जगह-जगह पर गढ्ढे होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी?

(5) क्या यह भी सही है अधिकतर रोड लाइट खराब हो रही हैं? यदि हां, तो उन्हें कब तक ठीक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के वर्ष 1982 में गठन के पश्चात् उक्त क्षेत्र जयपुर रीजन में आता है।

(2) जी हां। कालोनी में सड़कें एवं नालियों का निर्माण किया गया है। उक्त कार्य वर्ष 1985-86 व 1986-87 के दौरान किये गये हैं।

(3) जी नहीं। जिन मार्गों की चौड़ाई सड़क बनाने योग्य उपलब्ध नहीं है। उनमें सड़कें नहीं बनाई गयी हैं।

(4) मरम्मत योग्य सड़क व नाली के तकमीने बनाये जा रहे हैं, स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

(5) रोड लाइटों के रख-रखाव का कार्य शीघ्र करवा दिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1310

(स्थगित)

संजय नगर भट्टा बस्ती जयपुर में भू-खण्डों का आवण्टन

1311. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संजय नगर भट्टा बस्ती (कच्ची बस्ती) में भूखण्ड आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो कब व किस-किस को कौन-कौन सा प्लाट आवंटन किया गया ? नाम, पिता का नाम प्लाट संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त बस्ती में सभी आवंटियों को भूखण्ड का कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो भूखण्ड का कब्जा किस-किस को नहीं दिया गया और क्यों ? शेष का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1985 से वर्ष 1992 तक कुल 2140 व्यक्तियों को (सर्वेधारियों) संजय भट्टा बस्ती में भूखण्ड आवंटित किये हैं । चूंकि 2140 व्यक्तियों की सूची मय प्लाट के बनवाकर तत्काल उपलब्ध कराना श्रमसाध्य एवं व्यय साध्य है ।

(2) जी नहीं । उक्त आवंटियों में से 58 सर्वेधारियों को भूखण्ड के कब्जे अभी तक नहीं दिये जा सके हैं क्योंकि इनके द्वारा नजराना जमा नहीं कराया है एवं कई भूखण्डों पर अतिक्रमण किया हुआ है । उक्त 58 व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है । जिन्होंने नजराना जमा नहीं करावाया उनको नजराना जमा कराते ही कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी एवं जिन आवंटियों के भूखण्डों पर अतिक्रमण है उनको अतिक्रमण हटते ही कब्जा दिलाया जावेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

सामान्य पंजीकरण योजना, 1989 के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के आवेदन-कर्ता

1312. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर ने वर्ष 1989 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में अल्प आय वर्ग के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किये ? प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आय वर्ग में राजस्थान आवासन मण्डल ने आवेदन-कर्ताओं को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो दी गई सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना में अब तक कुल कितने आवेदकों को आवास आवंटित किये हैं तथा सरकार शेष आवेदकों को कब तक आवास आवंटित करने का विचार रखती है ?

(4) जिन आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं क्या उनकी जमा राशि सरकार वापस करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No. 32

(श्री कुबेर सिंह)

(5) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं की वरीयता निश्चित कर दी गई है? यदि हां, तो प्रत्येक की वरीयता की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में वर्ष 1989 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर हेतु अल्प आय वर्ग में प्राप्त कुल 8069 आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	नकद भुगतान पद्धति	किराया क्रय पद्धति
1.	वैतनिक वर्ग	49	1660
2.	अवैतनिक वर्ग	59	5115
3.	बोर्ड कर्मचारी	3	35
4.	अनु. जाति/जनजाति	21	1075
5.	पत्रकार/सांसद/विधायक	—	1
6.	भू. पू. सैनिक व उसकी विधवायें	—	10
7.	स्व सैना. व राजनैतिक	—	—
8.	विकलांग	1	40
	कुल योग	133	7936

(2) जी नहीं। उक्त पंजीकरण योजना के तहत, पंजीकृत आवेदकों की वरीयता निर्धारित कर, वरीयता की सूचना दी गई है। सूचना की प्रति (परिशिष्ट "अ") पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना में पंजीकृत किसी भी आवेदक को आवास आवंटित नहीं किये गये हैं। आवासों की उपलब्धता पर आवासों का आवंटन उनकी वरीयतानुसार भविष्य में किया जाना सम्भव होगा।

(4) जी हां, जिन आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं, उनकी जमा राशि आवेदक द्वारा चालान की चतुर्थ मूल प्रति प्रस्तुत करने पर लौटा दी जाती है।

(5) जी हां। उक्त आवेदन-कर्ताओं की वरीयता निर्धारित कर दी गई है। वरीयतानुसार सूची की प्रतियां तैयार करवाई जा रही हैं तथा प्रतियां तैयार होने पर प्रेषित कर दी जायेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

पवनपुरी आवासीय योजना, बीकानेर

1313. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में पवनपुरी आवासीय योजना, बीकानेर राजस्थान आवासन बोर्ड के सभी पंजीयकों को आवासीय मकान उपलब्ध करा दिये गये? यदि हां, तो किन-किन पंजीयकों ने रजिस्ट्रेशन कराया एवं किन-किन को पवनपुरी में मकान दिये गये, किन-किन को मकान नहीं दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि नारायणदास कल्ला पुत्र गिरधर लाल जी कल्ला, कुंजबिहारी कल्ला पुत्र श्री आशाराम कल्ला, मुकुन्द लाल कल्ला पुत्र श्री छोटूलाल कल्ला एवं विजय कुमार चांडक पुत्र श्री मोतीलाल चांडक ने उक्त आवासीय योजना हेतु निर्धारित समय में पंजीयन शुल्क 10,000/– दस हजार रुपये आवासन मण्डल को जमा करा दिये थे ? यदि हां, तो उन्हें 11 वर्ष तक उक्त आवासीय योजना में अब तक मकान का आवंटन क्यों नहीं किया गया ? उक्त मामले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) उक्त चार आवेदकों के बाद के पंजीयकों को उक्त आवासीय योजना में किस आधार पर मकान आवंटित किये गये ? क्या आवासन मण्डल उपरोक्त 4 पंजीयकों को न्याय देगा ? यदि हां, तो उन्हें कब तक 1981 की कीमत के आधार पर मकान का आवंटन कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज. आवासन मण्डल किसी आवासीय कालोनी विशेष हेतु पंजीकरण नहीं करता वरन् शहर हेतु करता है। मण्डल द्वारा वर्ष 1981 में पंजीकरण बीकानेर हेतु प्रारम्भ किये गये थे। इन सभी आवेदकों को बीकानेर शहर की विभिन्न आवासीय योजनाओं से आवास आवंटित कर दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इन व्यक्तियों ने पंजीकरण शुल्क 7000/– वर्ष 1981 में तथा 3,000/– जून, 82 में जमा कराकर बीकानेर शहर हेतु पंजीकरण कराया था, न कि पवनपुरी आवासीय योजना हेतु उक्त आवंटी को पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने हेतु आरक्षण पत्र जारी किये गये थे। परन्तु उनके द्वारा यह राशि जमा नहीं कराने के कारण उन्हें मकान आवंटित नहीं किये जा सके। इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

(3) उक्त आवेदकों के बाद के किसी पंजीकृत आवेदक को पवनपुरी बीकानेर में मकान आवंटन नहीं किया गया है। मण्डल द्वारा बीकानेर शहर की विभिन्न आवासीय योजना के मकानों के आवंटन हेतु दिनांक 11-5-84, 19 2-85 एवं 12-9-85 को लाटरी निकाली गई थी, परन्तु उक्त आवेदकों की पूर्ण ग्रहण राशि जमा नहीं होने कारण इन्हें किसी भी आवासीय योजना में मकान आवंटित नहीं किये जा सके। उनकी राशि जमा होने के बाद आवंटन संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कालवाड़ रोड, जयपुर की भूमि का मुआवजा

1314. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर में बाईपास व कालवाड़ रोड के पास स्थित भूमि का मुआवजा रुपये छब्बीस हजार प्रति बीघा तय किया है जबकि वहां का बाजार भाव चार लाख रुपया प्रतिबीघा है ?

(श्री रामकरणसिंह)

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर से सत्रह किलोमीटर स्थित ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर में अवाप्त भूमि का मुआवजा प्रतिबीघा एक लाख इक्यावन हजार रुपया तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा अलग है ? यदि हां, तो दोनों स्थानों के मुआवजा राशि के अन्तर का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार प्रश्न के भाग एक की भूमि का मुआवजा ग्राम सीतापुरा के बराबर देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वी राज नगर योजना में भूमि का मुआवजा 24,000/- रु. प्रति बीघा एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 30 प्रतिशत शोलेसियम, 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के अनुसार अवार्ड पारित कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित किये गये थे। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा अनुमोदन करने के उपरान्त अवार्ड तदनुसार घोषित किये गये। भूमि के मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सम्बन्धित काश्तकार की विधिवत सुनवाई की जा कर निर्धारित किये जाते हैं। मुआवजे का निर्धारण धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय उस क्षेत्र में पंजियन किये गये दस्तावेज दोनों पक्षों द्वारा पेश किये गये सबूत एवं अन्य अनेक बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अवार्ड पारित किया जाता है। पृथ्वी राज नगर योजना में धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई, 1988 को हुआ था। अवार्ड करते समय ऐसा कोई दस्तावेज अथवा सबूत किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पृथ्वी राज नगर योजना के किसी ग्राम में वर्ष 1988 में भूमि का बाजार भाव 4 लाख रु. प्रति बीघा होना प्रतीत होता हो।

(2) इस विभाग द्वारा इस प्रकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) राज्य सरकार अवाप्त भूमि का मुआवजा बढ़ाने हेतु विचार कर रही है।

नगर परिषद, जोधपुर द्वारा आवंटित भूखण्ड

1315. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, जोधपुर में बोराणों की हवेली के पास स्थित भूखण्ड श्री किशन पुत्र श्री भूराराम को आवंटित किया गया था ?

(2) क्या उक्त भूखण्ड नगर परिषद् की सम्पत्ति थी ?

(3) क्या उक्त भूखण्ड का पट्टा चम्पालाल, देवराज, पूनमचन्द व अन्य के नाम से जारी हुआ है ?

(4) क्या उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती रतन कंवर पत्नी जयनारायण व्यास के नाम पर परिवर्तित किया गया ?

(5) क्या नगर परिषद्, जोधपुर ने उक्त भूखण्ड को अपनी सम्पत्ति मानकार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बेच दिया है ? यदि हां, तो उक्त भू-खण्ड का मुआवजा प्रचलित दरों पर उस भूखण्ड के मालिक को दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। परिषद द्वारा दिनांक 12-7-85 को 94.93 वर्गगज खांचा भूमि को श्री किशन पुत्र भूरा राम को विक्रय की गई थी।

(2) तत्कालीन प्रशासक द्वारा इस भूमि को परिषद की सम्पत्ति मानते हुए विक्रय किया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। न्यायालय में वाद के निर्णयोपरान्त ही कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका मण्डल बस्सी के दैनिक वेतन भोगी कर्मी

1316. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका मण्डल, बस्सी के 13 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं दो वर्ष कार्य करने के बाद समाप्त कर दी थीं ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय द्वारा केस नं. 19/87, 137/87, 24/87 एवं अन्य मामलों में इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हित में निर्णय पारित किया गया था ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेशों की पालना कर दी गयी है ? यदि हां तो कब ? नहीं, तो क्यों ? न्यायालय के निर्णय की पालना कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ए-2 के आदेश क्रमांक एफ. 17/6/डी. पी. सी./ए-11/85/जयपुर, दिनांक 3-1-1987 एवं परिपत्र संख्या 7 (ए) कार्मिक क-5 दिनांक 1-2-1991 की पालना मुनासिब नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इन 13 कर्मचारियों को हटाने के बाद नगर पालिका मण्डल, बस्सी द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत, किस तिथि में कितने कर्मचारियों की ? नियमों की प्रति एवं नियुक्त कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तत्कालीन नगरपालिका ने आवश्यकता नहीं होने से दैनिक वेतन पर लगाये गये व्यक्तियों को हटा दिया।

(2) नगरपालिका बस्सी दि. 26-9-91 को ग्राम पंचायत में परिवर्तित हो गई हैं, वहां के स्टाफ को नगर परिषद, जयपुर में समायोजित कर दिया गया है। निर्णय की पालना का सम्बन्ध अब ग्राम पंचायत से हैं।

(3) खण्ड 2 के उत्तर के अनुसार वर्तमान ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा इन परिपत्रों की पालना प्रश्न न्यायालय के निर्णय के उपरान्त नहीं रह जाता है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) भंग होने के बाद मण्डल के द्वारा कोई कर्मचारी रखने, हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

मुकर्जी आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही

1317. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुकर्जी आयोग की रिपोर्ट की अनुपालना में भंग नगरपालिकाओं के समायोजित कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो पालिकावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को अनुदान देने हेतु कोई सुरक्षित कोष बना रखा है ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भंग नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को जिन नगरपालिका/परिषदों में समयायोजित किया गया है, उन्हीं पर उनके बकाया वेतन एवं भत्ते आदि के भुगतान का दायित्व है। ऐसी कुछ नगरपालिका/परिषदों को इस हेतु विशेष अनुदान भी दिया गया है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(3) जी नहीं। अतिरिक्त अनुदान के मद से 722 समयोजित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं को कुल 14,43,100 राशि उपलब्ध कराई गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

मनिहारों का रास्ता, जयपुर की सफाई व्यवस्था

1318. श्री भरोसी लाल (हिण्डोन) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हैदरियों की गली, मनिहारों का रास्ता, जयपुर में दिनांक 1-4-1991 से अब तक किस-किस सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी को कब से लगाया है ? कर्मचारी का नाम व समय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गली में गटर लाइन खुली होने से गटर का गन्दा पानी व मल मूत्र आदि सड़क पर बहता रहता है ? क्या सरकार गली की सफाई कराकर गन्दगी से छुटकारा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार गटर लाइन खुली रखने वालों को पाबन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कर्मचारी का नाम व

(स्वायत्त शासन मंत्री)

समय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। हैदरियों की गली में कोई गटर लाइन बन्द नहीं है एवं न ही गटर का गन्दा पानी, मलमूत्र आदि सड़क पर बहता है।

(3) वर्तमान में इस स्थान पर गटर लाइन खुली नहीं है। यदि कोई निजी गटर लाइन खुली रखता है तो नगरपरिषद उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

नगरपालिका क्षेत्र कानोड (उदयपुर) में अवैध कब्जे

1319. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर पालिका क्षेत्र कानोड़ जिला उदयपुर में विगत 5 वर्षों में लोगों द्वारा अवैध कब्जे किये गये? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब कितनी-कितनी भूमि एवं कहां कहां पर, विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि रैगर मोहल्ला वार्ड नम्बर 2 में श्री देवीलाल एवं श्री मोहनलाल पिता श्री गंगाराम द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी शिकायत उप जिलाधीश, बल्लभनगर, जिला उदयपुर को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से अभी भी अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं? यदि हां, तो इसमें कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में नगरपालिका क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(2) श्री देवीलाल व मोहनलाल पिता गंगाराम रैगर मोहल्ला वार्ड नं. 2 में न होकर वार्ड नं. 4 के निवासी है। इनके पास पंचायतकाल (17 वर्ष पूर्व) से ही सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर चबूतरी बनाई हुई थी। इसकी शिकायत उप जिलाधीश बल्लभनगर को 24-3-92 को प्राप्त हुई। इस पर 25-3-92 को ही उप जिलाधीश ने तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी को जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये है।

(3) जी नहीं। अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हटा दिया जाता है। शहर में नालियों के निर्माण हेतु चबूतरियों के रूप में पूर्व से चले आ रहे अतिक्रमण हटवाये गये है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) वस्तु स्थिति की जांच कर ऐसे निर्माणों को हटाने हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद्, जयपुर द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण

1320. **श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)** : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, जयपुर में पत्रावली संख्या 38/2046 सिगासरण दिनांक 12-10-1989 को रसीद सं. 35786 पु स. 358 द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति चाहने के लिए नक्शे तथा प्रार्थना-पत्र पेश किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, जयपुर ने दिनांक 1-6-1990 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि प्रार्थी 2735.20 रुपये जमा कराकर अपने भवन निर्माण का नक्शा तथा पत्र प्राप्त कर ले ? उक्त राशि जमा कराने के बावजूद भी नक्शा तथा पत्र नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? उन्हें अब कब तक नक्शा दे दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस प्रकरण में राशि जमा होने के पश्चात् उजरदार खड़ा होने से उसकी सुनवाई सक्षम अधिकारी से कराई जाकर तीन माह में मामले का निस्तारण करा दिया जावेगा।

आवासन मण्डल की प्रतापगढ़ (उदयपुर) में आवासीय योजना

1321. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रतापगढ़ में आवासन मण्डल ने नागरिकों को आवासीय मकान देने हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित कर रखे हैं ? यदि हां, तो आवेदकों की संख्या कितनी है ?

(2) सरकार आवेदकों को मकान बना कर कब तक आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब भी नये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। केवल 165 व्यक्तियों ने मकानों के लिये आवेदन किया है।

(2) भूमि को अवाप्त कर मकानों के निर्माण करने तक विभिन्न गतिविधियों से गुजरना होता है। अतः मकान आवंटन बाबत समयावधि बताना अभी सम्भव नहीं है।

(3) नये आवेदनों के बारे में पहले भूमि की उपलब्धता निश्चित हो जाने के पश्चात् ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

मंगलानसर चौराहा (अलवर) के आवासीय भवन में 'प्राइड़-ओ' होटल

1322. श्री जीतमल जैन (अलवर) : एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में मंगलानसर चौराहे के पास श्री बलवीर सागर माथुर के आवासीय भवन में 'प्राइड़-ओ' होटल चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त भवन के मालिक ने आवासीय भवन को होटल में परिवर्तित करने के मानचित्र एवं प्रार्थना-पत्र किस तिथि को नगर सुधार न्यास, अलवर में प्रस्तुत किये एवं किस तिथि को मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई ? मानचित्र प्रार्थना-पत्र एवं स्वीकृत-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन पर पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ?

(4) बिना स्वीकृति होटल निर्माण के लिये क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मंगलानसर चौराहे के पास श्री बलवीरनाथ माथुर द्वारा आवासीय भवन में "प्राईड-ओ" होटल चल रहा था । वर्तमान में मौके पर प्राईड-ओ होटल का बोर्ड हटा दिया गया है । वर्तमान में होटल नहीं चल रहा है ।

(2) प्राइड-ओ होटल के लिये न्यास से कोई स्वीकृति नहीं दी गई । वर्ष 1983 में श्री माथुर गेस्ट हाऊस के लिये स्वीकृति दी गई थी जो न्यास के पत्र क्रमांक 6225/84 दिनांक 26-3-84 द्वारा निरस्त कर दी गई । चूंकि उसके द्वारा न्यास द्वारा लगाई गई शर्तों की पालना नहीं की गई । श्री बलबीरनाथ माथुर को होटल की कभी भी स्वीकृति न्यास द्वारा नहीं दी गई । इसलिये मानचित्र, प्रार्थना पत्र एवं स्वीकृति की प्रति पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(3) श्री माथुर ने पहली मंजिल का निर्माण न्यास की बिना स्वीकृति लिये किया गया है इसकी निर्माण की स्वीकृति हेतु जो आवेदन न्यास कार्यालय में प्रस्तुत किया था न्यास के पत्र क्र. 6358 दि. 17-3-90 द्वारा आक्षेपों से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया ।

(4) अवैध होटल एवं अवैध निर्माण बाबत सन् 1988 में श्री माथुर को नोटिस दिये गये दि. 2-6-89 को प्रार्थी की अवैध बाउण्ड्रीवाल को भी तोड़ा गया उसके विरोध में श्री माथुर ने न्यायालय ए. डी. जे. (द्वितीय) के यहां वाद प्रस्तुत कर दिया वाद न्यायालय में विचाराधीन है । अवैध होटल चलाने के लिये न्यास द्वारा मौके पर अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा रोका गया और इस समय केवल बिल्डिंग बनी हुई है होटल नहीं चलाया जा रहा है न ही माथुर द्वारा कोई होटल का बोर्ड लगा रखा है ।

पूर्व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फुलेरा का ग्रेच्युटी प्रकरण

1323. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. चन्द्रभान)

(1) क्या स्व. राम कुमार सिंह, पूर्व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फुलेरा जिनका निधन दिनांक 9-5-87 को हुआ था, के ग्रेच्युटी, स्थिरीकरण संबंधी मामलों के निपटारे हो गये ? यदि नहीं हुये, तो क्यों ?

(2) अब इस सम्बन्ध में विभाग में क्या आवश्यक कार्यवाही कब तक होगी ?

(3) क्या स्व. रामकुमारसिंह के परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने से मामले का निपटारा नहीं हुआ है ।

(2) सेवा पुस्तिका तैयार किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी नहीं । अब उपादान राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी गई है । जिसका भुगतान नगरपालिका फुलेरा द्वारा किया जावेगा ।

घरेलू उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन के मानदण्ड

1324. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन देने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(2) जैतारण विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में वर्तमान में घरेलू कनेक्शन देने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जैतारण विधान सभा क्षेत्र के उक्त कनेक्शन लेने हेतु 150 आवेदन-पत्र प्रत्येक ग्रामवार विभाग में जमा हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सामान्य परिस्थितियों में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों तथा समस्त शहरी क्षेत्रों में घरेलू जल सम्बन्ध स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है ।

(2) संदर्भित क्षेत्र के किसी भी ग्राम में वर्तमान में घरेलू सम्बन्ध दिये जाने संबंधी योजना प्रस्तावित नहीं है ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जैतारण विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नहीं है ।

वैर, रूपवास एवं बयाना क्षेत्र के गांवों में हैण्डपम्प व्यवस्था

1325. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीने के पानी के लिये तहसील वैर, रूपवास एवं बयाना क्षेत्र के कितने-

(श्री रामप्रसाद)

कितने गांवों में हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हरिजन बाहुल्य बस्तियों में हैण्डपम्प लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित तहसीलों के ग्रामों में वर्ष 1991-92 में जहां-जहां हैण्ड पम्प लगाये गये उन गांवों की सूची परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त तहसीलों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में वर्ष 1991-92 में 35 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। विवरण निम्नानुसार है :—

तहसील	हैण्डपम्पों हेतु प्रस्ताव — बस्तियों की संख्या	स्वीकृत — हैण्ड पम्पों की संख्या	स्थापित हैण्ड पम्पों की संख्या
वैर	34	34	13
रूपवास	31	31	13
बयाना	20	20	9

शेष हैण्डपम्पों को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (जोधपुर) हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प

1326. श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़, जिला जोधपुर में पिछली पंचवर्षीय योजना में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये थे जिनमें कितने कहां-कहां लगाये गये व कितने लगाने बाकी हैं इनमें से वर्तमान में कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं ?

(2) शेरगढ़ तहसील के प्रत्येक गांव को जल योजना से जोड़ने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों में स्थापित हैण्डपम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। वर्ष 1991-92 का कोई हैण्डपम्प लगाया जाना शेष नहीं है।

(2) संदर्भित क्षेत्र के 1981 की जनगणना पर आधारित समस्त ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। 1981 के पश्चात् घोषित 24 नवसृजित राजस्व ग्रामों में से 10 को आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है एवं शेष को धन उपलब्धता के अनुसार लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की पनघट योजना

1327. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पनघट योजना किन-किन ग्रामों में कब से स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत ग्रामों में यह योजना कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(2) उक्त क्षेत्र में नल योजना से पेयजल किन-किन ग्रामों में उपलब्ध करवाया जा रहा है ? ग्रामों की सूची सदन की मेज रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई भी योजना स्वीकृत नहीं है ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में स्वीकृत 15 पनघट योजनाओं की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इन सभी योजनाओं को पूर्ण किया जाकर चालू कर दिया गया था।

(2) उक्त क्षेत्र में 22 ग्रामों को नल योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र के सभी ग्रामों की पेयजल योजनायें क्रियान्वित की जा चुकी है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के हैण्डपम्प

1328. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं तथा कौन कौन सा हैण्डपम्प कब-कब से बन्द पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बन्द हैण्ड पम्पस् को कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 46 हैण्डपम्प स्थापित हैं एवं समस्त कार्यरत हैं। वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। इनके अतिरिक्त समस्त परित्यक्त हैण्डपम्पों को हटाया जा चुका है।

(2) समस्त हैण्डपम्पों को हाल ही में पूर्ण अठारहवें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में ठीक किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला खण्ड (जयपुर) द्वितीय का मुख्यालय

1329. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड द्वितीय का मुख्यालय जयपुर में है एवं इस खण्ड के अधीनस्थ तहसील जमवारामगढ़, आमेर,

(श्री गोपीराम जाट)

चौमूं, जयपुर, विराटनगर, कोटपूतली क्षेत्र हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार इस खण्ड का मुख्यालय स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसका मुख्यालय विराटनगर, शाहपुरा या कोटपूतली में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(4) क्या यह भी सही है कि मुख्यालय, विराटनगर, शाहपुरा या कोटपूतली करने पर अन्य तहसीलों के ग्रामीणों को भारी असुविधा होगी. यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(5) क्या सरकार इस खण्ड का मुख्यालय, कार्यक्षेत्र के मध्य में स्थापित रखने का इरादा रखती है जिससे सभी को सुविधा रहे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) मामला विचाराधीन है ।

(3) जी हां ।

(4) इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

(5) प्रस्ताव के गुणों व दोषों का अध्ययन किया जा रहा है ।

नावां (नागौर) के ग्रामों की जी. एल. आर. योजना

1330. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही), एवं **श्री हरीशचन्द्र** (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नावां (जिला नागौर) के ग्राम चौसला, गुढ़ा, सिरसी, भाटीपुरा, लाखनपुरा में विभाग के द्वारा जी. एल. आर. के तहत कोई योजना स्वीकृत की हुई है ? क्या इसकी तकनीकी मंजूरी एवं कार्य शुरू करने की आज्ञा हेतु उक्त योजनायें काफी समय से सरकार के विचाराधीन है और इनमें से कई योजनाओं के लिये माह नवम्बर 1991 में निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं ?

(2) यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता, नागौर द्वारा तकनीकी स्वीकृति देने में किस कारण विलम्ब हो रहा है और अब कब तक तकनीकी आज्ञा प्राप्त होकर योजना का कार्य शुरू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्रामों में से केवल नव सृजित राजस्व ग्राम भाटीपुरा हेतु योजना की स्वीकृति जारी की गई थी । उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

(2) योजना की तकनीकी स्वीकृति पूर्व में ही जारी की जा चुकी है । कार्यों हेतु निविदायें प्राप्त करली गई हैं ।

विभागीय बोरिंग मशीनें

1331. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 को

(श्री रामनारायण वर्मा)

जलदाय विभाग के पास किस-किस श्रेणी की कितनी देशी व विदेशी बोरिंग मशीनें थीं ?

(2) वर्तमान में जलदाय विभाग के पास कितनी देशी व विदेशी बोरिंग मशीनें हैं ?

(3) उक्त अवधि के बाद किस-किस श्रेणी की कितनी बोरिंग मशीनें किससे क्रय तथा किसको विक्रय की गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या विक्रय की गई मशीनों के बेचान हेतु डी. पी. आर. के द्वारा विज्ञापन प्रसारित किये गये थे ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) संदर्भित तिथि को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में निम्न विवरणानुसार बोरिंग रिग्स उपलब्ध थी :—

श्रेणी	देशी	विदेशी
रोटरी	12	2
परक्यूशन	6	1
डी. डी. एच.	89	20
	107	23

(2) वर्तमान में विभाग में देशी 112 एवं विदेशी 31 बोरिंग रिग्स उपलब्ध हैं ।

(3) उक्त तिथि के उपरान्त मै. एल. एम. पी. प्रीसीजन इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बिलीमोरा गुजरात से 3 एल. एम. पी. रोटाहैम–1000 कॉम्बीनेशन रिग्स क्रय की गई । इनके अतिरिक्त यूनिसेफ दिल्ली के सहयोग से 12 डी. टी. एच. रिग्स भी प्राप्त की गई ।

एक-एक डी. टी. एच. बोरिंग रिग्स मै. त्रिवेणी बोरवैल कम्पनी कोटा एवं राजधानी मोटर स्टोर कोटा को विक्रय की गई ।

(4) जी हां । विक्रय हेतु एक-एक राष्ट्र स्तरीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्र में तथा 5 स्थानीय समाचार पत्रों में जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी । विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जनता नगर (रांकड़ी) जयपुर की पाइप लाइन

1332. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनता नगर (रांकड़ी) लक्ष्मी नगर, जयपुर में सोसायटी के सदस्यों द्वारा पूर्व में प्लास्टिक की पाइप लाइन डालकर जलदाय विभाग को सुपुर्द की थी ? यदि हां, तो कब तथा कितने इंच की पाइप लाइन थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइप लाइन काफी पुरानी होने से जगह-

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जगह से क्षति ग्रस्त हो गई तथा पानी नालियों में बहता हुआ जमीन में रिसाव हो रहा है ?

(3) यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों द्वारा नई पाइप लाइन डालने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ? यदि हां, तो कब-कब तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार आम उपभोक्ताओं की कठिनाइयों पर विचार रखकर अविलम्ब सीमेन्ट की नई पाइप लाइन डालने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनता नगर (रांकड़ी) में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व 1" व $1\frac{1}{2}$" की एल्काथिन की पाइप लाइनें डाली गई थी जिस पर विभाग द्वारा जल सम्बन्ध दिये गये थे।

(2) उक्त पाइप लाइन पुरानी होने के कारण इसमें कई बार लीकेज हो जाता है जिसे समय-समय पर विभाग द्वारा ठीक करवाया जाता है।

(3) जी हां। समय-समय पर स्थानीय निवासियों द्वारा मांग की गई है। नई लाइन धनाभाव के कारण नहीं डाली जा सकी।

(4) नई लाइन डालने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर अथवा स्थानीय निवासियों द्वारा अनुमानित राशि जमा कराये जाने पर कार्य किया जाना सम्भव है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी हेतु स्वीकृत पेयजल योजना

1333. श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह कृपा करेंगे :—

(1) बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में कौन-कौनसी पेयजल योजना कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1990-91 व 1991-92 में पुरानी योजना पर विस्तार के लिये कोई राशि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो कहां-कहां पर व किन-किन कार्यों के लिए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस क्षेत्र के लिए पिछले दो वर्षों में विभाग द्वारा क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या प्रगति हुई व कब तक सरकार स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वान्छित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न है। शेष 66 गांवों हेतु 11.571 लाख रुपये की राशि के 91 हैण्डपम्प लगाने/गहरा कराने की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(3) वर्तमान में विचाराधीन योजनाओं

Page No. 46

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है, जिन्हें धन उपलब्धतानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा। इनके अतिरिक्त 5 योजनाओं के प्रस्ताव प्रारम्भिक स्थिति में है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भीम उप खण्ड (राजसमन्द) को पेयजल योजना

1334. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजसमन्द जिले के भीम उपखण्ड मुख्यालय पर पेयजल योजना चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या इसी भीम उपखण्ड मुख्यालय का वार्ड संख्या 4 गंगाजी का खेड़ा पेयजल से जुड़ा हुआ है ? यदि नहीं, तो 200 घरों में आबाद वार्ड को अब तक पाइप लाइन डालकर नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ?

(3) अब उक्त गंगाजी के खेड़े को पेयजल योजना से कब तक जोड़ दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्राम को पेयजल योजना वर्ष 1968-69 से संधारण में हैं।

(2) वार्ड संख्या–4 गंगाजी का खेड़ा मुख्य ग्राम से लगभग 700 मीटर दूरी पर स्थित आबादी क्षेत्र है तथा एक हैण्डपम्प से लाभांवित है।

(3) भीम की पुनर्गठित योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें उपरोक्त स्थान में पाइप लाइन डाली जाने का प्रावधान भी सम्मिलित है। कार्य धन उपलब्धतानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम टाटगढ़ ब्यावर की पेयजल स्कीम

1335. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के ब्यावर तहसील का ग्राम टाटगढ़ पेयजल स्कीम से जुड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त गांव का पेयजल किस गांव से लाया जाता है ?

(2) क्या उक्त पेयजल काना खेजड़ी राजस्व ग्राम से लाया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक पानी के स्रोत को राज्य की नीति के अनुसार क्यों नहीं जोड़ा गया है ?

(3) काना खेजड़ी के लिये नलों द्वारा पेयजल की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्राम की पेयजल योजना हेतु स्त्रोत एक स्थानीय खुला कुआ तथा ग्राम की ढाणी काना खेजड़ी में स्थित एक नलकूप है।

(2) नलकूप से ग्राम टाटगढ़ को जोड़ा जा चुका है। ढाणी काना खेजड़ी में भी इस नलकूप के निकट एक सार्वजनिक नल तथा एक हैण्डपम्प लगा हुआ है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) ढाणी की जनसंख्या कम होने के कारण विभागीय मानदण्डानुसार पाइप्ड जल योजना क्रियान्वित करना प्रस्तावित नहीं है।

संयुक्त निदेशक (उद्योग) के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्यवाही

1336. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग मंत्री जी के बीकानेर प्रवास के दौरान बीकानेर उद्योग संघ एवं राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर संयुक्त निदेशक (उद्योग), बीकानेर के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार संयुक्त निदेशक, उद्योग के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करा कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संयुक्त निदेशक, उद्योग, बीकानेर के खिलाफ शिकायत के कारण उन्हें तार द्वारा फौरन अपना कार्यभार दूसरे अधिकारी को सम्भलवाकर कलेक्टर, बीकानेर को रिपोर्ट करने व बीकानेर में ही रहने के आदेश दिये गये।

(2) संयुक्त निदेशक, उद्योग, बीकानेर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु अतिरिक्त निदेशक, उद्योग को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में चाहा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संयुक्त निदेशक, उद्योग के दोषी पाये जाने की अवस्था में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

नियम विरुद्ध आबकारी अभियोग दर्ज का प्रकरण

1337. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग में नियम विरुद्ध आबकारी अभियोग दर्ज होने के आरोप में आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी को निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो कब? क्या इन्हें आरोप पत्र सर्व कर दिये गए हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में इस प्रकरण की क्या स्थिति है?

(2) क्या यह सही है कि आबकारी अभियोग ठेकेदारों के व्यक्तियों द्वारा ही पकड़ कर निरीक्षक द्वारा बनवाए जाते हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की परम्परा होने का हवाला देकर नियमों का उल्लंघन कर केस बनाने के आरोपी निरीक्षक को संरक्षित किया जा रहा है? यदि हां तो किस नियम के तहत?

(3) क्या यह सही है कि आबकारी अभियोग आबकारी नियम एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही दर्ज किया जा सकता है? यदि हां, तो उक्त निलम्बित

Page No. 48

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकरण में निरीक्षक द्वारा किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोनों कर्मचारी पूर्व में भी निलम्बित रह चुके हैं ? यदि हां तो कब-कब एवं किस-किस आरोप में तथा सम्बन्धित निलम्बन के क्या परिणाम रहें ?

(5) क्या यह सही है कि श्री नेनूराम विदेशी महिला से दुर्व्यहार के आरोप में निलम्बित हुए तथा दुराचरण के दोषी पाये गए एवं इनके विरुद्ध विभागीय जांच भी चल रही है ? यदि हां, तो क्या दुराचरण के दोष से मुक्त हो चुके हैं तथा पूर्व निलम्बन के आरोप से ये किस प्रकार दोष मुक्त हुए हैं ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध आदतन अपराधी होने के प्रकरण बार-बार प्रकाश में आए हैं ? यदि हां, तो कब-कब एवं उस पर क्या कार्यवाही हुई ? सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) आबकारी आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 7-1-92 से दोनों कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। जी नहीं, इन्हें विभाग द्वारा अभी आरोप पत्र सर्व नहीं किये गये हैं। वर्तमान में इसकी जांच कलेक्टर, जयपुर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(2) ठेकेदारों के व्यक्तियों के द्वारा पकड़ कर लाये गये केसों को बनाना अधिनियम नियम व प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना है। अतः उनके संरक्षण की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती।

(3) जी हां, आबकारी अधिनियम 50 के 19/54 की अवहेलना सहित उस प्रकरण के समुचित आबकारी व कानूनी पक्षों की जांच जयपुर कलेक्टर द्वारा की जा रही है।

(4) श्री नेनूराम को उनके द्वारा दिनांक 18-9-82 को एक विदेशी महिला के साथ दुर्व्यव्यवहार करने के आरोप में निलम्बित किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नं. 5 जयपुर नगर के निर्णय दिनांक 27-7-87 से उक्त विदेशी महिला की प्रत्यक्ष गवाही के अभाव में सन्देह का लाभ देकर बरी कर दिया। विभागीय जांच के अन्तर्गत भी श्री नेनूराम को दोष मुक्त कर दिया गया। एक अन्य केस के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(5) जी हां। उपरोक्त प्रश्न–4 के उत्तरानुसार न्यायालय में उक्त विदेशी महिला की प्रत्यक्ष गवाही के अभाव में एवं विभागीय जांच में भी श्री नेनूराम को दोष मुक्त कर दिया गया।

(6) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

आयुर्वेद कर्मियों के वेतन भत्तों पर व्यय

1338. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आयुर्वेद औषधालयों के वैद्यों तथा कर्मचारियों पर राजकोष से

(श्री बंशीलाल पटवा)

वेतन व अन्य भत्तों आदि पर कितना व्यय प्रतिवर्ष होता है ? व्यय के अनुपात में उक्त औषधालयों में कितना धन औषधियों पर खर्च होता है ?

(2) पिछले दो वर्षों में औषधियों पर कितना व्यय हुआ और कितनी औषधि जिलेवार वितरित की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद औषधालयों के वैद्यों तथा कर्मचारियों पर राजकोष से वेतन व अन्य भत्तों आदि पर 2445 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है। व्यय के अनुपात में उक्त औषधालयों में 75 लाख रुपये की औषधियां प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) आयुर्वेद औषधियों के निमित वर्ष 89-90 में 96.50 लाख रुपये व 91-92 में 101.67 लाख रुपये व्यय किये गये।

जिलेवार वितरित की गई औषधियों का वर्ष 1989-90 एवं 90-91 का विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जनसम्पर्क कार्यालय, बम्बई में जनसम्पर्क अधिकारी का रिक्त पद

1339. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बम्बई में जनसम्पर्क कार्यालय खोल रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां जनसम्पर्क अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? वर्तमान में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यभार कौन सम्भाल रहा है ?

(3) क्या उस व्यक्ति को कार्यवाहक भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त कार्यालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(5) उक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या-क्या विशेष सुविधाएं दे रखी हैं ?

(6) क्या सरकार उक्त कार्यालय को क्रमोन्नत कर उपनिदेशक स्तर का कार्यालय बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बम्बई में सूचना केन्द्र खोला हुआ है।

(2) जी नहीं। जन सम्पर्क अधिकारी का पद स्वीकृत ही नहीं हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) राजस्थान सूचना केन्द्र, बम्बई में अग्र लिखित पद स्वीकृत है, वे सभी भरे हुये हैं :—

(सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री)

1. उप निदेशक —एक
2. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष —एक
3. कनिष्ट लिपिक —एक
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी —दो
5. स्कूटर ड्राइवर —एक

(5) सूचना केन्द्र बम्बई में कार्यरत प्रभारी अधिकारी के लिए नि:शुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राजकीय कार्य से इधर-उधर जाने पर वास्तविक वाहन व्यय का भुगतान किया जाता है।

(6) उक्त कार्यालय उप निदेशक स्तर का ही है।

विभिन्न विभागों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

1340. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में (1990-91 एवं 1991-92) किन-किन विभागों द्वारा कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन जारी किये गये ? उनमें कितने-कितने सजावटी विज्ञापन किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि के दिये गये ?

(2) विज्ञापन देने के सरकार द्वारा क्या नीति-निर्देशन बनाये गये हैं ? क्या विभागों द्वारा नीति-निर्देशनों का पालन किया जाता है ? नीति-निर्देशनों की अवहेलना करने वाले विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या विज्ञापनों के वितरण से स्वस्थ प्रेस को बढावा देने की वांछित नीति का मकसद हासिल होता है ?

(4) क्या सरकार आज के परिप्रेक्ष्य से नीति निर्देशन एवं विज्ञापन देने की कार्य प्रणाली के सुधार हेतु पुन: नीति बनाने का मानस रखती है ? यदि हां तो कब तक और किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जन सम्पर्क विभाग द्वारा परिशिष्ट—एक में बताये गये विभागों के विज्ञापन जारी कर उनके बिलों का भुगतान इस विभाग द्वारा किया जाता है। इस परिशिष्ट में अंकित विभागों के विज्ञापन निम्न राशि के गत दो वर्षों में दिये गये हैं।

वर्ष	सजावटी	वर्गीकृत
1990-91	28.55 लाख	59 73 लाख
1991-92	29.65 लाख	66.77 लाख

परिशिष्ट-2 में अंकित विभागों के विज्ञापन इस विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं लेकिन विज्ञापन बिलों का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा सीधा किया जाता है अत: व्यय की सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-1 में अंकित विभागों द्वारा सजावटी विज्ञापन जारी नहीं किये जाते हैं। सजावटी विज्ञापन जन सम्पर्क विभाग द्वारा ही जारी किये जाते हैं इन विज्ञापनों का व्यय उपरोक्तानुसार है।

(2) समस्त राजकीय विज्ञापन, राज-

(सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री)

स्थान विज्ञापन नियम, 1962 के अन्तर्गत समाचार पत्रों को विज्ञापन के लिये मान्यता प्रदान कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22-4-81 में बताये गये निर्देशों के अनुसार विज्ञापन जारी किये जाते हैं। आदेश की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-3)

समस्त राजकीय विज्ञापन जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से जारी होते हैं विभागों द्वारा सीधे विज्ञापन दिये जाने की स्थिति में बिलों का प्रमाणीकरण इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन विभाग यदि कोई विशेष परिस्थितियां इंगित करता है तो उस पर विचार कर पुष्टि की जा सकती है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति झाड़ोल में क्रमोन्नत विद्यालय

1341. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी तथा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या पंचायत समिति झाड़ोल, जिला उदयपुर में गत दो वर्ष में उक्त स्कूल खोले या क्रमोन्नत किये गये ? यदि हां, तो कहां-कहां यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उ. प्रा. वि. से मा. वि. एवं मा. वि से सी. उ. मा. वि. में क्रमोन्नत करने के निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं :— क्षेत्रीय मांग, जनसंख्या, छात्र संख्या भवन व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति, फीडर विद्यालय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।

(2) सत्र 90-91 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति हेतु बजट प्रावधान नहीं रखा गया था। वर्ष 1991-92 में उक्त मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समिति झाडोल जिला उदयपुर में निम्न विद्यालय क्रमोन्नत किये :—

उ. प्रा. वि. से मा वि.

1. बदराना
2. मंगवास

पंचायत समिति, रायपुर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

1342. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर व सोजत के ग्राम कलालिया, नानणा कालबकलां, करमावास पट्टा, खोड़िया, चांग व चीताड़ में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में से वरीयता के आधार पर कौन-कौन से गांवों के विद्यालयों को आगामी बजट वर्ष में सरकार क्रमोन्नत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर व सोजत के ग्राम कलालिया, नानणा, कालबकलां, करमावास पट्टा, खोड़िया, चांग व चित्तौड़ में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूची सदन की पटल पर रख दी हैं ।

(2) वर्ष 92-93 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किये जाने की सम्भावना है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संगठन को अनुदान

1343. श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड" संगठन को राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जबकि यह एक स्वैच्छिक संगठन है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संगठन में शिक्षा विभाग के कर्मचारी पिछले 25-30 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, ता क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों पर विगत वर्षों में महालेखाकार (ऑडिट) द्वारा उनके वेतन, भत्तों एवं नियुक्तियों पर भारी आपत्तियां की गई हैं ?

(4) क्या सरकार इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । वर्तमान में पांच अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है । प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए है । अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है ।

(3) जी, हां ।

(4) जी, हां । कार्यवाही विचाराधीन है ।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड एसोसियेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्ते

1344. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड एसोसियेशन में द्वितीय/तृतीय श्रेणी के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के वेतन भत्ते प्राप्त कर रहे हैं ?

(2) क्या इन प्रतिनियुक्ति पर आए अध्यापकों को संस्था द्वारा अनियमित पदो-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

न्नतियां दी गई हैं और इन्हें 1976 से 1992 तक बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के संस्था में रखा जा रहा है ?

(3) इस अनियमित प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इन अध्यापकों को कितना अनियमित भुगतान राजकोष से किया जा चुका है एवं क्या इस हेतु महालेखाकार (ऑडिट) द्वारा भी निरन्तर आक्षेप किया जा रहा है ?

(4) क्या इन अध्यापकों को शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त किए जाने के बाद भी संस्था द्वारा नियमित वेतन श्रृंखलाओं का लाभ दिया जा रहा है ?

(5) क्या इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 25 से 35 वर्ष हो गई है तथा इस दौरान संस्था ने कोई विकल्प तैयार किया है ? यदि हां, तो इन्हें सरकार के निर्देशों के उपरान्त भी संस्था में क्यों रखा जा रहा है ?

(6) क्या यह सच है कि सन् 1977 से 1980 के बीच जयपुर मण्डल मे राजकोष की राशि का गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(7) क्या इस गबन में लिप्त तत्कालीन प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक को बिना कोई कार्यवाही किए शिक्षा विभाग को लौटा दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति हेतु महालेखाकार राजस्थान ने रु. 09,95,895.15 का आक्षेप किया गया है।

(4) जी, नहीं। सम्बन्धित अध्यापक अभी सेवा में है।

(5) जी, हां। संस्था द्वारा स्वयं अपने कार्यकर्त्ता तैयार किये जाने का निरन्तर प्रयास चल रहा है। वर्तमान में मात्र पांच अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

उदयपुर जिले में प्रिंसिपल ग्रेड से ऊपर के अधिकारी

1345. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) एवं **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में छात्र/छात्राओं के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं ? क्या उन सभी में शिक्षकों की संख्या पूर्ण है ? विद्यालय के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर जिले में प्रिंसीपल ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों की संख्या मय ग्रेड के सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने पद इस समय रिक्त चल रहे हैं ?

(3) प्रिंसीपल, माध्यमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, उपजिला शिक्षा अधिकारियों के जिलेवार कितने पद

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कहां-कहां रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में छात्र/छात्राओं के सी. उ. मा. वि., माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सख्या निम्न प्रकार है :—

विद्यालय का स्तर	छात्र	छात्रा	योग
सी. उ. मा. वि.	30	4	34
माध्य. विद्यालय	125	25	150
उच्च प्राथ. वि.	372	41	413
योग	527	70	597

इन विद्यालयों में स्कूलवार शिक्षकों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला शिक्षा अधिकारी, सांभर का कार्यालय

1346. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) का कार्यालय सांभर में खोला गया था जो बाद में अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस भवन में कार्यालय खोला गया था वह सरकार ने किराये पर लिया था ? यदि हां, तो मासिक किराया क्या देना निश्चित किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) का कार्यालय अन्यत्र बदलने के बाद भी उक्त भवन को खाली नहीं किया गया है ? यदि हां तो उक्त अवधि का भवन किराया भवन मालिक को दिया या नहीं ? इस अनावश्यक सरकारी व्यय के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

एन. सी. सी. कैडेट्स के लिए रोजगार में आरक्षण

1347. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) के राज्य में विकास के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(श्री सांवरलाल)

(2) एन. सी. सी. कैडेट्स को अभिप्रेरित करने के लिए उनको क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? उन्हें कैम्पों के दौरान डी. ए. किस दर से दिया जा रहा है ये दरें कब से चल रही है ? क्या ये दरें वर्तमान में उचित हैं ? क्या सरकार इस दिशा में सुधार कर युवाओं को प्रेरित करने की योजना बना रही है ?

(3) एन. सी. सी. कैडेटों के लिए क्या रोजगार में कोई आरक्षण निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रतिभावान एन. सी. सी. कैडेट्स को भी प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) एन. सी. सी. आफिसर्स को मानद राशि के रूप में तथा कैम्प्स के दौरान किन दरों पर यात्रा भत्ता, मैसिंग आदि दिया जाता है ? ये दरें कब से चल रही हैं क्या ये दरें वर्तमान में उचित हैं ? डी. जी. एन. सी. सी. ने एन. सी. सी. आफिसर्स की मानद राशि कितनी स्वीकार की है ? क्या सरकार ने ये दरें लागू कर दी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक ये दरें स्वीकृति की जायेगी ?

(5) एन. सी. सी. अधिकारियों को अभिप्रेरित करने हेतु सरकार की भावी योजनायें क्या-क्या हैं ?

(6) क्या एन. सी. सी. एक्ट में ड्युटी के दौरान एन. सी. सी. आफिसर्स को 'रैंक पे' का प्रावधान हैं ? आफिसर्स को रैंक पे वर्तमान में कितनी है तथा एन. सी. सी. आफिसर्स को कितनी दी जा रही हैं ? यदि रैंक पे में भेद हैं तो, क्यों व बढ़ी हुई दरों से भुगतान कब से किया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में राष्ट्रीय केडेट कोर के विकास के लिए बेसिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त आधुनिक प्रशिक्षण वाले उपकरणों से दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे एयर मॉडलिंग, शिप मोडलिंग, रिमोट कन्ट्रोल, वाकी-टाकी, आब्सटेकल कोर्स, पर्वतारोहण का नई तकनीकी प्रशिक्षण, साहसिक प्रशिक्षण, पैरासेलिंग, रक्तदान, दहेज प्रथा, यातायात नियन्त्रण प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रमों में योगदान दिये जाने की योजनायें हैं।

(2) 1. राजस्थान में एन. सी. सी. केडेटों को अभिप्रेरित करने के लिये राज्य में पुलिस बल भर्ती के लिए एन. सी. सी. के "सी" सर्टिफिकेट धारक को प्राथमिकता दी जाती है।

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को एन. सी. सी. प्रमाण-पत्र तथा विभिन्न राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविर पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले या उसमें भाग लेने वाले कैडेटों को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाती है।

3. गणतन्त्र-दिवस शिविर में भाग लेने वाले कैडेटों को निःशुल्क मुफ्ती पोशाक दी जाती है।

4. सरकार द्वारा गणतन्त्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और उसमें सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित होने पर रु. 500/– की स्थायी वस्तु जैसे केलकुलेटर, सिलाई

(शिक्षा मंत्री)

मशीन आदि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

5. कैडेटों पर कैम्पों के दौरान रुपये 10/-प्रतिदिन प्रति कैडिट का मैस अलाउन्स के रूप में खर्च किया जाता है एवं इस अवधि में रुपये 2/- प्रतिदिन प्रति कैडेट पर आकस्मिक व्यय किया जाता है।

6. उक्त दरें वर्ष 1986 से चल रही हैं।

7. राज्य सरकार के संयुक्त राज. प्रतिनिधि एवं उप महानिदेशकों की हुई बैठक के निर्णयानुसार ये दरें एन. सी. सी. कैडिट के लिये रुपये 15/- प्रतिदिन प्रति कैम्प मैस अलाउन्स के रूप में भुगतान हेतु राज्य सरकार की सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 27-12-1991 को महानिदेशक, एन. सी. सी., रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली को भिजवा दी गई हैं। इस भत्ते की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त दरों के सम्बन्ध में संशोधित स्वीकृति जारी करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एन. सी. सी. आफिसर्स को मानद राशि के रूप में तथा कैम्प्स के दौरान निम्न भत्तों का भुगतान किया जाता है—

(क) मानद भत्ते

सीनियर डिवीजन आफिसर्स

1. मेजर रु. 350/-प्रतिमाह पूर्ण वर्ष
2. कैप्टेन रु. 300/- प्रतिमाह पूर्ण वर्ष
3. लेफ्टिनेंट रु. 275/- ,,
4. 2/लेफ्टिनेंट रु. 250/- ,,

जूनियर डिवीजन

1. चीफ ऑफिसर्स 250/- प्रतिमाह प्रति वर्ष
2. फर्स्ट ऑफिसर्स 230/- ,,
3. सैकिंड ऑफिसर्स 215/- ,,
4. थर्ड ऑफिसर्स 200/- ,,

उक्त उचित दरें 1-10-85 से लागू हैं

(ख) एन. सी. सी. आफिसर्स को कैम्प के दौरान प्रथम श्रेणी रेल किराया एवं 10/- रु. प्रतिदिन टी. जे. आर. एम. के रूप में दिया जाता है एवं मैस भत्ता रु. 12/- प्रतिदिन प्रति ऑफिसर के हिसाब से खर्च किया जाता है। ये दरें 1986 से चल रही हैं।

(ग) एन. सी. सी. अधिकारियों के मैस-भत्ते में बढ़ोत्तरी हेतु संयुक्त राज्य प्रतिनिधि एवं उपमहानिदेशकों की बैठक के निर्णयानुसार इन दरों को रु. 12/- से बढ़ा कर रु. 18/- प्रतिदिन के हिसाब से करने की राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान कर सूचना एन. सी. सी. महानिदेशालय दिल्ली को भेज दी है। भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी करना प्रस्तावित है।

(5) एन सी. सी. अधिकारियों को अभिप्रेरित करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(6) एन सी. सी. एक्ट में एन. सी. सी. ऑफिसर्स को ड्यूटी के दौरान रेंक पे देने का प्रावधान नहीं है।

ऑफिसर की रेंक पे वर्तमान में निम्न प्रकार से निर्धारित है तथा इसी दर से भुगतान किया जा रहा है :—

1 2/लेफ्टिनेंट	रु. 2300/-	प्रतिमाह
2. लेफ्टिनेंट	रु. 2500/-	,,
3 केप्टैन	रु. 2700/-	,,
4. मेजर	रु. 3300/-	,,

एन. सी. सी. आफिसर्स को निम्न रेंक पे दी जा रही हैं :—

सीनियर डिवीजन

2/लेफ्टिनेंट	रु. 750/-
लेफ्टिनेंट	रु. 780/-
केप्टैन	रु. 1050/-
मेजर	रु. 1400/-

जूनियर डिवीजन

चीफ ऑफिसर	रु. 400/-
फर्स्ट ऑफिसर	रु. 350/-
सैकिण्ड ऑफिसर	रु. 300/-
थर्ड ऑफिसर	रु. 250/-

ये भेद संशोधित वेतनमान के फलस्वरूप है।

मकराना राजकीय सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल में प्रधानाध्यापक का रिक्त पद

1348. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) एवं **श्री विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मकराना राजकीय सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल में प्रधानाध्यापक (प्रिन्सीपल) का पद कब से रिक्त है ? क्या सरकार प्रिन्सीपल के रिक्त पद को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मकराना में प्रधानाचार्य का पद दिनांक 22-6-91 से रिक्त था, अब यह पद 21-2-92 को भर दिया गया है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप

1349. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनेकों अनियमितताओं के मामलों में कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या-क्या कब-कब से ? आरोपों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा गत दिनों रद्दी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जलाई गई थी ? यदि हां, तो किन नियमों एवं आदेशों के द्वारा एवं क्यों ? नियमों एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त रद्दी जला देने से राजकोष को भारी हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की ?

(5) क्या यह सही है कि इस विद्यालय के समय में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो किन आदेशों एवं नियमों के तहत ?

उत्तर

(1) जी हां । विद्यालय की रद्दी नीलाम करने एवं शाला समय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में जनवरी 92 में राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक संघ जयपुर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच जि. शि. अ., जयपुर, प्रथम द्वारा करवाई जा रही है शिकायती पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी है ।

(2) जी हां । जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) जी हां । जांच विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं । जांचोपरान्त निर्णय हो सकेगा ।

(5) जी नहीं ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

जिला दण्डनायक जैसलमेर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग

1350. **श्री अमीन खां (शिव) एवं श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7 जनवरी, 1987 को जिला दण्डनायक जैसलमेर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत श्री छोटू खान उर्फ गाजी खान पुत्र श्री जुमे खान को नजर बन्द कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि छोटू खान उर्फ गाजी खान दिनांक 7-1-1987 से दिनांक 11-4-1987 तक जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बन्द था और दिनांक 12-4-1987 से 15-6-1987 तक अजमेर सेन्ट्रल जेल में बन्द रखा गया था ?

(3) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर के थाना उदय मन्दिर में सी. आर. नं./87 को श्री नूर मुहम्मद इत्यादि के खिलाफ हैरोइन की तस्करी का केस दर्ज हुआ जिसमें श्री छोटू खान को भी मुल्जिम बनाया गया और जैसलमेर की कोहिनूर होटल में दिनांक 10-6-1987 को लगभग 11 बजकर 30 मिनट पर एक मुल्जिम के बयान पर जैसलमेर में तस्करी करता हुआ मान लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि श्री छोटूखान 7-1-1987 से 15-6-1987 तक जेलों में बन्द था ? यदि हां, तो जोधपुर पुलिस ने 10-6-1987 को जैसलमेर में कैसे मान लिया ?

(श्री अमीन खां)

(5) क्या सरकार इस तरह से फर्जी एफ. आई. आर. दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) थाना उदय मन्दिर जोधपुर में अ. सं. 129/87 दिनांक 11-6-87 को धारा 8/21, 22 एन. डी. पी. एस. एक्ट में नूर मोहम्मद इत्यादि के विरुद्ध हैरोइन की तस्करी के सम्बन्ध में दर्ज हुआ था। इस अभियोग में छोटू खान उर्फ गाजी खान पुत्र जुम्मे खान का चालान नहीं किया गया ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में गाजी खान पुत्र बसन्त खां कोहरी मुसलमान निवासी चान्दरिया थाना मोहनगढ़ ज़िला जैसलमेर को गिरफ्तार किया गया था। इस अभियोग में छोटिया उर्फ गाजी खान पुत्र जुम्मे खान के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) जी हां। यह सही है कि छोटू खान दिनांक 7-1-87 से 15-6-87 तक जेल में बन्द था उसे अभियोग संख्या 129/87 थाना उदय मन्दिर में अभियुक्त करार नहीं दिया गया है।

(5) अभियोग संख्या 129/87 धारा 8/21,22 एन. डी. पी. एस. एक्ट थाना उदय मन्दिर पर दर्ज हुआ था जिसमें छोटिया उर्फ गाजी खान पुत्र जुम्मे खान मुसलमान का नाम नहीं है। अपराध का अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

जिला भीलवाड़ा की महिलाओं व पुरुषों के अपहरण के प्रकरण

1351. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 1990-91, 1991-92 में किन-किन महिलाओं व पुरुषों का कब-कब अपहरण हुआ और विभिन्न पुलिस थानों में अपहरण के उक्त कितने मामले दर्ज हुये ?

(2) उक्त मामलों में चालान किन-किन न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये और किन-किन में एफ. आर. लगी तथा किन-किन को अण्डर जांच रख कर रफा-दफा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न सूची के कॉलम नम्बर 2, 3, 4 में अंकित है।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची के कॉलम नम्बर 6, 5 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के पुलिस थानों में रिक्त पद

1352. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में कितने पुलिस थाने हैं ? उक्त थानों में कितने-कितने गांव किस-किस थाना क्षेत्रों में आते हैं ?

(2) उक्त पुलिस थानों में विभिन्न वर्ग के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? उन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 6 पुलिस थानों का क्षेत्र क्रमशः भीनमाल, जसवन्तपुरा, बागोड़ा, मोदरा, सांयला व झाब का आता है।

पुलिस थाना भीनमाल के अन्तर्गत 40, पुलिस थाना जसवन्तपुरा के अन्तर्गत 34, पुलिम थाना बागोडा के अन्तर्गत 25, पुलिस थाना मोदरा के अन्तर्गत 44, पुलिस थाना सायला के अन्तर्गत 47 तथा पुलिस थाना झाब के अन्तर्गत 38 ग्राम है।

(2) उपरोक्त थानों पर स्वीकृत नफरी के अनुसार केवल थाना बागोड़ा पर सहायक उप निरीक्षक का एक पद खाली है। अन्य सभी थानों पर कोई पद रिक्त नहीं है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर लगाई हुई रोक के हटते ही थाना बागोड़ा पर सहायक उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति कर दी जावेगी।

ग्रामीण शहरी पुलिस थानों में सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें

1353. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने पुलिस थानों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करा रखी हैं ?

(2) क्या ग्रामीण एवं शहरी थानों में उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं किस-किस आधार पर ?

उत्तर

(1 एवं 2) राज्य सरकार द्वारा पुलिस थानों पर टेलीफोन/वायरलेस एवं वाहन की सुविधा आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है।

तहसील कोटपूतली के पावटा कस्बे के निवासी श्री तीर्थमल के परिवार को धमकी

1354. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटपूतली तहसील के पावटा कस्बे के निवासी श्री तीर्थमल, कम्पाउन्डर के परिवार को पिछले वर्ष धमकी भरा पत्र दिया गया था ?

(2) क्या इसकी कार्यवाही के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने भी आदेश दिये थे ?

(3) क्या इस मामले में प्रागपुरा थाने में केस दर्ज हुआ है ?

(4) क्या पुलिस इस बारे में जांच कर किसी नतीजे पर पहुंची हैं ?

(श्री रामकरणसिंह)

(5) क्या इस मामले में किसी को दोषी पाया गया है ?

(6) यदि नहीं, तो उच्च अधिकारियों ने क्या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार किया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या इस पर कार्यवाही न करना सरकार वाजिब समझती है यदि नहीं, तो सरकार इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पावटा कस्बे के निवासी श्री तीर्थमल कम्पाउन्डर के परिवार को पिछले वर्ष कोई धमकी भरा पत्र नहीं दिया गया है। बल्कि वर्ष 1990 में उक्त तीर्थमल को एक धमकी भरा पत्र अवश्य मिला।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इस प्रकरण में थाना प्रागपुरा में अभियोग संख्या 88/90 धारा 384, 511, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 17-7-90 को पंजीबद्ध हुआ था।

(4) इस प्रकरण में अनुसंधान किया गया है। इसमें अज्ञात अभियुक्तगणों की काफी तलाश की गई परन्तु कोई पता नहीं चला। अतः अभियोग में अंतिम प्रतिवेदन अदमपता मुल्जिमान में दिनांक 31-8-90 को दी गई। जो 19-7-91 को न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी हैं।

(5) जी नहीं।

(6) इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों की तलाश के भरसक प्रयास किये गये हैं। परन्तु सफलता नहीं मिली। अभियुक्तगण नामजद नहीं हुए इसी कारण से किसी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

(7) जी नहीं। प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्यवाही कराने को सरकार हमेशा तत्पर है।

ग्राम पंचायत मांडोली के पूर्व सरपंच द्वारा आबादी भूमि के पट्टों का वितरण

1355. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) एवं श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, राजस्व और सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में आबादी के पट्टे दे सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत माण्डोली, पंचायत समिति जसवन्तपुरा, तहसील भीनमाल, जिला जालौर ने ऐसे आबादी के भू-खण्ड बेचे हैं ? यदि हां, तो कितने तथा ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में काटे गये या राजस्व की भूमि में ?

(3) क्या इसी पंचायत ने पूर्व में भी आबादी का एक भू-खण्ड प्राचीन गुरु मन्दिर की दीवार से लगते हुए बेचा था ? यह भू-भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में आता है या राजस्व की भूमि में ?

(4) क्या इस भू-भाग पर बनी चार

Page No. 62

(श्री दयाराम परमार)

दीवारी को तोड़ने का आदेश तहसीलदार ने दिया था जिसे ए. डी. एम. ने निरस्त कर दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरकार ऐसे पट्टे निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत माण्डोली नगर द्वारा 18 पट्टे सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में काटे गये हैं।

(3) जी हां। इसी पंचायत द्वारा पूर्व में पट्टा संख्या 19 दिनांक 3-3-88 क्षेत्रफल 480 वर्गफुट का दिया गया था जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में आता है।

(4) जी हां। यह सही है कि तहसीलदार, भीनमाल ने श्री शंकरलाल के विरुद्ध खसरा नं. 649 में अवैध निर्माण करने से दिनांक 24-9-91 को अवैध कब्जा हटाने व बेदखली के आदेश दिये थे और श्री शंकरलाल द्वारा तहसीलदार भीनमाल के आदेश दिनांक 24-9-91 के विरुद्ध अपील अतिरिक्त कलक्टर के न्यायालय जालौर में दिनांक 11-10-91 को प्रस्तुत की। उक्त अपील में दिनांक 21-12-91 को, सड़क की सीमा में अतिक्रमणों के मामले में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए समक्ष होने से यह प्रकरण सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग भीनमाल को निस्तारण हेतु हस्तान्तरित किया गया।

(5) जिला कलक्टर, जालौर द्वारा सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीनमाल को निर्देश जारी किये गये हैं कि वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में सरपंचों द्वारा विक्रय किये गये पट्टों को निरस्त करवाने हेतु समक्ष न्यायालय में निगरानी, राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 27(ए) के साथ पठित राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 272 के तहत प्रस्तुत करें।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में प्राथमिक विद्यालय खोलना

1356. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बेगूं विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव प्राथमिक स्कूल बनाने की पात्रता रखते हैं? इन पात्रता रखने वाले गांवों में कब तक सरकार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 250 व पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं। विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 174 ग्रामों में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 250 से अधिक हैं। अब तक विधान

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

सभा क्षेत्र बेगूं में 99 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं शेष स्थानों पर विभिन्न चरणों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखे निर्णय लिया जा सकेगा।

पंचायत समिति नीम का थाना में सरपंचों के खिलाफ शिकायती मामले

1357. श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, नीम का थाना में कितने सरपंचों के खिलाफ शिकायती मामले लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बासड़ी खुर्द के पूर्व सरपंच श्री हरिराम यादव के खिलाफ बार-बार शिकायतें प्राप्त होने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, नीम का थाना में कुल 26 पूर्व सरपंचों के खिलाफ शिकायतें विचाराधीन चल रही है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत, बासडी खुर्द के पूर्व सरपंच श्री हरिराम यादव के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच उपखण्ड-अधिकारी, नीम का थाना से करवाई जाने पर आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया गया अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता। शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला पाली में नई ग्राम पंचायतों का सृजन

1358. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर सोजत, जैतारण, खारची एवं देसूरी तथा अजमेर जिले की पंचायत समिति, जवाजा एवं राजसमन्द जिले की पंचायत समिति, भीम में कौन-कौन से स्थानों पर नयी ग्राम पंचायतें सृजित करने के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खनिज अभियन्ता, रामगंज मंडी द्वारा लाइम स्टोन के खनन पट्टों की स्वीकृति

1359. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हेमराज)

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, रामगंज मंडी के अधीनस्थ लाइम स्टोन के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु प्लाट साइज 300 x 300 मीटर निर्धारित की हुई है ?

(2) क्या सरकार ने आदेश दिनांक 1 जनवरी, 1992 से सरकारी भूमि में नीलामी के व अन्य में आवेदन-पत्रों के आधार पर खान पट्टा स्वीकृत करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आदेश में यह भी अंकित है कि रामगंज मंडी में लाइम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन) जो कोटा स्टोन के नाम से जाना जाता है के ही खनन पट्टे स्वीकृत किये जावें ?

(4) क्या उक्त आदेशों की अवहेलना कर खनिज अभियन्ता, रामगंज मंडी ने राजस्थान राज-पत्र में विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 18 फरवरी, 1992 को 150 x 150 मीटर के लाइम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन) के खनन पट्टे कम बोली पर नीलाम कर दिये व कम से कम बोली 5,000 - रुपये रखी गयी जबकि नियमानुसार उक्त साइज के प्लाट का मृत मापक 12,375/- रुपये बना है ? विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह राज्य आदेशों के विपरीत है ? इसके लिए कौन दोषी है ?

(5) क्या उक्त अलाटमेंट में अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। खनिज अभियन्ता, रामगंज मण्डी के कार्य क्षेत्र में खनिज लाईम स्टोन (डायमेंशन स्टोन) के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु प्लाट साइज 300 x 300 मीटर निर्धारित है। लेकिन खनिज लाइम स्टोन बर्निंग (मैसेनरी स्टोन) के खनन पट्टे अनुदान हेतु क्षेत्र की साइज 150 x 150 मीटर निर्धारित है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। खनिज अभियन्ता, रामगंज मण्डी ने दिनांक 18-2-91 को लाइम स्टोन (बिल्डिंग-स्टोन) के खनन पट्टों की कोई नीलामी नहीं की।

(5) जी नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

खान आवण्टन से पूर्व सुरक्षा/ आवागमन हेतु डॉट

1360. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खान आवण्टित करने से पूर्व विभाग द्वारा डॉट द्वारा (10-15 फुट) सुरक्षा आवागमन आदि को ध्यान में रखते हुए छोड़ी जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या विभाग द्वारा छोड़ी जाने वाली डॉट को आवण्टन किया जाने का भी प्रावधान है ? यदि नहीं, तो अजमेर कार्यालय

(श्री मदनलाल सैनी)

द्वारा कायमपुरा स्थित (सूरज मार्बल) को डॉट किन नियमों के अन्तर्गत अलाट की गई ? क्या इस कारण अन्य खनिज मालिकों को खदान के लिए खान सुरक्षा आवागमन में बाधा होगी ?

(3) क्या सूरज मार्बल की आवण्टित डॉट को नियमों के अन्तर्गत निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या खान आवण्टित होने के पश्चात् उसे बढ़ाये जाने का प्रावधान है ?

(5) क्या सूरज मार्बल के कार्य की देखभाल तथा साझेदार कार्यालय में नियोजित कनिष्ठ लिपिक है ?

(6) क्या कनिष्ठ लिपिक का इसी प्रकरण में पूर्व खनिज अभियन्ता द्वारा अजमेर से स्थानान्तरण मकराना किया गया था ? यदि हां, तो उसे पुनः उसी जगह अजमेर में पदस्थापित क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । कायमपुरा तहसील एवं जिला अजमेर में सूरज मार्बल के नाम से कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है ।

(3) सूरज मार्बल के नाम से कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है । अतः उसे निरस्त किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं । खनिज अभियन्ता, अजमेर के स्तर से ऐसा कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की मांग पर नए पदों का सृजन

1361. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार से उप निबन्धक, सहायक निबन्धक, अधीक्षक, बेंच रीडर्स स्टाम्प रिपोर्टर, कोर्ट फीस, परीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों में वृद्धि हेतु मांग की है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 से कब-कब व कितने-कितने पदों की मांग की ?

(2) क्या पिछले पांच साल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मांग पर सरकार ने नये पदों का सृजन किया है ? यदि हां, तो कितने-कितने एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त पदों के नये सृजन का कोई मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय में बढ़ते मुकदमों की संख्या को देखते हुए नये पद सृजित करना आवश्यक है ?

उत्तर

(1) जी हां । 1-4-87 से अब तक पदों की मांग का विवरण संलग्न है ।

Page No. 66

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री)

(2) जी हां। नये पद सृजन का विवरण संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा नये पद सृजन का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

(4) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में राजकीय मुकदमों की पैरवी हेतु राजकीय अधिवक्ता

1362. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिला स्तर पर राजकीय मुकदमों की पैरवी के लिये विभिन्न न्यायालयों में कौन-कौन व कुल कितने राजकीय अधिवक्ता नियुक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक अधिवक्ता द्वारा की जाने वाली कार्यवाही अर्थात पैरवी का मूल्यांकन किसी भी स्तर पर सरकार द्वारा किया जाना नियमों में उल्लेखित नहीं है ? यदि नहीं, तो किस प्रकार व किन-किन नियमों या कानून के अन्तर्गत ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रति माह मुकदमों की उचित एवं संतोषप्रद पैरवी के लिये प्रति माह मूल्यांकन हेतु कोई व्यवस्था करेगी, जिसके अन्तर्गत लापरवाही या बदनियती से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के विरुद्ध तुरन्त कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले स्तर पर राजकीय मुकदमों की पैरवी के लिए विभिन्न न्यायालयों में निम्नलिखित विशिष्ट लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक नियुक्त हैं :—

1. श्री भीखाराम विश्नोई, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

2. श्री नन्दकिशोर व्यास, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

3. श्री अजीतकुमार गेमावत, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

4 श्री मांगीलाल विश्नोई, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

5. श्री शंकरलाल सिनावरा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

6. सुश्री शांता ओझा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

7. श्री रामचन्द्र जोशी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।

8. श्री पोकरराम विश्नोई, विशिष्ट लोक अभियोजक।

(2) यह सही नहीं है कि प्रत्येक अधिवक्ता द्वारा की जाने वाली पैरवी का मूल्यांकन किसी भी स्तर पर राज्य सरकार

(विधि एवं न्याय राज्य मंत्री)

द्वारा किया जाना नियमों में उल्लेखित नहीं है। दी राजस्थान लॉ एण्ड ज्युडिशियल डिपार्टमेंट मैन्यूअल के नियम 14(2) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक ज़िला एवं सैशन न्यायाधीश एवं संभागीय आयुक्त की मार्फत अपने जिले में कार्यरत लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के आचरण व योग्यता की गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करना अनिवार्य है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर सम्बन्धित राजकीय अभिभाषक के बारे में उचित निर्णय ले सकती है।

(3) विधि विभाग द्वारा दि. 2-12-91 को आदेश जारी कर समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक से राजकीय प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में तिमाही सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा है। इस आदेश की पालना में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों द्वारा यह सूचना भी दी जानी है कि तिमाही में कितने प्रकरण राज्य सरकार के पक्ष में निर्णित हुए तथा कितने प्रकरण राज्य सरकार के विरुद्ध। इस प्रकार इनके कार्य के मूल्यांकन की व्यवस्था पूर्व में की जा चुकी हैं। प्रतिमाह इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

बीकानेर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र

1363. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लूणकरणसर तहसील क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी योजना चालू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर ज़िले में केवल एक ही बाल विकास परियोजना कोलायत में कार्यरत है, जिसके अधीन 25 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) समेकित बाल विकास योजाना का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। पंचायत समिति लूणकरणसर में परियोजना की स्वीकृति हेतु आवश्यक आधारभूत सूचना भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992)

तस्करी के माल की बरामदगी

920. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपलदा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में प्रान्त में तस्करी का कितना माल किस प्रकार का कितनी कीमत का बरामद किया गया ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No. 68

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) तस्करी के आरोप में वर्ष 1990-91 में कौन-कौन व्यक्ति कब-कब तथा कहां-कहां पकड़े गये ? नाम, पिता का नाम, जाति तथा पूरा पता जिस अपराध में पकड़े गये आदि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार तस्करी की रोकथाम हेतु क्या विशेष प्रयास कर रही है ।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1990-91 में तस्करी का निम्नांकित सामान उनके सामने अंकित तादाद व कीमत का पकड़ा गया ।

नाम सामान	तादाद	कीमत
1. अफीम मय पोस्त डोडे	938.718 ग्राम	51,27,535.00
2. स्मैक	19.697 ग्राम 76 मि. ग्राम	2,42,36,317.00
3. गांजा	86.757 ग्राम	1,83,507.00
4. चरस	1490.289 ग्राम	2,08,95,077.00
5. चांदी	3691.617 ग्राम	3,37,64,915.00
6. हेरोइन	102.443 ग्राम	1,18,31,15,000.00
7. विविध तस्करी का सामान		1,05,60,250.00
	कुल योग	1,27,68,82,601.00

(2) वर्ष 1990-91 में तस्करी के आरोप में जो व्यक्ति तस्करी के अभियोगों में पकड़े गये, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) तस्करी की रोकथाम करने हेतु सरहद पर बी. एस. एफ. नारकोटिक्स, कस्टम एवं पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाकर तस्करों की धरपकड़ एवं नाकाबंदी हेतु विस्तृत योजनायें चला रखी है । राज्य के अन्दर पुलिस, आबकारी, एवं नारकोटिक्स कस्टम विभाग द्वारा संदिग्ध स्थानों पर चैकिंग की व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों को चैक किया जाता है जिसके फलस्वरुप तस्करी के माल सहित पकड़ने में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कर्मचारियों के राज्यादेश से स्थानान्तरण

927. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माह जून-जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा विभाग के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण राज्यादेश से किया गया ?

(2) क्या स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी किए गए समस्त राज्यादेशों की पालना विभाग द्वारा कर दी गई है ? यदि हां, तो राज्यादेश निकालने तथा पालना किए जाने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या ऐसा भी कोई राज्यादेश/सूची है, जिसकी पालना नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग में माह जून-जुलाई, 1991 में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण राज्यादेश से नहीं किया गया है ।

(2) क्योंकि माह जून-जुलाई, 1991 के दौरान वित्त (आबकारी) विभाग से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई राज्यादेश जारी नहीं किये गये है अतः उनकी अनुपालना शेष रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

फूलियां कलां (भीलवाड़ा) में उच्च जलाशय का निर्माण

855. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फूलिया कलां (शाहपुरा) जिला भीलवाड़ा में उच्च जलाशय निर्माण कार्य के आदेश दिनांक 20-1-1992 को डिस्पेच किये गये थे ? क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता की भ्रष्ट नीति के कारण डिस्पेच होने के पश्चात् भी 12-2-1992 तक सम्बन्धित ठेकेदार को प्राप्त नहीं हुए ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अधिशाषी अभियन्ता शाहपुरा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्ण धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ये आदेश वापिस ले लिये गये । जिला कलक्टर द्वारा अन्य मद से धनराशि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी मौखिक आश्वासन दिये जाने पर उक्त आदेश, ठेकेदार को दिनांक 21-2-92 को पुनः दिये गये हैं ।

(2) जी हां । अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है व नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हैं ।

Page No. 70

नगर परिषद् जोधपुर का सीवरेज फार्म

860. श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले सत्रह वर्ष से नगर परिषद्, जोधपुर की 250 बीघा कृषि भूमि का सीवरेज फार्म जिसका इस समय बाजार मूल्य दो लाख रुपये प्रति बीघा के भाव से पांच करोड़ रुपये होता है, मात्र 50,000/– रुपये प्रति वर्ष के किराये पर कुछ व्यक्ति उपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह किराये की राशि कितनी किसमें बकाया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले सत्रह वर्षों से नगर परिषद्, जोधपुर, का समस्त आउटफाल सीवरलाइन्स का पानी मात्र 25,000/– रुपये के मूल्य से कुछ व्यक्ति अवैधानिक उपयोग कर रहे हैं जबकि यह पानी नीलाम से विक्रय किया जाय तो प्रति वर्ष दस लाख रुपये का परिषद् को लाभ हो सकता है ? इस सम्बन्ध में आज तक हुए समस्त लोकल फण्ड आडिट विभाग की आपत्तियों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) भविष्य में नगर परिषद् की खस्ता हालत सुधारने हेतु उपरोक्त भूमि को आवासीय भू-खण्ड काट कर नीलामी द्वारा क्यों नहीं बेचा जाता ?

(4) उक्त आडिट आपत्तियों के अनुसार उक्त भूमि का बकाया किराया व सीवर लाइन्स से दिया गया पानी का मूल्य कब तक सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल कर लिया जायेगा एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् जोधपुर की 106 एकड़ भूमि कर्नल मोहनसिंह भाटी को दिनांक 2–8–75 को 2 वर्ष के लिए रु. 74,251 वार्षिक उपयोग के शुल्क पर दी गई थी । इस अवधि के वर्ष 1977 में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था । तत्पश्चात् इस अवधि को पुन: 1 अगस्त, 1983 के 77 हजार वार्षिक शुल्क पर बढ़ाने की सशर्त स्वीकृति दी गई थी । श्री भाटी द्वारा इस पेटे प्रति वर्ष 50 हजार रुपये की राशि डी. बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 72/79 के निर्णय दिनांक 30-8-79 की पालना में जमा कराई जा रही है । इस मद में श्री भाटी पर वर्ष 83 तक 180,733/– रु. बकाया है । दिनांक 1-8-83 के बाद की बकाया राशि तय होना शेष है ।

(2) नगर परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार नगरपरिषद, जोधपुर के समस्त आउटफाल सीवरलाइन्स के पानी का ठेका दिनांक 2–8–75 से 30,204/– रु. में एक वर्ष के लिए दिया गया था । जिसकी पत्रावली उपलब्ध नहीं है । पत्रावली के लिए पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गई है । एक वर्ष के उपरान्त 1976 से परिषद द्वारा 5% की दर से वृद्धि करके राशि वसूल की जा रही है । नीलामी मूल्य नीलामी के उपरान्त ही मालूम हो सकता है । अंकेक्षण आपत्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

Page No. 71

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए इस भूमि के अलावा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से इसे आवासीय भूखण्ड काट कर नीलामी से नहीं बेचा जा सकता।

(4) बकाया राशि के निर्धारण के पश्चात् एवं सम्पदा अधिकारी के निर्णय होने के बाद ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1992)

जिला जालोर में अध्यापकों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला के रिक्त पद

954. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला (संस्कृत विद्यालयों सहित) में अध्यापकों के कितने पद दिनांक 1-4-1990 को रिक्त थे ?

(2) गत दो वर्षों में कितने पद भर दिए गए हैं ?

(3) अब कितने पद रिक्त बचे हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) रिक्त पद कब तक भर दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में 1-4-90 को अध्यापकों के निम्नानुसार पद रिक्त थे—

	प्र. मा. शिक्षा	संस्कृत शिक्षा	योग
I	20	0	20
II	71	5	76
III	6	5	11

(2) गत दो वर्षों में नई नियुक्ति, नये पदों की निम्नानुसार पद भरे गये :—

	I	II	III
निदेशक, प्रा. मा. शिक्षा	2 16	112	268
संस्कृत	—	—	37
	26	112	305

(3) अब केवल 73 पद रिक्त हैं। पंचायत समितिवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(4) व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 45 रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। इस हेतु आयोग को प्रार्थना भेजी जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक के 20 एवं अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला 8 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सी-स्कीम, जयपुर के कर्मियों के लम्बित बिल

988. **श्री कुबेर सिंह** (फलासियां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सी-स्कीम, जयपुर के अध्यापकों/कर्मचारियों के कई बिलों का भुगतान वर्ष 1983 से अब तक लम्बित है ? यदि हां, तो कितने व किस-किस के बिलों का ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त बिलों के भुगतान का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्ष 1988 से 12 बिलों का भुगतान लम्बित हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां । आगामी वित्तीय वर्ष 1992-93 में बजट आवंटन पश्चात् भुगतान की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन मेडिकल कालेज (बीकानेर) के छात्रों की फर्जी अंक तालिकाएं तैयार किये जाने से मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में अविश्वसनीयता समाप्त होने के सम्बन्ध में,

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

(2) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की पचायत समिति सुजानगढ़ के ग्राम देलिया को नगरपालिका सीमा में वर्षों पहले सम्मिलित करने के उपरान्त भी वहां की प्राथमिक शालाओं को शिक्षा विभाग में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण औषधालयों का संचालन जिला परिषदों को सौंपे जाने से अव्यवस्था से ग्रामीण जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) डा. चन्द्रभान, श्री यदुनाथसिंह और श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दिनांक 20 व 21 अप्रैल, 1992 को आयोजित

Page No. 73

(श्री अध्यक्ष)

की जाने वाली परीक्षा के चार प्रश्न पत्रों के चोरी हो जाने से स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के द्वारा सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षाएं जो 20 व 21 अप्रेल को आयोजित होने वाली थीं, उक्त परीक्षाएं सीनियर हायर सैकण्डरी बालिका विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर से कमरे व आलमारी से ताले तोड़कर प्रश्न-पत्र दिनांक 31-3-1992 को रात्रि को चोरी चले जाने के कारण स्थगित की गयी है। भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर ने वर्तमान में नियोजित चौकीदार को निलम्बित कर सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी है व प्रश्न पत्रों को सुरक्षा हेतु पुलिस कस्टडी में रखा दिया गया है एवं पुलिस की समुचित व्यवस्था की गयी है। प्रश्न पत्रों की चोरी हो जाने की रिपोर्ट प्रधानाचार्य द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवायी जा चुकी है तथा अपराधियों के पकड़े जाने पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। इस केस में पुलिस तत्परता से कार्यवाही कर रही है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये सभी स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी :—

(1) श्री बुलाकीदास कल्ला और श्री इन्द्रसिंह पूनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुरुष/महिला जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र के समय पर प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के कतिपय गांवों में भारतीय सेना द्वारा तोपाभ्यास व अन्य अभ्यास करने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चावण्डिया तहसील परबतसर के अनुसूचित जाति के मेघवाल लोगों को सवर्ण जाति के कुछ लोगों द्वारा डराये जाने, धमकाये जाने तथा उन पर कथित अत्याचार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री दयाराम परमार और श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से संस्कृत शिक्षा के गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जनार्दन सिंह गहलोत और आठ अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को दो वर्ष की सेवा पर अर्द्धस्थायी एवं दस वर्ष

(श्री अध्यक्ष)

की सेवा पूर्ण करने पर स्थायी घोषित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के डूंगर कालेज के छात्रों द्वारा 16 मार्च, 1992 से हड़ताल करने तथा 27 मार्च को बीकानेर जिले की समस्त शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री चुन्नीलाल (खण्डार), सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद् सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं से नगर परिषद् को हुए आर्थिक नुकसान के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की अनेक बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर के राई का बाग में लाखों रुपयों की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया खनन क्षेत्र नगर (सी) बाउण्ड्री में गैर कानूनी तरीके से प्लाटों का आवंटन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिसिंह महुआ, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्वतन्त्रता सेनानी, राजस्थान की घुमक्कड़ जाति गाड़िया लुहारों के पिछड़े समाज को स्थायी रूप से बसाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

व्यवस्था

नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले प्रस्ताव में व्यक्तिगत आरोप न हों

श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 2 अप्रेल, 1992 को प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख उठाने के सम्बन्ध में एक नोटिस इस आशय का दिया है कि श्री नरपत सिंह राजवी, उनके पिता एवं भाइयों ने 1980 में सहायक उपनिवेशन आयुक्त अनूपगढ़ के यहां एक 'प्रार्थना-पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि वे लोग विवादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं। जांच करने पर सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 30-4-85 के द्वारा न केवल उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त किया अपितु उन्हें अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश प्रदान किया व रिकार्ड में उनके विरुद्ध हेराफेरी करने का निष्कर्ष भी निकाला। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत होने पर क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर अपील खारिज कर दी गई। राजस्व मण्डल के एक सदस्य ने अन्य बातों के अलावा अपने निर्णय में यह कहा कि प्रार्थना-पत्र

(श्री अध्यक्ष)

स्वयं ही गलत था । चूंकि श्री नरपत सिह राजवी/वगैरह अपने आपको रिकार्डेड खातेदार कहते थे तो उनको इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । तदुपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26-3-1991 में श्री नरपतसिंह राजवी वगैरह द्वारा पुनः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल के निर्णय को आधार बनाते हुए यह असत्य अंकित कर कि उन्हें खातेदार मान लिया है, उन्हें खातेदारी प्रदान कर दी । यह सब मुख्य मंत्रीजी के प्रभाव व पद के दुरुपयोग से सम्भव हुआ क्योंकि श्री नरपत सिंह राजवी उनके दामाद हैं ।

श्री व्यास ने नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के नोटिस के सन्दर्भ में नियम 273 के अन्तर्गत भी एक सूचना प्रस्तुत की है जिसमें पूर्वोक्त कार्यवाही का सम्बन्ध मुख्य मंत्रीजी से जोड़ा है और कहा है कि श्री राजवी उनके दामाद हैं और सारी कार्यवाही मुख्य मंत्रीजी के पद के दुरुपयोग और प्रभाव से भ्रष्टाचार द्वारा लाभ प्राप्त करने की संज्ञा में आता है । उनके कथनानुसार मामला अत्यन्त गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति का है और वे सदन की जानकारी में यह मामला आवश्यक रूप से लाना चाहते हैं । अतः इस कारण प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नोटिस दे रहे हैं ।

अन्त में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य मंत्रीजी यदि इस प्रकार का उत्तर प्रेषित करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं अथवा जानकारी देते हैं तो वह नियम 290 के अन्तर्गत मंत्री द्वारा दिया हुआ वक्तव्य माना जावेगा और उस अवस्था में उन्हें मुख्य मंत्रीजी से स्पष्टीकरण के रूप में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होगा जिसकी अनुमति माननीय अध्यक्ष महोदय उन्हें निश्चित रूप से प्रदान करेंगे । उन्होंने इस दूसरी सूचना के साथ सहायक आयुक्त उपनिवेशन, घड़साना तथा राजस्व मण्डल की निगरानी याचिका के आदेशों की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं ।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 में ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो, के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किया गया है :—

"जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतलायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि को दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करे ।"

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 273 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया शीर्षक से निम्न व्यवस्था की गई है :—

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व में सूचना न दे दी हो

(श्री अध्यक्ष)

जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता ।"

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दोनों नियम अपने-अपने स्थान पर हैं और इनको मिक्स-अप नहीं किया जा सकता । नियमान्तर्गत दोनों को उठाने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया प्रवृत्त हैं ।

नियम 295 के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के निदेश संख्या–14 में उल्लेखित निम्न व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें ऐसे प्रस्ताव के विस्तार के बारे में कहा गया है कि "वे विषय जो इसमें इसके पश्चात् विशेष उल्लेख के विषयों के लिये विहित शर्तें पूरी करते हैं और जिन्हें प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और व्यवस्था के मुद्दों/प्रस्तावों आदि से सम्बन्धित नियमों के अधीन नहीं उठाया जा सकता है, उन्हें नियम 295 के अधीन उठाया जा सकता है ।"

इस प्रकार नियम के विस्तार में स्पष्ट है कि यह मुद्दा अन्य माध्यमों के अलावा प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता था ।

इसमें यह भी कहा गया है कि नियम 295 के अधीन विषय को उठाने के लिये दिये गये नोटिस में उल्लेखित विषय तब तक नहीं उठाया जा सकेगा जब तक अध्यक्ष ने उसकी सम्मति नहीं दे दी हो और केवल अनुमोदित पाठ ही अभिलेख पर लिया जायेगा ।

इसी निदेश में विशेष की ग्राह्यता की शर्तें शीर्षक से उल्लेखित है । कोई सूचना ग्राह्यता होने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ निम्न मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिये :

(1) उसमें कोई मान हानि कारक या अपराध में फंसाने वाली प्रकृति के अभिकथन अन्तर्विष्ट नहीं होने चाहिये ।

(2) उसके द्वारा पूर्णत: स्थानीय या केवल किसी व्यक्ति/किन्हीं व्यक्तियों से सम्बन्धित मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए ।

उपरोक्त शर्तों के परिप्रेक्ष्य में जांच करने से प्रकट होता है कि यह एक व्यक्ति विशेष का मामला है और इसमें मानहानि कारक अभिकथन अंकित है । इसे विस्तार में कहे गये अन्य तरीकों/सुसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत कर उठाने का माध्यम उपलब्ध था ।

इसी निदेश के क्रम संख्या–11 पर उल्लेखित है कि नियम 295 के अधीन उठाये गये विषयों पर मंत्री सामान्यत: वक्तव्य नहीं देते हैं । तथापि यदि कोई मंत्री ऐसा चाहे तो वह अध्यक्ष की अनुज्ञा से उस विषय पर वक्तव्य दे सकेगा ।

कौल एवं शकधर द्वारा विरचित संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार नामक पुस्तक में

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य नियमों के अध्याय में भी इस नियम के विस्तार के सम्बन्ध में ग्राह्यता के बाबत वही बातें कही गई हैं जो माननीय अध्यक्ष के निदेश संख्या–14 पर अंकित हैं और उसमें विशेष रूप से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो मुद्दे उठाये जाते हैं उस पर मंत्री तत्काल उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हैं और मंत्री के लिये यह जरूरी भी नहीं है कि ऐसा मुद्दा उठाते समय वे सदन में उपस्थित रहें।

अग्रेत्तर जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके लिये नियम 119 तथा 127 आदि के अन्तर्गत प्रस्ताव उठाने के सम्बन्ध में मामला आने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती क्योंकि ऐसा लगता है कि राजकीय कार्य समाप्त हो जाने के कारण सदन की कार्यवाही कभी भी अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जा सकती है, इस कारण वे प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह नोटिस दे रहे हैं। अत वे परोक्ष रूप से स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यह विषय नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने योग्य नहीं है। माननीय सदस्य की इस धारणा का प्रत्यक्षतः कोई आधार दृष्टिगोचर नहीं होता।

सार संक्षेप यह है कि प्रस्ताव एक व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित है। इस मामले को प्रक्रिया नियम 119 व 127 तथा 273 आदि के अन्तर्गत कथित आरोपों की पुष्टि स्वरूप कोई लिखित प्रमाण देने पर उठाया जा सकता था और इस नोटिस में भी अनुमान के आधार पर ऐसा अभ्यारोप लगाया गया है कि मुख्य मंत्री जी के प्रभाव से यह सब हुआ जो इस नियम की परिधि में नहीं आता। अन्यथा भी इस सन्दर्भ में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिया गया है जिससे मुख्य मंत्रीजी का किसी प्रकार का हाथ होना पाया जाता है। इस प्रकार नियम 295 की मंशा के विपरीत इसमें मानहानि कारक अभिकथन अन्तर्विष्ट है और उक्त नियम के अन्तर्गत ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मंत्री तत्काल कोई प्रत्युत्तर देने के लिये न तो बाध्य है बल्कि सदन में उनका होना भी आवश्यक नहीं है और इस प्रकार नियम 273 की अपेक्षा की पूर्ति भी सम्भव नहीं है जिसके अनुसार जिन मंत्री पर आरोप लगाया जाय वे सदन के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त यह मुद्दा उठाने के लिये अन्य सुसंगत नियम व माध्यम, जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है, उपलब्ध थे वह मुद्दा उठाने के लिये नियम 295 का सहारा लेना उक्त नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया व प्रावधानों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होने के कारण इस नियमों का दुरूपयोग है और माननीय सदस्य स्वयं भी इसे नियम 295 के अन्तर्गत नियम सम्मत नहीं मानते हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में चैयर की ओर से रूलिंग दिया जाना असाधारण लग सकता है। सदन ने यह भी अनुभव किया होगा कि इसके तहत मुद्दे उठाने हेतु चैयर की ओर से अनुमति प्रदान किये जाने में काफी उदारता बरती गई है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये कि नियम की परिधि से बाहर जाकर मुद्दे उठाये जा सकते हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य की भांति नियम 295 के प्रावधानों

(श्री अध्यक्ष)

के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के अधिकार का भविष्य में दुरूपयोग नहीं हो । इस दृष्टि से अनिवार्य हो गया है कि मैं सदन को इससे अवगत कराऊं ।

एतदर्थ उपरोक्त विवेचन के आधार पर और संसदीय प्रक्रिया व प्रस्थापनों के अनुसरण में मैं श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य द्वारा नियम 295 के तहत प्रस्तुत सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इसको अग्राह्य तो कर दिया लेकिन सब्जेक्ट को हाउस में ओपन कर दिया । जो आरोप लगाना चाहते थे, वे आरोप अपने मुंह से लगे नहीं और आपके माध्यम से वह आरोप लग गये । उसकी भी कोई व्यवस्था है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने इस आरोप के बारे में साफ तौर से कहा है कि ये अनुमान पर आधारित हैं । इसलिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में आ गये ।

श्री अध्यक्ष : जब किसी पर भी मुझे व्यवस्था देनी पड़ती है तो तथ्य तो व्यवस्था के अनुसार आयेंगे । तथ्य तो देने पड़ेंगे कि किस बात पर व्यवस्था दे रहा हूं । लेकिन चूंकि मैं स्वयं इसको नहीं मानता इसलिये इस प्रकार के आरोप लगाने को मैंने तो यहां तक कहा है कि यह अब्यूज आफ लॉ है । यह रूलस को अब्यूज किया गया है । 295 को इस प्रकार से उपयोग करना मैं इसको अब्यूज मानता हूं । इसलिये मैंने यह रूलिंग दी है ताकि भविष्य में कोई नियम 295 को अब्यूज नहीं करे । इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है । वैसे कहने के लिये किसी को रोका नहीं जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब्यूज तो इसमें हो गया कि 10 वर्ष पहले मेरी लड़की का सम्बन्ध उनसे हुआ है । उसके 20 वर्ष पहले से उनके पिता और उनके भाई उस जमीन के खातेदार थे । ऐसे मामले में अगर आज यह प्रसंग उठाया जाता है और उस प्रसंग में इस बात की विस्तार से चर्चा की जाती है तो फिर इसका मतलब यह नहीं कि कोई राजनीति किसी से सम्बन्ध ही नहीं करेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे सदन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे "श्री राजवी नरपतसिंह व उनके पिता व उनके भाई तत्कालीन बीकानेर रियायत के दरमियानी खतौनी है" । संवत् 2008 के अनुसार खातेदारी अंकित की गई थी राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम लागू होने के पश्चात उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त में भी वे संवत् 2016 में उपनिवेशन विभाग द्वारा उन्हें खातेदार काश्तकार बनाया गया । अब इस प्रसंग के अन्तर्गत कम से कम मेरा जवाब आता और उस जवाब आने के बाद देखते ।

खैर, आपने वह रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया लेकिन यहां एक इम्प्रेशन यह होगा कि मेरे प्रभाव का उपयोग किया गया । वह आपने नहीं माना वह तो सही है लेकिन इम्प्रेशन तो यह जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इसमें विस्तार से दोनों बातें आ गई। अब मैं समझता हूं, जिसको करना है वह तो करेगा ही मगर कोई भी समझदार आदमी दोनों तरफ की बात देखेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करेगा तो निबटेंगे। करेगा तो ऐसी इसमें कमजोरी नहीं है कि जिसके कारण से उसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे पर आरोप लगाया, मेरे सन-इन-लॉ पर आरोप लगाने लगे हैं फिर उनके बच्चों पर आरोप लगाये जायेंगे। तो मेरी समझ में यह उचित है कि सब चीजों को रेफर किया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप रेफर करें लेकिन कम से कम स्पष्टीकरण करने का मौका तो मिले।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 119 में कन्वर्ट करने का भी एक पत्र आपको दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने दोनों इसमें खारिज कर दिए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपने खारिज कर दिया, आपका अधिकार है अध्यक्ष महोदय, पर माननीय मुख्य मंत्री अगर चाहें और आपकी अगर परमिशन हो तो फैक्ट्स पर पर डिबेट करा लें।

श्री अध्यक्ष : वह तो जो आप पेश करेंगे तब देखूंगा मैं। श्री चुन्नीलाल जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आरोप बिलकुल बेबुनियाद है, मनगढन्त हैं और इस प्रकार के आरोप लगाने की छूट इस सदन में नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे.... (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आरोप पूर्णतया सत्य हैं, आरोप पूर्णतया सत्य हैं। पूर्णतया सत्य आरोप हैं, मुख्य मंत्री जी 26-3-1991 को....

श्री अध्यक्ष : प्लीज़, अब आपने पेश कर दिया सारा... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक सदस्य हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बहस करा लें।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात तो आ गई सारी, अब आप चाहते हैं, आपकी बात इसमें आ गई वह ठीक है पर मुख्य मंत्री जी को इसी बात की शिकायत है कि आपकी बात तो सारी आ गई...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेंट आ जाय।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बात कह दी साथ में। श्री चुन्नीलाल जी पढ़िए आप शुरू करिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let him give a statement Sir.

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। श्री चुन्नीलाल जी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

नगर परिषद सवाई माधोपुर में व्याप्त अनियमितताएं

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत नगर परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा किए गए काले कारनामों के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा पाइन्ट ऑफ ग्रार्डर नहीं है । There is no business in the House.

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिए । पहले इनको समाप्त करने दीजिए । Please let him complete. आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, ये बोल रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल : महोदय, यह है कि प्लाट नम्बर 33 व 34 कामर्शियल स्कीम उपभोक्ता भण्डार बंजरिया सवाईमाधोपुर के पास श्री किशनलाल गुप्ता निवासी गंगापुर सिटी के नाम 18-11-1969 को नीलामी में आवंटन हुए हैं, जिनकी 1/4 राशि 2344/– रुपये रसीद संख्या 44 दिनांक 11-11-69 से नगर परिषद, सवाईमाधोपुर में जमा है।

यह है कि प्रार्थी की प्लाटों की बकाया 3/4 राशि जमा कराने हेतु नोटिस क्रमांक 862 दिनांक 28 8-72 रजिस्टर्ड ए. डी. व नोटिस संख्या 302 दिनांक 26-2-72 को रजिस्टर्ड ए. डी. श्री रामरतन गुप्ता पुत्र श्री किशनलाल गुप्ता मार्फत गुप्ता एण्ड कम्पनी सवाईमाधोपुर के नाम व दूसरा नोटिस रामरतन गुप्ता एण्ड कम्पनी एडवोकेट हल्दिया हाउस, जौहरी बाजार, जयपुर भेजा गया । नोटिस की तामील दिनांक 11-10-72 को हुई । इसके पश्चात् नोटिस संख्या 588 दिनांक 6-5-74 को श्री रामरतन गुप्ता पुत्र श्री किशनलाल गुप्ता बावड़ी गेट, सीकर के नाम भेजा गया । इसके बाद नोटिस संख्या 3491 दिनांक 25-6-75 को दिया गया उसके बाद दिनांक 17-7-1975 को नोटिफाई एरिया कमेटी के प्रस्ताव के बाद पुनः नोटिस दिया गया । बार-बार नोटिस देने के बावजूद प्रार्थी 3/4 राशि जमा कराने हेतु उपस्थित नहीं हुआ । इस कारण नोटिफाई एरिया कमेटी की साधारण सभा ने दिनांक 30-7-1975 को प्रस्ताव संख्या 13 के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने बावजूद नोटिस 3/4 राशि जमा नहीं कराई है, उसकी 1/4 जमा शुदा राशि जप्त कर भू खण्डों की नीलामी दुबारा कर दी जावे । उसका समाचार-पत्रों में भी प्रकाशन कर दिया गया है लेकिन तत्कालीन आर. ग्रो. कम-कमिश्नर, नगर परिषद. सवाईमाधोपुर श्री शिखरचन्द जैन के प्रार्थी से साठ-गांठ कर भारी आर्थिक लाभ लेकर प्लाट नम्बर 33 व 34 की बकाया 3/4 राशि जमा कर ली, जो अवैधानिक है । राशि जमा होते ही प्लाट

(श्री चुन्नीलाल)

नम्बर 33 व 34 को किशनलाल के पुत्र ने करीब दस लाख रुपये में उन्हें बेच दिया जिससे नगर परिषद् को आर्थिक नुकसान हुआ है।

अतः आर. ओ. कैम कमिश्नर श्री शिखरचन्द जैन को बर्खास्त किया जावे व 33 व 34 नम्बर प्लाटों को निरस्त कर नीलामी किये जाने के आदेश दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह नगरपरिषद्, सवाईमाधोपुर के अन्दर इतना जबर्दस्त घपला है. नगरपरिषद् की आँख में धूल झोंककर आर. ओ. कैम कमिश्नर ने....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए हो गया। श्री रामेश्वर भारद्वाज।.... हो गया आपका।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) एक व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया और नगरपरिषद् को कम से कम 10 लाख रुपये की हानि पहुंचाई है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।.... श्री रामेश्वर भारद्वाज। आप शुरू करिए।

जयपुर शहर की बस्तियों में पानी की समस्या

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : महोदय, जयपुर शहर की अनेक बस्तियों में पानी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, जयपुर शहर की अनेक ऐसी बस्तियां हैं जिनमें विभाग की ओर से पानी नहीं दिया जा रहा है जब विद्युत विभाग विद्युत कनेक्शन दे देता है तो पानी का कनेक्शन भी अधिकृत रूप से देना चाहिए। यदि विभाग पानी नहीं देगा तो वहां की जनता दूसरे तरीके से पानी का उपयोग करती है जिसके कारण पानी का दुरूपयोग भी होता है और विभाग को आर्थिक हानि भी होती है। अनेक बस्तियां ऐसी हैं जहां सरकारी लाइन नहीं है, न ही पर्याप्त हैण्ड पम्प हैं, जबकि पानी उपलब्ध कराना सरकार का मानवीय दायित्व है।

ऐसी अनेक बस्तियां हैं जिनकी पूरी सूची बनवा कर उनका सर्वे अपने विभाग से करावें और प्राथमिकता के आधार पर उनको पानी की सुविधा देने की व्यवस्था करावें। जैसे कि एक बस्ती विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के आगे श्री नाथजी महाराज के आश्रम के पास बसी है। वहां के कुओं में एक बूंद भी पानी नहीं है और ना ही वहां पर पाइप लाइन है अतः वहां पर शीघ्र व्यवस्था कराई जावे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र को पानी के लिए तरसाया जाता है उसी क्षेत्र से पानी लेकर शहर के अन्य भागों को पानी दिया जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शास्त्री नगर के क्षेत्र के हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराने के विभाग को आदेश दें। यदि बिलकुल ही अनुपयोगी हैण्ड पम्प हो गये हैं तो उनकी जगह आस-पास दूसरे हैण्ड पम्प लगवावें। जो हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं उन्हें भी विभाग के अधिकारी लगाने में टालम-टोल करते हैं, कभी कहते हैं कि वहां गाड़ी नहीं जाती, कभी कहते यह नहीं होता, कभी कहते हैं

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

हाथ से लगाने पड़ेंगे हाथ से लगवा देते हैं परन्तु न लगने के कारण बस्ती निवासी उदास एवं नाराज होते हैं ।

कई बस्तियों में पाइप लाइन नहीं है । वहां यह बहाना बना देते हैं कि लाइन तो डाल देंगे, परन्तु पानी का दबाव से नहीं आयेगा ।

मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल जिन बस्तियों में पानी की लाइन नहीं है सर्वे करवा कर वहां पाइप लाइन डाले, जहां हैण्ड पम्प की आवश्यकता है वहां नये हैण्ड पम्प स्वीकृत करावें तथा जिन बस्तियों में उचित समय पर पानी नहीं दिया जा रहा वहां जब पानी की आवश्यकता हो उसी समय पानी देना उचित होगा ।

मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां पानी स्टोर करने की आवश्यकता है वहां नीचे टैंक बनावें और सप्लाई के लिए ऊंची टंकियां बनायें ताकि दबाव से एवं समय से पानी दिया जा सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि शहर में अनेक जगह पानी का लीकेज हो रहा है । सम्पर्क करने पर कभी ऐसा जवाब दे दिया जाता है कि प्राइवेट लाइन होगी । मैं समझता हूं कि मीटर के बाहर की लीकेज का नुकसान सरकार को होता है जो उचित नहीं, इसे गम्भीरता से लेना अत्यन्त आवश्यक है । गर्मी का मौसम शुरू हो गया है यदि उचित व्यवस्था नहीं हुई तो नागरिकों को बड़ी भारी दिक्कत होगी जिसकी जवाबदेही विभाग की होगी ।

अभी से दीर्घकालीन योजना बनाकर जयपुर शहर में बाहर से पानी लाने की चिन्ता करना नितान्त आवश्यक है । बीसलपुर की योजना में काफी देर लगने की सम्भावना सभी को लग रही है । इसलिए अन्य क्षेत्रों से पानी लेने की योजना बनानी चाहिए । यदि आस-पास के पुराने तालाबों एवं बांधों को पुनः ठीक कराया जाय तो उसमें पानी रूकेगा, जिनसे जल स्तर में सुधार होगा और कुए और हैण्ड पम्प भी ठीक से उपयोग में आ सकेंगे ।

शहर की प्रत्येक बस्ती का समान महत्व है यह विभाग को समझना चाहिए और एक बस्ती में भी दो समय पानी विभाग देता है तो प्रत्येक बस्तियों को दो समय पानी देना अत्यन्त आवश्यक है । अन्यथा भेद-भाव माना जायेगा जो उचित नहीं है । इस पर माननीय मंत्रीजी प्रकाश डालेंगे ऐसा मेरा आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : हमारे कई मसले हैं । विशेषाधिकार के प्रस्ताव दिये हुये हैं उसमें आपसे भी आग्रह करना था (व्यवधान) रमजान खां जी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं इसकी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे विशेषाधिकार के प्रस्ताव दिये हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष : उसका भी आ रहा है । दोनों का आ रहा है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद....

श्री अध्यक्ष : कह रहा हूं कि दोनों की व्यवस्थाएं आ रही है और क्या कह रहा हूं मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों के बारे में मेरा विनम्र अनुरोध है कि न तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया, चार-चार प्रश्न-पत्र चोरी हो गये बोर्ड के और सरकार न तो वक्तव्य देती है

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्लाजी बोलने से किसी का पेट भरता नहीं है। मगर मैं समझता हूं जितने मेक्सिम लगाये जा सकते थे, आज भी पांच बजे, ठीक पांच बजे हाउस एडजोर्न करना है क्योंकि मेला है लोग जाना चाहते हैं और पुलिस को भी वहां भेजना पड़ेगा इसलिये मैं स्वयं बैठा हूं कि सारी कार्यवाही पूरी हो जाये, विद इन टाइम पर हो जायेगी। आप यह नहीं करोगे तो.... (व्यवधान) समय मिलेगा तो मैं स्वयं ले लूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सयय का अभाव है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्टेटमेंट दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : रोज-रोज स्टेटमेंट, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो दिलवा देंगे लेकिन मुद्दा होता है उसमे आपका तो स्थगन प्रस्ताव हो गया मगर उसमें मुद्दा क्या है यह तो मुझे देखना पड़ता है केवल स्थगन प्रस्ताव के नाम मात्र से ही तो बात सीरियल नहीं हो जायेगी, मुद्दा सीरियस होना चाहिये। मुद्दे के हिसाब से मैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा स्थगन प्रस्ताव है फलौदी के बारे में। फलौदी में 16 आदमी मर गये ओरी रोग से और सरकार का स्टेटमेंट नहीं आये तो इससे बड़ी बात क्या होगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसे मुद्दों पर बराबर स्टेटमेंट दिये जा रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा स्थगन प्रस्ताव है फलौदी के बारे में 16 बच्चे ओरी से मर गये .. (व्यवधान) उनकी संख्या 34 हो गई है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ चुका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें सरकार ने कह दिया कि 12 मार्च के बाद नहीं गुजरे हैं लेकिन गुजर गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विषय में पूरी जांच हो गई है जो न्यूज आई है वह सत्य नहीं है। जो कुछ थोड़ी डेथ हुई है उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 34 आदमी ओरी से एक तहसील में मर जाय और सरकार वक्तव्य नहीं दे तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिये कोई बड़ी बात नहीं है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप नाम देंगे तो निश्चित रूप से मैं जांच करवा लूंगा।

Page No. 84

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा एक प्रश्न दो बार स्थगित हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आप ही आप सारे हाउस में करेंगे तो फिर इस....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा प्रश्न दो बार स्थगित हुआ है स्टेटमेंट के बारे में लेकिन उसका जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित) श्री परसराम मोरदिया ।

भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में खनन कार्य में हुये घोटाले के सम्बन्ध में

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया खनन क्षेत्र की नगर (सी) बाउण्ड्री में गैर कानूनी प्लाटों का आवंटन करने के सम्बन्ध में लाखों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(म. प. 12.30)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

निवेदन है कि नया नगर (सी) की बाउण्ड्री ने करीबन 10 साल पहले कुछ लोगों में प्लाट नम्बर 19, 21, 22, 28, 35, 36, 49, 50, 61, 62, 67, 68 के लिए 1987 में आवेदन किया था । खनिज अभियन्ता बिजौलिया के उपरोक्त प्लाटों को समाप्त कर दिया था क्योंकि यह एरिया कृषि भूमि में आ रहा था । यह भूमि भैरूशंकर जोशी की खातेदारी में होने की वजह से उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश आ गया था ।

इसी बाउण्ड्री पर साधन सम्पन्न लोगों ने उपरोक्त प्लाटों पर खनिज अभियन्ता बिजोलिया के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । खनिज अभियंता ने समय से पूर्व होने से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उसके बाद आवेदनकर्त्ताओं ने निदेशक, भू एवं खान विभाग के यहां अपील की । निदेशक महोदय ने भी समय से पूर्व होने से खारिज कर दी । उसके बाद आवेदनकर्त्ताओं ने उप शासन सचिव सिंघवी साहब के यहां अपील दायर की । उप शासन सचिव महोदय ने सारे कानून कायदों को ताक में रख कर दिनांक 4-2-92 को प्लाट नम्बर 62, 69, 67, 68, 40, 22, 21 का आदेश जारी किया कि अतिरिक्त निदेशक के द्वारा पारित अपीलकर्ता आदेश दिनांक 10-11-89 को निरस्त किया जाता है । अतः उक्त मामले नियमानुसार आगामी कार्यवाही खनिज अभियंता बिजोलिया को को रिमाण्ड किया जाता है । उपरोक्त प्लाटों के लिये पूर्व में शासन सचिव महोदय ने अपील को खारिज कर दिया था ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे गैर कानूनी आदेश ओ. एम. एम. सी. आर. के नियमों के खिलाफ हैं आज तक नहीं हुए ।

इतना ही नहीं उपरोक्त प्लाटों पर अन्य आवेदनकर्ताओं ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था । जब उनको इस बात का आभास हुआ कि गैर कानूनी आदेश हो रहे हैं तो

(श्री परसराम मोरदिया)

अपन क्यों पीछे रहें। प्रकाशचन्द, गणपत लाल, शंकरलाल, सत्यनारायण, सुन्दरलाल, किशनलाल, श्रीमती शहिदा, जगदीश चन्द्र इन्होंने भी उपशासन सचिव अपील के अलावा श्रीमान् जे. पी. माथुर, विशेषाधिकारी, खान विभाग, जयपुर के यहां अपील दायर की। विशेषाधिकारी महोदय ने न तो कानूनी प्रक्रिया देखी और न ही इनको अपील सुनने का अधिकार था। इन्होंने भी कानून को ताक में रख कर आवेदनकर्ताओं की अपील स्वीकार कर प्लाट नम्बर 62, 49, 28, 19, 67, 68, 40 के आवंटन के आदेश जारी कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22-2-92 को विशेषाधिकारी महोदय ने क्रमांक प. 7 (40) खान ग्रुप-2/89 दिनांक 23-8-90 के द्वारा नियम 26 (क) के तहत स्वतः अस्वीकृति के मामलों में नियम 65 के तहत शिथिलता (रिलेक्सेशन) प्रदान कर दी। अतः यह प्रकरण 23-8-90 के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद इस बात को जान गये होंगे कि शासन सचिव महोदय ने अलग-अलग इस बात के आदेश दिये हैं दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियां आदेश लेकर बिजोलिया खनन के लिये पहुंची है। खनिज अभियंता इस असमंजस कि किस उप शासन सचिव महोदय का कहना मानूं, किसके आदेश को पारित करूं। अतः उपरोक्त प्रकरण में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने भीलवाड़ा जिले में लाटरी पद्धति को लागू कर रखा है। इसके साथ-साथ यह भी आदेश जारी कर रखा है कि बगैर नोटिस बोर्ड के और जब तक अखबार में नहीं छप जाये बाउण्ड्री के बारे में तब तक कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं उप शासन सचिव महोदय आदेश देने से पहले इस बात को भी नजर अन्दाज कर गये कि 20 प्रतिशत पेनल्टी लेकर उपरोक्त प्लाटों को रिन्यूवल कर दिया जावे। यह आदेश सिर्फ मकराना के लिये किये गये थे क्योंकि वहां दंगे हो गये थे। इस बात को उप शासन सचिव महोदय ने कतई नहीं माना और भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में इस 20 प्रतिशत पेनल्टी को लागू करके उन पार्टियों को बहुत ज्यादा फायदा देने के आदेश दिये।

अतः श्रीमन् आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त प्रकरण के अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। आप जांच करवा लीजिये। आप स्वयं इस बात को जानते हैं आपसे वे मिले थे कि सरासर यह दोनों आदेश गलत हुये हैं। एम. एम. सी. आर. के नियमों के विपरीत है। अतः मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने कानून के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आवंटन की कार्यवाही की है उसकी जांच होनी चाहिये और मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को बहुत सीरियस लें और आज ही आदेश इस बात के जारी करें कि किन पार्टियों ने गलत आदेश जारी करवाये। आवंटन को तुरन्त रुकवाया जाये और तुरन्त जांच के आदेश दें।

मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस उपरोक्त प्रकरण में मंत्री महोदय तुरन्त कार्यवाही

(श्री परसराम मोरदिया)

कर होने वाले भ्रष्टाचार को रोक पायेंगे और गरीब मजदूर किसानों के हित में न्याय करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिजोलिया के लिये कहा। कुछ इस प्रकार के आदेश यहां से हुये डिप्टी सेक्रेट्री, विशेषाधिकारी के द्वारा इसके बारे में एक शिकायत मुझे परसों मिली थी और मैंने उस शिकायत को माइन्स सेक्रेट्री के यहां भेज दिया। उसकी जांच जारी है और मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि वहां पर जो पट्टे या जो भी आर्डर दिये हैं उसमें फरदर कोई कार्यवाही नहीं हो उसके लिये स्टे भी जारी कर दिये हैं और उसकी जांच हो रही है। जांच होने पर ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री बंशीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा दूसरा है मैं इसके सम्बन्ध में बात नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा। बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा, किसी को अलाऊ नहीं करूंगा इस मामले में (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : मैं दूसरा बता रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि मेरा इस प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं है। मैं इससे रिलेटेड भी नहीं करना चाहता हूं। यह इस तरह से माइन्स वाले जो मामले हैं, मैं शालीनता से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें होता नहीं है, पाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री बंशीलाल पटवा : गवर्नमेंट से इस तरह के वक्तव्य दिलवायें। मेरा निवेदन है कि वक्तव्य आये और राजसमन्द व भीलवाड़ा जिले में इस तरह के एक नहीं अनेकों घपले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग पूछ लीजिये। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

(मध्यान्ह पश्चात् 12.40)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

बेगूं पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैं बेगूं के वर्तमान पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही धांधली की ओर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उप अधीक्षक ने दिनांक 30-11-91 को दुगार निवासी श्री अमरसिंह जी भा. ज. पा. इकाई अध्यक्ष को सिपाही थाना पारसोली श्री उम्मेद सिंह के मार्फत मिलने के बहाने बेगूं बुलाया। तारीख 1-12-91 को प्रातः 9 बजे श्री

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

अमरसिंह जी उप अधीक्षक के बंगले में बेगूं पहुंचे। बंगले पर पहुंचते ही उप अधीक्षक ने कहा "आइये पूर्व सरपंच साहब भा. ज. पा. के नेता" आगे कुछ भी पूछे बिना लाठी उठाई और राठौड़ी में बिना किसी कारण श्री अमरसिंह जी की पिटाई शुरू कर दी। पीटते-पीटते जब लकड़ी टूट गई तो लात घूंसों से मारना चालू कर दिया। बहुत ही बेरहमी से पीटा और इतना पीटा कि श्री अमरसिंह जी नीचे गिर पड़े, तब कहा कि तुम्हारे और जोधसिंह के संयुक्त खाते में पंजाब नेशनल बैंक की राजगढ़ शाखा में रुपये 44,000/- जमा है, उसे निकालने के लिए विदड्रावल स्लिप पर हस्ताक्षर करो वरना हथकड़ी डालकर थाने ले जाकर बन्द कर दिया जायेगा।

श्री अमर सिंह जी एक पूर्व सरपंच, ठाकुर परिवार के इज्जतदार व्यक्ति एवं वर्तमान भा. ज. पा. दुगारं इकाई के अध्यक्ष हैं, के साथ बिना कारण मारपीट कर अपने क्षेत्र में अपमानित किया है और रुपये 44,000/- बैंक से उठा लिये।

इस घटना का इस्तगासा एम. जे. एम. कोर्ट, बेगूं में दिनांक 3-12-91 को मय डाक्टरी रिपोर्ट के पेश किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इसके अलावा इसी वर्तमान उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध बेगूं में एम. जे. एम. कोर्ट में रेग्युलर फौजदारी मुकदमा नम्बर 214, 87, 251/87, 252/87, 253 87, 254/87, 255/87 एवं 256/87 कुल सात प्रकरण पहले ही विचाराधीन हैं। इसके बावजूद उक्त प्रकरणों के गवाहों को अपने पद का दुरुपयोग कर कमजोर बनाने हेतु बेगूं लगाया गया है।

मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध हूं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस उप अधीक्षक को तत्काल निलम्बित किया जाय और जांच करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : सब इम्पोर्टेन्ट है इस हाउस में, अनइम्पोर्टेन्ट मामले नहीं उठते। सब इम्पोर्टेन्ट है। अनइम्पोर्टेन्ट को मैं खारिज कर देता हूं।

अभी-अभी मैंने व्यवस्था दी थी कि 295 में मंत्रीजी का उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। न जवाब देना जरूरी है। आप उस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। हां बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो आपने व्यवस्था दे दी, यह शिरोधार्य है हमारे लेकिन अभी परसों का मामला है, जब यहां पर 295 का प्रश्न उठा और आबकारी मंत्रीजी ने कहा कि मैंने 4 दुकानों को तो सस्पेण्ड कर दी और 3 बंद कर दी।

श्री अध्यक्ष : यह उनकी उदारता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वही प्रश्न तो यहां हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए उदारता है। यह उनकी उदारता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर हमें आप यह बातें कहते हों। यह उदारता नहीं है। इसका मतलब यह है मंत्रीजी के साथ+ + + है विधायकों की ओर यह पक्षपात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। श्री हरिसिंह महुआ। + + + शब्द को इसमें से हटाइये। हर बात को आप+ + +कह रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमें कहने क्यों नहीं देते। आपने हमारे कंठ हो मोस दिये।

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा सिंह जी, आप सीनियर हैं, आप इतनी सीनियर हैं मैं समझता हूं, यहां पर किसी चीज को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, लाइटली नहीं ली है। देखिये, आप हमें कहने भी नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्रीजी को सुविधाजनक हो उसको मालूम हो, बता देगा तो क्या होगा इसमें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमको तो कुछ बात कहने नहीं देते और यहां पर सब कुछ हो जाय, उसी मिनट में फैसले हो जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कुछ ही मिनट में फैसले हो जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ये हमारे बातों को जवाब नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : देते हैं, देते हैं। आपकी बातों का जवाब दिया है। आपने अभी जो शून्यकाल में मुद्दा उठाया था उसका जवाब ललितजी ने दिया है और कहा है मैं वक्तव्य दे रहा हूं आपको और क्या चाहिये ? उन्होंने कहा जांच हो रही है और 8 तारीख को स्टेटमेंट दे रहे हैं। हां बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि हमारा जो कहने अधिकार है, आप उसके संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके कहने के अधिकार को नहीं रोक रहा लेकिन नियम में जितना है उतना ही तो रहेगा कहने का अधिकार। अब आप 295 उठायेंगे तो मैं 119 कैसे कर दूंगा। डिबेट के लिए कैसे कह दूंगा। वह तो 295 ही होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, डिबेट के लिए नहीं कहा है। मैंने कहा है कि एक तरफ तो यहां यह होता है और दूसरी तरफ आप यह व्यवस्था देते हैं कि उनका होना भी यहां पर आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया है। यह मंत्रीजी के लिए जरूरी नहीं है। अगर उनके लिए यह सुविधाजनक हो, उनके पास रेडी इन्फोर्मेशन हो और वे देना चाहते हों तो उनको रोका नहीं जा सकता है। यह कोई प्रतिबंध नहीं है। हां बोलिये।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजस्थान की घुमक्कड़ जाति गाड़िया लुहारों के पिछड़े समाज को स्थायी रूप से बसाना

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी राजस्थान की घुमक्कड़ जाति गाड़ियाँ लुहारों के पिछड़े इस समाज को स्थायी रूप से बसाने के लिए मुख्यमंत्रीजी/पुनर्वास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूं।

मान्यवर, 425 वर्ष पूरे होने को है। राजस्थान के मेवाड़ की आजादी के लिए युद्ध करने वाले ये वीर सैनिक बिना घर बसाये अपनी गाड़ी को ही अपना घर बनाकर सम्पूर्ण उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण के आंध्र, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र प्रांत तक में अपनी यायावरी जीवन परम्परा के साथ घूमते चले जा रहे हैं। मान्यवर, इतिहास साक्षी है मेवाड़ की स्वतन्त्रता प्राप्ति तक इन वीर सैनिकों के पूर्वजों ने चित्तौड़ दुर्ग के उदयपोल नामक विशाल द्वार के नीचे एकत्रित होकर चित्तौड़ से अन्तिम विदाई ली थी और प्रतिज्ञा की कि वीर भूमि चित्तौड़ हम तुम्हारे पुत्र यह प्रतिज्ञा करते हैं हम जब तक पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम :—

(1) बस्ती या जंगल कहीं भी घर बनाकर नहीं रहेंगे।

(2) शैय्या पर नहीं सोयेंगे।

श्रीमती कमला भील : अध्यक्ष महोदय, आपने भील जाति को घुमक्कड़ बताया है। भील जति के लिए योद्धा वगैरह का वर्णन तो कर रहे हैं। यह भील जाति घुमक्कड़ जाति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये गाड़िया लुहार की बात कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : मैं गाड़िया लुहार की बात कर रहा हूं।

श्रीमती कमला भील : हां, गाड़िया लुहार के लिए कहिये, वह अलग जाति है। वह घुमक्कड़ जातियों से आते हैं। आदिवासियों में तो भील आते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई घूमने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, आप अपनी सीट पर ही बैठे रहिये आराम से।

श्री हरिसिंह : (3) कुएं या बावड़ी से पानी खींचने का रस्सा अपने पास नहीं रखेंगे।

(4) दीपक नहीं जलायेंगे।

(5) चित्तौड़ के दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे।

तब से आज तक अपनी प्रतिज्ञाओं पर अडिग रहते हुए यायावर का जीवन जी रहे हैं। अपनी गाड़ियों को ही अपना घर मानते हुए लोहे निर्मित अस्त्र शस्त्र एवं कृषि उपकरण बनाने को अपना पेशा बनाकर इसमें दक्षता हासिल की।

मान्यवर, आजादी के आठ वर्ष बाद राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री माणिक्यलाल वर्मा ने 6 अप्रेल 1955 के दिन देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु के माध्यम से इस वंश की प्रतिज्ञा पूर्ण करवाते हुए

(श्री हरिसिंह)

चित्तौड़ के किले पर इनके पूर्वजों से राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करवाया एवं चार हजार गाड़िया लुहार परिवारों को किले में प्रवेश करवाया। परन्तु यह औपचारिकता मात्र रह गई। इनके घुमक्कड़ जीवन को स्थायी रूप से बसना रास नहीं आया परन्तु अब औद्योगीकरण से इनका धंधा चौपट हो गया है। आजादी के 45 वर्ष बाद आजादी के दीवानों की क्या स्थिति है ? उसकी तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया।

शिक्षा के नाम पर शून्य, सामाजिक कुरीतियों से जकड़े इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुनर्वास की योजना राज्य सरकार को बनानी चाहिये। मैं इनके पुनर्वास के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

(1) भारत सरकार से गाड़िया लुहारों के परिवारों को ये जिस प्रान्त में घुमक्कड़ी जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं उसी प्रांत में पुनर्वास की योजना बनाने का निवेदन किया जाय।

(2) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सरकार इनके पुनर्वास के लिए मकान निर्मित करके दे।

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं में उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर सरकार इनको भूमि आवंटित करें।

(4) जहां भी सिवाय चक भूमि उपलब्ध हो प्राथमिकता के आधार पर कृषि भूमि आवंटित की जावे।

(5) इनके बच्चों को आश्रम व्यवस्था के आधार पर विद्यालय खोलकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जावे एवं भरण पोषण की सम्पूर्ण व्यवस्था भी सरकार करें।

(6) जहां भी इनको बसाया जावे, इनके व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध करवाकर इनके द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जावे।

(7) इनके बने सामान को प्राथमिकता के आधार पर सरकार अपने सभी विभागों के लिए क्रय करें।

(8) इनके बच्चों के लिए राजकीय सेवाओं में स्थान आरक्षित किये जावे।

अतः राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि स्वतंत्रता के दीवानों को स्वतंत्र भारत में रोटी-रोजी, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाकर इनके पुनर्वास की कारगर योजना बनाये। धन्यवाद।

घोषणा

वित्तीय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारों वित्तीय समितियों अर्थात् जन लेखा समिति 1992-93, राजकीय उपक्रम समिति 1992-93, प्राक्कलन "क" समिति 1992-93 एवं प्राक्कलन "ख" समिति 1992-93 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया है, जो इस प्रकार है :

(श्री अध्यक्ष)

1. मनोनयन वापस लेना	7 अप्रैल, 1992	मध्यान्ह पश्चात् 3 बजे तक
2. मतदान यदि आवश्यक हो	8 अप्रैल, 1992	मध्यान्ह पूर्व 11 बजे से 3.00 बजे तक
3. मतपत्रों की गणना	8 अप्रैल, 1992	मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे से

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सुकड़ी इनेन्डेशन योजना में भ्रष्टाचार

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत जवाई नहर खण्ड सिंचाई विभाग सुमेरपुर द्वारा सुकड़ी इनेन्डेशन स्कीम में भ्रष्टाचार किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुकड़ी इनेन्डेशन के तहत 8 कन्टूर बांधों के निर्माण के बारे में मेरा ध्यानाकर्षण किया है । यह सही है कि निर्माण कार्य ट्रेक्टरों द्वारा ठेकेदारों ने किया । कार्य के लिए कम्पीटेटिव बिड प्राप्त करने हेतु निविदायें प्राप्त की गई थीं । ठेकेदारों से अपेक्षा की जाती है कि निविदाएं भरने से पहले वह कार्यस्थल का मुआयना करेंगे ताकि उनके अपने पास उपलब्ध साधनों से जैसे श्रमिक, ट्रेक्टर आदि का उपयोग कर ऐसी दरें दें कि कार्य भी पूर्ण हो जाय तथा दी गई दरें अन्य ठेकेदारों द्वारा दी गई दरों से कम हों ताकि कार्य उनको आवंटित हो सके ।

निविदा में कहीं भी यह शर्त नहीं रखी गई थी कि कार्य श्रमिकों से ही करवाया जाय अथवा ट्रेक्टरों से । अतः ठेकेदार कौन-सा तरीका उपयोग में लाकर कार्य पूर्ण करता है यह उनको छूट थी । कार्य शुरू करने से पूर्व इनेन्डेशन बांध की ब्लॉक लेवलिंग सहायक अभियंता, सिंचाई, शिवगंज के नियत्रण में की गई थी तथा इन लेवलों के अनुरूप गार्ड बुक तैयार की गई थीं । ब्लॉक लेवल लेने हेतु 19 बैंच मार्क कायम किए गए थे । इन बैंच मार्क के सन्दर्भ में कन्टूर बांधों की लेवल विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर चैक की गई थी । कन्टूर बांध एवं उनके साथ की सरकारी जमीन पर उगे छोटे झाड़-झंखाड़ भी साफ करवाये गये थे तथा बड़े-बड़े पेड़ जैसे खेजड़ी आदि नहीं कटवाये गये थे जो आज भी मौजूद हैं । झाड़ियों के काटने का कार्य जैसे-जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ता गया करवाया जाता था । कुछ पेड़ों को गांव वाले अनधिकृत काटकर उठा ले गए । इनके बारे में रेवेन्यू पटवारी तहसीलदार को शिकायत की गई थी जिन्होंने कुछ काश्तकारों को पकड़कर जुर्माना वसूल कर राज्य

Page No. 92

(श्री कैलाश मेघवाल)

के राजस्व में जमा करवाया था। यह सही है कि कुछ झाड़ियों के कार्य पर मौजूद श्रमिकों ने अपने काम में ली थी। इन कटी झाड़ियों न से तो फर्नीचर बनाया जा सकता था और न ही बनवाया गया। यह सही है कि केवल बांध न. 5 में वास्तविक कार्य अनुमानित कार्य से जो तखमीना में लिया गया था उससे करीब 40 प्रतिशत अधिक कराया गया। इस डेविएशन स्टेटमेंट में बढ़े हुए कार्य को सीमित करने हेतु तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28-11-91 से बांध की ऊंचाई को 2670 मीटर के आगे कम किया गया था तथा यह भी आदेश दिए गए थे कि उस समय किए गए कार्य को अधिशाषी अभियन्ता ठेकेदार को भुगतान के पूर्व चैक करेंगे। इस मौके पर लेवलिंग द्वारा चैकिंग करने के उपरान्त ही भुगतान किया गया।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें विभाग ने गोलमाल करके और गोलमाल जवाब देने का प्रयास किया है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसमें अनियमितताएं की गई हैं। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि कंट्यूर बंधे के लिए पिक अप वियर का निर्माण नहर की मरम्मत और 8 कंट्यूर बंधों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। उसके बाद यह बताया गया है कि नहर की मरम्मत और कंट्यूर बांध का निर्माण कर लिया गया है, पिक अप वियर का नाम ही आगे नहीं लिया गया और जबकि पिक अप वियर का निर्माण नहीं होता तो कंट्यूर बांध का कोई औचित्य नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी आप नोट करें और जवाब दें क्या पिक अप वियर का निर्माण कर लिया गया या नहीं? क्या पिक अप वियर बनाना तकनीकी दृष्टि से ऐसी योजनाओं की प्राथमिक शर्त होती है? यदि नहीं, तो इस कंट्यूर का उपयोग आप किस तरह से करेंगे?

दूसरा, आपने बताया कि श्रमिकों एवं ट्रेक्टर से दोनों से काम हुआ है। "जी" शिड्यूल में जिस समय तकनीकी एस्टीमेट बनते हैं वह उसी आधार पर बी. एस. आर. की रेट से बनाया जाता है कि वह मेनुअल रेट से होगा या मैकेनिकल मीन से होगा। अब वह तखमीना जब बनाया होगा तो बनाने वाले ने स्पष्ट निर्दिष्ट किया होगा कि वह ट्रेक्टरों से करवाना है या लेबर से करवाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रेक्टरों द्वारा किया गया या लेबर से, टेण्डर तो आपने मेनुअल बेज के और कार्य करवाया है ट्रेक्टर से। पेमेंट भी आपको मेनुअल रेट से न करके ट्रेक्टर रेट में जो डिफरेंस था वो काटकर आप करते। आपने 3 लाख 46 हजार क्यूबिकमीटर में कार्य होना बताया है। ट्रेक्टर की रेट पड़ती है 7.50 रुपए। हैड लोड जो होता है श्रमिकों द्वारा वह करीब 14 लाख रुपए पड़ता है। 6.50 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर का डिफरेन्स है। इस सारे कार्य में 22 लाख 49 हजार एक्सेस पेमेंट किया गया। कृपया बताये कि यह क्यों किया गया, क्या यह अनियमितता नहीं हुई?

अब आपने बताया कि कम्पेक्शन जो ट्रेक्टरों से करवाया है। आप बी. एस. आर. की रेट बताते कि ट्रेक्टर से कम्पेक्शन की रेट क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

राजस्थान में आई. जी. एम. पी. को छोड दें, मुझे इतना नॉलेज नहीं है लेकिन कहीं भी इरिगेशन के सिस्टम में ट्रेक्टर से कम्पेक्शन की बी. एस. आर. नहीं है। या तो मेनुअल वर्क ही होता है कुटाई के द्वारा श्रमिकों से या प्लेन रोलर से होता है। वहां दोनों ही उपलब्ध हैं। पाली एस. ई. ऑफिस में है, सिरोही में है और इनके पास ही 10 किलोमीटर पर है। वहां से ला सकते थे या लेबर से करवाया जा सकता था लेकिन इन्होंने लेबर से नहीं करवाया। एस्टीमेट बनाया 7 लाख 61 हजार का। आप अपने जवाब में देखिए. आप यह बताते हैं अपने बचाव के लिए कि हमने गवर्नमेंट का फायदा किया और एक लाख 41 हजार में कम्पेक्शन करवाया ट्रेक्टरों से कम्पेक्शन नहीं करवाया। जो ट्रेक्टर मिट्टी ढो रहे थे वो ही ऊपर चले और उनको कम्पेक्शन मान लिया और एक्स्ट्रा ट्रेक्टरों का नम्बर देकर उनका भुगतान एक लाख इक्तालिस हजार उठा लिया जो फर्जी उठाया गया। ट्रेक्टरों से अगर कम्पेक्शन कराया गया तो गलत है और मैं कहता हूं इसमें किया ही नहीं, आप मौका देख लें।

आगे आपने कहा है कि श्रमिकों से भी करवाया है। एडिशनल चीफ इंजीनियर वहां इंस्पेक्शन करने गये थे और वह अपने इंस्पेक्शन में वहां नाराज होते हैं एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. को फटकारते हैं, कहते हैं, कि यह काम बिलकुल गलत हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट भेजी वह 28-11-91 को भेजी है। मैं आपकी आज्ञा से....

श्री अध्यक्ष : इनके पास होगी वह तो। आप लेटर नम्बर बता दीजिए। वह है इनके पास।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : अगर आपके पास रिपोर्ट है तो बता दें कि एडिशनल चीफ इंजीनियर ने 28-11-91 को अपने पत्र में क्या रिपोर्ट दी है? उसके बाद आपने बताया है कि कंट्यूर नं. 5 में हमने अनुमानित लागत से ज्यादा काम करवाया है। मुझे एक बात बता दें कि टी. बी. एल. में फर्क क्यों आया टॉप बैंच मार्ग में? उसमें अगर थोड़ा-बहुत फर्क आता लेकिन 10 फिट का हुआ और फिर आप 7 फिट का कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी का भराव तो जो मिनिमम है 7 फिट उतना ही होगा। आपने एक्स्ट्रा काम किया है और वह 4.5 लाख के करीब किया है। वह किस हिसाब से किया? क्या यह सही नहीं है कि किसी पर्टीकुलर व्यक्ति का कुआं वहां पर है और उसको फायदा देने के लिए बाद में तखमीना बनाया जिसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर ने पहले तो मना कर दिया और उसके बाद आपस में बात होकर जैसा भी हुआ उसको सेंक्शन कर दिया गया। आपको पर्टीकुलर पांचवे कंट्यूर में करने की आपको कहां आवश्यकता पड़ी थी। आपने लास्ट में बताया है कि जंगल कटिंग में हमने झाड़ियां काटी और आपने कहा कि कुछ हमको शिकायत मिली, पटवारी, तहसीलदार ने हमको लिखा और कुछ काश्तकारों से वहां लकड़िया बरामद की। न तो आपने तहसीलदार को लिखा, न आपने पटवारी को

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

लिखा। बल्कि पटवारी ने आपके विभाग और काटी गई लकड़ियों को जब्त किया, सीज किया। उसका सीजर मेमो और अपने रिपोर्ट तहसीलदार शिवगंज को दी। तहसीलदार, शिवगंज ने आपको रिपोर्ट दी और आपको हिदायत दी कि आइंदा इस तरह से अवैध पेड़ नहीं काटें और डी. एफ. ओ., सिरोही ने आपको पत्र लिखा। आप वो बात छिपा रहे हैं या आपके अधिकारियों ने वह बात छुपाई है। वह लैटर देखें। तहसीलदार ने उन लकड़ियों को नीलाम कराया 2 किश्तों में। पहले 450 रुपए और दूसरी बार 650 रुपए कुल 1100 रुपए में। वह ट्रेजरी में जमा कराकर उसकी रिपोर्टिंग दी कि हमने वो लकड़ियां नीलाम करके उसका पैसा ट्रेजरी में जमा करा दिया है इसलिए आपको यह जानकारी हुई। आप बिलकुल उल्टा ही बोल रहे हैं कि हमने रिपोर्ट की। यह पटवारी का लेटर है जो तहसीलदार को लिखा गया, वह भी मेरे पास मौजूद है, उसमें उन्होंने क्लीयर लिखा है कि....

श्री अध्यक्ष : हो गया, उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। हो गया वह।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : 27-8-91 की रिपोर्ट है नोट कर लें।

श्री अध्यक्ष : जवाब देंगे ना वो। हो गया।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मंत्रीजी कृपया स्पष्ट करें जो अनियमितता हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : क्या कहना है, किस लिए कहना है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे दस्तख्त हैं इस पर।

श्री अध्यक्ष : होंगे, दस्तख्त से क्या होता है। दस्तख्त 50 के हो जाय तो 50 को अनुमति दे दूंगा ? पहले उनको जवाब देने दीजिए। जिन्होंने कॉल अटेंशन किया है, जो इंटरेस्टेड हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने पूछा है वे जवाब देंगे। दस्तख्त होने से क्या आपका पूछने का अधिकार हो जाता है ?

(1.00 म प.)

यह परम्परा भी गलत है कि आप पचास दस्तख्त कराते हैं जिस को कॉल अटेन्शन करना है, एक दस्तखत कराके भी कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है दो दस्तख्तों की।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर पिक अप वियर बहुत पहले से मौजूद था और वह पिक अप वियर टूट गया। कल से मैं स्वयं इस बात में लगा हुआ था कि कन्ट्यूर पहले बनाना चाहिए था या पिक अप वियर पहले बनना चाहिए था तो जो स्थिति सामने आई है वह यह है कि पिक अप वियर यहां पहले बना हुआ था जो टूटा हुआ है और उस टूटे हुए से भी जो पानी रूक कर डाइवर्ट होगा, उस डाइवर्शन का जल्दी लाभ लेने के लिए कन्ट्यूर्स पहले बनाये गये और इसलिए वह जल्दी लाभ मिले और पूरा लाभ तभी

(श्री कैलाश मेघवाल)

मिलेगा जब कि पिक अप वियर बना दिया जायेगा तो इसलिए यह प्राथमिकता तय की गई, यह मैं आपके द्वारा माननीय विधायक को निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि चालीस पर्सेण्ट, मैंने स्वीकार किया है कि एक कन्ट्यूर के निर्माण में अधिक पेमेंट दिया गया हैं और उसके बाद उसकी ढलाई भी कम की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं तकनीकी दृष्टि से जब तक वहां मौका नहीं देख लूंगा कि यह क्या वास्तव में आवश्यक था या यह ढलान आवश्यक हुई और इस ढलान के देने से विभागीय कोई गलती हुई, उसको छिपाया गया या क्या किया गया, इस बारे में माननीय सदस्य को जवाब दे सकूंगा और मैं एक विश्वास आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं, इसमें आगे भी एक सवाल है कि झाड़ियां काटी गई, फर्नीचर बनाया गया। अब फर्नीचर की जैसे बडी लकड़ी होती है वह अगर काटी गई होगी साल भर में, तो वहां टूटा दिखेगा और दूसरे भी वहां दरख्त हैं क्या, वहां पर लकड़ियां थी या नहीं, उस मौके को भी मैं देखना चाहूंगा और कन्ट्यूर के बारे में जो आपने कहा है कि टी. बैंच लेवल, क्योंकि सारे कन्ट्यूर्स तैयार हो चुके हैं, निर्माण हो चुका है तो उनका यह बैंच लेवल है, यह लेवल आज भी चैक किया जा सकता है और इसमें जो भी विभाग का जवाब आया है, अगर माननीय सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं है तो मैं मौके पर जाकर सारी स्थिति को देख कर के और हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं जोधपुर के, उनको साथ लेकर सारे इस मौके को देख कर माननीय विधायक ने जो आपत्तियां की हैं, यह भी और इसके अलावा और भी, क्योंकि मैं स्वयं जब सारी यह पत्रावली देखना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप जब जायें तब इनको भी साथ ले जाइये, विधायक महोदय को भी साथ ले जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : विधायक महोदय को भी मैं निवेदन करूंगा कि वह साथ रहेंगे और उनकी उपस्थिति में सारा मौका इन सारे मुद्दों पर देख लिया जायेगा और उनको भी सन्तुष्ट किया जायेगा और मैं भी सन्तुष्ट होना चाहूंगा और अगर विभागीय आधार पर कोई गलती हुई है किसी भी तरह की, सारे टैनर्स देखते हुए, यह श्रमिकों और ट्रेक्टरों की संख्या देखते हुए और खर्चा देखते हुए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सारी कार्यवाही होने के बाद यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसको अवश्य दण्डित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बृजराज मीणा। अब हो गया आपका तो, साथ जा रहे हैं आप। अब कुछ बाकी नहीं बचा है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : एक मिनट मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कब जा रहे हैं ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : नहीं, यह कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : एक माह के अन्दर-अन्दर मैं मौका देख लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

कोटा जिले के सिंचित क्षेत्र में चारागाह भूमि

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 131

(श्री बृजराज मीणा)

के अन्तर्गत कोटा जिले के सिंचित क्षेत्र में चारागाह भूमि को जो 1987 में सिवाय चक दर्ज कर आवंटन करने का सर्कुलर जारी कर दिया था, उस भूमि को वापस चारागाह रखने के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उपनिवेशन विभाग के पत्र क्रमांक 24 (6) राजस्व उपनिवेशन/78 दिनांक 11-8-87 के द्वारा वृहत्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत आई भूमियों की चारागाह भूमि को सिवाय चक दर्ज कर आवंटन करने की कार्यवाही के प्रस्ताव जिला कलक्टरों से चाहे गये थे। क्योंकि सिंचित क्षेत्र की भूमि बहुत कीमती और उपजाऊ होती है और ऐसे क्षेत्र में चारागाह भूमि रखी जाना उपयुक्त नहीं है और सम्बन्धित नियमों से इस हेतु प्रावधान भी उपलब्ध है। इन्हीं आदेशों के अन्तर्गत कलक्टर कोटा ने चम्बल कमाण्ड सिंचित क्षेत्र में कोटा जिले की तहसील लाडपुरा, दीगोद और पीपल्दा के तहसीलदारान से ऐसी चारागाह भूमि के प्रस्ताव मंगवाये और चारागाह किस्म परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये। राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक 21/10/राजस्व उपनिवेशन/88, जयपुर, दिनांक 18-11-88 से तहसील लाडपुरा के 26 ग्रामों की 959 एकड़, तहसील पीपल्दा के 33 ग्रामों की 1370 एकड़ और तहसील दीगोद के 44 गांवों की 950 एकड़ चारागाह भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित कर आवंटन किये जाने के राज्यपाल महोदय की स्वीकृति जारी की गई तथा स्वीकृति के पश्चात् चारागाह भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल होकर इस सिवाय चक भूमि में से अभी तक तहसील लाडपुरा में 75 एकड़, पीपल्दा में 885 एकड़ और दीगोद में 100 एकड़ भूमि का आवंटन भी हो चुका है तथा तहसील लाडपुरा मे 884 एकड़, तहसील पीपल्दा में 485 एकड़ एवं दीगोद में 850 एकड़ भूमि आवंटन से शेष है। चारागाह पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अतिक्रमणों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है तथा तावान, सजा आदि दण्ड से दण्डित किये जाने पर भी पुनः अतिक्रमण कर लेते हैं। चारागाह के अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की ओर से वितन्तु सन्देश दिनांक 17-11-91 एवं विकास आयुक्त, ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 139-3/ग्रामीण विकास विभाग विविध/91/2139 दिनांक दिनांक 21-8-91 द्वारा निर्देश जारी हुए हैं। इसके अनुरूप जिले के सभी तहसीलदारान, विकास अधिकारी, पटवारियान पंचायतों, पंचायतों के प्रशासकों का चारागाह पर किसी के द्वारा अतिक्रमण ज्यों ही किये जाने का प्रयास किया जावे, उसके विरुद्ध तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जावे, निर्देश दिये जा चुके हैं और चारागाह पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है वह नियमों के अनुरूप है और इससे कृषि योग्य भूमि का कृषि हेतु आवटन को प्रश्रय मिला है तथा चारागाह भूमि पर होने वाले अतिक्रमणों पर भी रोक लगेगी। जहां तक उक्त आदेशों को निरस्त करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अभी कोई

(श्री गंगाराम चौधरी)

कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह एक नीति विषयक प्रश्न है।

श्री बृजराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सिंचित क्षेत्र में स्थित भूमि बहुत उपजाऊ है, क्या वहा का पशुधन कृषि कार्य के लिए और काश्तकारों के लिए उसको रखना आवश्यक है या नहीं है, यदि कोई जमीन ही पशुओं के लिए, खड़े रहने के लिए नहीं रहेगी, कोई स्थान ही नहीं रहेगा, कोई रास्ता ही नहीं रहेगा तो पशुधन कैसे रहेगा, बिल्कुल खत्म हो जायेगा। इस सम्बन्ध में बतायें। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि अतिक्रमण के मामलों के लिए कार्यवाही की जा रही है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1987 से आज तक कितने मामले में ऐसें प्रिवेन्टिव एक्शन लिये गये और कितने चारागाह को छुड़ाया गया? दूसरी ओर अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व सरकार द्वारा 1987 में राजनैतिक द्वेषता के कारण कोटा जिले के सम्बन्ध में, कोटा जिले के काश्तकारों को परेशान करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि वहां सिंचित क्षेत्र के चारागाह को खत्म किया जावे। 1954 से जब से कालोनाइजेशन एक्ट बना है लगातार सिंचित एरिया की भूमि को बेचा जा रहा है। आज की तारीख में, जब से यह कानून बना है कि चारागाह को भी बेच दिया जाय या इसको कन्वर्ट कर दिया जाय, तब से अतिक्रमणियों की यह टेण्डेन्सी हो गई है कि अतिक्रमण किये जायं और इस ट्रेस-पावर के आधार पर यह हमें रेगुलराइज हो जायेगी, इससे अतिक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक ओर तो चारागाह भूमि के अतिक्रमण रोकने के लिए कानून में संशोधन ला रही है धारा 91 के अन्तर्गत दूसरी ओर सिंचित क्षेत्र में चारागाह को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि काश्तकारों के पशुधन के लिए, पशुधन खड़ा भी होगा, गाय-भैंसें गांव के बाहर खड़ी भी होंगी, जब जगह नहीं होगी तो खड़ी कहां पर रहेंगी? जब रास्तों पर अतिक्रमण हो जायेगा तो कहां से जानवर निकलेंगे? क्या काश्तकारों के लिए पशुधन रखना जरूरी नहीं है? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोटा जिले में पशुधन नहीं है जो इस तरह का निर्णय लिया? इस सम्बन्ध में जवाब दिलवायें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपका नहीं है इसमें.... (व्यवधान)... सारे कोटा में आपका बोलना जरूरी थोड़ी है। आपका नाम नहीं है। नहीं, मोहम्मद माहिर आजादजी को मना कर दिया, आपका नाम नहीं है इसलिए मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। देखिये, 2 बजे आज हाऊस एडजार्न करना है और डेढ़ बजे के पहले-पहले कालअटेन्शन लेना है। बाकी कार्यवाही 3 घण्टे तक आपको समय दूंगा पर्यावरण और उस पर बहस करने के लिए। यह सारा आप ध्यान रखिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो भी सिंचित क्षेत्र है राजस्थान में, चाहे

(श्री गंगाराम चौधरी)

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र हो, चाहे चम्बल क्षेत्र हो, चाहे गंग नहर हो, भाखड़ा हो, जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सभी में एक प्रकार की समान नीति राज्य सरकार ने अपनायी है पहले भी इन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र के मुकाबले में चारागाह रखना, राज्य सरकार ने अब उपयुक्त नहीं समझा और वहां के लोग, वहां के कृषक भी अब डाइवर्ट हो रहे हैं सिंचाई की तरफ और पशुधन को अपना स्टाल/फीडिंग यानि थान पर चराने की प्रवृत्ति अब लोगों ने अपना ली है। बड़ी संख्या में सिंचित क्षेत्र में पशु रखे जाने की प्रवृत्ति अब कृषकों की नहीं रही है इसलिए यह नीति राज्य सरकार ने पूर्व में अपनायी है और केवल कोटा के लिये नहीं, सभी जगहों के लिए अपनायी है। जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न उठता है, अतिक्रमण हटाये जाने की राज्य सरकार ने, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, पूर्ण कोशिश की है और धारा 91 में अभी जो संशोधन ला रहे हैं उससे यह सजा के प्रावधान और ज्यादा कठोर हो जायेंगे और इनसे, मैं समझता हूं पूरा एक्शन ले लिया जायेगा। केवल मात्र कुछ प्रश्नों के लिए मैं जरूर कोटा जिले के बारे में जानकारी कर रहा हूं क्योंकि कोटा जिले में, जैसा मैंने मालूम किया, अभी तक थोड़े पशुओं की संख्या अधिक है इसलिए यदि कोई भूमि कमाण्ड एरिया में आने काबिल नहीं हैं तो ऐसी भूमि को हम चारागाह के लिए सैट अपार्ट करने का प्रयत्न करेंगे। इतना ही कह पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बृजराज मीणा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका, बिराजिये। श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बृजराज मीणा : माननीय मंत्री महोदय से यह दिलवायें, कोटा जिले में पशुधन की संख्या में कमी आ गयी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया है, सारी बात बता दी है कि जो कमाण्ड एरिया में नहीं आयेगी उसको चारागाह में करने की नीति बनायेंगे, बैठिये।

सरपंच कोलिया, पं. स. डीडवाना द्वारा घोटाला

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत पूर्व सरपंच, कोलिया, श्री हनुमान मल के द्वारा किये गये कथित घोटाले के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करने के बारे में पंचायती राज राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायती राज राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने उक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिनांक 26-2-92 के द्वारा श्री हनुमान मल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया द्वारा की गई जिन अनियमितताओं के संबंध में सदन में चर्चा करनी चाही है तथा यह कहा है कि राज्य सरकार दोषी पूर्व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है। उपरोक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बिंदू संख्या

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

एक के सन्दर्भ में तथ्य यह है कि श्री हनुमान मल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोलिया, जिला नागौर के विरुद्ध एफ. आर. नम्बर 47 दर्ज हुई थी। उक्त प्रकरण विभाग में जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा दिनांक 29-9-83 को राज्य सरकार को प्रेषित कर अभियोजन स्वीकृति चाही गयी जिस पर राज्य सरकार द्वारा 17-9-87 को आदेश संख्या 75/26 जारी कर इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी थी। उक्त स्वीकृति वापस लेने हेतु दिनांक 24-11-87 को तत्कालीन मंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये जाने पर उक्त स्वीकृति मय अभियोजन पत्रावली वापस मंगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट नागौर को दिनांक 10-3-88 को निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् श्री हनुमान मल, पूर्व सरपंच के प्रार्थना पत्र पर परीक्षण कर तत्कालीन मंत्री महोदय के आदेशानुसार राज्यादेश दिनांक 15-3-90 के द्वारा इनके विरुद्ध जारी पूर्व अभियोजन स्वीकृति दिनांक 17-9-87 को निरस्त कर दी गयी। श्री हनुमानमल मेड़ ने तत्कालीन मंत्री महोदय को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 7 के अन्तर्गत अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था तथा उक्त अवधि में ही कानूनन् उनका चालान किया जा सकता था। अब इस बिंदू पर परीक्षण किया जा रहा है तथा विधि विभाग की राय से आवश्यक निर्णय ले लिया जायेगा।

बिंदू संख्या 2 के सन्दर्भ में तथ्यात्मक टिप्पणी यह है कि श्री हनुमानमल मेड़ पूर्व सरपंच के विरुद्ध विकास अधिकारी डीडवाना ने 21-1-92 को जिला कलक्टर नागौर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि इनके पुत्र ने जिन प्लाटों पर बाऊण्ड्री बनाई है उसका पट्टा इनके पुत्र को इनके वर्ष 81-82 से पूर्व के कार्यकाल में कीमतन पंचायत द्वारा दिया हुआ है। इनके पुत्र श्री रामनिवास को पंचायत की बैठक दिनांक 20-8-80 के संकल्प संख्या 8 के अनुसार 1080 वर्ग गज का पट्टा 75 नये पैसे प्रति वर्ग गज की दर से आदर्श कॉलोनी में दिया गया। उक्त बैठक की अध्यक्षता श्री बजरंगसिंह उप सरपंच कोलिया द्वारा की गयी। उक्त प्रस्ताव के अनुसार पत्रावली संख्या 85/80 में इन्हें पट्टा संख्या 35/2 दिनांक 7-10-80 को जारी किया गया जिस पर हस्ताक्षर उप सरपंच श्री बजरंगसिंह के हैं। उक्त जांच रिपोर्ट में यह तथ्य तो सही पाया गया है कि श्री हनुमानमल मेड़, पूर्व सरपंच ने अपने कार्यकाल में अपने पुत्र को कीमतन आवंटन कराया है परन्तु अभी इस बात को और जांच करायी जा रही है कि क्या श्री हनुमानमल के पुत्र को ही उक्त कॉलोनी में आवंटन हुआ है अथवा अन्य लोगों को भी तथा इस बात की भी पुनः जांच करायी जा रही है कि श्री हनुमानमल के साले के नाम आवंटन की जो शिकायत पूर्व सरपंच श्री जीवनसिंह द्वारा की गयी, के बारे में उनके पास क्या प्रमाण है? क्योंकि शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत में साले का नाम अथवा उसकी बल्जियत अंकित नहीं की गयी थी जिसके आधार पर इस आरोप की जांच की जाती अतः अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि श्री हनुमानमल मेड़ ने अपने पद का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ उठाया। इस प्रकार माननीय सदस्य का यह कथन

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सरपंच श्री हनुमानमल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है क्योंकि राज्य सरकार के समक्ष उक्त दोनों मामले आते ही उन पर समुचित कार्यवाही की जाती रही है। श्री जीवनसिंह पूर्व सरपंच द्वारा शिकायत सरकार द्वारा दिनांक 15-4-91 को जिला कलक्टर को जांच हेतु प्रस्तुत कर दी गयी थी तथा विकास अधिकारी डीडवाना द्वारा जांच भी कर ली गयी। उक्त जांच रिपोर्ट पर जिला कलक्टर को पूर्व सरपंच के विरुद्ध इस बात की जांच हेतु पुनः लिखा गया है कि वे जांच अधिकारी को यह निर्देश दें कि शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर इस आरोप की जांच कि क्या श्री हनुमानमल के साले को भी कोई आवंटन किया गया है अथवा नहीं, एवं पूर्व सरपंच के पुत्र को आवंटन में कोई अनियमितता अथवा पद का दुरूपयोग तो नहीं किया गया है क्योंकि विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही पूर्व सरपंच को आरोप पत्र भी दे दिया गया है।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रश्न पहले किया था और इसका जवाब एक तो यह आया है कि पहले चालान पेश करने की स्वीकृति जारी की थी लेकिन वह वापस फाइल मंगा कर उस स्वीकृति को निरस्त कर दिया और अभी बताया गया है कि उसमें हम वापस लॉ डिपार्टमेण्ट से राय ले रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है और राज्य सरकार ने जांच कराई है, जांच कराने के बाद में उसको दोषी पाया है। दोषी पाने के बाद में उसके 2 तरीके हैं कि एक तो उसने गबन बताकर और 3/7 का मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद में जो जांच हुई और जांच में उसके खिलाफ चालान का आर्डर दिया लेकिन फिर भी उसको वापस कर दिया गया। दूसरी यह कि एक कार्यवाही उसके खिलाफ पंचायत समिति एवं जिला समिति ने राजस्थान पंचायत एक्ट के तहत 17.4 के तहत यह जो कार्यवाही करने की बात है वह आपके पास विचाराधीन है। जबकि आपने यह बताया कि बी. डी. ओ. ने जांच की है लेकिन वह जांच कब तक पूरी कर ली जायगी ? दूसरी बात जो एक पटटे की बात हुई है कि पंचायत की जमीन के अन्दर पट्टा दिया गया था उसके लड़के को। तो मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से क्या वह जमीन सिर्फ गरीब, जिनके रिहायशी मकान नहीं हैं, के लिये थी और उनको पट्टा आवंटन करने का ही अधिकार दिया गया था ? जिस समय यह जमीन का पट्टा दिया गया क्या उस समय सरपंच मौजूद था ? मेरा यह निवेदन है, जो जमीन आबादी में घोषित की गयी थी वह विशेष तौर से भूमिहीन लोगों के लिये थी। जिनके पास मकान नहीं है, पट्टे पूर्व से नहीं हैं उनके लिये वह जमीन आबादी में घोषित की गयी थी लेकिन उन लोगों को पट्टे जारी नहीं करके दूसरे लोगों, जिनके पास पहले से मकान थे, जिनके पास पट्टे थे, को पट्टे जारी कर दिये गये तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? दूसरी बात जो आपने बतायी है कि यह जांच चल रही है, आपने बताया कि जो चालान पेश करने की स्वीकृति दी गयी थी उसकी पुनः ला डिपार्टमेंट

(श्री बिरधाराम चौधरी)

से जांच करवायेंगे और देखेंगे। तो यह कब तक कर ली जायगी ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने जवाब में सारी बात स्पष्ट कर दी, विधि विभाग की राय आने पर कार्यवाही हो सकेगी उसमें। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि विधि विभाग की राय के बाद कार्यवाही शुरु हो। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने कहा, हमने स्पष्ट आदेश दिये हैं कि जो शिकायत-कर्त्ता है पूर्व सरपंच, उससे मिलकर दुबारा इसकी पूरी डिटेल जांच करवायी जाय। इसमें सारी बात स्पष्ट आ जायगी। वह रिपोर्ट जो बी. डी ओ. की थी उसमें यह पूरा स्पष्ट नहीं था। अब वास्तव में यह भूमि तो गरीबों के लिये अलाटमेंट के लिये दी गयी थी लेकिन किस किसको भूमि अलाट की गयी, उसमें वह पूरे नाम वगैरह नहीं थे। इसलिये दुबारा उनके सामने जांच करने का आदेश दिया है। वह जांच रिपोर्ट भी हम जल्दी ही मंगवा लेंगे और जो निष्कर्ष जांच में निकलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री बिरधाराम चौधरी : कब तक करा ली जायगी ? लिमिटेशन तो हो। मतलब यों तो कई साल निकल गये।

श्री अध्यक्ष : जल्दी कह रहे हैं, जल्दी। नैक्स्ट श्री श्रीकिशन सोनगरा।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में अतिरिक्त निदेशक द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी एवं जालसाजी

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्षजी, नियम प्रक्रिया 131 के अन्तर्गत माननीय राज्य मंत्री का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक महेश प्रसाद माथुर द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी व जालसाजी करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मान्धाता सिंह (राज्य मंत्री, राज्य बीमा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय विधायक महोदय ने फरमाया, मेरे सामने दो प्रकरण आये हैं। एक तो हेराफेरी का है। सबसे पहले तो यह था कि उन्होंने फर्जी डिग्री ले रखी है। मेरे पास में उनका राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है कि उन्होंने यहां से हायर सैकण्डरी पास की। उसके बाद उन्होंने बी. ए की डिग्री गुजरात से ली। वह बिना छुट्टी के चले गये थे, आने के बाद उनको एक इन्क्रीमेंट रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एम. ए. किया। वह इन्होंने सब रिकग्नाइज कर लिया कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट गुजरात का और वह सब है। दूसरा प्रकरण यह है कि एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी कि यह दो भाई थे, ज्योति प्रसाद माथुर और महेश प्रसाद माथुर, दोनों की जन्म तिथि में एक महीने का ही अन्तर था। ज्योति प्रसाद की थी 14-8-35 और इनकी थी 14-9-35 तो यह डाउट हुआ कि यह दोनों भाई हैं और एक महीने का ही फर्क कैसे है। पहले तो शिकायत आने पर हमने सारा रिकार्ड मंगाया कि इसमें तो कहीं हेराफेरी नहीं हुई है। वह बिल्कुल साफ हो गया कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं है। तो हमने यह देखा कि यह ज्योति प्रसाद माथुर ने कहीं बदमाशी की दिखती है। उसको एक नोटिस दिया।

(श्री मान्धाता सिंह)

उसको नोटिस देने के बाद उसने यह लिखा कि जब यह तीन महीने का था, इसकी माताजी का स्वर्गवास हो गया और पांच महीने के बाद इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया तो महेशप्रसाद माथुर के पिताजी जो इनके ताऊजी होते थे, उनकी मां ने दूध पिलाकर इनको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद इनको यह ही मालूम नहीं है कि मेरे मां बाप कौन हैं। उन्होंने यही सोचा कि वह यही दिखते हैं। तब यह मामला आया। इसमें गलती कहां हुई है? जब यह स्कूल में दाखिला लेने गये तो महेशप्रसाद जी के फादर थे गोविन्दप्रसाद जी माथुर, उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया, ज्योतिप्रसाद के लिये। यह दो प्रकरण सामने आये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या पूछना है अब आपको स्पष्टीकरण हो गया इसमें तो।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्षजी, इस मामले में कई तरह की समानताएं और विभिन्नताएं हैं। महेश प्रसाद माथुर जो है, छोटा भाई है और ज्योति प्रसाद माथुर बड़े भाई है। महेश प्रसाद माथुर की जन्म तिथि देखिये, 14 सितम्बर है, ज्योति प्रसाद माथुर की जन्म तिथि 14 अगस्त है। मतलब दोनों 14 तारीख को जन्मे हैं। एक सितम्बर को, एक अगस्त को। यह बता रहे हैं कि 1935 में ही दोनों जन्में हैं।

श्री अध्यक्ष : तो दोनों की मां अलग है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मां अलग है, बाप भी अलग है। क्या हुआ इसमें?

श्री अध्यक्ष : हां, बाप भी अलग है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : जैसा मंत्रीजी ने बताया, ज्योति प्रसाद के पिताजी का नाम गलत दर्ज करा दिया गया। तो मैं यह अच्छी तरह से जानता हू और सारे सदस्य भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गलत पिताजी का नाम देने से कितना बखेड़ा हो सकता है। तो यह तो सम्भव ही नहीं है जो आपने उत्तर दिया....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, वह सम्भव है। तीन महीने का जब था तो उसको क्या पता।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : नहीं नहीं, तो वह ऐसा थोड़े ही है, साहब।

श्री अध्यक्ष : खैर! यह कोई अब डिबेट का सवाल नहीं है। जो बात है, स्पष्ट कह दी।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : एक महीने का अन्तर साहब, इनमें, है।

श्री अध्यक्ष : अब इन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी। आप भी और जांच करलें। नेक्स्ट, श्री पूनमचन्द विश्नोई। हो गया अब। यह मामला पब्लिक इम्पार्टेंस का नहीं है। अब बिराजिये आप।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह तो बी. ए. की डिग्री....

श्री अध्यक्ष : हो गया अब यह तो। आप पूछ लेना बी. ए. की डिग्री के बारे में। जो मैन बात थी वह आ गयी ध्यान में।

फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मंत्री महोदय का ध्यान फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत देरी के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसमें निम्न तथ्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में 6 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से पोकरण लिफ्ट को छोड़कर फलौदी लिफ्ट सहित सभी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 31 मार्च, 1991 तक इन लिफ्ट योजनाओं पर कुल 17.4 किलोमीटर लम्बाई में लाइनिंग का कार्य हो चुका था। इन लिफ्ट योजनाओं पर हार्ड पैन होने की जांच करायी गयी और पाया गया कि अधिकांश सिंचित क्षेत्र हार्ड पैन से प्रभावित है। फलौदी लिफ्ट में तो सारा सिंचित क्षेत्र ही हार्ड पैन से प्रभावित है। अतः भविष्य में वाटर लोगिंग की समस्या से बचने के लिये इन क्षेत्रों का भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण भूजल विभाग से एवं भूमि पर कितना पानी लगा कर व किस प्रकार उसको उपयोग किया जाय इस बात का अध्ययन वाटर और पावर कन्सल्टेंसी सर्विस से कराया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होनी है। इस अनिश्चितता की स्थिति में 27-11-91 को इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की 138 वीं बैठक में विचार किया गया और फिलहाल यह निर्णय लिया गया कि हार्ड पैन क्षेत्र में लिफ्ट की मुख्य नहरों पर जहां तक कार्य प्रारम्भ हो चुका है उसके आगे काम शुरू न करवाया जाय, केवल वहां तक जहां गैप्स हैं उन्हें पूरा कराया जाय। इनकी वितरण प्रणाली पर भी नया काम न करवाया जाय और फिलहाल सिंचाई भी प्रारम्भ नहीं की जाय।

उपरोक्त निर्णय के अनुरूप फलौदी लिफ्ट पर केवल पांच किलोमीटर लम्बाई में ही कार्य लिया गया है और वेपकोस की रिपोर्ट आने पर आगे निर्णय लिया जायगा। माननीय विधायक ने क्षेत्र में जो अकालग्रस्त क्षेत्र बतलाया है व अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं का वर्णन किया है, सही है और विभाग प्रयत्नशील है कि लिफ्ट क्षेत्र में भूमि के उपयोग के बारे में शीघ्र निर्णय लेकर इन क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचाया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मंत्री महोदय ने यहां हार्ड पैन वाली बात कह दी लेकिन मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर नीचे जिप्सम नहीं है। इसकी थोड़ी जल्दी जांच करायें क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा है, फलौदी पूरी तहसील ऐसी है जिसमें एक एकड़ भी सिंचित क्षेत्र नहीं है, अकाल से सदैव प्रभावित रहता है। मैं तो नयी विधियों के पक्ष में हूं, आप पाइपों से पानी देकर फव्वारा पद्धति या दूसरी कोई पद्धति लागू करें लेकिन इसके निर्माण को थोड़ी गति दी जानी चाहिये। क्योंकि जब बरसात नहीं होती है, इस क्षेत्र में नीचे कड़वा पानी है उस कारण से, पानी कड़वा होने से वहां कुएं और ट्यूब वैल बन नहीं सकते, हमेशा बड़ी भारी बरसात नहीं होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है। हार्ड पैन वाली बात के बारे में नीचे कडवी जमीन जरूर है, नमक पैदा होता है लेकिन जहां नमक पैदा होता है। वहां मेरे ख्याल से यह जिप्सम नीचे नहीं होता क्योंकि नमक और जिप्सम का मेल ही नहीं खाता। इसलिए आप थोड़ी इसकी जांच गहराई से करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सेलाइन एण्ड एलकाइन लेण्ड में और हार्ड पैन में जो जिप्सम हैं उसमें बहुत फर्क है और क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के साथ में जो दूसरी लिफ्ट योजनायें इरिगेशन की हैं उस सम्बन्ध में आपको टेक्निकल संक्शन मिली है और इसको आप कब प्रारम्भ करने जा रहे हैं। कोलायत और नागौर और उसके बाद चूरू जिले की।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य, जैसा कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है उसका दुबारा सर्वे निश्चित तौर पर करायेंगे। एक की नहीं सभी लिफ्ट पर कार्य रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड की 138 वीं बैठक के बाद रोक दिया गया था। आज सवेरे हार्ड पैन के बारे में बैठक हुई थी। हम जल्द से जल्द निर्णय लेकर दुबारा सर्वे कराकर। इस क्षेत्र में अभी कार्य बन्द नहीं किया है। जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा इरिगेशन लिफ्ट योजनाएं हैं, गजनेर, कोलायत, बगड़ासर, फलौदी, पोकरण इन सब में पोकरण को छोड़कर बाकी लिफ्ट में जैसे बगड़ासर का कार्य प्रगति पर है कोलायत का चल रहा है गजनेर साहवा का चल रहा है, फलौदी का जहां तक प्रश्न है 10 किलोमीटर तक मिट्टी का कार्य हो चुका है। पांच किलोमीटर तक पक्का कार्य भी हो चुका है, लाइनिंग का कार्य भी हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : नागौर चूरू का पूछ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नागौर की कोई प्रस्तावित नहीं है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र/प्रतिवेदन

रोजगार सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. विजयशंकर व्यास की अध्यक्षता में स्थापित रोजगार सलाहकार समिति का प्रतिवेदन वर्ष 1991 "राजस्थान पूर्ण रोजगार की ओर" सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री जीतमल जैन, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख" 1991-92 (अनुपस्थित)

कोई सदस्य? नहीं है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन । श्री जोगेश्वर गर्ग ।

नागौर जिले के उपखण्ड सायला में 132 के. वी. ग्रिड उप चौकी स्थापित कराया जाना

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, जिला नागौर के उपखण्ड सायला में 132 के. वी. ग्रिड उप चौकी स्थापित कराये जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित क याचिका उपस्थापित करता हूं ।

जालौर जिले की अतिरिक्त तहसील सायला को तहसील में क्रमोन्नत करना

अध्यक्ष महोदय, मैं जालौर जिले की अतिरिक्त तहसील सायला को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर सैनी ।

अरनिया ग्राम के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश गुप्ता ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आज जैसा आपने समय निर्धारित किया है उसके हिसाब से, आप विचार करके बता दें कि मुझे आज रखना है या कल रखना है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि आज पांच बजे हाउस एडजोर्न करना है तो इसको आज लेना है या कल लेना है । कल ले लेंगे । (व्यवधान) आज पांच बजे हाउस एडजोर्न करना है ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । श्री गंगाराम चौधरी ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी । श्री गंगाराम चौधरी ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बिगड़ते पर्यावरण की स्थिति पर विचार

श्री अध्यक्ष : आज राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बिगड़ते पर्यावरण पर विचार है। इसके लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित है पहले श्री रामकिशोर मीणा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी

श्री लालचन्द डूडी (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिगड़ते पर्यावरण की स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष श्री जगमाल सिंह यादव (अनुपस्थित) कांग्रेस से कोई नाम नहीं आया है। कोई बोलना चाहेगा आप में से।

श्री अनंग कुमार जैन : (अनुपस्थित)। डाक्टर चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : समय सीमित है समय का ध्यान रखें। 10 मिनट से अधिक नहीं मेरे पास 26 आदमियों की सूची है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, 10 मिनट ही ज्यादा नहीं। कम बोलें तो आपकी कृपा होगी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में माननीय खाद और वितरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : खाद नहीं खाद्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम झुन्झुनूं के रहने वाले हैं और....

डा. चन्द्रभान : यह खाद भी किसान के काम आती है। इसलिए वह भी महत्वपूर्ण है। खाद भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : दो मिनट तो हो गये डाक्टर साहब।

डा. चन्द्रभान : इण्ट्रप्शन हो गया उधर से।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश की व्यवस्था है उस व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, को इसलिए इण्ट्रोड्यूज किया कि जो समाज के पिछड़े, दबे, कुचले या कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वह गांव के लोग हों, चाहे शहर में रहते हों, चाहे कस्बे में रहते हो। इन लोगों को सरकार की ओर से या शासन की ओर से रियायती दरों के ऊपर जरूरी चीजें जो आम उपभोक्ता की हैं. उन्हें मुहैय्या कराया जा सके। लेकिन मुझे यह कहते अफसोस हो रहा है कि आज देश में और राजस्थान प्रदेश में इस प्रणाली को जितना मजबूत होना चाहिए था, यह प्रणाली मजबूत नहीं हो रही है बल्कि इस प्रणाली में भी तमाम की कमजोरियां आ गयी हैं

(डा. चन्द्रभान)

भ्रष्टाचार करने वाले लोग इसके अन्दर घुस गये हैं और वह लोग जो जरूरी चीजें हैं वह जरूरत मंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंचती है। राजस्थान सरकार बार-बार एक बात कहती है चूंकि इस प्रणाली के तहत राजस्थान में गेहूं, चीनी, तेल जैसी चीजें ही मुख्य रूप से उचित मूल्य की दुकानों से चाहे क्रय-विक्रय संघ की हों, चाहे उपभोक्ता भण्डार की हो, चाहे निजी व्यापारियों के माध्यम से चलती हो, वह लोगों तक पहुंचायी जाती है। सरकार बार-बार कहती है कि हम को कोटा पूरा नहीं मिलता है। जहां तक गेहूं का सवाल है यह हकीकत है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता और उनके लिए जितने गेहूं की, हर व्यक्ति के हिसाब से जरूरत हो वह है चार लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता है, और केन्द्र सरकार ने पहले से कम कर दिया। 70 हजार मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान को मिलता है और जो आवंटन केन्द्र से होता है यह राजस्थान सरकार की गलती भी रही कि समय-समय पर उस आवंटन को सही तरीके से नहीं उठा पायी। अध्यक्ष महोदय, जो आवंटन हुआ, या होता है उसका पुन: आवंटन या उप आवंटन जो राजस्थान सरकार करती है जिलों को और जिलों के माध्यम से सप्लाई डिपार्टमेण्ट नीचे की तहसीलों या गांव के हिसाब से उसका वितरण करता है। मैं मंत्री महोदय, से पूछना चाहूंगा कि आपने केन्द्र से उठाया वह ठीक है। लेकिन राजस्थान में जितना आपके पास आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप किस आधार पर करते हैं। मैंने पिछले सत्र में आपके माध्यम से सवाल किया था कि झुंझनू जिला जिसकी जनसंख्या आपकी यूनिट के हिसाब से 18 लाख है और आप वहां पर गेहूं भेजते हैं। हजार मैट्रिक टन, पहले आप देते थे 2 हजार 500 मैट्रिक टन फिर आपने 2 हजार मैट्रिक टन, फिर आपने 1 हजार 500 मैट्रिक टन फिर घटा कर 1 हजार मैट्रिक टन और अब यह विधान सभा का सत्र चालू हुआ, हमने सवाल किया तो आपने उसे बढ़ा कर उसको 1 हजार 400 मैट्रिक टन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, समूचे राजस्थान में दो किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं है और झुंझनू जिले में मात्र 750 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं जाता है और वह गेहूं भी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की हड़ताल रही, दूसरे लोगों को इन्होंने परमिट दिये नहीं और जब गेहूं का दाम बाजार में ऊंचा हुआ तो शहर में या कहना चाहिये साधन सम्पन्न लोग थे उन्हीं के पास में यह गेहूं बंट गया, उसकी काला बाजारी हो गयी। मंत्रीजी से कई बार निवेदन भी किया था लेकिन इसका कुल मिलाकर कोई भी उपचार मंत्रीजी नहीं कर पाये। बार-बार यह सरकार कहती है, हमको केन्द्र से गेहूं कम मिलता है। केन्द्र से गेहूं ज्यादा मिलना चाहिये इस सदन को इस सम्बन्ध में आज ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिये जरूरत के मुताबिक लेकिन राजस्थान सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिये कि राजस्थान में जो जिले हैं और जिसमें डेजर्ट और सेमी डेजर्ट के जिले हैं जहां पर अकाल की छाया भी मंडरा रही है वहां पर नियम के मुताबिक गेहूं, चीनी और तेल हो और आज तो आपने कहा कि साबुन की टिकिया और माचिस और दूसरी जरूरी वस्तुएं हैं उनको भी पहुंचाने का काम

(डा. चन्द्रभान)

करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा, जहां तक गेहूं और चीनी का सवाल है, मालूम नहीं राजस्थान सरकार की कौन-सी नीति है, झुंझनूं, सीकर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और मैं कहना चाहूंगा जयपुर भी इसमें है, वेस्टर्न यू. पी. की जो मिल्स हैं वहां से यदि चीनी आयेगी तो आसानी से पहुंच जायेगी और जो गुजरात और महाराष्ट्र से चीनी मंगवाते हैं तो वहां से दो-तीन महीने तक चीनी नहीं पहुंचती है और नीचे के स्तर पर वही गड़बड़ियां जिनका जिक्र माननीय सदस्य करेंगे। इस बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि यह प्रणाली किन लोगों के लिये हैं ? इसको सरकार अलग तरीके से, स्पेसिफिकली स्पष्ट करें और मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे है या जो गरीब तबके के लोग हैं चाहे वह शहर की कच्ची बस्तियों में रहते हों चाहे गांवों में रहते हों इस प्रणाली का लाभ सबसे पहले उनको मिलना चाहिये और इसके लिये यदि आपको अपने नियम और कानून में परिवर्तन करना हो तो करना चाहिये। होता यह है कि सब लोगों के नाम पर राशन कार्ड होते हैं जो लोग इन्कम टैक्स देते हैं या जो लोग बड़े हैं वह उठाते ही नहीं है और है, चाहे गेहूं हो, चाहे चीनी हो, चाहे तेल हो या कोई भी चीज हो वह सब सामान बाजार में ब्लैक हो जाता है। इसलिये आप एक क्राइटेरिया तय कीजिये यदि गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो जरूरतमंद हैं उन्हीं के लिये इस प्रणाली को रखिये। चूंकि केन्द्र के साधन सीमित हैं और आपके साधन भी सीमित है।

(समय–समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह अलग बात है कि 1 जनवरी को आपने बाड़मेर में उद्घाटन करवा लिया इस प्रणाली का और आपने कुछ सेक्टर भी बांटें, कुछ ब्लाक्स भी बनाये लेकिन प्रगति कुछ नहीं हुयी है। आपके पास जितनी चीजें हैं, जितना सामान है वह सामान यदि गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक है और इसका लाभ साधन सम्पन्न लोगों को ही मिलता है तो फिर इस वितरण प्रणाली को चाहे राजस्थान की जनता चाहे देश की साधारण जनता हो उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है।

तो अंत में मैं मंत्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आप केन्द्र पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, ज्यादा मांग करते हैं। ज्यादा मांग कीजिये हम आपके साथ हैं लेकिन राजस्थान में झुंझनूं जिला या अन्य कोई भी जिला हो उसकी जनता के साथ आपकी पक्षपात और भेदभावपूर्ण तरीका नहीं अपनाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पाइंटेड कहना चाहता हूं कि झुंझनूं के अन्दर हम लोगों ने पहले भी आपके माध्यम से निवेदन किया कि जो गोदाम है, गोदाम का भाग है, आपके सामने है कि कौन इन्टरेस्टिंग पार्टी है, कौन रेल में बड़े अधिकारी हैं, कौन रुंगटा साहब है आप जानते हैं, आपके सामने यह मामला आ गया है। चूंकि उनके गोदाम को नहीं लेती सरकार इसलिये कहते हैं कि

(डा. चन्द्रभान)

रेल्वे का ट्रेक खराब है । कोई ट्रेक वहां का खराब नहीं है । हमने एफ. सी. आई. के चेयरमैन से बात की, हमारे कलक्टर साहब ने आपके माध्यम से निवेदन भी किया है । कृपया उस गोदाम के मामले को सुलझाइये, सरकारी गोदाम हैं वहां पर अनाज पहुंच सकता है रेल्वे के माध्यम से और रेल्वे के माध्यम से नहीं पहुंचता है तो आप रोड ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से पहुंचायें । गेहूं या दूसरी चीजें जाती हैं चूरू में वह चूरू से वापस आती हैं इसलिये वह महंगी पड़ती है ।

अंत में एक निवेदन है आप इसमें थोड़ा मार्जिन रखिये, उचित मूल्य की दुकानें जिन लोगों को दें दो प्रतिशत, पांच प्रतिशत यदि उनको लाभ नहीं होगा और ट्रान्सपोर्टेशन का ध्यान रखिये और गांव के अन्दर सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं तो जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको आप प्रायोरिटी के आधार पर दुकानें आवंटित करने का काम करें ।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र गहलोत ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, आजादी के बाद अरावली क्षेत्र का वन क्षेत्र इस तरह से काटा गया कि आज वह बंजर हो चुका है । पश्चिमी राजस्थान के पाली जिला, सिरोही जिला में अच्छा हरा भरा वन था धीरे-धीरे लकड़ियों की कटाई इस तरह से हुयी कि आज पूरा अरावली क्षेत्र हरियाली से वंचित है साथ ही आबू का पर्वतीय क्षेत्र जो आजादी के समय और आजादी के पहले हरा भरा क्षेत्र था आज आबू का पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से एक अच्छा स्थान है, आज उस क्षेत्र में यदि हम नजर डालें तो उस क्षेत्र में वन नजर नहीं आता । इसके पीछे क्या कारण रहे और इस वन की सुरक्षा किस प्रकार से करनी चाहिये । माननीय अध्यक्षजी, जिसके कारण जो हमारा मरु क्षेत्र है इसकी औसतन बरसात धीरे-धीरे कम होती जा रही है, धीरे-धीरे सूखा होता जा रहा है । उसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी लूणी नदी है और लूणी नदी का पानी पुष्कर और उदयपुर की पहाड़ी अरावली क्षेत्र है और पाली की पहाड़ियों से पानी आता है । उन पहाड़ियों पर और लूणी के बेसिन क्षेत्र के अन्दर इतने बांध, बांध दिये गये हैं और बांध बांधते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि लूणी की क्षमता कितनी है लूणी में कितना पानी आना चाहिये और स्थिति यह हो गयी है कि लूणी में पानी आना बन्द हो गया है, नदियां सिकुड़ने लग गयी और जहां जो जल स्तर ज्यादा था वह भी नीचे चला गया । माननीय अध्यक्षजी, उसके साथ-साथ रंगाई और छपाई के कारण टैक्स टाइल यूनिट जो पाली, जोधपुर, बालोतरा में बने हैं उसका सारा पानी लूणी क्षेत्र में जाने लगा, उसकी सहायक नदियों में पानी जाने लगा जिसके कारण भू-जल खराब होने लगा । आज स्थिति इस प्रकार की हो गयी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है चाहे जल का हो, चाहे हवा का हो जिसके कारण आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में गम्भीर समस्या बन जायेगी । इसलिये सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये । और पर्यावरण संतुलन बनाने के लिये विशेष

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

ध्यान देकर इसकी योजना बनानी चाहिये। माननीय अध्यक्षजी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जहां लकड़ी काटी जाती है पुराने समय में उस रेगिस्तान के अन्दर नखलिस्तान था आज वहां कोई पेड़ नजर नहीं आता है। आज पिछले 40 सालों की सरकार की गलत नीतियों के कारण और लाभ और स्वार्थ के कारण जिस प्रकार पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है उसके सुधार के लिये आज आवश्यकता है, अरावली क्षेत्र की जो स्थिति आज बनी है, अरावली का जो प्रोजेक्ट आया है। पर्यावरण सुधार के लिये, इसको सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये जिससे आने वाले समय में लोगों को अच्छी हवा मिल सके, अच्छा पर्यावरण संतुलन रह सके।

माननीय अध्यक्षजी, वितरण प्रणाली के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे जोधपुर जिले के अन्दर पूरा अनाज नहीं मिल रहा है। मांग के अनुरूप आज ढाई या दो किलो अनाज मिल रहा है जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। महंगाई के कारण और अकाल ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण, आज जिले की अभावग्रस्त तहसीलें हैं, पंचायत समितियां हैं, गांव है उनको अनाज पूरा नहीं मिल रहा है। इसके लिये विशेष व्यवस्था की जाय। दो किलो अनाज के साथ-साथ उनको ऐसी छूट दी जाय कि जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पूरा अनाज दिया जाना चाहिये। आज जोधपुर में सिर्फ 7 हजार मैट्रिक टन अनाज मिल रहा है जबकि हमारी मांग 10 हजार मैट्रिक टन की है। यदि वह पूरा नहीं मिलेगा तो लोगों में रोष फैलेगा। मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि समय पर पूरा अनाज दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो आवश्यक उपभोक्ता सामग्री है, उसका कोटा निर्धारित करके प्राप्त करना और फिर उसको अपनी अधिकृत दुकानों के माध्यम से जरूरतमंद जनता के बीच में उसका वितरण करना। अध्यक्ष महोदय, जब-जब यहां सदन में बात आती है गेहूं के कोटे की कमी तो दोषारोपण केन्द्र सरकार के ऊपर कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अपनी मांग के अनुसार गेहूं डेढ़ लाख टन से लेकर 2 लाख टन की मांग करती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अपनी कमजोरियों को केन्द्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार आरोपित करती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले अप्रेल के महीने में, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा 1 लाख 5 हजार टन गेहूं राज्य सरकार को आवंटित किया गया और राज्य सरकार ने उसमें से मात्र 72 हजार 643 टन गेहूं उठाया। इसी प्रकार मई में भी 1 लाख मैट्रिक टन के करीब केन्द्र सरकार ने गेहूं आवंटित किया और राज्य सरकार की उठाव क्षमता थी 65 हजार 314 मैट्रिक टन। कुल मिलाकर मेरा अनुरोध करने का मतलब यह है कि पिछली अप्रेल 91 से लेकर और लास्ट मार्च तक केन्द्र सरकार द्वारा 9 लाख

(श्री हरिसिंह)

30 हजार मैट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार को आवंटित किया गया और राज्य सरकार उसमें से 6 लाख 80 हजार 552 मैट्रिक टन गेहूं उठा पायी। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को जितना गेहूं आवंटित किया गया था, उतना गेहूं राज्य सरकार नहीं उठा पायी और उसके बीच में शेष रहा 2 लाख 49 हजार 448 मैट्रिक टन का। फिर आप केन्द्र सरकार को दोष क्यों देते हैं? जब आप में उठाने की क्षमता नहीं है, आप मांग करते जा रहे हैं और जो कोटा आपको अलाट किया जा रहा है, वह आप उठाते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो कोटा उठाने की बात है। मैं वितरण के सम्बन्ध में, जो मुख्य काम सरकार का है, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध कर रहा हूं कि मंत्रीजी दरअसल में जितना भी गेहूं यहां आया, वह गेहूं जरूरतमन्द आदमी, जो निम्नतम श्रेणी का व्यक्ति है, निम्न आय वर्ग में जो व्यक्ति आता है, लोअर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, उस तक गेहूं नहीं पहुंचा और आपके गेहूं को बीच में दलाल खा गये। यह कोटा आपका आया, उसके अलावा आपको फ्री सेल का गेहूं 12 हजार मैट्रिक टन हर महीने आपको उपलब्ध होता है। इसके लिए आपने जो व्यवस्था की थी, वह यह थी कि 50 परसेण्ट कोटा रोलर फ्लोर मिल्स को दिया जायेगा और शेष सहकारी उपभोक्ता भण्डार, या सहकारी समितियों के माध्यम से 10 किलोग्राम के परमिट के हिसाब से दिया जायेगा और आपने जो फ्री सेल का गेहूं रोलिंग फ्लोर मिल्स को दिया था, उसके साथ-साथ में आपने एक आवश्यक कंडीशन लगा दी। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से इनको दो लाइन सुनाना चाहता हूं। जो इनके विभाग का निर्देश निकला है, उसमें कहा था अध्यक्ष महोदय कि समस्त रोलर फ्लोर मिल्स को निर्देशित किया जाता है कि इनको आवंटित फ्री सेल गेहूं की मात्रा निर्धारित अवधि में भारतीय खाद्य निगम से उठाकर आटे में परिवर्तित कर 10 किलोग्राम की पैकिंग में इस कार्यालय के निर्देशानुसार वितरण करें और जनता को उपलब्ध करायें। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पिछली मई से लेकर लास्ट मार्च तक 12 हजार मैट्रिक टन फ्री सेल का गेहूं राजस्थान की जनता को आता रहा और विभाग ने निर्देश दिये, राजस्थान सरकार ने निर्देश दिये, फ्लोर मिल्स को कि 10 किलोग्राम के पैकेट्स में इसको आप पैक करके विभाग के निर्देशानुसार इसका वितरण करें। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में एक भी फ्लोर मिल ने एक भी 10 किलोग्राम का पैकेट बनाकर कहीं मार्केट में वितरित नहीं किया और इतना बड़ा जो गोलमाल हुआ है, 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से केन्द्रीय सरकार ने गेहूं उपलब्ध कराया था और इसका आटा बनाकर यही गेहूं पूरा का पूरा फ्लोर मिल्स ने बाजार में साढ़े पांच और छह रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है और गरीब आदमी का जो हक था, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति का जो हक था, उसको मार दिया, उस पर कुठाराघात किया गया और गेहूं के भाव यही कारण है कि सरकार की लचर, सरकार की प्रभावहीन वितरण प्रणाली थी और उसके कारण आसमान को छूते हुए चले गये। केन्द्र सरकार को आये दिन जो यह दोष

Page No. 112

(श्री हरिसिंह)

देते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जब सरकार, राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना नहीं करे, उनके द्वारा आवंटित कोटा आप न उठायें और इतना बड़ा गोलमाल आप करते रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यही स्थिति आपके कैरोसिन की है। आप सुनिश्चित करें, मुझे आश्चर्य हुआ आपके आंकड़े पढ़कर के आपने पूरे साल में टोटल 300 से ज्यादा छापे नहीं मारे। हर महीने आपकी 14–15 की औसत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि ग्राम जनता में यह बात है, जयपुर में भी यह बात है कि कोई ऐसा पैट्रोल पम्प नहीं है, जहां कैरोसिन की मिलावट नहीं हो रही हो, कोई ऐसा डीजल पम्प नहीं है, जहां कैरोसिन की मिलावट नहीं हो रही हो। कैरोसिन की रेट्स में और पैट्रोल और डीजल की रेट्स में जो एक गेप है, उसका यही लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि कैरोसिन जैसी वस्तु का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोटा दिया, आज तक राजस्थान गवर्नमेंट उस कोटे को भी नहीं उठा पायी और सबसे जबरदस्त घपला जो है, वह तो वितरण प्रणाली का है। आज किसान के डीजल में, आज किसान के कैरोसिन में, एक टन कैरोसिन में एक लीटर मोबाइल मिलाकर उसको डीजल बनाकर बेचा जा रहा है और 2.90 पैसे प्रति लीटर का कैरोसिन किसान को 5.60 और 5.70 पैसे प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है और व्यापारी यह नहीं सोचता, सरकार कोई तवज्जोह नहीं देती है कि उससे किसानों का 2 लाख रुपये का ट्रैक्टर बर्बाद हो जायेगा, उसका पम्प बैठ जायेगा, उसके इंजन की दुर्गत हो जायेगी और किसानों का यह हाल कर रखा है। वितरण व्यवस्था जो गवर्नमेंट की है, वह बिल्कुल फेल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि यहीं स्थिति नहीं है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, चीनी में सरकार बिल्कुल फेल रही है। जितना केन्द्र सरकार का आवंटित कोटा था, मैं सिर्फ 2 महीने में आंकड़े आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं। केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 92 में 18684.3 मैट्रिक टन चीनी राजस्थान को अलाट की थी और राजस्थान की स्थिति अध्यक्ष महोदय, यह है कि 6751.6 मैट्रिक टन राजस्थान सरकार चीनी उठा पायी और शेष चीनी नहीं उठा पायी और वह पूरा का पूरा कोटा लैप्स हो गया और जनता तक नहीं पहुंचा पाये। अध्यक्ष महोदय, मार्च में सही स्थिति है। मार्च में 17840.1 मैट्रिक टन चीनी राजस्थान सरकार को अलाट की गई, उसमें से अब तक 3932.2 मैट्रिक टन चीनी सिर्फ राजस्थान सरकार उठा पायी है। पूरा का पूरा विभाग इसमें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

100 से अधिक प्रवर्तन अधिकारी और 300 से अधिक प्रवर्तन निरीक्षक, यह अध्यक्ष महोदय, क्या करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध कर रहा हूं कि मंत्रीजी इस विभाग पर आपकी कोई प्रभावी पकड़ नहीं है। जिस प्रकार से

(श्री हरिसिंह)

जो गड़बड़ियां इस विभाग में चल रही हैं, जनता का जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उपभोक्ता को जिस प्रकार से आवश्यक उपभोक्ता सामग्री से वंचित किया जा रहा हैं, उसके लिए पूर्णरूपेण आपका विभाग दोषी है। आप केन्द्रीय सरकार पर जो बार बार दोष मढ़ते हैं, यह नीति बिल्कुल कंडेम्ड करने योग्य है और केन्द्रीय सरकार का जो निर्धारित कोटा है, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहकर मंत्रीजी से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि वितरण प्रणाली को आप सशक्त और सुदृढ़ बनायें, ताकि वितरण प्रणाली का लाभ समाज का जो निम्नतम तब का है, उस तक पहुंचे और फ्री सेल के गेहूं का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें ढाई सौ रुपये प्रति क्विंटल का जो मुनाफा रोलर फ्लोर मिल्स ने कमाया है, मैं आपको आप चाहों तो आपके यह आदेश के नम्बर वगैरह दे दूं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्रीजी को उसको उपलब्ध भी करा सकता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी बारी थी।

श्री अध्यक्ष : आ रही है, आपकी भी आ रही है। इसके बाद आपकी है। कायदे से ही बनाया हुआ है।

श्री गुलाबसिंह : अध्यक्ष महोदय, खाद्य रसद विभाग को जो वितरण प्रणाली है, उसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। जिस तरह से कम तोलने, मिलावट करने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उस दृष्टि से कुछ परिवर्तन के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। हालांकि इस बार वितरण प्रणाली में डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन उसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार है। केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के....

श्री जुबेर खां : हिस्सा नहीं दिया है।

श्री गुलाबसिंह : कोटे में कटौती, आप असेप्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है।

श्री हरिसिंह : आंकड़े दिये हैं माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह : इसके लिए धरना भी दिया गया। मांग भी की गई लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे अधिकार का जो राशन हमको मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। इस अकाल की विभीषिका में राजस्थान की सरकार और पूरा सदन एकमत होकर, यह राय सभी की है कि हमको मिलना चाहिए, लेकिन केन्द्र सरकार की मंशा इस मामले में राजनीतिक दुर्भावना की है, क्या-क्या है, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन समथिंग इज रोंग। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए इस तरह से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, गरीब जनता के ऊपर, आप विरोधी माननीय सदस्यों को चाहिये कि आप सरकार पर दबाव डालें। आप स्वयं मानते हो तो, नहीं मानते हों तो ठीक है। आप भी यहां पर कह देना। (व्यवधान)

(2.00 म. प.)

श्रीमती सुमित्रासिंह : इतना कहने से कुछ नहीं होगा....

श्री गुलाबसिंह : आप भी अगर राजस्थान की गरीब जनता के हिमायती होते तो जिस समय यहां के मंत्री और सदस्य धरना देने गये थे उस वक्त आप भी हमारे साथ चलते । लेकिन आप तो खाली नुक्ता चीनी करना, विरोध करना....(व्यवधान) दिल्ली में धरना दिया है....आप मेरे से बात कर रहे थे इसलिए कह रहा हूं । वह बात केन्द्र की है । लेकिन अगर कम राशन, चीनी, कैरोसिन मिलने के बावजूद कुछ इस तरह के उपाय करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अनुसुचित जाति, जन-जाति और गरीब मजदूर वर्ग जिनकी पहली आवश्यकता है, पैसे वाला तो बाजार से खरीद कर भी खा लेगा लेकिन गरीब व्यक्ति 6 रुपये और 8 रुपये का गेहूं नहीं खा सकेगा, 10 रुपये की चीनी नहीं खा सकेगा । इसलिए मैंने एक 295 के तहत कहा था कि एक्सेस प्राइस की और कम तोलने की जो घटनाएं हैं उसके लिए आप पृथक से एक उपभोक्ता निदेशालय खोलें । आपने एश्योर भी किया था लेकिन क्यों देरी की जा रही है । मैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका गठन जल्दी ही कर लिया जाए । यह मेरा एक और सुझाव है कि जो राशन सिस्टम है एफ. सी. आई. लेती है और फिर वापिस एफ. सी. आई. देती है के. वी. एस. एस. को और के. वी. एस. एस. राशन डीलर्स को देती है और उसमें सबके अपने-अपने नियम और कायदे कानून बने हुए हैं । उसमें आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश तीन चार स्टेट में खाद्य निगम बना हुआ है, आप भी एक निगम की स्थापना कर दीजिए ताकि सारा काम एक ही छत के नीचे हो जाए और कहीं किसी की गरज नहीं करनी पड़े और जो अनियमितताएं होती हैं उन पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा ।

एक मेरा और निवेदन है, पहले सीमेंट पर अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस प्रणाली थी अब सीमेंट की लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी है । पहले 50-60 रुपये में सीमेंट का कट्टा मिलता था आज वह 112 और 120 रुपये में मिल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वापस आप उस पर कन्ट्रोल करें....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप लाइसेंस प्रणाली के पक्ष में हैं ?

श्री गुलाबसिंह : इस रेट पर कन्ट्रोल हुआ था, इस बात को तो आप मानते हैं और अब रेट कन्ट्रोल के बिल्कुल कन्ट्रोल बाहर गई है यह मेरा सुझाव है । मानना नहीं मानना तो इनकी इच्छा पर है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह बी. जे. पी. की नीति के विरुद्ध है ।

श्री गुलाबसिंह : खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल, पैट्रोल पर जब चैकिंग होती थी, यही तो पावर्स थे आपके इन्सपेक्टर को और आपने यह पावर छीन करके ई. ओ. को दे दिये । ई. ओ. के पास क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, सब डिवीजन का क्षेत्र होता है और ई. ओ. इतनी तत्परता से कार्य नहीं कर पाता है । आपने इस आधार पर हटाया हो कि इन्सपैक्टर भ्रष्ट होता है या बदमाश होता है । भ्रष्ट होता है तो यह तो कोई मायना नहीं हुआ उसको

(श्री गुलाबसिंह)

अधिकार क्षेत्र से हटाने का बल्कि उनको हटाने से मिलावट वगैरह की घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मेरा निवेदन है कि वापस उनको पावर्स दिये जाएं ताकि वह समुचित देख रेख कर सकें और गांवों में जो पैट्रोल डीजल की मिलावट वगैरह करते हैं उन पर प्रभावी अंकुश लग सके। एक मेरा निवेदन और है, मैं अन्तिम बात कहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कि आप जिला स्तर पर डी. एस. ओ. को गाड़ी प्रोवाइड नहीं करते। वह कैसे जिला संभालेगा। पंचायत समितियों में दो-दो गाड़ियां होती हैं। हर डिपार्टमेंट में होती है। आप डी. एस. ओ. लेवल पर कम से कम एक गाड़ी तो प्रोवाइड करें ताकि वह समुचित देखरेख, निरीक्षण आदि कर सके, किसी की शिकायत हो तो तत्परता से उसकी जांच कर सके। यह मेरे कुछ मोटे-मोटे सुझाव हैं। इन पर आप निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि राजस्थान एक तरफ अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है। इस सदन के सदस्यों की यह मांग लगातार थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हमें कुछ न कुछ कहने का मौका दिया जाएगा और इसलिए आपने आज का दिन रखा, उस बात के लिए तो मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि करीब-करीब राजस्थान समस्त में नहीं, तो 19 जिलों को आपने भी अकाल प्रभावी माना है। परन्तु ऐसे समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ठीक तरीके से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. यह बहुत आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख का अनुभव होता है कि राज्य सरकार अपना आवंटित कोटा, चाहे वह गेहूं का कोटा हो, चाहे वह चीनी का कोटा हो, चाहे वह केरोसिन का कोटा हो, चाहे वह खाद्य तेल का कोटा हो, कोई सा भी कोटा अब तक सरकार पूरा नहीं उठा पाई है। इसलिए मुझे इस बात पर शक पैदा होता है कि जब तक आप नहीं उठा पाये तो आप किस तरह से इस वितरण प्रणाली को सुचारु करेंगे। केवल कह देने मात्र से यह बात पार नहीं पड़ती है। यह बात सही है कि आपने 1972 की संख्या देखी, 1972 में वितरण प्रणाली के लिए हमारी केवल 4733 दुकानें थीं, 1992 में यह बढ़कर 15454 हो गई। केवल दुकानों की संख्या बढ़ा देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कोई भी चीज का कोटा पूरा नहीं उठा पाए, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है और अब तो आपके लिए और भी मुसीबत हो गई है क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने यह कह दिया कि यदि आप लेवी के जरिये वसूली कर लेंगे तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिये वरना मैं बाहर से आपको कोटा नहीं दूंगा। तो जब आपकी यह हालत हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आज भी आप बताते हैं। प्रति यूनिट दस किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा लेकिन एक्चुअली दो किलो गेहूं मिल रहा है और जैसा कि मण्डावा से आने वाले

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सदस्य कह रहे थे कि झुंझनू में तो केवल 750 ग्राम मिल रहा है। 750 ग्राम तो मेहनत करने वाला आदमी एक दिन में खाता है। आप यह क्यों मखौल बना रहे हैं। लोगों को आप खामखाह कहते भी हैं कि गेहूं दे रहे हैं और देते भी कुछ नहीं हैं। 750 ग्राम या दो किलो खा करके कौन व्यक्ति अपना सारा महीना निकाल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहती हूं कि एक आदमी को मजदूरी के आज के दिन 30 रुपये मिलते हैं क्योंकि इस समय फसल की कटाई चल रही है। फसल की कटाई में जो कोई जाता है, 30 रुपया, 35 रुपया, लेता है दो वक्त की चाय भी लेता है। 30 रुपया कट करके वह सारी दिन क्यू में खड़ा रहेगा और गेहूं उसको मिलेगा 3 20 रुपये प्रति किलो एक रुपया उसकी मजदूरी का जोड़ दीजिये जो वह मजदूरी खोयेगा तो 4 रुपये 30 पैसे पड़ गया। 4-30 रुपये में खुले बाजार से नहीं ले आयेगा। क्यों आपका गेहूं लेने के लिए जायेगा। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहती हूं कि चीनी के मामले में आपका दोष तो है, लेकिन भारत सरकार का भी दोष है। उसके लिए या तो आप कहते नहीं या लड़ते नहीं या आपकी चलती नहीं। चीनी के ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति क्विंटल के ऊपर 24 रुपये कमीशन मिलता है जिसमें चार इन्स्टीट्यूशन्स आ गई। एक आ गई नेशनल कन्जूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन, दूसरा क्रय विक्रय संघ, तीसरी आ गई सोसाइटी और फिर उसके बाद जिला ग्राम सेवा सहकारी समिति। मुझे बताइये कौन आपकी चीनी ले जायेगा, कौन चीनी बांटने का कार्य करेगा और फिर त्यौहारों की चीनी भी आप उठा नहीं सकते। आपने खाद्य एवं रसद विभाग, राजस्थान सरकार की यह पुस्तिका हमें दी है, उसमें आपने लिखा है कि नवम्बर, 91 के अन्दर आपको 20388 मैट्रीक टन का आवंटन हुआ जिसमें त्यौहारों का कोटा भी शामिल हैं 15520 मैट्रीक टन। तो मैं आपसे यह पूछती हूं कि आप कहां से त्यौहारों पर देने की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि इस बारे में तो आप भारत सरकार से कहिये, यह 24 रुपया बहुत कम है इसको कम से कम दुगना करें तब जाकर काम चलेगा और तब जाकर चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो पायेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आपने पूरा कोटा उठाया नहीं और माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जब आपको कह दिया कि जो कुछ भी आप लेवी वसूली करेंगे उसे आप बांटिये, तब आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या होगा ? केवल नाम का रह जायेगा क्या ? इस समय जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन सबका डीलिंग भारत सरकार से है। भारत सरकार ही लाइसेंस देती है और भारत सरकार के ही अण्डर में हैं। आप तो केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी, चोरबाजारी और कालाबाजारी पर नियन्त्रण रखते हैं। वह कोटा भी आपका पूरा नहीं उठा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूं कि गांवों में न केरोसिन मिलता है, न एडीबल आइल मिलता है और चीनी तो नाम मात्र की। आपने खुद कितने महीनों से चीनी नहीं उठायी है। अगस्त, 1991 से फरवरी, 1992 तक की चीनी अभी नहीं उठायी है क्योंकि आपको रेल्वे से वैगन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्राप्त नहीं हुए। आपको जो आवंटित कोटा है उसको तो पूरा उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि गांवों में न एडीबल आइल मिलता है, न कैरोसिन मिलता है और न चीनी ठीक तरह से मिलती है। मिलती है भी तो इतनी कम मात्रा में कि बराये नाम। मुझे डर हो रहा है कि आप घण्टी बजा देंगे और मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे कई बातें निवेदन करना जरूरी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आपने याद करा दिया, मैं भूल गया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने गलती की। अध्यक्ष महोदय, जब गुलाबसिंह जी बोल रहे थे तब तो आपका ध्यान ही नहीं था, आप पढ़ने में लगे हुए थे। आप अब भी पढ़ने लग जायं। कोई पुस्तक पढ़ने लग जाइये आप।

मैं यह निवेदन कर रही थी कि भारतीय खाद्य निगम का जिला हैड क्वार्टर पर एक गोदाम है। उस गोदाम को किराये पर देने की या बेचने की बातचीत चल रही है। जो लोग झुंझनू गये हैं आप तो स्वयं गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको ध्यान होगा कि भारतीय खाद्य निगम का गोदाम झुंझनू रेल्वे स्टेशन से एक फर्लांग की दूरी पर भी नहीं है, रेल्वे स्टेशन के बिलकुल नजदीक है। यदि वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से आप हमारे जिला हैड क्वार्टर से उस डिपो को उठा कर बेचने की या किराये पर देने की बात सोच रहे हैं और वहां से 16 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर खाद्य निगम का जो डिपो है उसको लेने की बात सोच रहे हैं जो चालू है? इसको या तो आप किराये पर दे दें उन्हीं लोगों को या इसे बन्द करें या नीलाम करें। यह होगा तो मेरी समझ में जिले के साथ जबर्दस्त अन्याय होगा। उस दिन मैंने 295 के जरिये भी यह बात उठायी थी और आपने मुझे आश्वस्त किया था।

श्री अध्यक्ष : आज मंत्री जी आपको आश्वस्त और करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा नहीं किया जाय, आपध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : यह केन्द्र का है।

श्री अध्यक्ष : ये मेहनत करेंगे, मदद करेंगे आपकी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केन्द्र का है लेकिन ये लिखेंगे, इनके हाथ की बात है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं पर्यावरण पर केवल दो शब्द कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक मिनट तो आपकी मेरी वार्ता में चला गया।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के बारे में मुझे यही

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

निवेदन करना है कि चार वस्तुएं हैं जो पर्यावरण का निर्माण करती हैं—जल, वायु, अग्नि और वृक्ष। इसीलिए प्राचीन जमाने में अग्नि को देवता के रूप में, जल को देवता के रूप में और वायु को देवता के रूप में स्वीकार कर उनकी हमने पूजा की। इसीलिए वृक्ष को, पीपल को देवता स्वरूप मान कर उसकी पूजा करते हैं। इसमें से दो चीजों को तो फैक्ट्रीज ने, छपाई कारखानों ने प्रदूषित कर दिया। बड़े-बड़े कारखानों ने जल को प्रदूषित कर दिया, वायु को प्रदूषित कर दिया। अब आपके पास कौनसा चारा बचा? अब आपके पास केवल दो चारे बचे। यह भी निवेदन कर देना चाहती हूं पर्यावरण में पक्षियों और चिड़ियाओं का भी बड़ा सहयोग हुआ करता है। अब पक्षी और चिड़ियाएं भी इस प्रदूषण की वजह से करीब-करीब खत्म हो गये हैं। जयपुर के तारों पर, जिसने 30 साल पहले का जयपुर देखा हो, कबूतरों की कतारें की कतार बैठी रहती थी। अब किसी ने कबूतर देखे हैं? सब चले गये। कबूतरों के पंखों की हवा में एक जबरदस्त शक्ति होती है पैरेलिसिस को ठीक करने की। अगर उस आदमी के ऊपर से उसको गुजारें, उसको रखें तो पैरेलिसिस ठीक हो जाता है। चिड़ियायें भी पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करती हैं। लेकिन पेस्टिसाइड, इनसैक्टिसाइड और जितनी दवायें खेती पर छिड़की जाती हैं उन दवाओं ने चिड़ियाओं को खत्म कर दिया और पर्यावरण का वह एक साधन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा केवल एक साधन, और वह साधन बचा है वृक्ष। वन मन्त्री जी, उस दिन तो आप जिद कर रहे थे कि वृक्षों के साथ नहीं है पर्यावरण। वृक्षों के साथ तो इस कदर जुड़ा हुआ है पर्यावरण कि जो आज एकमात्र साधन रह गया है। इसलिए यही बात निवेदन करती हूं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। (अनुपस्थित)

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नम्बर था।

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर नहीं है। आप अनुपस्थित थे। सब बोलने के बाद समय बचेगा तो बोलने के लिए इजाजत दूंगा, नहीं तो you have lost your chance, you have missed your train.

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पर्यावरण पर इस सदन में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। वितरण प्रणाली के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ कहा। माननीय मंत्रीजी गांवों में जाते हैं तो वितरण प्रणाली के बारे में वास्तविक तौर पर क्या हो रहा है इस बारे में आपको कितनी जानकारी मिलती है, आप कितनी जानकारी लेते हैं, यह मुझे पता नहीं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन के माध्यम से बात करते हैं कि भारत सरकार गेहू भेजे, भारत सरकार चीनी भेजे। पता चलता है कि राजस्थान सरकार चीनी

(श्री रामनारायण वर्मा)

का पूरा कोटा नहीं उठा पायी । गेहूं का पूरा कोटा नहीं उठा पायी । उसका नतीजा यह हुआ कि अगले माह कम मिला । राजस्थान सरकार के लैप्सेज राजस्थान की जनता के लिए काफी दुखदायी हैं । एक तरफ राजस्थान की जनता को खाने के लिए सस्ती दर पर भारत सरकार देना चाहती है फिर भी राजस्थान सरकार चीनी उपलब्ध कराना नहीं चाहती, दूसरी तरफ गांवों में क्या होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं मंडी में बिकता है, डी. एस. ओ. से आप कहिये । आपके डी. एस. ओ. से या तो आपका इस तरह का तारतम्य या तालमेल है कि वे सुनवाई नहीं करते या फिर कोई विशेष बात है, कि डी. एस. ओ. की पोस्ट पर जितने भी अफसर आपके द्वारा लगाये गये हैं वे बिलो स्टैण्डर्ड हैं, उनमें काम करने की क्षमता कम है । आपने वितरण प्रणाली को इस तरह का समझ लिया कि इसमें राशन लेने के लिए गरीब लोगों की ही लाइन होगी, वही लोग आते हैं । या इसमें कोई न कोई खामी है । यही निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस बारे में देखा जाय, सोचा जाय ।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा वितरण प्रणाली के लिए जो लेवी लगी हुई है । मुझे दुःख है कि मैं इस बारे में आपके आपके सामने ला नहीं सका, लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज की तारीख में लेवी का जो चावल लिया जाता है इसमें भारी घोटाला है । एक करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है । यह दूसरी बात है कि करोड़ों रुपए के लिए हमने वेरी कमीशन में लाखों रुपए खर्च कर दिये । यह डेढ़ करोड़ खाकर बैठा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने पर्दा डाल दिया । आप इसकी जांच करवा लीजिए, दुबारा पर्दा डाल दीजिए ।

श्री रामकिशोर मीणा : घोटाला किस तरह का है, बता दें ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपको फुल समझाऊंगा लेकिन आप इतनी धैर्य इतनी क्षमता रखना । दुबारा मुझे नहीं, अध्यक्ष जी को कहना । आप यह समझें कि विधान सभा तक ही कोई होगा, आप अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर सैक्रेटेरिएट से चले जायेंगे, माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार चली जायेगी । आप यह मत सोचिये कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको जनता नहीं देख रही है ।

चावल की लेवी वसूल होती है । यह सही है कि बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है । बासमती चावल पर लेवी नहीं है । लेकिन बासमती चावल कौनसा चावल है इस बारे में डिपार्टमैण्ट के पास आज की तारीख में एक भी प्रैक्टिल अनुभव रखने वाला आदमी नहीं है । मोर दैन 60 प्रतिशत चावल आज की तारीख में मोटा चावल है । मोटा चावल लेवी मुक्त नहीं है । आपको पता कैसे चलेगा ? आपके एक्सपर्ट नहीं, आप कमेटी में उन लोगों को नहीं रखना चाहते जो काश्तकारों से डाइरेक्ट सम्बन्धित हों, उनको वितरण प्रणाली में नहीं रखना चाहते । मोटे चावल की रेट और बासमती चावल की रेट में आपको चार-पांच सौ रुपए का डिफरेंस नजर आयेगा । जिसकी रेट कम है, मण्डी से आप छंटवा लीजिए । मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे माफी मांगते हुए एक बात कहना

(श्री रामनारायण वर्मा)

चाहूंगा कि आपके अफसर दस रुपए कट्टे पर एन. ओ सी. इश्यू कर देते हैं। 10 रुपये कट्टा लिया जाय तो दो लाख क्विंटल चावल इकट्ठा होता है। पता है, कितना पैसा होता है ? दो करोड़ रुपया आपका इकट्ठा हो जाता है। 20 लाख, उसके बाद 100 कट्टे पर 10 रुपये वह लेता है। इस तरह का इनका बनता है। दो करोड़ का डायरेक्ट घोटाला है।

चावल बासमती आपके पास नहीं है। चावल बासमती पैदा नहीं होता है। बासमती के नाम पर पंजाब से जो चावल आता है, उसको बासमती बना कर ... बासमती की पहचान कैसी होती है, मैं मंत्री महोदय कहना चाहता हूं एक लाइन में। बासमती चावल की पहचान मात्र खुशबू से होती है। जिस चावल में खुशबू है, वह बासमती है, इसके अलावा आपके पास कोई मापदण्ड नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आपके अधिकारी धड़ल्ले से सारे चावल को बासमती मानकर के करोड़ों रुपये व्यापारियों को कमाने की छूट दे रहे हैं, करोड़ों रुपये खुद कमा के खा रहे हैं। आपने इसके बारे में जांच नहीं की। हम पूछते हैं तो आप कहते हो कि साहब यहां तो मोटा अनाज होता है। आप अफसर से डिक्टेट होंगे, निश्चित रूप से आपकी आत्मा भी आपको धिक्कारेगी। इसलिये आपसे कहता हूं कि आप अफसर से डिक्टेट मत होइये।

मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपसे निवेदन कर रहा था कि जौ कैसे बिकता है। करबर के मामले में मैं आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण बताना चाहूंगा। डेढ़ क्विंटल गेहूं ब्लैक करते हुए, फर्जी इन्द्राज करते हुए एक व्यापारी को पकड़ लिया गया। मैंने मंत्रीजी से कहा मंत्री जी बैठे हैं, वे इसका खण्डन नहीं कर सकते हैं मैंने जिला कलेक्टर से कहा कि फर्जी राशन कार्डों की एण्ट्री हो रही है। सीधा पकड़ा गया है। मंत्री महोदय शिकायत की है। आप कहते हो कि उदाहरण बताओ, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि उदाहरण बताओ, आज दिन तक उसके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हुआ। एक हजार में अफसर बिके. माननीय अध्यक्षजी, यह बड़ी शोचनीय और चिन्ता की बात हो जाती है।

इसके अलावा चीनी में आप देख लीजिये, अध्यक्ष जी. नैनवा में, मैं एक पर्टिकुलर जगह का उदाहरण नहीं देना चाहता, चीनी की ब्लैक हो रही है। कोई जांच नहीं हो रही है। आपके कर्मचारियों का यह नहीं पता कि वे कहां रहते हैं. उनका हैड क्वार्टर कहां है। वे बूंदी रह कर 60 किलोमीटर दूर जाते हैं। डी एस. ओ. साथ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है। सारी की सारी परिस्थितियों को आप टाइटप-अप दीजिये। आप मजबूती दीजिये। जब तक आप मजबूती नहीं देंगे, तब तक वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पर्यावरण के बारे में दो बात निवेदन करना चाहूंगा। पर्यावरण मंत्रीजी यहां बैठे हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि शायद इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया, हमने सदन में बात रखी पर्यावरण के मामले में। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मानि-

(श्री रामनारायण वर्मा)

टरिंग स्टेशन है। क्या, मंत्रीजी, आपने भी यहां किया ? यह जरूर है कि आपके यहां फाइल चल रही है। सेक्रेटरी के पास फाइल चली जाती है, कभी आपके पास फाइल आ जाती है, कभी किसी के पास फाइल आ जाती है। आज की तारीख में यदि हम लोग शिकायत करना चाहेंगे तो किस के पास जायेंगे ? आपका मानिटरिंग स्टेशन होगा, वहां पर्यावरण विभाग का इन्स्पैक्टर होगा और वहां पर पुलिस का इन्स्पैक्टर होगा। इस तरह के स्टेशन आपने अब तक कायम क्यों नहीं किये ?

भारत सरकार की तरफ से कोटा में एक पुरस्कार दिया गया है श्रीराम फर्टिलाइजर को। मुझे खेद है इस बात का कि सबसे ज्यादा धोखा देने वाली फैक्टरी यह है जिसने पर्यावरण के नाम पर आपसे पुरस्कार लिया है। यह किस तरह से होता है अध्यक्षजी, इसकी मशीन खरीद रखी है। बिजली का कन्जम्प्शन नहीं हो, इसलिये मशीन को बन्द कर देते हैं। कोई इन्स्पैक्टर जायेगा तो आइये साहब, बैठिये सहाब, और मशीन को चालू कर देंगे। आप नीचे उस पानी का सैम्पल लीजिये। वहां आज की तारीख में खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। यह सारी हालत है। आप इसको चैक कीजिये। आपके पास जितने भी उद्योगों की लिस्ट है एक में भी उस मानक के अनुसार पानी नहीं मिलेगा। आउटलैट-इनलेट के सैम्पल्स आपके पास नहीं है। जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहते हुए केवल आपसे इतना निवेदन करूंगा कि यदि आपके कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत बुजुर्ग आदमी है, सीनियर आदमी है, समझदार आदमी है, तो आप उस काम को करिये। कोई बात समझ में नहीं आये तो पब्लिक रिप्रजेंटेटिव से आप निश्चित तौर से सलाह करें। उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो ही ठीक रहेगा। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल (खण्डार)।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिगड़ते हुए पर्यावरण के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सवाई माधोपुर जिला पर्यावरण की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जिला था लेकिन ज्यों-ज्यों पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया, ज्यों ज्यों स्टाफ बढ़ाया और जिस स्टाफ को चौकसी पर बैठाया, वे लोग जंगल को बुरी तरह कटवा रहे हैं। सवाई माधोपुर के अन्दर नेशनल पार्क है जिसको भारत सरकार ने वर्ल्ड में तीसरे नम्बर का माना हैं, उसमें आये दिन पशु चरते हैं, इमारती लकड़ी कटवाई जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कालीचरण सोनी और हंसदेव सैन दो रेंजर्स इस तरह से वहां वनों को कटवाते हैं कि 40-40, 50-50 रुपये मन लकड़ी बिकती है खैरवालों के माध्यम से, फोरेस्टर्स के माध्यम से, लकड़ी को वहां से कटवा कर खुले रूप से मार्केट में उनकी सप्लाई की जाती है। उस सम्बन्ध में कई दफा मैं मंत्री महोदय को निवेदन कर चुका हूं लेकिन मैं इस हाउस के अन्दर नहीं कहना चाहता कि मंत्री महोदय ने मेरे को जिस तरह का जवाब दिया कि जब तक एक-एक रेंजर 10-10 लाख रुपये की रिश्वत नहीं खा लें, तब तक इनको मैं आज बदलूं, न कल बदलूं। इस तरह से सरकार के जिम्मेदार

(श्री चुन्नीलाल)

पोस्ट पर होते हुए भी अगर हम अधिकारी और कर्मचारी को प्रोत्साहन देंगे, तो वनों का क्या हाल होगा ? (व्यवधान) आप सुनो तो सही ।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : मैं सुन तो रहा हूं । जब तक 10 लाख रुपये इकट्ठे नहीं कर लेंगे तब तक....

श्री चुन्नीलाल : जो रेंजर वहां लगे हुए हैं, 10-10 लाख रुपये जब तक वे रिश्वत के नहीं खा लें तब तक उन लोगों को पद से नहीं बदला जाय ।

श्री हेतराम बेनीवाल : किसने कहा ?

श्री चुन्नीलाल : यह मेरे को कहा है । (व्यवधान) मैं जो कह रहा हूं, यह सही कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये । आगे बोलिये । टाइम खत्म हो रहा है ।

श्री चुन्नीलाल : मैं सही कह रहा हूं ।

(2.27 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज सवाई माधोपुर में जंगलों का विनाश हो रहा है । हम पर्यावरण की चिन्ता करते हैं कि वनों को लगाया जाय लेकिन हमारा विभाग है, जिनको हमने चौकसी पर बिठाया है, वे वनों को धराशायी कर रहे हैं, वे मैदान बिल्कुल साफ कर रहे हैं । वहां पर कोई आडिट पार्टी भेज कर के निरीक्षण कराया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की तो हम बड़ाई करते हैं लेकिन नेशनल पार्क में वहां अधिकारियों ने इस दो साल में तीन दफा आग लगवाई । इमारती लकड़ी वहां से कटवाते हैं, वहां की घास कटवायी, पशुधन को वहां चराई की मुफ्त परमिशन दी जाती है, उस मुद्दे को मिटाने के लिये इस तरह से आग लगवा कर के तीन दफा दो साल के अर्से में भयंकर आग लगवाई जिसमें करोडों रुपये का जंगल राजस्थान का नष्ट हुआ । वनों के सम्बन्ध में तो यही निवेदन करना चाहता हूं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : काफी बोल लिये । थोड़ा संक्षिप्त कीजिये । काफी वक्ता हैं ।

श्री चुन्नीलाल : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में यही कहना है कि यूनिट के हिसाब से अगर आदमी को, चाहे एक किलो-दो किलो गेहूं दिया जाय तो प्रत्येक घर में पहुंच सकता है । गेहूं सरकार लम्पसम देती है । जो पहले आये वह गेहूं ले लें और वहां जो बचे हुए लोग हैं, वे इन्तजार करते रहते हैं । न पिछले महीने में उसको नम्बर मिलता है, न अगले महीने में मिलता है । तो इसमें थोड़ा सुधार किया जाय ताकि गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके । इतना कह कर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, प्रोफेसर केदारनाथजी ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर, हमारे स्टेट की पॉलिसी इन्वायरनमेंट के बारे में कभी भी कोहेरेंट पॉलिसी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नहीं बन पाई। मैं इसलिये कह रहा हूं कि एक तो मास इन्एक्शन पाया गया। ग्लोबल लेवल पर कुछ फैसले होते हैं, प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप्स के कुछ फैसले होते हैं, नेशनल लेवल पर फैसले होते हैं, यहां उसका कोई रिफ्लैक्शन नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई विल-पावर है ही नहीं। आप ताज्जुब करोगे, सीवरेज के बारे में वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकली और सैण्ट्रल गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दी, उन्होंने स्टेट को दे दी कि एक कॉमन इफ्लूएण्ट प्लाण्ट लगाये। जहां कलस्टर आफ इण्डस्ट्रीज हैं, जैसे हमारे पाली में है, बालोतरा में है, गंगानगर के कुछ एरिया में है, वहां कॉमन इफ्लूएण्ट प्लाण्ट लगाये। कुछ पैसा आपको सैण्ट्रल देगा कुछ आप दीजिये, कुछ उद्योग स्पोंसर करेगा स्कीम्स को, वह यूनिट्स दें। हमारी ओर से कोई कल्पना नहीं इस बात के लिये। आप देखिये, पानी का नुकसान हुआ, कितनी जमीन तो बेकार हो गई, कितने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। आपने कितना एक्शन लिया उस पर, कितना चालान किया, कितने ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा पाये? नहीं लगा सके। इसका मतलब इसमें डिस्कशन करना एक फालतू सी बात है। जब तक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बना पाओ, नई इण्डस्ट्रीज के लिये मेंडेटरी नहीं बनाओगे, ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगायेंगे जब तक राजस्थान में पोल्युशन के सम्बन्ध करने का कोई मायने नहीं है। पोल्युशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कन्टेन करने का सवाल नहीं है, बढ़ता जा रहा है इसलिए माननीय मंत्रीजी मेम्बर हैं। माननीय मंत्रीजी इन चीजों की स्टैडी कीजिये। जो नये-नये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो नये-नये ग्रुप्स आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं उनकी स्टैडी करके आप स्टेट लेवल पर कोई कमेटी तो बनायें। स्टेट लेवल पर पोल्युशन के खिलाफ एन्वायरमेंट के बारे में, फोरेस्ट के बारे में स्टेट लेवल पर कमेटी भी नहीं है, यह बनाने की मंशा नहीं है।

अब आप देखिए, गंगानगर में कपड़ा मिल है, माननीय सदस्य हमारे लीडर हैं वहां इतना गन्दा, बहुत ही बदबूदार पानी निकलता है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं है। सरकार 10 साल से कोशिश कर रही है पर वह ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगा पा रही है। उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लो लाइंग एरिया है, जहां पर लोग रहते हैं उनकी हैल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, कोई इन्तजाम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। अब आपने जाकर स्टेट लेवल पर पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड बनाया है। स्टेट लेवल पर पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड बन गया, कब तक ट्रीब्यूनल बनेंगे, कब तक चालान करवायेंगे, कब फैसले होंगे? मेरा ख्याल है कि इतना इनडिफरंट एटीट्यूड स्टेट के अन्दर है, वैसा किसी भी स्टेट के अन्दर नहीं रहा है।

इसलिए माननीय मंत्रीजी इसके मैम्बर हैं, वह स्टैडी करें, खुद जायं। दो दिन तक जाकर पाली बैठें। आखिर क्या ऐसी समस्या है, बालोतरा बैठें और जहां-जहां पर भी क्लस्टर्स आफ इन्डस्ट्रीज हैं, कैसे उनका आप इन्तजाम कर पायेंगे। 5-4 बड़े शहर आइडैंडीफाई कर लीजिए और उन पर शुरू कीजिए इस प्रेक्टिस को कि वहां पर सीवरेज का इन्तजाम कैसे हो सकता है। बाकी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

राजस्थान को छोड़ दीजिए। आप 4-5 जगह आइडेंटीफाई कीजिए। हरियाणा ने अभी 24 लाख का प्लाण्ट बनाया है और उन्होंने रिसर्च सेंटर्स भी कायम किए हैं। अब न तो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, न हमारे प्लांट हैं, न हमारे ट्रीब्यून्लस हैं, न हमारे चालान, न और कोई इंतजाम। बताइए मैं क्या इसके बारे में बात करु ? इसलिए नए सिरे से आप सोचिए, एडवाइजरी कमेटी बनाकर सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच कर कुछ जगह आइडेंटीफाई कीजिए और एक्शन शुरु कीजिए। तो मैं मानता हूं कि माननीय फोरेस्ट के जो मंत्रीजी हैं उन्होंने कुछ इन्तजाम किये हैं।

फोरेस्ट को हमारी नेशनल फीगर्स क्या है ? साहब, 23 पर्सेन्ट से 9 पर्सेंट रह गई है। मान्यवर, जो भी प्लान्टेशन आप कर रहे हैं उसका सरवाइवल आप कहते हैं कि 65 पर्सेन्ट है लेकिन एक्चुअल फील्ड में जायेंगे तो सरवाइवल 5 पर्सेन्ट भी नहीं है, कोई आपकी मानिटरिंग नहीं है। जब फोरेस्ट में ही पोल्युशन गिरता जा रहा है तो एन्वायरमेंट कैसे ठीक होगा। सीवरेज बढ़ती जा रही है, इण्डस्ट्रीयल पाल्युशन बढ़ता जा रहा है। तो सारे राजस्थान को आपने एक तरह से डार्क एलीज में डाल दिया। इसलिए यह पोल्युशन, पोल्युशन, पोल्युशन होता रहेगा। बस इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, माननीय मंत्रीजी हैं तो देहात के, जिनको फूड का महकमा दे दिया। अब आप खुद अपने देहात में गांव में जाकर देखिये कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आम आदमी की, वे बाजार से कितनी खरीदते हैं और आपके डिपो से कितने खरीदते हैं। चीनी मिलती नहीं, अब अनाज शुरु किया आपने डेढ़ किलो, जब सेशन चला तब हैजिटेशन शुरु हुआ, तब अनाज बांटना शुरु किया और खाने का तेल गायब, मिट्टी का तेल गायब बाकी चाय, तेल, साबुन, कपड़े आदि की बात तो छोड़िये। इसकी बेसिक पॉलिसी यह थी कि जो लोग, जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है, जो मार्केट में प्राइस फ्लैक्चुएशन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिनके पास अपने कोई रिजर्व नहीं हैं उन लोगों को कैसे बचायेंगे प्राइस स्पाइरल से यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेसिक फिलोस्फी थी। वह तो हो गई फैल। आपने स्टेट लेवल कमेटी बनाई क्या ? डी. एस. ओ. बैठे हैं, कभी जांच की आपने ? डी. एस. ओ. बैठे हैं 10-10 साल से. इन्सपेक्टर्स बैठे हैं 10-10 साल से उनके काम में बिलकुल नैक्सस पैदा हो गया, जो फेयर प्राइस शाप्स चलाते हैं उनसे वह बिलकुल मिले हुए हैं, ब्लेक में बेचते हैं और कार्ड भी आप कब के दे रहे हैं ? 1981 की सैंसस के कार्ड्स दे रहे हैं। 1991 की सैंसस बढ़ गई। यह मौजूदा पाप्युलेशन बढ़ी है उनके लिए न तो आपने सैंटर्स से मांग की और मांग की जब और कोटा मिला उसको आपने यूटिलाइज्ड नहीं किया। यूटिलाइजेशन करने की बात है उसके लिए जो आपका सिस्टम है वह डिफेक्टिव है और देहात में तो बहुत डिफेक्टिव है। अब आप देखिए कि मैं आस-पास के एरिया में जाता हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स की कालोनीज में, मजदूरों की कालोनीज में तो मैं पूछता हूं कि क्या बात हुई ? तो वह कहते हैं कि हफ्ते में एक बार दुकान खुलती है वह भी दो घंटे के लिए,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

टाइम देते नहीं है। हम फील्ड में होते हैं, खेत में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं और जब खुलती है उस समय आधा देते हैं आधा गायब, आधी चीनी गायब। जो कार्ड्स उन्होंने अपने खुद के बना रखे हैं उन कार्ड्स को यूटिलाइज्ड करते हैं, उनसे उठाते हैं। डी. एस. ओ. और डी. एस. ओ. का सारा महकमा उनसे मिला हुआ है।

मान्यवर, कुछ एक्शन लीजिए, इन पर कुछ एक्शन आप एसेंसियल कमोडेट्रीज एक्ट के तहत जितने भी आपने आज तक चालान किए हैं वह बड़े हाफ हार्टेडली किए हैं, उन पर एक्शन नहीं है। क्योंकि आपका प्रोसिक्यूशन ही ऐसा है, आपकी सारी मशीनरी ही ऐसी है। अब आपने कहा कि 10 किलो अनाज देंगे, फिर 5 किलो पर आये और अब डेढ़ किलो अनाज दे रहे हैं, डेढ़ किलो एक आदमी को दे रहे हैं, शुरू किया है आपने। तेल देना बन्द कर दिया तेल पहले से ही नहीं मिलता था इसलिए इस सिस्टम में थोड़ा सा-रीवैम्प कीजिए।

मान्यवर, रीवैम्प का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आकर भाषण दे गए बाड़मेर में। रीवैम्प का मतलब है कि इस सारी यूनिट को वाइवल बनायें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करिए टाइम पर दें, उसको रीवैम्प करें, री-आर्गेनाइज्ड करें, इसमें नई जान डालें, इसको कारगर साबित करें, ताकि जिस चीज के लिए यह बनाया गया है उसको फायदा हो, उन लोगों को उसका लाभ मिले। यह रीवैम्प का मतलब है।

आपने अखबारों में पढ़ लिया और कह दिया कि इतनी पेयर प्राइस शाप्स खोल दी हैं लेकिन उनमें कितना ऐक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना पोजिटिवली होता है और समय पर होता है या नहीं होता है? यह सारी बातें देखेंगे तब हम मानेंगे। दर-असल आप चाहते हैं कि राजस्थान में जो पावर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, जिनकी पर-चेजिंग पावर नहीं है उनको सारी बेसिक एमनिटीज देने के लिए कोई रास्ता निकाल, ऐसा काम करें।

मान्यवर, मैं एक बात और आपसे निवेदन कर दूं कि सारी सेन्ट्रल पालिसी भी कैसी है। अनाज का स्टाक है और बिल्कुल फर्जी स्केयरसिटी पैदा करते हैं। यह बहुत बड़ी लेवल क्लास है यह चीज बढ़ रही है कि वहां पर फर्जी स्केयरसिटी पैदा करके कीमतें बढ़ा देंगे। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास मैजर्स एडाप्ट करने का कोई रास्ता नहीं है और आम आदमी फ्लीस होता है इससे। मर जाता है आदमी और स्केयरसिटी भी पैदा होती है, राजस्थान में भी पैदा होती है। वह ट्रेडर्स का गुट, चूंकि थोड़ा मुझे माफ करेंगे जिस क्लास के आप लोग हैं जिस पार्टी के आप लोग हैं उन ट्रेडर्स से मिले हुए हैं, ट्रेडर्स की आइडोलोजी से मिले हुए हैं, पालिटिकल आप मिले हुए हैं उस ट्रेडिंग क्लास के खिलाफ एक्शन लेने में आप हिचकिचायेंगे। क्योंकि वह आपकी बैंक बौन है, सारी की सारी मैलडी पैदा की है वह ट्रेडिंग क्लास ने की है। मैं सब को दोष नहीं दे रहा हूं। ट्रेडिंग क्लास बिलकुल स्केयरसिटी पैदा करती है, प्राइस में फ्लक्च्युएशन करती है, सही कीमत देते नहीं हैं, फ्लैश नहीं करते

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हैं, सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं और आपकी बैक बोन होने के नाते सारे के सारे फायदे उठा रहे हैं और आम आदमी को, पावर्टी लाइन के फलीस कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा था कि अनाज का स्टाक है और कल जब खरीदेंगे जब राज्य में फसल आ रही है तब सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अमेरिका से खरीदेंगे, अमेरिका ने कहा कि आप हमारे पार्टनर नहीं हैं इसलिए हम आपको सब्सिडी रेट पर नहीं देंगे। अब बतायें आप उससे क्या असर पड़ा ? गेहूं की कीमत बढ़ गई। अब आपने कहा कि सरसों खरीदेंगे। आपकी सरसों मार्केट में आ गई, राइवल हो गई, कीमत बढ़ गई। दो महीने पहले बढ़ी और जब फसल आ रही है कीमत कम हो गई। इसलिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी और स्टेट गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी हो गई है, जैसे आपने सोच लिया है कि जो पावर्टी लाइन के नीचे 55 पर्सेण्ट लोग हैं इनको फिनिश किया जाय, रैन्सम में रखा जाय।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका सिस्टम ऐसा है, आपका महकमा भी ऐसा है थोड़ा इसको सुधारे। माननीय मंत्रीजी क्योंकि आप देहात के हैं और ऐसी कौम से वास्ता रखते हैं इसलिए आप देहात में जाकर खुद देखिए जो आपके डिपोज है, फेयर प्राइस शाप्स हैं कैसे इनको वाइवल बना दिया जाय। मारजिन कुछ नहीं मिलता है। उनको चीनी बांटने पर एक बोरी मिलती है। उसे वाइवल बनायें, उसके काम का चार्जेज दीजिए, कुछ मारजिन और दे दीजिए ताकि वह ईमानदारी से काम कर पायें और काम करके फायदा देवें। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे, (अनुपस्थित)। श्रीमती उजला अरोड़ा, (अनुपस्थित)। श्री किशनगोपाल कोगटा, (अनुपस्थित)। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर शहर के अन्दर राशन की दुकानों पर जौ, गेहूं, चीनी, कैरोसिन तेल आदि दिया जाता है उसकी तरफ दिलाना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि भारत सरकार ने कम कोटा अलाट किया है पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम मात्रा में अलाट करने के उपरान्त इतनी मात्रा में जैसे चीनी, तेल, गेहू, आदि आदि की सही मात्रा में वितरण करने की व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाओं का काम सिर्फ एक ही रह गया है कि वह सुबह से शाम तक लाइन के अन्दर खड़ी रहे और उनको सामान उपलब्ध नहीं हो सके। जब कभी भी महिलाओं की लाइन देखती हू, जब कभी भी महिलाओं की इस स्थिति को देखती हूं, मैं कहती हूं वास्तव में मुझे बड़ा भारी दुःख होता है, रोना आता है, क्या इनके पास एक ही काम है कि घर का काम भी करें और बाहर का काम भी करें।

यह बात तो मैंने पहले ही कही थी कि

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भारत सरकार की नीति बड़ी गलत है कि सामान कम अलाट करती है। आज दो-ढाई किलो गेहूं के अन्दर कैसे गुजारा होता है, 400 ग्राम चीनी के अन्दर कैसे गुजारा होता है। उसमें कोई गुजारा नहीं होता है, मगर उसके बावजूद भी जो कुछ भी मिलता है, वितरण प्रणाली को प्राथमिकता देने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि उसके अन्दर सुधार लाए।

जैसा कि सुनने में आया है, बहुत ही छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि 8 जनवरी को रसद विभाग के अधिकारियों से 25,000 व 50,000 रुपये का एक चैक बरामद किये गये। इसमें कौन-कौन कर्मचारी लिप्त पाये गये, उनका क्या हुआ, यह भी कोई पता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी बात के लिए तो हर व्यक्ति को परेशान किया जाता है मगर इतना बड़ा कांड होने के बाद आज की तारीख तक उसकी जांच-पड़ताल नहीं की गई।...

श्रीमती सुमित्रासिंह : किसने बरामद किया, यह भी बताओ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पुलिस विभाग ने और जिला रसद अधिकारी से बरामद किया था।

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह कौनसा अधिकारी है। जिले में तो तीस है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह मंत्री महोदय, बतायेंगे। यह मेरा काम थोड़े ही है। यह मेरा काम है क्या?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपा नहीं बतायेंगे, वह क्या बतायेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : क्यों नहीं बतायेंगे। उनके पास सारा रिकार्ड है। यह मेरा काम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात बता दी है। आप सूर्यकान्ता जी, अपनी बात कहिये। कहां उलझ गये उधर आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सुमित्रा जी, महिला होकर महिलाओं का ध्यान रखा करो।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की तरफ देखिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी कि क्या मंत्रीजी उन अधिकारियों का जोधपुर से तबादला किया या नहीं किया इतना बड़ा कांड होने के बाद आज तक उनके बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई।

दूसरी बात, जैसा कि माननीय सदस्य केरोसीन के अन्दर मिलावट के बारे में कह रहे थे मैं आपको सही बात बताती हूं, अभी कुछ ही दिन पहले एक महिला ने जैसे ही स्टोव जलाया, भड़ाक से धमाका उठ गया। घासलेट के अन्दर मिलावट होने की वजह से महिलाओं को इसमें परेशानी का सामना

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करना पड़ रहा है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में डीजल व केरोसिन की मिलावट के सम्बन्ध में कितनी दुकानों का सर्वे किया गया, कितने डीजल व केरोसिन वितरण के सैम्पल लिये गये, इस हेतु जिले के इण्डियन आयल कारपोरेशन को भेजे गये. क्या पहला सैम्पल डीजल स्टोरेज टैंक में डालने से पूर्व लिया गया था व दूसरा सैम्पल स्टोरेज से डीजल लिया जाता है तब लिया गया था, यह जांच सैम्पल कब ले लिये गये, व कब जांच हेतु भेजे गये ? क्या सैम्पल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई ? अधिकारियों की क्या स्थिति है ? मैं आपको सही बात बता रहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह सारी अड़चने पैदा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि तुरन्त कार्यवाही करके इसके ऊपर भी ध्यान दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि जोधपुर, जालौर, पाली में कितने बेनामी पेट्रोल या डीजल पम्प कार्यरत हैं, इसमें कितने एक ही परिवार के नाम से हैं ? क्या आपके पास पूर्ण सूची है ? जोधपुर में रसद अधिकारी ने फरवरी, 1991 व मई, 1991 में किन-किन विक्रेताओं के पास से केरोसिन आयल, डीजल पकड़ा गया ? एक्ट 1966 तथा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल नियम 1980 के तहत केरोसिन वितरण नहीं किया गया। यदि किया गया तो कितनी एफ. आई. आर. दर्ज की गई । क्या पुलिस ने केरोसिन, डीजल के सैम्पल लिये थे, माह फरवरी, 1991 से मई, 1991 तक किस किस व्यापारियों से कितनी कितनी मात्रा में केरोसिन डीजल आयल जब्त हुआ, सरकार केरोसिन डीजल के मिलावट के मुकदमों के विरोध में क्या-क्या कार्यवाही और कब-कब की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ा मसला था । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इस बात की भी जानकारी चाहूंगी कि इसकी सच्ची बात बतावें और वितरण प्रणाली के बारे में आपको मैंने पहले भी कहा था, उसके अन्दर ज्यादा जोर दें । तो महिलाओं को असुविधा नहीं देखनी पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि राशन की जो भी दुकानें हैं, वह समय पर खोली जाय और समय पर बन्द की जाय नहीं तो महिलाओं और पुरुषों को इसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । दूसरी बात, जिला रसद अधिकारी . मैं दो मिनट में खत्म कर रही हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जिला रसद अधिकारी के अण्डर कितने जितने भी अधिकारी हैं, वे स्वयं दुकानों पर जाय और उसकी जांच पड़ताल करें । ऐसा नहीं हो कि आफिसों में बैठे बैठे कुर्सियां ही तोड़ते रहें । मगर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वे कभी भी दुकानों पर जाकर चैकिंग नहीं करते और अगर कहीं करने भी जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देते हैं । मैंने उन सारी परेशानी को आपके सामने जिक्र किया है । उसके ऊपर भी मंत्री महोदय ध्यान दें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दयाराम जी ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : मान-

(श्री दयाराम परमार)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो भी अनाज की मात्रा मिलती है, उसमें सबसे ज्यादा दुखी ट्राइबल एरिया के लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और फिर इस साल भयंकर अकाल पड़ा है और अकाल भी ऐसा कि खाने के लिए एक भी दाना पैदा नहीं हुआ है मानमीय मंत्रीजी और हमारी सरकार हमें 2 किलो महीने के दाने पर जिन्दा रखना चाहती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें ज्यादा नहीं दे सके, 10 किलो नहीं तो कम से कम 5 किलो महीने ट्राइबल एरिया में निश्चित रूप से दें।

माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जितनी भी गड़बड़ियां हैं वह सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया में है और वह भी इसलिए कि वहां पर अनाज सबसे कम पैसों में मिलता है। बाजार के मूल्य में और जो कंट्रोल का अनाज है उसमें 50 प्रतिशत पैसों का डिफरेंस रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती है। मैं इस सम्बन्ध से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पंचायतों में सरपंच को राशन कार्ड निकालने का तो अधिकार दिया और उसको ही वापस कंट्रोल डीलर बनाने का भी अधिकार दे रखा है। तो वह तो इस तरह से मालिक बन गया कि उसके अन्दर फर्जी कूपन निकाल देते है। जो जनसंख्या है, उससे ज्यादा कूपन निकाल दिये जाते हैं और वास्तव में जो राशन कार्ड धारी होते हैं उनको वह अनाज नहीं मिलता है। इसलिए तहसील की जनसंख्या से अनाज जो वितरण करते हैं वह तहसील की जनसंख्या के को आधार मानकर करते हैं सरपंच के पास जो कूपन या राशन कार्ड निकालने पर जनसख्या आती है वह कभी मेल नहीं खाती है। इसलिए वास्तव में जो राशन कार्डधारी होते हैं उन लोगों को अनाज नहीं मिलता है। तो मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था में किसी न किसी तरह से बदलाव लावें कि सरपंच को राशन कार्ड निकालने का अधिकार है तो वह कंट्रोल डीलर नहीं होना चाहिये और वह कंट्रोल डीलर है तो उसको सरपंच नहीं बनाना चाहिये नहीं तो फिर जो व्यवस्था गरीबों को, जिस व्यवस्था में अनाज देने की व्यवस्था बना रखी है, वह व्यवस्था हमेशा गड़बड़ाती रहेगी।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कोई जानकारी है कि कहां कौनसी पंचायत में सरपंच डीलर भी था और....

श्री दयाराम परमार : और किसी इलाके में नहीं हो यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री रामकिशोर मीणा : आपके इलाके में कहीं कोई ऐसी बात हो ?

श्री दयाराम परमार : मेरे इलाके के अन्दर, मेरी खैरवाड़ा कान्स्टीट्यून्सी के

(श्री दयाराम परमार)

अन्दर कम से कम 15 या 20 सरपंच ऐसे हैं जो कंट्रोल डीलर भी हैं और सरपंच भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम बता दोगे तब होगा।

श्री दयाराम परमार : अभी भाड़ोल में भी है। अभी सरपंच नहीं है, उसका सचिवों के साथ तालमेल मिला हुआ है। जनसंख्या का इसी तरह से चलता है और आने वाले चुनावों में सरपंच हो जायेगा वह और वह मालिक बन जायेगा। इसलिए इस व्यवस्था में किसी वजह से प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करें। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अनाज के गोदाम बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अनाज देने के लिए जब व्यापारी वहां जाते हैं और 2-3 दिन तक तो वह चक्कर लगाते रहते हैं, पूरे जिले के व्यापारी शामिल होते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहले ट्रिप मे अनाज मिलता है उसको डिस्ट्रिक्ट पर बेच दिया जाता है और यहां आकर कहते हैं कि हमको अनाज मिला ही नहीं और दूसरे ट्रिप में जो मिलता है उसको गरीब लोगों में बांटा जाता है। इसलिए आपको इस व्यवस्था को सुधारने के लिए तहसील स्तर पर गोदाम बनाना चाहिए ताकि तहसील के जो लोग डीलर हैं वे वहां की जनता की देखरेख में सीधे उस गोदाम पर पहुचे और वहीं जाकर उस दुकान से वितरण हो जाय और लोगों को समय पर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की अनाज की जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत राज्य सरकार को चाहिए कि जो भी अनाज मिलता है वह सही व्यवस्था के माध्यम से वितरण करा कर लोगों को सही ढंग से उपलब्ध करायें नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। मुझे आपसे इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीचन्द मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1966 में प्रदेश मे कांग्रेस की सरकार थी, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी 3 किलोग्राम अनाज जनता में वितरण किया जाता था और उस सिलसिले में हमने आन्दोलन किया, लाठी चार्ज हुआ, मेरे सिर पर लाठी लगी और सरकार को मजबूर होकर 2 किलोग्राम की एवज में 8 किलोग्राम अनाज देना पड़ा। (व्यवधान) जैसी आपको चिन्ता है कि अनाज कम मिल रहा है वैसी चिन्ता हमको भी है। मैंने भी राजस्थान के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और हमारी साझा सरकार को पत्र लिखा कि आप इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डालें और इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की सरकार ने, अपनी साझा सरकार ने अपने मंत्रियों को आंदोलन करने के लिए भारत सरकार के सामने प्रदर्शन किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने मजबूर होकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरसिम्हा राव जी बाड़मेर आये और उनको यह बताया कि भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नही होगा कि सरकार के

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

मंत्री जाकर धरना दें प्रदर्शन करें और इस तरह की व्यवस्था के लिए हमने चिन्ता का। हम यह महसूस करते हैं लेकिन आपकी तरफ से इस प्रकार से कोई दबाव नहीं डाला गया। केन्द्र में आपकी सरकार है। आपकी सरकार जब तक इसकी सप्लाई बराबर नहीं करेगी हम सही अनाज देंगे यह हमारे हाथ में नहीं है। वितरण प्रणाली में जो सुधार हुआ है वह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जगह-जगह हर गांव में समितियां नियुक्त की है। समितियों के माध्यम से जो वितरण हो रहा है और समिति में आप चौकसी नहीं रखें, व्यस्थित नहीं रखेंगे यह कसूर सरकार का नहीं है। सरकार ने उत्तरदायित्व अपने पर भी छोड़ा है। जो कुछ हमको मिले वह ठीक मिले। मैं सरकार से एक बात की मांग करूं। सरकार को अनाज पहुंचाने में, शक्कर पहुंचाने में किराये का निर्धारण करना चाहिए। सांचौर में पहुंचती है तो उस व्यापारी को किराया वो ही मिलता है और एक दूसरे स्थान पर कम है। माननीय खाद्य मंत्रीजी को मौके पर ले जाकर दिखाया कि इसको व्यापारी किधर से लेकर आता है, कितना खर्चा लगता है, कितना किराया लगता है। सांचौर के व्यापारी को वो ही किराया मिलता है। और दूठवा में व्यापारी को वो ही किराया मिलता है। स्पष्ट स्थिति माननीय खाद्य मंत्रीजी को ले जाकर दिखाई। आपको उस व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा, किराये में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा।

इसके साथ-साथ में सुझाव देना चाहता हूं। जमीन का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? आप कहते हैं हमने यूरिया के कई कारखाने खोल दिए मगर वास्तव में असली गोबर जब खेत को दिया जाता था और जब अनाज पैदा होता था और उसके ऊपर घाट पकाते थे तो उस वक्त में औरत पास में नहीं बैठ सकती थी और उस अनाज में ताकत थी। आज वह सब ताकत क्षीण हो रही है। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। हमने तिलहन का प्रोडक्शन बढ़ाया, हमने जिले का प्रोडक्शन बढ़ाया, मगर अनाज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, वह जमीन खराब हो रही है, नष्ट हो रही है और इस कारण से आपको इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। वितरण प्रणाली में सुधार करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार से हमें पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं. केन्द्र में आपकी सरकार है, आपने क्या प्रयत्न किए हैं हमारी राजस्थान की जनता को अनाज देने के लिए आप और हम कंधे से कंधा मिलायें और केन्द्र सरकार पर दबाव डालें और वितरण प्रणाली को सुधारें। हम नहीं चाहते कि वितरण प्रणाली सुदृढ़ न हो मगर जितनी हमारी सरकार ने कोशिश की है, जगह-जगह कमेटियां कायम की हैं और आप के नुमाइंदों को, गांव के लोगों को जिम्मेदार बनाया है। आपकी देखरेख में वितरण प्रणाली को चलाया है। अगर आप उसको ठीक रूप से नहीं चलाते, आप उसमें भागीदार क्यों नहीं बन जाते। यह हमारी सरकार का कसूर नहीं है।

Page No. 132

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

अतः मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाइये। आपमें भी आंदोलन करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपने राज किया है, आंदोलन नहीं किया है। अगर आप भी आंदोलन करते तो निश्चित रूप से भारत सरकार को जनता को अनाज सुलभ कराना पड़ता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कितना अनाज मिलता है, कितना आप दे पाते है उस पर मेरा कोई विरोध नहीं है आपको जो मिलता है, जो आप उठाते हैं उसको सुनियोजित ढंग से सतर्कता बरत कर उसका वितरण करवायें और कितने लोगों के लिए आप दे रहे हैं और जिन लोगों को वास्तव में मिलना चाहिए वह उन लोगों को मिल रहा है या नहीं इतनी बात का आप ध्यान रखें, इसकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

मेरे क्षेत्र में वितरण प्रणाली में कुछ दोष हैं जिसके कारण से ब्लेक हो रहा है। वह किन कारणों से हो रहा है उन पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक तो मेरे क्षेत्र में खाद्यान्न का गोदाम नहीं है और एफ. सी. आई. का गोदाम जिला स्तर पर बना हुआ है। जब-जब डीलर्स गेहूं उठाते हैं उनको तहसील के मार्फत परमिट काटे जाते हैं। मार्केटिंग सोसाइटी के जो डीलर है वो कोटा उठाते नहीं वे और डीलरों के माध्यम से एफ. सी. आई. गोदाम से उठाते हैं और मार्केटिंग सोसाइटी का प्रतिनिधि वहां जाता है। डीलर एफ. सी. आई. गोदाम में घुस नहीं पाता। वहां काफी अनियमिततायें होती है कम वजन में माल दिया जाता है और वह माल भी काफी घटिया किस्म का मिलता है। वहां गाड़ी में लोडिंग से जो पूर्ति करते हैं जिनमें यहां तक देखा गया है कोयले भरे हुए हैं, मिट्टी-कंकड़ भरे हुए हैं और आखिरकार उस मिलावट का भागीदार डीलर को बनना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह घोर अनियमितता है। एफ. सी. आई. गोदाम से जब भी डिलीवरी दी जाती है उसका भुगतान सीधे डीलर को होना चाहिए न कि मार्केटिंग सोसाइटी को

(2.59 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

इनका डीलर रहना चाहिए तो वह स्टॉक अपने गोदाम में करे और वहां ले वह वितरण डीलरों को करें ताकि सभी लोगों के सामने आये कि इतना सामान क्यों उठाया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो डिफरेंस बाजार में है, जो फर्क है उसकी वजह से यह सारा ब्लेक हो रहा है और पूरी सतर्कता नहीं बरती जा रही है। जो सतर्कता समितियां हैं उनका कोई प्रभाव नहीं है। जो इंस्पेक्टर हैं, प्रवर्तन अधिकारी हैं कोई भी शिकायत होती है, शिकायत जिसके खिलाफ होती है और जांच अधिकारी को ही बनाये जाते हैं और उस शिकायत को दबा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि यदि खाद्य विभाग से संबंधित

(श्री मनीराम सियाग)

शिकायत है तो जिले के दूसरे विभागों के उच्चाधिकारियों से उसकी जांच कराये और जो उसमें गड़बड़ हुई है उसका निस्तारण करें।

ब्लेक होने का एक कारण यह भी है कि परिवहन दर बिलकुल कम है और क्योंकि जगह-जगह ट्रक यूनियन बनी हुई है. किराया बहुत ज्यादा देना पड़ता है और वह किराया निकालने के लिए गांवों में आमतौर पर डीलर कहते हैं कि हमको घाटा हो रहा है, हम इस घाटे की पूर्ति कर रहे हैं। मैं आपको प्रेक्टिकली बता दूं कि जितने भी प्राइवेट डीलर्स हैं वे गांवों में बैठकर यह तय करते हैं कि हम 2-3 रुपये ऊपर लेंगे और ऊपर देने से गांव वालों को आपत्ति भी नहीं होगी लेकिन उस ऊपर की ओट में वे 10-20 रुपये एकत्रित कर लेते हैं और कहीं भी मौका पाकर गाड़ियों को ऊपर ही ऊपर बेच देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता कि कितना गेहूं आया, कहां से आया और कितना बचा है ?

(3.00 म. प.)

मेरा दूसरा निवेदन है कि कमीशन की दर बहुत कम है। जब आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो आप डीलर की वास्तविक की लागत जो बैठती है वह उसको जोड़ कर उससे पूछ कर जिला स्तर पर विचार करके और उस गांव की परिवहन की दर क्या बैठ रही है, उसका क्या खर्चा हो रहा है वह क्यों नहीं दे देते ? मेरा निवेदन है कि परिवहन चार्ज का अन्तर घाटा है उसको आप मिटाने की कोशिश करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो भी आप डीलर बनाते हैं सर्वप्रथम आप सहकारी संस्था को प्राथमिकता दीजिए और आज आपने उलटा इसका बना लिया है कि हम गांव-गांव में राशन पहुंचा रहे हैं तो बीकानेर जिले में तो दुगने से ज्यादा आपने प्राइवेट डीलर्स नियुक्त कर दिये और उन डीलर्स का सेवा का ध्येय नहीं होकर मात्र धन कमाने की नीयत इनकी रहती है और वह धन कमाने की नीयत से, घाटा पूर्ति करने की नीयत से लोगों को धोखा देते हैं और ब्लैक करते हैं। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है केरोसिन तेल पेटे, मैंने तो मेरे क्षेत्र में सिवाय एक लूणकरणसर के आपका केरोसिन तेल का डीलर नहीं देखा। वह भी मात्र इसलिए कि वहां पैट्रोल पम्प है और पैट्रोल पम्प के साथ वह तालमेल रखते हैं। वहां ही उसने कोटा उठाया, उनको बेच देते हैं पौने तीन रुपये लीटर का वह डिफरेन्स ले रहे हैं और इससे आपका....

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह पैट्रोल में मिला देते हैं।

श्री मनीराम सियाग : वह पैट्रोल में मिला देते हैं और इससे आपके दो नुकसान होते हैं। एक तो असुविधा होती है और दूसरे आपका पर्यावरण भी....

श्री अध्यक्ष : पैट्रोल किस में मिला देते हैं।

श्री मनीराम सियाग : डीजल में मिला देते हैं।

श्री अध्यक्ष : पैट्रोल डीजल में मिला देते हैं ?

श्री मनीराम सियाग : केरोसिन तेल।

श्री अध्यक्ष : केरोसिन तेल में मिला देते हैं ?

श्री मनीराम सियाग : केरोसिन तेल डीजल में मिलाते हैं और उससे पर्यावरण भी दूषित होता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : पैट्रोल पम्प पर केरोसिन तेल बेचते हैं इसलिए सुविधा रहती है मिलाने में।

श्री अध्यक्ष : पैट्रोल में मिला देते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें बड़ा फर्क है, केरोसिन में मिलाते हैं या पैट्रोल में केरोसिन, यह अन्तर है।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। दूध में पानी मिलता है, पानी में दूध नहीं मिलता।

श्री मनीराम सियाग : हां, वह उसमें मिला देते हैं श्रीमन्. केरोसिन में पानी भी मिलता है और डीजल में भी मिलाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर केरोसिन तेल डीजल में मिलेगा तो मशीनरी तो खराब होगी जो होगी, आपका पर्यावरण भी दूषित होगा।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। यह आपका फार्मूला समझ गये सब, अब बैठिये।

श्री मनीराम सियाग : दूसरा मेरा एक निवेदन है, मेरा सेम प्रभावित क्षेत्र है उसमें पानी....

श्री अध्यक्ष : कृष्णगोपाल कोगटाजी, आप एबसेन्ट थे पहले ? तो बैठिये अभी एक मिनट। श्री प्रकाशचन्द बैरवा।

श्री मनीराम सियाग : पानी इतना गंदा है गड्ढों में भरा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब आपका टाइम हो गया। मुझे पूरे लोगों को बुलाना है और पांच बजे एडजोर्न करना है हाऊस। आप भी इसको सोचिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से सरकार के सम्बन्धित एम. एल. एज. ने दिल्ली के अन्दर जाकर टायं-टायं लगाई, उस सम्बन्ध में, टायं टायं जिस प्रकार से लगाई और इनकी टायं-टायं फिस्स हुई, उसके बारे में बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने जो आंकड़े पेश किये हैं राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की ओर से....

श्री अध्यक्ष : अपने क्षेत्र की बात करिये। इन आंकड़ों से तो बड़े लोगों को गुजरने दीजिए।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : एक मिनट आंकड़ों की बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा-अच्छा करिये-करिये।

श्री टीकमचन्द कांत : जनता के हित किया गया माननीय सदस्यों द्वारा यह कार्य, इसको टायं-टायं बोलते हैं। राजस्थान की जनता के हितों के अन्दर केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी आवाज को उठाया जा रहा है

(श्री टीकमचन्द कांत)

इस सदन के सदस्यों के द्वारा, उसको टायं-टायं फिस्स बोलते हैं। यह किस प्रकार की बात है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मैं आपके हित की बात कह रहा हूं, आपके राजस्थान, आपने जो जनता के हित में किया, उसको सुनिये आप....

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय अध्यक्ष जी, जनता के हित के अन्दर....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जितना कोटा आवंटित हुआ था उसका आधा भी नहीं उठा सके थे यह, आप कोटा उठा नहीं सके, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : आप सुनने की क्षमता रखिये।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, यह कांव-कांव की आवाज में टांय-टांय। बोल रहे हैं, आप राजस्थान की जनता को केन्द्र की सरकार के समक्ष में लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह कांव-कांव की आवाज में टांय-टांय। बोल रहे हैं माननीय सदस्य.. (व्यवधान)

श्री टीककचन्द कांत : राजस्थान की जनता को आप केन्द्र सरकार....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं अब सोने वाले सब जाग गये। आप शुरू करिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी....

श्रीमती सुमित्रासिंह : 2 लाख 75 हजार टन नहीं उठाया है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके यह तीन मिनट इसमें जोड़ दिये हैं, काट दिये हैं मतलब शुरू करिये अब आप।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : जैसा कि मेरे साथी अभी कह रहे थे कि जनता के हित में आप बोल नहीं रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने वहां जाकर केन्द्र सरकार से मांग की कि हमें गेहूं चाहिए, चीनी चाहिए, केरोसिन चाहिए। आपने केन्द्र सरकार से जितनी मांग की, उस मांग के अनुसार जब मांग से अधिक आपको मिल रहा है तो आप वहां जाकर क्यों मांगें? हमेशा आप केन्द्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। केन्द्र सरकार से जो गेहूं मिला उसका पैंतीस प्रतिशत लैप्स हुआ, क्यों? इनके विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से, खाद्य मंत्रीजी की लापरवाही से राजस्थान के गरीब और किसान को मिलने वाला, गांवों के अन्दर रहने वाले आम गरीब को मिलने वाला यह गेहूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात जो मैंने मंत्रीजी से, इसी हाउस में जब इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया तो यह यह कहा था कि जब गेहूं बाजार में सस्ता होता है तो लोग उठाते नहीं हैं राशन का और जब लोग खरीदते नहीं हैं राशन का तो जो राशन के डीलर हैं वह कहते हैं कि उठायें किस के लिए, लोग लेने को तैयार

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है क्योंकि बाजार में सस्ता है। सुन लीजिए। इन्होंने जो कारण दिया था और जब बाजार में महंगा होता है तो फिर लोग मांग करते हैं तब वह उठाते हैं जो गैप पड़ा है नहीं उठाने का, मंत्री महोदय ने उसका स्पष्टीकरण यह दिया था कि उस समय बाजार में गेहूं के भाव कम थे और इसलिए यह हुआ है....

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : राशन से कभी सस्ता ही नहीं हुआ।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इन्होंने अप्रैल, 91 से हमें आंकड़े दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप इस पर बोलिये ना। तो इसीलिए मैंने बताया है कि यह जवाब था, अब आप बोलिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अप्रैल, 91 से इन्होंने आंकड़े दिये हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों, यह बोल रहे हैं। मैंने इनको इसलिए कहा है कि इस पर बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने जो बात कही उसमें ...

श्री अध्यक्ष : वह बता देंगे।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 91 से इन्होंने दिये हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक बार जब नहीं उठाते हैं तो केन्द्र सरकार भी....

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही बात है।

श्री रामसिंह विश्नोई : इनकी लेने की नीयत नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मगर उठाने वाले यह नहीं हैं, उठाने वाली एजेन्सी दूसरी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, गवर्नमेंट के पास....

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। जब वह एजेन्सी आकर कहती है कि आप उठाने को कह रहे हैं, माल बिकता नहीं है क्योंकि बाजार में सस्ता है, लोग लेने को तैयार नहीं है। अब आपको वह पर्टिकुलर डेट्स में यह मालूम हो कि बाजार में भाव उस समय ज्यादा थे और फिर भी इन्होंने नहीं उठाया, यह बताइये आप।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : पर्टिकुलर डेट्स मैं बताना चाहता हूं। महोदय, अप्रैल, 91 इनको गेहूं अलाट हुआ-1 लाख 5 हजार टन। इन्होंने उठाया-72 हजार 643 टन और अप्रैल से लेकर जनवरी तक इनको कोटा मिला, उसके अनुरूप एक भी महीने में पूरा कोटा नहीं उठाया, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। फरवरी और मार्च के अन्दर जो इनको कोटा अलॉट हुआ 75 हजार टन और मार्च में 75 हजार टन, दोनों कोटे इनके लेप्स हुए। और एक तरफ कहते हैं कि केन्द्र सरकार इनको गेहूं का कोटा अलॉट नहीं करती है इसलिए हम दो किलो गेहूं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह दस

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

किलो गेहूं भी दें तो पर्याप्त मात्रा में गेहूं था। लेकिन राजस्थान की जनता को यह +++ दे रहे हैं। केन्द्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यह बदनाम करने पर तुले हुए हैं। महोदय, केरोसिन तेल के मामले में जैसा कि आप कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं, जैसा कि फरवरी और मार्च के अन्दर इन्होंने कोटा नहीं उठाया लेकिन अप्रेल 91 से जनवरी तक इन्होंने केरोसिन का पूरा कम्पलीट उठाया, एक लीटर केरोसिन नहीं छोड़ा इन्होंने। उसमें इनको पूरी बचत होती है क्योंकि सारे का सारा कोटा, जो मिलता है, सारा मार्केट में आता है या डीजल के डीलर के पास चला जाता है या पैट्रोल बेचने वाले के पास चला जाता है इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा केरोसिन का कोटा उठा लिया। इन्होंने गेहूं नहीं उठाया, इन्होंने चीनी नहीं उठाई क्योंकि दोनों से इनको लाभ नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को आप जिस प्रकार से कुछ गांवों में गरीबों को, किसानों को देना चाहते हैं, क्यों उनको वंचित रख रहे हैं। आपकी वितरण प्रणाली को सुधारिये। आपके अधिकारियों को आप थोड़ा सा खींचिये ताकि पूरा कोटा जो मिले भारत सरकार से, पूरे का पूरा उठे और उठ कर दुकानों के माध्यम से आम गरीब और राहत जिनको मिलनी चाहिए, उनके पास वह पहुंच जाये। मैं इसमें मेरा निवेदन करना चाहता हूं।

एक निवेदन चीनी के बारे में है। इनको 2 लाख 15 हजार 808 मैट्रिक टन चीनी आवंटित हुई और 1 लाख 82 हजार 912 मैट्रिक टन इन्होंने उठाई। इसके अन्दर भी 32 हजार 895 मैट्रिक टन चीनी इन्होंने कम उठाई। त्योहारों की चीनी, हर महीने मिलने वाली चीनी, दोनों प्रकार की चीनी इन्होंने नहीं उठाई और एक तरफ कहते हैं कि भारत सरकार नहीं दे रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार को मिले केन्द्र सरकार से, कम से कम आप उनको तो उठाइये। क्यों जनता के साथ आप +++ कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जिला सतर्कता समितियां और उपखण्ड स्तरीय और तहसील स्तरीय और उचित मूल्य की दुकानों की सतर्कता समितियां बनाई है, महोदय, हमें तो यह नजर नहीं आती; कौन ऐसा जन प्रतिनिधि है जिसको मालूम है कि सतर्कता समितियां बनी है। बनायी होगी तो केवल इन्होंने बी. जे. पी. के एजेन्ट बैठाये होंगे, बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं को बैठाया होगा, क्योंकि उन्हीं के पास दुकानें हैं, उन्हीं के पास कोटा है, उन्हीं के पास परमिट है, उन्हीं को इन्होंने एजेन्ट बना दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों की राय लेकर के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस प्रकार की समितियां बनायें ताकि कोटा पूरा मिले, जिस डीलर को भी, उस कोटे का पूरे का पूरा उपयोग हो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्रीजी ने वितरण प्रणाली को सही करने के लिए कुछ उपाय सुझाये थे, महोदय, मैं निवेदन करना चाहता

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 138

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

हूं कि इसलिए जो अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें, जो लक्ष्य इन्होंने तय किये थे 718 के, इसके मुकाबले में 632 ही अभी तक प्राप्त किये हैं। अतिरिक्त राशन कार्ड जो इनको बनाने थे एक लाख 66 हजार 37, इसके मुकाबले अभी तक इन्होंने 59 हजार 942 ही बनाये हैं जबकि सतर्कता समितियों का गठन इनको 7810 का करना था, अभी तक 6461 सतर्कता समितियां बनाई है। इसमें भी इनको कौन-सा टोटा पड़ रहा है, इसमें भी यह कंजूसी बरत रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सतर्कता समितियां तो आप बना दीजिए ताकि....

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आकड़ों की तैयारी की, यह खुशी की बात है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चीनी के बारे में, जो वितरक बांटता है उसको कमीशन के नाम पर एक पैसा, खाली बोरी मिलती है इसलिए चीनी न तो बांटना चाहता है या फिर चीनी बांटते हैं तो उसमें घोटाला करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कमीशन बढ़ाया जाय।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी में या और चीजों में जिस प्रकार से वितरित करने वालों को कमीशन दिया जाता है दो, चार, पांच प्रतिशत निश्चित रूप से चीनी में भी...

श्री अध्यक्ष : आप यह बात ऐसी कह रहे हो जिसमें फिर केन्द्र सरकार आयेगी।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : नहीं, चीनी में भी दो, चार, पांच प्रतिशत कमीशन दें ताकि ब्लैक नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : वह केन्द्र सरकार तय करेगी कमीशन।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : केन्द्र सरकार से आप आग्रह कीजिए, केन्द्र सरकार से आप मांगिये, जरूर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आग्रह करेंगे। श्री हेतराम।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की...

श्री अध्यक्ष : अब हो गयी आपकी बात। अब नहीं, मैंने आपको पहले कहा था अपने क्षेत्र की बात करिये। इनका नहीं लिखा जाय।

श्री हेतराम जी। आप शुरू कीजिए हेतरामजी, आपका ही लिखेंगे, आपका ही नोट होगा। शुरू करिये आप, आप शुरू करिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : × × ×

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब कोई दूसरा सदस्य बैठ जाय, तभी बोलूं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब यहीं मानें तो मैं क्या करूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वितरण प्रणाली, निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा असर हम एक स्टेट गवर्नमेण्ट को नहीं दे सकते क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य ऐम यह है कि सस्ती चीजें जनता को उपलब्ध करवाई जाय और सस्ती चीजों का सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है । निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि केन्द्र की सरकार में, पिछले इस साल में जो हमारे देश में केन्द्र सरकार रही है, पूरे आजादी के बाद इस तरह का कोई साल नहीं गुजरा, एक साल में जितनी महंगाई बढ़ी है, मैं कह सकता हूं कि 10-10....

श्री बुलाकीदास कल्ला : महंगाई पर चर्चा थोड़ी हो रही है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : महंगाई पर चर्चा नहीं, वितरण प्रणाली किस बात की है ? इसी चीज की कि सस्ती चीजें मिलें । आप क्या सोचते हैं, बाजार में चीजें उपलब्ध नहीं हैं ? जिसकी जेब में पैसे हैं उसके लिए सब-कुछ उपलब्ध है । जितनी मर्जी है उतनी उपलब्ध है । उपलब्ध अगर नहीं हैं तो सस्ती नहीं है । सस्ता गेहूं, सस्ती चीनी, सस्ता कपड़ा, सस्ती माचिस नहीं है । मेरा निवेदन है कि 3 आइटम्स हैं जो राज्य सरकार ले सकती है केन्द्र सरकार से और 3 आइटम्स केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिये हैं । मुझे राज्य सरकार से एक ही शिकायत है कि 3 आइटम्स पर, अध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा कि गेहूं की कीमतें कभी-कभी बाजार में बराबर होती है और राज्य सरकार के जो डीलर्स हैं, वह नहीं उठाते । केवल चीनी की कीमत बराबर नहीं होती । हमेशा ही चीनी कम मिलती है । हालांकि चीनी का इन्होंने 7 रुपए करके वह रिकार्ड तोड़ दिये पुराने, फिर भी बाजार की कीमत से सस्ती उसको मैंने कभी नहीं देखा । चीनी क्यों नहीं होती ? चीनी का भी यही है, आपने अपने आंकड़ों में दिया है कि चीनी 2 लाख 15 हजार 808 टन आपको अलाट हुई । आपने उठाई एक लाख 82 हजार । यह मीठी चीज भी आप नहीं उठा सके ।

मिट्टी का तेल, जो हमेशा सस्ता मिलता है बाकी बाजार में जो मिट्टी का तेल ब्लैक में मिलता है, भट्टियों में दुकानों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वे ब्लैक में ले जाते हैं । आपने मिट्टी का तेल भी नहीं उठाया । इसका मतलब यह है कि आपके डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में भी कहीं न कहीं गड़बड़ी है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मुझे वह एतराज है, आपने सतर्कता समितियां बनाई । हम यहां विधान सभा के मेम्बर बैठे हैं, मैं नहीं कहता कि विधान सभा के यह जो मेम्बर बैठे हैं इनको, मैंने बहुत-सों से बात की है, किसी भी विधान सभा मेम्बर को किसी वक्त भी एक बार भी 2 साल में इत्तिला नहीं कि किसी सतर्कता समिति का मेम्बर है वह । अगर जनप्रतिनिधि भी किसी सतर्कता समिति का मेम्बर नहीं है तो वह कौन-सी सतर्कता समिति है ? आपकी मंशा मुझे एक दूसरी लगती है । आपने जो दुकानें खोली हैं, सबसे बड़ा एतराज मुझे है, अगर आप पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को सही रखना चाहते हैं, अगर व्यापारियों को यह बिजनस देंगे तो एक भी तोला खांड

(श्री हेतराम बेनीवाल)

या एक भी तोला केरोसीन किसी आदमी के पास नहीं पहुंचेगा। इसका एक रास्ता है कि हम सहकारी समितियों के द्वारा मगर आपने तो उल्टा किया है। आपने जो 15 हजार दुकानें खोली हैं उनमें से सिर्फ 5 हजार दुकानें हैं जो सहकारी समितियों की हैं और 9 हजार दुकानें प्राइवेट लोगों के पास है। यही जड़ है, इस देश में हमारे प्रदेश में वितरण व्यवस्था का जनता पर कोई असर नहीं है और विशेष तौर से उन गरीब लोगों पर जो झोपड़ियों में रहते हैं, शहरों में कच्ची बस्तियों में या गांवों में जो हरिजन बस्तियों में रहते हैं।

अब एक सबसे बड़ा संकट, अध्यक्ष महोदय, आने वाला है कि गेहूं हमारे देश में कम होगा और केन्द्र सरकार ने भी यह निर्देश दे दिया कि आप इकट्ठा करो और गेहूं बांटो। मुझे बहुत सख्त एतराज है और मैं चाहूंगा माननीय सदस्य, जो मेरे साथ बैठे हैं यहां, कि केन्द्र सरकार से मिल कर विरोध करें कि राजस्थान जैसे प्रान्त में, जहां यह नियम लागू किया गया है कि लेवी वसूली करो और उसके बाद गेहूं डिपो से बांटो यह बिल्कुल गलत है। हम यह मांग करेंगे केन्द्र सरकार से कि वह पहला जो कोटा है उससे बढ़ा के कोटा दे। क्योंकि हमारे राजस्थान में 30 में से 19 जिलों में अकाल है तो मैं यह चाहूंगा एक तो यह तय करें कि जितनी भी का-आपरेटिव सोसायटीज हैं, चाहे वह का-आपरेटिव सोसायटी किसी भी तरह की है सारा का सारा अपना राशन उनके द्वारा बंटाये, न कि प्राइवेट लोगों के द्वारा। मेरा अनुभव है कि सारे के सारे व्यापारी, मैं उन सारे व्यापारियों को नहीं कह रहा, पर जो कम से कम डिपो रखते हैं उनका तो एक ही धन्धा है मिट्टी का तेल तो सारे ही वहां बेच देते हैं बाजार में, डीजल में मिला कर और चीनी भी, गांव की चीनी मैं कह सकता हूं मेरे क्षेत्र में 6-6 महीने तक चीनी गांव में नहीं आती और बोरियां की बोरियां बाजार में बिक जाती हैं। वहीं बेच देते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि गांव में इस तरह के व्यापारी नहीं हैं यह सारे व्यापारी जो शहर के हैं. वही आस-पास के गांवों मे दुकानें खोल कर रखते हैं और वह जो आपने नाम दर्ज किये हैं वह उन्हीं व्यापारियों के नाम हैं जो आस-पास क्षेत्र के अन्दर दुकानें खोलते हैं। तो मेरा राज्य सरकार से यह कहना है कि निश्चित तौर से इस वितरण व्यवस्था के मामले में सचेत हो जाय। हिन्दुस्तान में जो महंगाई का दौर है वह अभी रूका नहीं है। (समय–समाप्ति-सूचक घण्टी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिण्ड कहना चाहूंगा, हिन्दुस्तान की सरकार की जो नीति आ रही है अब कि प्राइसेज लिखो ही नहीं, सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि हिन्दुस्तान में मोनोपोलिस्ट कम्पनियों का दबाव पड़ रहा है कि यह दवाइयों पर आप प्राइस लिखते हो दूसरी चीजों पर लिखते हो, यह प्राइसेज लिखना छोड़ दो। अगर यह दौर हिन्दुस्तान में आ गया तो निश्चित तौर से इस देश के करोड़ों गरीबों को बहुत-बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

एक शब्द मुझे माननीय पर्यावरण मंत्री जी से कहना है कि ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, मेरे गंगानगर में एक शुगर फैक्ट्री है और एक है टैक्सटाइल मिल, पिछले 15 सालों से राज्य

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सरकार उनको नोटिस दे रही है, उन्होंने ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट नहीं लगाया। सारे बाजार में गन्दगी फैंकते हैं। पूरा का पूरा बाजार 50 हजार की आबादी है एक तरफ की, उस ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के बिना नर्क में रहते हैं और आपका एक बार भी आदेश नहीं गया। मैं चाहूंगा कि इफैक्टिव तौर से शहरों में जिन सेठों ने ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट इस तरह के नहीं बनाये, चाहे वे राज्य सरकार के हों, चाहे वह किसी बड़े सेठ के हों, उन सब के प्लाण्ट्स इस तरह से बन्द हों, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट है या 5 मिनट कर दिया आपने अब ?

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट नहीं हैं। 5 और 10 के बीच है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 5 और 10 मिनट के बीच.... (व्यवधान).... नहीं, यह कहें तो मैं 2 मिनट में भी कह दूं। सवाल पूछ कर खतम कर दूं आज।

श्री अध्यक्ष : यदि आप 2 मिनट में कह सकते हो तो एक उदाहरण प्रस्तुत होगा कि 2 मिनट में कितनी बड़ी बात कह दी।.... (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, मैं तो शेर कह कर भी खतम कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह और भी अच्छा होगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत गम्भीर है लेकिन समय कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का दो-तीन मुद्दों पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था इसलिए की गयी कि दूर-दराज के इलाके में बैठे हुए व्यक्ति, गांव के गरीब इन्सान या शहर की झुग्गी-झौंपड़ी और कच्ची बस्ती में रहने वाले व्यक्ति को रोजमर्रा काम आने वाली उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उचित दाम पर सुलभ करा दी जाय। लेकिन आज उसके विपरीत हो रहा है। जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक हम दिन प्रतिदिन दुकानों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन वहां आवश्यक वस्तुएं हम मुहैया नहीं करा पा रहे। उसके कई कारण हो सकते हैं, आपकी मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन कई कारण ऐसे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको अगर विभाग चाहे और राज्य सरकार चाहे तो रोक सकती है। मैं कहना चाहता हूं, यह जो कोटा आपको आवंटित हुआ वह कोटा तो आप पूरा उठा सकते थे। कैरोसीन की किल्लत, आप शहर में गुजरते हैं, लम्बी-लम्बी लाइनें केरोसीन की दुकानों पर लगी रहती हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में लोगों को केरोसीन सुलभ होता तो इतनी बड़ी लाइनों में लोग दो-दो घंटे, चार-चार घंटे खड़े नहीं होते। फिर भी आपने पर्याप्त मात्रा में पूरा कोटा नहीं उठाया और न ही उनको पहुंचा पाये। आपने इसमें चावल भी लिख रखा है, आपने इसमें कपड़ा भी लिख रखा है, आपने इसमें खाद्यान्न, तेल भी लिख रखा है लेकिन नीचे आप नोट लिख रहे हैं साथ के साथ ही कि चावल हमको मिला नहीं, तेल के बारे में

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आप लिख रहे हैं कि 1-4-89 से राज्य व्यापार निगम, एस. टी सी. का जयपुर स्थित कार्यालय ही बन्द हो गया। तो फिर इनको इस सूची में क्यों रख रखा है? आप इसमें से हटा दीजिये। केवल या तो चीनी का वितरण ही कराइये। लोग इस भरोसे में रहते हैं कि राज्य सरकार की उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं मिलेगा और हम ले लेंगे। इनको कमीशन दे रहे हैं उसमें भी आपने फर्क कर रखा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी के माध्यम से कि क्या आप घर पर रोटी खाते हैं तब तो चार रोटी खाते होंगे और आपको कोई दावत में बुला ले तो 6 खाते हैं तो फर्क पड़ जाता है? आपने कमीशन में भेदभाव कर रखा है कि जनरल एरिया है उसमें कमीशन कुछ दे रहे हैं और ट्राइबल एरिया में, आप खुद एस. टी. से आते हैं, आप कमीशन पचास पैसे कम दे रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? इसकी भी कोई वजह है? यह भी केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है? आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा आपको सुविधाएं मुहैया करानी चाहिये उसके बजाय आप कम दे रहे हैं। आप थोक व्यापारी को जनरल एरिया में तीन रुपये देते हैं तो ट्राइबल एरिया में आप ढाई रुपये दे रहे हैं। यह आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर सुचारू रूप से वितरण व्यवस्था नहीं चले इसलिये यह हो रहा है। आप वहां के खुदरा व्यापारी को जनरल में चार रुपये देते हैं और उसमें साढ़े तीन रुपये देते हैं। यह फर्क क्यों है? इसके लिये तो केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसके लिये तो और कोई जिम्मेदार नहीं है? इस व्यवस्था को तो आप सुधार सकते हैं। आपने सतर्कता समितियों की बात जो की, आपने इस रिपोर्ट में दे रखा है, आपने स्वीकार किया इसको, जो तथ्य आपने प्रकट किये हैं वही आपके सामने रख रहा हूं.... क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बोलिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह कह रहा था कि आपने जो सतर्कता समितियों की बात कही, आप उसका हैडिंग देखें, आपने ऊपर तो लिखा है कि सारे जिलों में सतर्कता समितियां गठित कर दी गयी हैं और नीचे आप यह लिख रहे हैं कि उसके साथ यहां नौ सदस्य बनाये जाने हैं। इसका मतलब कलक्टर तो जिले में है ही, कलक्टर इम्पावर्ड है कि कहीं भी इर्रेगूलरिटीज हों तो वह उसको चैक करे बिना आपके कहे। समितियां आपने बनायी नहीं। यह आपने इसमें गलतबयानी की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आसन के माध्यम से कि आप अतिशीघ्र प्रभावी सतर्कता समितियां बनायें ताकि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से देख सकें, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर सके और जो आइटम आप नहीं मुहैया करा सकते हैं उनको आप इस लिस्ट में से हटा दिजिये, जो करायें वही आप करिये। चीनी और केरोसीन जो है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाइये।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि आप व्यापारी को जो कमीशन दे रहे हैं, यह बहुत कम है। कमीशन के बारे में, अध्यक्षजी, स्थिति यह है कि आप चार पैसे, पांच पैसे किलो देते हैं। उसका लीकेज भी जाता है,

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

छीजते भी जाती है। वह अगर नहीं भ्रष्टाचार करेगा तो कैसे उसका काम चलेगा। आपके अधिकारियों को आप सुधारिये। आपका कंट्रोल और आपका विजीलेंस जो है, अच्छा होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक मामला जयपुर का था 475 और 478 नम्बर की दुकान का। आपको, मंत्रीजी को ध्यान में है, आपका एन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, जो उस एरिया का नहीं था, जिसको अधिकार नहीं था वह उस दुकानदार के पास गया। जाकर कहता है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पांच हजार रुपये दो। उसने कहा, भाई, आप मेरे एरिया के नहीं, कुछ नहीं, काहे के दूं, मेरा सारा रिकार्ड ठीक है। कहता है, दोगे कि नहीं? उसका रजिस्टर उठा लाया, उसकी दुकान की शिकायत कर दी, तीन महीने तक वह दुकान बंद रही और दूसरे नम्बर के साथ अटैच कर दी। मौहल्ले के लोगों को तीन महीने तो यह पता लगाने में लग गये कि हमारी दुकान कब खुलेगी, कहां सामान मिलेगा। खैर, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इनके नोटिस में जब यह बात लाया तो इन्होंने उसकी इंक्वायरी करायी कलक्टर से। कलक्टर ने यह रिपोर्ट सही पायी कि वह अधिकृत ही नहीं था, उस क्षेत्र का नहीं था, जबर्दस्ती पैसे मांगने के लिये उसको परेशान किया। तो इस तरह की घटनाओं को आप चैक कीजिये, इन पर रोक लगाइये और इस सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइये, यही चन्द सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट। मैं पर्यावरण मंत्रीजी को भी एक बात कह दूं। अध्यक्ष महोदय, बालोतरा, पाली, सांगानेर इन क्षेत्रों को छोड़ दीजिये, आज जयपुर की जो हाउसिंग कालोनीज हैं, जो मौहल्ले हैं रिहायश के, चाहे चौकड़ी तोपखाना हजूरी हो, चाहे बांस बदनपुरा हो, चाहे जल महल, ब्रह्मपुरी और पुरानी बस्ती का क्षेत्र हो, लोगों ने उन कालोनीज में बिना किसी रोक-टोक के छपाई के बड़े-बड़े कारखाने लगा रखे हैं और उसका दूषित पानी जो निकलता है उससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जानवर पी लेते हैं, जानवर वहां मर जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्रीजी को कि इस तरीके की जो समस्या है उसका सर्वे करवा कर उस पर भी आप नियंत्रण करवाइये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजपाल सिंह शेखावत। (अनुपस्थित) श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री नत्थीसिंह : उनकी जगह यदुनाथसिंह का नाम दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : तो यदुनाथ सिंहजी। चलिये अब आप बदलिये नहीं, इनका नाम यदुनाथ सिंहजी का स्वतः ही आ रहा है। अपने आप ही, उसका क्या करोगे। आपका नाम ही नहीं है, कहां से आयेगा?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, पूरे संसार में पर्यावरण के प्रति जागरूकता अब आयी है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए....

श्री अध्यक्ष : आप केवल पर्यावरण पर ही बोलेंगे, ऐसा लिखा है।

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपने इस विषय पर अलग से चर्चा कराने की व्यवस्था की है, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत विस्तृत विषय है और इस पर बहुत लम्बी चर्चा की जा सकती है लेकिन मैं यहां सिर्फ अरावली से जो राजस्थान के पर्यावरण पर असर पड़ रहा है उस पर ही अपने आपको केन्द्रित रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, असल बात तो यह है कि राजस्थान सरकार की कोई पर्यावरण नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है किसी प्रकार की और उसके कारण से राजस्थान में पर्यावरण की विकट समस्या हमारे सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के नार्दन क्षेत्रों का पर्यावरण अरावली है और एक प्रकार से अरावली पर्यावरण की दृष्टि से नार्दन एरिया की लाइफ लाइन है। हम सबको प्रयास करना चाहिये कि अरावली की हम किसी प्रकार से रक्षा कर पायें तभी राजस्थान में हम जो इतना बड़ा भूभाग रेगिस्तान बनता चला जा रहा है, उपजाऊ भाग खराब होता चला जा रहा है उसको रोक पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब-करीब 74 पर्सेंट एरिया फेजाइल एरिया हो गया है। अरावली में गैप्स हो गये। अरावली में तीन हजार स्कवायर किलोमीटर के करीब-करीब बारह गैप्स थे। अरावली के नंगा होने के कारण रेगिस्तान राजस्थान के उन भागों में बढ़ता चला जा रहा है जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र थे। अभी पिछले दिनों यहां पर चर्चा हुई थी, जब बजट पर आम बहस हो रही थी, इस पर भी छोटी-मोटी चर्चा उस दिन उठी थी। उस समय दो नोटिफिकेशंस का खास तौर पर यहां जिक्र आया था, जो केन्द्र सरकार ने जारी किये हैं, एक नौ जनवरी का और एक 29 जनवरी का। इन दो नोटिफिकेशंस को लेकर यहां बड़ी भारी कंट्रोवर्सी पैदा की गयी और माननीय सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि वहां कोई संस्था है, बाहर से चैक आ रहे हैं, इसमें अरावली के, राजस्थान के विकास को रोकने में सी. आई. ए. का हाथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय वह जो संस्था है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आप उसकी जांच करायें लेकिन उस संस्था के कर्ता-धर्ता श्री सिद्धराजजी ढड्ढा हैं, उनकी संस्था में किसी प्रकार की इस प्रकार की गड़बड़ होगी, मुझे आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसकी जांच करना चाहें, करें। अध्यक्ष महोदय, अरावली का विकास हो, अरावली में कटाई रुके, अरावली हरी-भरी बने, वृक्ष लगें। अरावली से, अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का भाग्य जुड़ा हुआ है। एक तरफ पेड़-पौधे अरावली में नहीं होने से यह अरावली पूरी हाट प्लेट आज बन कर रह गयी है। हमारा जो पानी का साइकिल है वह साइकिल भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। एक तरफ तो हमारे मानसून के दिन घट रहे हैं, मानसून का सारा साईकिल बिगड़ गया है, जहां सौ दिन मानसून के होते थे वहां 60 दिन आज राजस्थान में मानसून के रह गये और हमारी जो मात्रा है वह मात्रा भी घटती चली जा रही है। इसलिये अरावली को हरा-भरा हम जब तक नहीं करेंगे, राजस्थान में वर्षा का जो चक्र है, जल का जो चक्र है वह खराब होता चला जायगा। दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, उसके कारण

(श्री यदुनाथ सिंह)

सारी जमीन कट रही है, लैण्ड इरोजन हो रहा है, सिल्टिंग हो रही है, जो बंधे हैं जो रिवर बैड्स हैं वह सिल्ट होते चले जा रहे हैं उस सिल्टिंग के कारण से और उस इरोजन के कारण से राजस्थान के किसान की खेती की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। मैं उन लोगों को सावचेत करना चाहता हूं जो लोग औद्योगीकरण नाम पर, माईनिंग के नाम पर राजस्थान के इतने बड़े भू-भाग को बरबाद करना चाहते हैं। हमें किस कास्ट पर राजस्थान का विकास करना है, यह भी सोचना होगा। जो साइकिल है बरसात की, अध्यक्ष महोदय, पेड़ों पर बहुत कुछ निर्भर करती है और पेड़ों से पानी भी परकुलेट होता है। उससे जो वाष्पीकरण होता है उससे ही वर्षा आकर्षित होती है और उसी से वर्षा का साइकिल भी हमारे क्षेत्र में ठीक हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दो नोटिफिकेशन हैं, मेरे समझ के बाहर है कि आप किस कास्ट पर राजस्थान में विकास करना चाहते हैं। औद्योगीकरण हो, औद्योगीकरण रुक जायेगा, ऐसी बात नहीं है। आप ब्लाक बना लीजिए कि हम इतने क्षेत्र में औद्योगीकरण करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार से मंजूरी ले लें। निश्चित तौर पर आपको उस क्षेत्र की मंजूरी मिलेगी। लेकिन पूरे क्षेत्र को बरबाद करने के लिए आप इसका विरोध करें तो यह उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नोटिफिकेशन केन्द्र सरकार ने निकाले, दोनों जो निकले, उसमें कहीं रोक नहीं है। सिर्फ उस में इतना है कि एनवायरमेण्ट डिपार्टमेण्ट की क्लियरेन्स लेने के बाद ही किन्हीं विकास की योजनाओं को कहां चालू कर सकते हैं। इसलिए हमें इसमें कोई हिचक या गुरेज नहीं होनी चाहिए कि क्लियरेन्स हो। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) अन्यथा बालोतरा, पाली, कोटा और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में जिस प्रकार की समस्या पैदा होती चली जा रही है उसका सामना हमें दूसरे क्षेत्रों में भी करना पड़ेगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि अरावली के लिए हम बाहर से पैसा भी ले रहे हैं, जापान से सहायता ले रहे हैं उसका उपयोग करें और राजस्थान में अरावली के जो 16 जिले आते हैं उनमें पूरा विकास करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खाद्य एवं पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रही है। मैं उस पर अपने विचार रखता हूं। वितरण प्रणाली में दो तरह से अनाज या चीनी का वितरण किया जाता है। सहकारी संस्थाओं के द्वारा और प्राइवेट लोगों द्वारा। मेरे यहां डूंगरपुर में प्राइवेट संस्थाओं को भी वितरण प्रणाली में शामिल किया है और सहकारी समितियां भी हैं। वैसे हमारी सरकार की यह नीति है कि सहकारी संस्थाओं को वितरण प्रणाली ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। लेकिन हालत क्या है। वहां पर उनके पास पैसा पूरा नहीं है। मेरे यहां दामड़ी, दावड़ी, ऐसे दो-तीन-चार क्षेत्र हैं जहां सहकारी समिति या लैम्प्स द्वारा वितरण किया जाता है। उससे लोग बहुत नाराज हैं और नाराजी लेने का कारण इसलिए है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, समय पर अनाज

(श्री नाथूराम अहारी)

और शक्कर नहीं उठाती हैं। समय पर और सामान नहीं उठाती हैं इसलिए लोग नाराज हैं। को-आपरेटिव से जो दुकानें चलती हैं उसमें नौकर के हिसाब से काम किया जाता है। 10 बजे आते हैं और 5 बजे बंद कर देते हैं। आदिवासी क्षेत्र या जनरल किसी भी एरिया में हो, यह लोग नहीं समझते हैं, वह तो सुबह दिन उगा या कोई भी टाइम पर जाकर ले आते हैं। लेकिन उनकी जो वितरण की प्रणाली है वह गलत है। जैसे आफिस के कर्मचारी काम करते हैं वैसे ही वह काम करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप को-अपरेटिव या लैम्प्स द्वारा वितरण प्रणाली की दुकानें देते हैं तो आवश्यकतानुसार धन दिया जाये और पाबन्द करें कि आप सुबह से शाम तक दुकान चलायें तब ही जाकर यह सक्सेस हो सकती है। वैसे आदिवासी एरिया में 10 किलो अनाज दिया जाता था, अभी बीच में पांच किलो हुआ और आजकल 2 किलो हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि किसी भी कारण से आज सभी माननीय सदस्य यह बात कहते हैं और कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो यह बात नहीं कहता हो और आरोप सीधा केन्द्रीय सरकार पर थोप देता है पर केन्द्रीय सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। आपके द्वारा जो पुस्तिका छापी गयी है उसमें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, जितना केन्द्रीय सरकार ने कोटा दिया है वह आपने एक महीने भी नहीं उठाया है। हमारी वितरण प्रणाली गलत है तो बार-बार यह क्यों रोना रोते हैं। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम उठाते नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो गलत है वह कहो लेकिन जो गलत नहीं है वह क्यों कहते हो। यह जो आपका तरीका है वह गलत है।

केरोसीन के बारे में, गांव के लोग केरोसीन के बारे में जानते ही नहीं हैं, कई लोग नहीं समझते हैं कि वास्तव में सरकार द्वारा केरोसीन दिया जाता है। केरोसीन जहां दिया भी जाता है वहां डीजल भी दुकानदार रखता है और अधिकांश लोग डीजल में केरोसीन मिला देते हैं और उससे लोग परेशान होते हैं डीजल पम्प खराब हो जाते हैं। स्कूटर या दूसरे साधन है उनमें काम में लो तो खराब होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह केरोसीन दिया जाय तो (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) वहां डीजल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। यह तो पहला मौका है मैं समझता हूं कि इस तरह कभी नहीं हुआ कि डीजल और पेट्रोल भी उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता हो। इससे काफी नुकसान होता है, इसके बारे में काफी ध्यान रखना चाहिए।

मैं पर्यावरण के बारे में निवेदन करूंगा कि पर्यावरण का और जंगल का बहुत निकट का सम्बन्ध है। हमारे डूंगरपुर के सारे के सारे जंगल बरबाद हो गये। मेरे यहां दो-तीन जगह जंगल थे वह अभी दो-तीन-चार साल में खत्म हो गये। एक तो गरवाड़ा का घाटा में जंगल था, अपने जंगलात विभाग द्वारा उगाया गया था, वह भी इसी साल बरबाद हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि हम जंगल के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो पर्यावरण कहां होगा। शहर में अधिकांश ऐसे साधन चालू हो गये जिससे

(श्री नाथूराम अहारी)

सुबह हम जल्दी उठकर खखारते हैं तो उसमें कालापन होता है, ऐसी हालत हो गयी है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि प्राइवेट व्हीकल हैं उनमें जितनी सीट हैं उनसे ज्यादा को अलाऊ नहीं करना चाहिए, उसका चालान करना चाहिए, इससे सारा पर्यावरण बिगड़ता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला भील.... (अनुपस्थित)।

माननीय खाद्य मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नाम बाद में आये हैं। आधे घण्टे की चर्चा और है। दो मंत्री बोलने वाले हैं। यह साढ़े चार बजे समाप्त होगी। आधे घण्टे की चर्चा पांच बजे समाप्त होगी। पांच बजे हाउस एडजोर्न होगा। यदि मैं आपको अलाऊ करता हूं तो मेरे पास 10 नाम और हैं। इतना समय नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कमला भील की जगह मैं बोल लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसे तो 8 लोग सत्ता पक्ष के अनुपस्थित रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कमला भील का हमारी पार्टी से नाम है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिए। समय बचेगा तो देखूंगा।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के लिए आपने व्यवस्था दी....

श्री अध्यक्ष : आप अनुपस्थित थे। मुझे क्षमा करें। आठ लोग अनुपस्थित हैं। मैं सबको समान रूप से देखूंगा।

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने तो, अध्यक्ष महोदय, खेद व्यक्त किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बुलाऊंगा तो सबको बुलाऊंगा। इतना मेरे पास समय नहीं है।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी पर्यावरण पर ही बोलने वाले हैं। आप सवाल पूछ लेना। अच्छा, पहले इनको बोल लेने दीजिये। पर्यावरण का आये तब देख लेंगे। इनका जवाब तो ले लो। पर्यावरण का नहीं आ रहा है।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं कि उन्होंने इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अपने विचार रखे। किस प्रकार का काम हो रहा है, क्या कमियां हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

मैं कार्य सलाहकार समिति का भी आभारी हूं कि बहुत लम्बे समय के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हाउस, में डिबेट करायी गयी और विचार विमर्श के दौरान विभाग में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है इसका अवसर मिला है। 17 माननीय सदस्यों ने

(श्री रामकिशोर मीणा)

अपने विचार प्रकट किये हैं जिसमें तीन-चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही गयी। जैसे पहले भी मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब आरम्भ की गयी थी उस समय इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि गरीब वर्ग को जीवन यापन के लिए जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं वह बाजार भाव से कम उसको मिले जो वह अपने जीवन यापन के लिए खरीदना चाहता है उसके लिए सब्सिडी चाहिए। आम आदमी जो अमीर है उसके साथ शामिल उसको नहीं कर सकते हैं। उसको सहूलियत देनी है इस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। इसके साथ-साथ इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी था कि जहां पर वस्तुओं के मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव हो या कहीं होल्डिंग हो तो पी. डी. एस. के माध्यम से सामान मुहैया कराया जाय और भाव के उतार-चढ़ाव को कन्ट्रोल किया जाय तथा बाजार में इस प्रकार का सामान मुहैया कराया जाय जिसकी क्वालिटी अच्छी श्रेणी की हो जिसमें मिलावट के चान्स कम रहे। इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ में इसका गठन किया गया लेकिन इसमें धीरे-धीरे इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो गयी, उसमें आम आदमी को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य जो रखा गया था लेकिन आम आदमी की जरूरत के मुताबिक सामान कभी भी मुहैया नहीं कराया जब से इसको प्रारम्भ किया गया है। मैंने जैसा कि पहले ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा था कि कुल उत्पादन हमारे देश में होता है उसमें 15 प्रतिशत से ज्यादा पी. डी. एस. के मार्फत नहीं देते और जितना हमारे देश का कन्ज्मप्सन है उसके हिसाब से हम आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति इस के कारण नहीं कर सकते लेकिन जिस उद्देश्य के साथ गठन किया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और वर्तमान माननीय प्रधान मंत्रीजी ने अपने निर्वाचन के तुरन्त बाद में, शपथग्रहण के तुरन्त बाद में सब से ज्यादा महत्व इस बात पर डाला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्फत जो गरीब हैं, जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, आदिवासी हैं उनको इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादासहूलियत देकर दूसरे जो अमीर वर्ग है उसके बराबर में उनको लाया जाय, उनको इस तरह की सहूलियत प्रदान की जाय। प्रधान मंत्रीजी के शपथ लेने के बाद में ही केन्द्र सरकार ने पहल करके सभी राज्यों की तीन बार मीटिंग ली और उसमें पूरे देश में किस प्रकार से पी. डी. एस. की कार्य प्रणाली हो उसका जायजा लिया गया। अमुमन प्रत्येक राज्य की समान समस्याएं थी और जो यहां पर चित्रण किया गया है माननीय सदस्यों के द्वारा, वही का वही चित्रण पूरे देश के सन्दर्भ में उस मीटिंग में था। उसके बाद में केन्द्र सरकार ने यह विचार किया कि इसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाय ताकि इसको ज्यादा अच्छे से अच्छे ढंग से लागू कर सके और कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रख कर केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1992 से, माननीय प्रधान मंत्रीजी के बाड़मेर के दौरे से, इसको शुरूआत की गयी और उसकी शुरूआत के बाद में उसमें लगातार राज्य सरकार अपना स्तर सुधारने का प्रयास कर कर रही है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कमियां इस पी. डी. एस. में है। एक हमको विचार करना होगा कि जिस उद्देश्य के लिये इसको गठित किया

(श्री रामकिशोर मीणा)

गया था उन गरीबतम व्यक्तियों को हम किस प्रकार से लाभान्वित करें। राज्य सरकार ने भी इसके ऊपर विचार किया तथा अभी भी खुला दिमाग है कि हम गरीब से गरीब दूरस्थल तक रहने वाले व्यक्ति को इसके द्वारा लाभान्वित करें लेकिन हम इस का बाइफ्रकेट किस प्रकार से करें। हमने यह भी देखा कि गरीबी की रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ दिया जाय, दूसरे व्यक्तियों को इससे मुक्त किया जाय लेकिन इस के द्वारा भी सही नहीं हो पाता या हमने देखा कि अभी राजस्थान के सन्दर्भ में 19 जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये गये और अकाल के कारण से वहां के व्यक्तियों को पी. डी. एस. के मार्फत ज्यादा से ज्यादा सामान उपलब्ध यदि राज्य सरकार कराती है, केन्द्र सरकार कराती है तो निश्चित तौर पर हम उनको लाभान्वित कर सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 जिलों में ही यदि हम 10 किलो के हिसाब से गेहूं उपलब्ध करायें तो मिनीमम तौर पर एक व्यक्ति को 10 किलो प्रति मेम्बर, हालांकि आज हम दो किलो देते हैं या एक किलो देते हैं या 750 ग्राम देते हैं और सभी जानते हैं कि इससे एक पक्षी भी महीने भर तक गुजारा नहीं कर सकता, एक नाम मात्र के लिये है इसका जो वास्तव में लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें आज जो हमारे 19 जिले हैं, एक करोड़ की जनसंख्या अकाल के कारण से प्रभावित हुई है यदि हम 10 किलो के हिसाब से उनको दें तो एक लाख टन से ज्यादा हमको केवल गेहूं उन्हीं इलाकों में देना पड़ेगा और इसी प्रकार से अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वह भी हमको देनी पड़ेगी, अन्य अन्त्योदय के कितने परिवार हैं उसमें सैल्स टैक्स असेसीज कितने हैं, इन्कम टैक्स असेसीज कितने हैं। इनको एक्सक्लुड करके इनके एवज में जो सामान मिल रहा है वह हम गरीबतम व्यक्तियों को पहुंचा सके लेकिन अभी तक इस बारे में एक नीतिगत निर्णय नहीं ले सके और मैं तो यह भी निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि वह महीने में या दो महीने में जो भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रणाली को किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं इस बारे में यदि वह रचनात्मक सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पर जो इसका मूल उद्देश्य था, जिस समय इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गठन किया गया उस समय जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमको केन्द्र सरकार से जितना सामान आवंटित होता है उसको हम आखिरी बिन्दु तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य जो 6 मुख्य आइटम है वह हम पी. डी. एस. के मार्फत मुहैया करवाते हैं। उसमें मुख्यतः प्रचलन में चीनी, गेहूं, केरोसीन, पाम आइल भी कभी-कभी केन्द्र सरकार आवंटित करती है तो उसे भी हम उपलब्ध करवाते हैं। कपड़े का भारत सरकार ने डी-कन्ट्रोल कर दिया है। बुनकर संघ के मार्फत कोई भी जाकर जो उनकी निर्धारित रेट्स है उनको लेकर आम आदमी को उपलब्ध करवा सकते हैं। उसमें राज्य सरकार की कहीं भी बीच में बंदिश नहीं है। बुन कर संघ देता है। जितना भी बुनकर संघ बनाता है, कोटा फिक्स है कि उतना लेवी के रूप में कपड़ा गरीब व्यक्तियों के लिये बनाना पड़ेगा और

(श्री रामकिशोर मीणा)

उसको कोई भी व्यक्ति जो पी. डी. एस. का डीलर है या ग्राम सेवा सहकारी समिति है यदि वह उठाना चाहे तो उसमें राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

इसी प्रकार से गेहूं का जो अलाटमेण्ट है उसके बारे में ज्यादातर माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया कि जितना राज्य सरकार को आवंटन हुआ उसके अगेंस्ट राज्य सरकार के द्वारा उठाया नहीं गया। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण कारण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसको ज्यादा हाईलाइट किया और यह बताने का प्रयास किया, मेरा जो जवाब था उसके द्वारा। जब बाजार में 50 पैसे तक का अन्तर राशन की दुकान पर और बाजार में रहता है तब तक आम आदमी राशन की दुकान में लाइन लगाकर लेना पसन्द नहीं करता है और जब 50 पैसे से ऊपर भाव बढ़ता है और अच्छी क्वालिटी की चीज उसको बाजार में उपलब्ध नहीं होती है तो पी. डी. एस. के ऊपर प्रेसर पड़ता है। या तो बहुत ज्यादा भाव में तेजी हो या बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी हो उस समय ही हमारा विभाग आम आदमी की जानकारी में आता है अन्यथा जो रुटीन के दिन हैं या सामान्य वर्षों में यह विभाग भी कहीं है इसकी आम आदमी को जानकारी नहीं होती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम प्रयास इसके मार्फत यह करते हैं कि जब भावों में ज्यादा अन्तर होता है तो उसके द्वारा जो गरीब वर्ग है या आम आदमी है उसको उपलब्ध करवा कर दे सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक चार्ट दिया है, सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया है उसमें गहराई से देखें तो आप पायेंगे कि जब बाजार में काश्तकार का गेहूं आता है तो उस समय बाजार भाव में और राशन के गेहूं में विशेष अन्तर नहीं होता और उन्हीं महीनों में अप्रेल से लेकर सितम्बर, अक्टूबर तक भावों में विशेष अन्तर नहीं रहा और इसके कारण से कम उठाव हुआ। और जब एक रुपया और उससे ज्यादा बाजार भाव और राशन की दुकान में अन्तर हुआ तो उसके बाद में ज्यादा मांग बढ़ती गयी। एक कारण यह भी रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो साल की बताता हूं कि मेरी जानकारी में केवल चार मामले ऐसे आये पूरे राजस्थान भर में, दो मामले तो गंगानगर जिले के थे जिसमें कोयले बोरी में मिले, एक अभी जयपुर में आया था 5-6 रोज पहले, जिसमें सीलन लगकर सारा गेहूं सड़ गया था, मेरे पास एक नागरिक उपभोक्ता लाया और उसकी मैंने तुरन्त जांच करायी और जांच करवाने के बाद में उसको सील करके डलवा दिया कि मेडिकल डिपार्टमेण्ट में भेज दिया कि यह खाने योग्य है या नहीं। जहां पर इस प्रकार की हमें शिकायत मिलती है मिलावट की, तो डीलर को यह सलाह देते हैं या ग्राम सेवा सहकारी समिति को कि उसको नहीं बांटे और फिर वापस एफ. सी. आई. के माध्यम से उसको बदलवाते हैं। ताकि जो स्तर हमने तय किया हुआ है, एफ. सी. आई. द्वारा जिस स्तर कम गेहूं हमें मिलता है उसमें और राशन कार्ड द्वारा मुहैया कराये जाने वाला गेहूं की क्वालिटी में अन्तर न आये। इस प्रकार के मामले गेहूं में, कहीं कंकर मिला हुआ तो, या अन्य कोई क्वालिटी में अन्तर हो, इस तरह की चार शिकायतें मेरे को मिली और उनकी जांच करायी है और उस गेहूं को

(श्री रामकिशोर मीणा)

वितरित नहीं करने के निर्देश दिये हैं और उसके स्थान पर हमने दूसरा गेहूं वितरित कराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं न उठने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि जो हमको गेहूं का अलाटमेण्ट भारत सरकार से मिलता है उसके हिसाब से समस्त जिलों को आवंटित कर देते हैं.... और जिले वाले फिर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को या डीलर्स जो भी हैं प्राइवेट हैं या सहकारी समिति के है उनको वह आवंटित कर देते हैं और उनके पास कभी तो पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं होती जिसके कारण वह समय पर उसको उठा नहीं पाते। यहां पर चीनी के मामले में विशेष तौर से क्योंकि कमीशन कम था, इसके कारण से ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने करीब 11 जिलों में यह लिखकर दे दिया कि हम चीनी के व्यवसाय को नहीं करना चाहते और यह हमारा घाटे का सौदा है, उसके बावजूद 90-91 में राजस्थान सरकार ने 2 करोड़ रुपये सहकारी विभाग को उपलब्ध कराये बगैर ब्याज के, कि जहां भी इस प्रकार की सहकारी समितियां हैं, उनको पैसा दिया जाये और उसके आधार पर सुदृढ़ करके हमारा जितना भी अलाटमैंट है उसको उठाया जाये। सबसे बड़ी कमी माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि हमको साल के हिसाब से अलाटमैंट नहीं मिलता, महीने के हिसब से हमको अलाटमैंट मिलता है और 30 तारीख तक जिस गोदाम में हमने पैसा जमा करा दिया तो वह माल तो हमको मिल जायेगा अगले महीने के 8-10 दिन तक, लेकिन किसी कारण से पैसे नहीं जमा हुए तो 30-31 तारीख के बाद वह अलाटमैंट जितना भी हमने किया है, वह आटोमेटिक लैप्स हो जाता है और इस कारण से भी हमारा उठाव नहीं हो पाता। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमको 12 महीने का एक मुश्त कोटा अलाट कर दिया जाये। यदि वह एक मुश्त करायेंगे तो जब भावों में ज्यादा अन्तर होगा तो हमारे राज्य की आवश्यकतानुसार हम बाजार में एफ. सी. आई. से गेहूं लेकर उपलब्ध करा देंगे और जब बाजार और राशन के गेहूं में अन्तर नहीं होगा, काश्तकारों के यहां से आता है तो उस समय जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो उस गेहूं को हम बचाकर जब आवश्यकता के दिन होंगे, उस समय हम उसको उपलब्ध करायेंगे। भारत सरकार ने भी इसके ऊपर विचार करने का आश्वासन दिया है। केरोसिन की भी ज्यादातर माननीय सदस्यों ने शिकायत की। केरोसिन में भी हमको अलाटमैंट 12 महीने के हिसाब से एक साथ नहीं मिलता, सर्दियों में अलग कोटा मिलता है, गर्मियों में अलग मिलता है और बरसात के दिनों में अलग मिलता है। भारत सरकार की यह मान्यता है कि ज्योंहि गर्मियां अप्रेल से प्रारम्भ हो गई, तो अप्रेल से जून तक मिट्टी के तेल का कम से कम उठाव होगा। लोग-बाग सर्दियों में पानी गरम करने के लिए भी केरोसिन को काम में लेते हैं तथा अन्य प्रकार के भी काम सर्दियों में ज्यादातर मिट्टी के तेल से करते हैं। गर्मियों में इसका उपयोग कम हो जाता है और बरसात के दिनों में इसका अलाटमेंट बढ़ा देते हैं। अलग-अलग महीनों के हिसाब से, अलग-अलग सीजन के हिसाब से इसका अलाटमेंट है और उसका हम प्रयास यह करते हैं कि जितना भी हमको

(श्री रामकिशोर मीणा)

अलाटमेंट मिलता है, उसका हम उठाव करें। डीजल और कैरोसिन में मिलावट के मामले भी माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जहां पर भी हमको जानकारी मिलती है, हम उस मामले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई जगह हमने बड़े-बड़े मामले पकड़े भी हैं, जो आल इंडिया लेबल पर भी इस तरह के मामले नहीं पकड़े होंगे, विभाग के अधिकारियों ने सतर्कता बरतकर पकड़े हैं। अभी उदयपुर में हमने एक पैट्रोल पम्प पकड़ा हैं। उसमें ऊपर पानी का टैंक बना रखा था, उस पानी के टैंक के नीचे मिट्टी के तेल का टैंकर बना रखा था और साइड में डीजल का टैंकर था, उसके अन्दर ही अन्दर उसने पाइप लगा दिये और ऊपर टिल्लू पम्प लगा दिया और जितनी उनको मिलावट करनी होती, ऊपर से बटन दबा देते। आम आदमी को पता नहीं होता कि इसमें कितना मिलाया जा रहा है, मिलावट भी हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे विभाग की सतर्कता से और कुछ हमको विश्वस्त जानकारी मिली थी, इस हिसाब से हमने मामला पकड़ा और कम्पनी वालों ने भी कहा कि पूरे देश भर में ऐसा मामला हमारे सामने पहली बार आया है। तो राज्य सरकार की यह धारणा रही है जहां बड़े-बड़े व्यापारी या कोई बड़े आदमी हैं, इस प्रकार के मामले में पकड़े जायें तो उनके साथ निश्चित तौर से सख्ती से पेश आया जाये। लेकिन केवल तकनीकी आधार पर छोटे व्यापारियों को परेशान करने वाली बात और केसेज बनाने वाली बात है छापे डालकर, तो उसके बारे में राज्य सरकार की यह धारणा रही है कि जितने भी बड़े व्यापारी, जहां पर स्टोरेज हो रहा है, होल्डिंग हो रही हो और मेल प्रेक्टिसेज अपनाने का प्रयास करते हों तो वहीं पर तो उनको रोका जाये, लेकिन टैक्निकल आधार पर अध्यक्ष महोदय यदि हम किसी भी दुकानदार को देखें तो 50 प्रकार की इसी एक्ट के अन्दर फोर्मलिटीज पूरी करनी पड़ती है, यदि पूरे नार्म्स के हिसाब से भी हम चलें तो एक भी दुकानदार ईमानदारी से दुकान नहीं चला सकता और घाटे का सौदा है। तो कुछ तकनीकी कारण हैं, उन तकनीकी कारणों के आधार पर सरकार का यह प्रयास रहता है। केन्द्रीय सरकार से भी हमको निर्देश मिले हैं कि केवल तकनीकी आधार पर जो केसेज बनते हैं प्राइस लिस्ट नहीं लगायी है या उसमें कितना सामान है, उसका नहीं लगाया है तो उसके आधार पर केसेज बनते हैं लेकिन आम तौर पर इस प्रकार के केसेज नहीं बनाये जाते, लेकिन जहां बड़ी मात्रा का हो अध्यक्ष महोदय, वेजीटेबल का था, अशोका प्रीमियर का उसमें हमने करोड़, डेढ़ करोड़ से ऊपर का माल सीज किया और हाईकोर्ट में हम लड़े। हाईकोर्ट में भी उस व्यक्ति को जीतने नहीं दिया और आज उसमें चालान हो गये। इसी प्रकार से जोधपुर में भी मिलावट का एक बहुत बड़ा मामला था, उसको पकड़वाया। उसमें भी दो केसेज में तो चालान हो गये। जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने उठाया था और 3 मामलों में चालान हो गये और निरन्तर प्रयास है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही मैंने इसकी शुरुआत की है... (व्यवधान) मेरे यहां भी जो पैट्रोल के टैंकर जाते थे, जो नेशनल हाइवे के पास में थड़ियां लगाकर होटल बना रखे थे,

(श्री रामकिशोर मीणा)

होटल के नाम से कुछ नहीं था, खाना भी नहीं बनता था, न चाय बनती थी, लेकिन रात को जब टैंकर जाते थे उनके अन्दर से दो ड्रम पैट्रोल निकाल लिया और जो पी. डी. एस. का मिट्टी का तेल जाता है, उसकी एवज में टिल्लू पम्प के मार्फत चढ़ा कर पैट्रोल पम्प पर जब जाता था तो वह मिलावट हुआ ही जाता था, रास्ते में ही। तो इस प्रकार के जो मामले हमारी जानकारी में आये, मैंने 80 ड्रमों को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पकड़वाया और उसके बाद हमने खुफिया तौर से जानना शुरू किया है कि इस प्रकार के जहां बड़े मामले हों तो उनको निश्चित तौर से डिटेक्ट किया जाये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें कई विसंगतियां हैं। जहां लेबोरेटरीज में हम सैम्पल लेकर भेजते हैं, एक तो सैम्पल में भी इतने प्रकार की तकनीकी खामियां रह जाती है कि ज्यादातर मामलों में उस सैम्पल को पास करके नहीं भेजते है। जहां पर केरोसिन और मिट्टी के तेल की मिलावट के मामले हैं, यहां पर वह मानकर चलते हैं कि 30 परसेण्ट तक तो उसको हम पकड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि यह डीजल का बाई प्रकेट मिट्टी का तेल है। लेकिन हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं जहां पर भी कोई जानकारी हमको मिलती है, तो हम मौके पर ही उसको पकड़ ले तो किसी तरह से तकनीकी आधार पर बच निकलने का कोई रास्ता नहीं हो। इसी प्रकार से टौंक से गत वर्ष शिकायत आई कि वहां पर केरोसिन नहीं दिया जा रहा है और हमने रिकार्ड देखा तो हमारे रिकार्ड के हिसाब से पूरा केरोसिन गांवों में जा रहा था, मैंने उड़नदस्ता भेजकर कार्य करवाया और अध्यक्ष महोदय, एक साल के अन्दर 7 लाख 35 हजार लीटर का गबन पकड़ा। मैंने तुरन्त डी. एस. ओ. को ससपैंड किया। अन्य अधिकारियों और फर्मों के विरुद्ध जहां इस प्रकार के मामले थे, उनके अगेन्स्ट हमने चालान किये हैं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के स्तर पर भी यह मामला आया था कि जो हम सामान देते हैं, वह आखिरी व्यक्ति, आखिरी उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है और करीब-करीब हर प्रांत में इस प्रकार की स्थिति थी और उसके आधार पर यह केन्द्रीय सरकार के स्तर पर तय किया गया था कि जो नयी पी. डी. एस. सुदृढ़ कर रहे हैं, उसमें ऐसे व्यक्तियों को सतर्कता समितियों के माध्यम से लाया जाये, जो ईमानदारी के साथ सही रिपोर्ट कर सकें। हमने यह व्यवस्था की है। अभी 15 अप्रेल से डोर स्टेप डिलीवरी प्रारम्भ कर रहे हैं। नयी सतर्कता समितियों का भी हमने 30 अप्रेल तक प्रत्येक जिले में गठन करने के लिए जिला कलक्टर्स, डी. एस. ओ. को हमने कहा है। लेकिन यहां पर माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इस प्रकार की शिकायतें मिलें कि केवल डीलरों ने जो अपने चहेते व्यक्ति थे, उनको उपभोक्ता समितियों में ले लिया और वह जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से वह रिपोर्ट कर देते हैं तो जहां इस प्रकार की कोई शिकायतें देंगे कि यहां पर गलत गठन हुआ है, तो उसको निश्चित तौर से दुरुस्त किया जायेगा और जो अच्छे व्यक्ति हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी कमी हमको पकड़ने में यह आ रही है कि जिस माननीय सदस्य को या जिस उपभोक्ता को सतर्कता समिति में रखते हैं, वह डीलर उनको 1-2 किलोग्राम चीनी

(श्री रामकिशोर मीणा)

घर बैठे पहुंचा देता है और वह कभी देखता नहीं है कि वास्तव में उसने चीनी बांटी है या नही बांटी। कई मामले तो हमने, जो एक, दो मामले थे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसे लोगों को रखते ही क्यों हैं ?

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : सहकारी समितियों में जन प्रतिनिधियों को भी आप रखेंगे ?

श्री रामकिशोर मीणा : हमने इसमें पहले सरपंच, सेक्रेटरी, टीचर और दो ग्रामीणों को रखा था, लेकिन ज्यादार शिकायत थी कि सरपंच को इसमें नहीं रखा जाये क्योंकि वह अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए ज्यादातर लेता है और गलत रिपोर्ट करता है। इसी प्रकार से जहां हमको इस प्रकार की शिकायतें मिली कि गलत रिपोर्ट हुई है, हमने एक-दो अध्यापकों के विरूद्ध, पटवारियों के विरूद्ध, जहां इस प्रकार की उसने गलत रिपोर्टिंग कर दी और माल बंटा नहीं, उनके खिलाफ हमने जांच की है। लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि जो अच्छे, चरित्रवान व्यक्ति हैं, वह जब तक सतर्कता समितियों में नहीं आयेंगे, तब तक वास्तव में उनका जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पायेगा। माननीय सदस्यों ने यह भी शिकायत की कि तहसील स्तर की, उपखण्ड स्तर की जो सहकारी समितियां हैं, वह केवल कागजों में हैं। प्रेक्टिकल, वास्तविक धरातल पर नहीं हैं। यह बात सच हैं और हमारा जल्दी से जल्दी उनको पुन: सुदृढ़ीकरण करने का इरादा है। जो तहसील स्तर की, उपखण्ड स्तर की, जिला स्तर की हैं, सभी माननीय सदस्य उनमें सदस्य होंगे तथा और किन-किन को लिया जाये, इसके बारे में जल्दी निर्णय करके यदि इसमें परिवर्तन किया जाना है तो उसमें परिवर्तन किया जायेगा।

(4.00 म. प.)

दो एक मामले, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि दो करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बासमती चावल को निर्यात करने के कारण से हमको विदेशी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा मिले भारत सरकार ने इसको लेवी से मुक्त कर रखा है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एफ. सी. आई. उसकी ग्रेडिंग करती है। राज्य सरकार कोई प्रतिनिधि ग्रेडिंग करने नहीं जाता है। केवल एफ. सी. आई. का आदमी, कौनसा चावल बासमती है और कौनसा धान है कौनसा चावल है मोटा चावल है इसकी ग्रेडिंग करता है। 90 से 95 प्रतिशत चावल बूंदी जिले में होता है और निर्यात के कारण से उसकी जितनी लेवी प्राप्त की जानी चाहिये थी, वह लेवी प्राप्त नहीं हो पाई। बाकी का जो मोटा चावल है उसको दूसरे काम में लेने के कारण तथा दूसरे जिलों में जाने के कारण से, हमें यह लेवी नहीं मिल पाई। दो करोड़ का है या एक करोड़ का है, राज्य सरकार को उसके कोई लेना-देना नहीं है। एफ. सी. आई. के स्तर पर ऐसा कोई होता हो तो उसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी कमी यह देखी गई उस जो एफ. सी.

(श्री रामकिशोर मीणा)

आई. से लेकर राशन की दुकान तक सामान नहीं पहुंचता है और बाजार में ब्लैक हो जाता है। उसके बारे में भी राज्य सरकार ने यह तय किया है कि 15 अप्रेल से डोर स्टाक डिलिवरी हम प्रारम्भ करने जा रहे है। इसमें थोक विक्रेता राशन की दुकान तक सामान पहुंचाएगा, बीच में कोई दूसरी एजेन्सी नहीं होगी। तो इसके मार्फत चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।

जहां तक राज्य सरकार के स्तर पर मार्जिन बढ़ाने की बात है चाहे वह गेहूं के अन्दर हो, चाहे चावल के अन्दर हो, उसमें हम जरूर बढ़ा करके उसको आर्थिक दृष्टि से वायबल यूनिट बनाने का प्रयास किया है। लेकिन चीनी के मामले में भारत सरकार की यह नीति है केवल वही मार्जिन तय करते हैं। लगातार बार-बार हमने प्रयास किया है कि इसका मार्जिन बढ़ाया जाय और जब तक मार्जिन नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम चोरी को नहीं रोक सकते और चोरी को रोकेंगे तो कोई भी डीलर सामान लाकर के उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि उसमें फायदा ही नहीं है। ज्यादातर को-आपरेटिव सोसाइटियां, घाटे में हैं और कई सोसाइटियां लाखों के घाटे में आ गई। दूसरे सामान के द्वारा उसको प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब हम 15 अप्रेल से इन 6 आइटम्स के अलावा और सामान भी इस पी. डी. एस. के मार्फत उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं एन. सी. सी. एफ. के मार्फत जितना भी सामान हमको मिल सकेगा उनको सस्ती दरों पर, क्योंकि अभी बाजार रेट से यदि हम उपलब्ध करायेंगे तो उससे गरीबों का हम हित नहीं कर पायेंगे, उस मार्जिन को बाजार से कम कीमत पर हम उपलब्ध करा सकें तो इस प्रकार का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो तीन बातें और निवेदन करनी थीं कि राज्य सरकार ने गेहूं के बारे में लगातार प्रयास किये हैं और यह इस कारण से किये हैं कि इस साल हमारे राज्य में अकाल की विभीषिका है और बाजरे मक्के की फसल, जो यहां का मोटा अनाज था, उसको खाते थे। उसका भी बरसात की शुरूआत के बाद तथा समय से पहले चले जाने की वजह से वह फसल नहीं हो पाई और उसके कारण से गेहूं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और उसके नाते हमने ज्यादा मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजरे के भाव भी गेहूं से ऊपर तक चले गये और इसी कारण से गेहूं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी दो तीन बार मौखिक रूप से मीटिंगों में भी तथा पत्रों के द्वारा भी भारत सरकार से लगातार राजस्थान की स्थिति के सन्दर्भ में जिस प्रकार की अकाल की विभीषिका है उसके लिए ज्यादा आवंटन कराने के लिए कहा है और अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी 30 मार्च को केन्द्र सरकार को लिखा है कि मैं विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के बाद यह पाता हूं कि जितना गेहूं दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है। तो इस कोटे को राजस्थान में विशेष परिस्थिति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा अलाटमेंट बढ़ाया जाए। एक मामला आया था कि यदि हम लेवी गेहूं वसूल करके एफ. सी. आई. को देंगे तो वह हमको पी. डी. एस. के मार्फत हमको देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमको केन्द्र सरकार से पत्र प्राप्त हुआ था कि 250 रुपये प्रति

(श्री रामकिशोर मीणा)

क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य तय किया है। हमने बाजारों का सर्वेक्षण कराने के बाद यह पाया है कि 350 रुपये से कम गेहूं के भाव इस बार नहीं आयेंगे। इससे कम दाम पर लेवी लगा देते हैं तो हम काश्तकारों से वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि काश्तकारों के साथ आज हम देखते हैं जिस प्रकार से खाद की सब्सिडी कम की है या अन्य उपकरण जो काश्तकार के काम आते हैं उनकी कास्ट इतनी बढ़ गई है यानि कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि गेहूं 350 रुपये प्रति क्विंटल से कम लेना काश्तकारों का शोषण करने के बराबर है तो हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि जिस रेट पर वह विदेशों से आयात करना चाहते हैं यदि उतनी रेट भी हमारे काश्तकारों को देंगे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 400 रुपये से ज्यादा आती हैं....

श्री रामकिशोर मीणा : उस रेट पर कर दें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे काश्तकार सारा का सारा पी. डी. एस. के मार्फत दे देंगे तथा अगले वर्ष क्योंकि उनको इन्सेन्टिव मिलेगा वह ज्यादा से ज्यादा गेहूं उत्पादन करेंगे और हम आत्म निर्भरता की ओर बढ़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रस्तुत किये उसके बारे में बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्यावरण मंत्री जी बोलें उससे पहले पांच मिनट जगमालसिंह जी और पांच मिनट कल्ला जी बोलेंगे पर्यावरण पर केवल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : फुल डिबेट होने के बाद क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्वेश्चन का सवाल नहीं है....

श्री रमाकान्त शर्मा : आपकी आज्ञा से दो मिनट में समाप्त कर दूंगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय मेरे और आपके हाथ में नहीं है मुझे विद इन टाइम आज की पूरी बिजनेस लिस्ट समाप्त करनी है। पहले यह हो जाने दीजिये, फिर कोई समय बचेगा तो देखेंगे। जगमालसिंह जी पहले पांच मिनट बोलेंगे उसके बाद कल्ला जी बोलेंगे पर्यावरण पर....

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय अध्यक्ष मैं केवल दो मिनट बोलूंगा....

श्री अध्यक्ष : जगमालसिंह जी बोलेंगे आप नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपके सचेतक है उनके माध्यम से नाम दीजिये। मैं इस तरह से डाइरेक्ट नाम नहीं लेता। सचेतकों के माध्यम से जो मेरे पास नाम आते हैं ...

श्री रमाकांत शर्मा : मैं 120 सैकण्ड में समाप्त कर दूंगा...

श्री अध्यक्ष : मैं एक सैकन्ड के लिए भी आपको एलाउ नहीं करूंगा। श्री जगमालसिंह जी आप शुरू कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुन्झुनू में डिपो शुरू करवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसी वितरण प्रणाली के संबंध में दो प्रश्न मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितना आपका गेहूं का प्रोडक्शन हो उसका 10 प्रतिशत अगर आप प्रक्योरमेंट करेंगे तो उसी अनुपात में आपको गेहूं का अलाटमेंट होगा। अब यह एक बहुत बड़ी समस्या है। गेहूं का भाव आज 500 रुपये है, सरकार ने भाव नये किये हैं 250 रुपये अब 250 और 500 में 250 रुपये का ही अन्तर है। उस अन्तर के आधार पर गेहूं का प्रक्योरमेंट हो सकेगा, यह संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में दूसरा रास्ता बचता है लेवी लगाने का। काश्तकारों के ऊपर लेवी लगाकर वसूल किया जाए मैं भी उसको उचित मानता अब ऐसी स्थिति में अनाज किस प्रकार से एकत्रित होगा यह तो सदन के विचार करने का प्रश्न है। इसमें हरियाणा ने 25 रुपये की ग्रान्ट देने की बात कही है। मैंने कल इस संबंध में बात की है कि 250 से आप 275 कर दोगे तो क्या आपको अनाज मिल जाएगा। अनाज तो मिलने वाला नहीं है। तो मैं सदन की भावनाओं के आधार पर माननीय प्रधान मंत्रीजी से फिर कहने वाला हूं कि 500 रुपये में जो बाजार में गेहूं मिलता है उसको 250 रुपये प्रति क्विटल खरीद कर हम यदि कोई व्यवस्था करेंगे तो उचित नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रक्योरमेंट करना है तो बाजार भाव के आसपास आपको चलना पड़ेगा।

दूसरा यहां पर अनियमितताओं के बारे में, विभाग में भ्रष्टाचार है इस संबंध में यहां जिक्र किया गया, सतर्कता समितियों के बारे में भी कुछ कहा गया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, एक माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं की यह दुकानें बनी हुई हैं। मैं तो इस हाउस के तमाम सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं विधान सभा से जाने के तुरन्त बाद अगर वह अपने क्षेत्र में जितनी भी इस प्रकार की वितरण की व्यवस्था है, एक बार स्वयं चैकिंग करा दे.... तो मैं समझता हूं कि जिन गरीबों को वास्तव में हम राहत पहुंचाना चाहते हैं निश्चित रूप से उनको राहत पहुंचेगी। राज्य सरकार आज ही इस संबंध में आदेश निकालकर कलक्टर्स को भी कह देगी, डी. एस. ओज को भी आदेश दे देगी और सार्वजनिक रूप से भी इसकी घोषणा कर देगी कि हर एम. एल. ए. को हर दुकान पर चाहे राशन कार्ड की चैकिंग करनी हो, कितना अनाज उसके पास पहुंचा कितना अनाज नहीं पहुंचा, कितने का वितरण किया, कितने आदमियों ने ब्लैक मार्केटिंग किया, कितनों को समय पर नहीं पहुंचा। मैं समझता हूं कि विधायक इस सम्बन्ध में रुचि लें तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से इस सारी बीमारी को नियन्त्रित कर सकेंगे और जितने लोगों को अनाज पहुंचा सकते हैं, पहुंचाएंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह।.... (व्यवधान)... अब तो आपको फुल पावर दे दी, अब आपके जिम्मे हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खाद्य निगम का जवाब नहीं दिया।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान मानने वाले नहीं हैं। वे तो स्पेशलिस्ट हैं, हर बात में खड़े होंगे ही होंगे। आप जोर से शुरु करें, आपकी आवाज बहुत बुलन्द है।

डा. चन्द्रभान : डिपो का जवाब नहीं दिया डिपो का।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान का दर्ज नहीं हो। केवल जगमाल सिंह बोलें, उनका दर्ज हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को कहता हूं फिर मैं।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह डिपो वहां से नहीं हटेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बेचा भी नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सुमित्राजी, अब कोई तो सीमा करिये। बोलिये, जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाम सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल पांच मिनट का समय पर्यावरण के लिए आपने मुझे दिया है। पर्यावरण पर, अरावली हिल्स पर पूर्व में इस सदन में....

सुमित्रा सिंहजी, आप तो मंत्री रही हैं, मैं बोल रहा हूं आप भाषण दे रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन की तरफ देखिये हमारी तरफ क्या देखते हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : हाउस तो कण्ट्रोल में आये। आप तो दो-दो तीन-तीन बार मन्त्री रही हैं। आप से उम्मीद करूं कि आप तो कण्ट्रोल में रहेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में अरावली हिल्स पर दो नोटिफिकेशन जारी होने बाबत अपनी बात विस्तृत रूप से यहां सदन में रख चुका हूं। आपने मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया है। केवल पांच मिनट में मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो पहले कह चुका हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अलवर के अरावली हिल्स को और राजस्थान के अरावली हिल्स को बचाने की बहुत बड़ी चिन्ता जतायी। मैं उनके साथ हूं। उनकी जो राय है उसके साथ मेरी राय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ढड्ढा साहब राजस्थान और अलवर के पर्यावरण को बचाने के सबसे बड़े प्रेमी हैं। इस समय पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए एक माननीय सदस्य, यू. पी. से चलकर आये कोई राजेन्द्र सिंहजी भी मेरे अलवर को लेकर बड़े चिन्तित हैं। अगर अलवर को लेकर कोई चिन्तित नहीं है तो राजस्थान की सरकार और पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी वह चिन्तित नहीं है. हाउस चिन्तित नहीं है। बल्कि अलवर की

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगमालसिंह यादव)

राजनीति और पर्यावरण को बचाने के लिए अगर चिन्तित है तो इस पत्रकार दीर्घा में बैठा हुआ वह ठग, वह सी. आई. ए. का एजेण्ट, जिसके मैंने खाते आपको दिये हैं, जिसका मैंने बताया था कि अलवर और राजस्थान को बर्बाद करने का काम वह तरुण भारत संघ संस्था का अध्यक्ष या पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह, जिनका मैंने बताया कि जवाहर नगर में खुद की कोठी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं उस वक्त खाता नम्बर बताना भूल गया था, मैं खाते के नम्बर आपको बता दूंगा। मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन चाहता हूं, जब से यह बिजनेस लगा है इस हाउस में तब से तरुण भारत संघ का तथाकथित+ + +पदाधिकारी। जो पर्यावरण के नाम पर राजस्थान को बर्बाद करना चाहता है, मेरे जिले को बर्बाद करना चाहता है, दो दिन से पत्रकारों के यहां चक्कर लगा रहा है, दो दिन से राजस्थान विधान सभा के एक-एक सदस्य के घर पर जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि किसी भी तरह से इस तरुण भारत संघ पर लगने वाले चार्जेज को हटाया जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह क्या है ? ये जो कुछ बोल रहे हैं यह व्यक्तिगत आरोप है। यह कोई सदन में....

श्री हरिसिंह (महुआ) आपको क्या परेशानी हो रही है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने बोलने की इजाजत पर्यावरण पर दी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी डिबेट में किस चीज की बोलने की इजाजत आप देंगे ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि विधान सभा सदस्यों के यहां जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं ? हमारे यहां कोई नहीं आया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसी एक व्यक्ति के खिलाफ बोलें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और नाम लेंगे भी नहीं।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस अलवर जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अलवर का यह विधायक है। आज प्रजातन्त्र में किसी भी अच्छाई-बुराई के लिए लोगों की राय जानी जाती है। अलवर जिले के जो 11 विधायक चुनकर आये हैं उनमें से एक भी विधायक को बुलाकर आप बात कर लीजिए, मुख्य मंत्री जी, जितने पंच-सरपंच हैं उनको बुलाकर बात कर लीजिए, इस सदन की एक समिति गठित कर दीजिए, अगर यह तरुण भारत संघ विदेशी एजेण्ट नहीं हो, अलवर जिले को ये दो नोटिफिकेशन नहीं खा जाय, अलवर जिले की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर नहीं रख दें और मेरा जिला बर्बाद नहीं हो जाय तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पैम्फलेट्स को छाप कर माननीय सदस्यों पर, वर्तमान सरकार पर या गयी हुई कांग्रेस सरकार पर जो लिस्टें जारी करते हैं ये दो-दो आने के पत्रकार जिनको

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मुझे पत्रकार कहते हुए शर्म आती है, जिनके पास तरुण भारत संघ के ढोंगी लोग बैठे हैं, जिनकी ये वकालत करते हैं। मैं नहीं डरता। मेरा जिला अगर बर्बाद होगा, मेरा चुनकर आना सार्थक तभी होगा जब मैं मेरे जिले के लिए लड़ूंगा, मेरे जिले के जो लोग बर्बाद होंगे उनके लिए लड़ूंगा, मेरे जिले की जो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जो उद्योग नष्ट हो जाएंगे उसके लिए लड़ूंगा। न मैं फ्रांस की न यू. के. की परवाह करता है जहां से पैसा आता है या अमरीका की जिस एजेन्सी से पैसा ले रहे हैं उसकी परवाह करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री, आप से कहता हूं कि अगर सरकार ने मेरे जिले को नहीं बचाया, इन नोटिफिकेशंस के मामले में अगर सरकार गम्भीर नहीं रही तो निश्चित तरीके से चाहें मैं आपकी सरकार का समर्थक हूं, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं वन मंत्री जी से कि जो नोटिफिकेशन 9 जनवरी का निकला है उस पर तो आपको ध्यान आ गया, 29 जनवरी, 1991 को एक नोटिफिकेशन निकला है। प्रेस वालों से भी मैं निवेदन करता हूं, समिति के लोगों से भी करता हू सदन के लोगों से करता हूं, उसमें अरावली हिल्स की 10 किलोमीटर की सीमा रखी है। अगर अलवर जिले का एक इंच रकबा खेती करने लायक बच जाय, किसी भी पहाड़ी की दूसरी पहाड़ी से दूरी 20 किलोमीटर से ज्यादा हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की समिति गठित कर दीजिये इस पर, उस फैसले को मैं मान लूगा। मैं वन अधिकारियों से पूछना चाहता हू कि 29 जनवरी, 1991 को जो नोटिफिकेशन निकला उसके खिलाफ कार्यवाही सरकार ने क्यों नहीं की ? माननीय मुख्य मंत्री जी, एक और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैंने जो चार्ज लगाये हैं कि विदेशों से पैसा आता है, ज्यादा मत करिये, यह पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी का एक लैटर है, लघु उद्योग, अलवर के अध्यक्ष ने लिखा है कि आपने 9 जनवरी का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया है। वे लिखते हैं हैं कि तरुण भारत संघ ने एक रिट पिटीशन डाली सुप्रीमकोर्ट में उसमें तरुण भारत सघ को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ जाएगा। इसी से साबित हो सकता है कि एक तरुण भारत संघ नाम की संस्था की संस्था की जब सुप्रीम कोर्ट में पार नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में पराजय का मुंह देखना पड़ा तो इतनी एप्रोच कि भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से 9 जनवरी का नोटिस निकलवा दे और इस बात को पर्यावरण विभाग स्वीकार कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया है और आप भी घड़ी की ओर देख रहे हो। मैं पुनः एक ही अपील करता हूं, कांग्रेस के सदस्य ले लीजिए, जनता दल के ले लीजिए और सारी पार्टियों के ले लीजिए और पांच लोगों की मुख्य मंत्री जी एक कमेटी बना दें, पर्यावरण के इस नोटिफिकेशन के क्या अर्थ निकालेंगे, अगर इससे अलवर और पूरा राजस्थान बर्बाद नहीं हो जाय। वह कमेटी अगर रिपोर्ट दे दे कि यह नोटिफिकेशन स्वीकार कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। वर्ना मेरा आप से पुनः आग्रह है, करबद्ध आग्रह है कि अलवर जिले को बचाने का, राजस्थान की इकानामी बचने के लिए यह सदन सर्वसम्मति में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 9 तारीख का, इसका विरोध करे।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी । वे स्ट्रिक्टली पांच मिनट बोले हैं, आप भी स्ट्रिक्टली पांच मिनट बोलें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, अरावली के पेड़ जो कटे हैं उनको फिर से हरा-भरा करने के बारे में तो सारा सदन एकमत है । राजस्थान के पर्यावरण में सुधार लाने के लिए बरसात की कमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम करे ताकि पर्यावरण सन्तुलन कायम हो सके । अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अक्टूबर, 1991 को हुआ था उसका एक आपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहूंगा ।

"In the meantime we issue an interim order directing the State Government not to issue any further mining leases in the reserved forest area of Alwar and also in Tiger Project area of Alwar."

इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद टाइगर प्रोजेक्ट एरिया के सम्बन्धित अधिकारियों ने राज्य सरकार और भारत सरकार को समय-समय पर पत्र दिये कि चूंकि टाइगर एक ऐसी स्पेसीज है जो धीरे-धीरे लुप्त हो रही है इसको संरक्षण देने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में माइनिंग का काम न हो । भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय ने 9 जनवरी, 1992 को अलवर के गैर-मुमकिन राड़ा, पहाड़ी, बीहड़, बंजर और राम क्षेत्र को संरक्षित किया है । इस अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में खनन कार्यों की मनाही है । उसके बाद 30 मार्च, 1992 तक जो खनन पट्टे दिये गये वे बिलकुल अवैध हैं और उनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए । एक तरफ राज्य सरकार वनों को, पर्यावरण को सुधारना चाहती है और दूसरी तरफ माइनिंग डिपार्टमैण्ट लीजें बांट रहा है । यह निश्चित रूप से अनुचित बात है । इससे पर्यावरण कभी भी सन्तुलित नहीं रहेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बालोतरा, पाली और अन्य स्थानों पर जो किसानों के कुएं खराब हो रहे है, उसके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ? इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से सदन की एक कमेटी वहां जाय और पाली, बालोतरा और उन इण्डस्ट्रीयल एरिया में जहां पानी खराब हो रहा है केमिकल्स के कारण, वहां पर निश्चित रूप से पर्यावरण सन्तुलन के लिये कोई न कोई प्लाण्ट लगाना चाहिये और लोगों को राहत मिलनी चाहिये । अभी थोड़े दिन पहले वन मंत्रीजी बीकानेर गये थे । आपने ऊन से सम्बन्धित कुछ इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स को यह आश्वासन दिया था कि ऊन में तो केवल कांटा और रेत होती है, उससे कोई पर्यावरण बिगड़ता नहीं, केवल पानी से उसको साफ करते हैं । पर्यावरण विभाग पर्यावरण के नाम से कई बार लोगों को तंग कर रहा है । ऐसे जो सीधे और स्पष्ट मामले हैं, उन मामलों में वन मंत्रीजी, आप आदेश जारी कीजिये और पर्यावरण मन्त्रालय जिस तरह से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसको आप रोकिये । पर्यावरण मन्त्रालय के मामले में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी पर्यावरण से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सम्बन्धित मामले हैं, उनके बारे में राय देने के लिये सदन की एक कमेटी बनानी चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, वह बिल्कुल सही जारी की है । इसके अन्तर्गत जो भी माइनिंग पट्टे दिये गये हैं, वे चाहे किसी भी व्यक्ति के हो, उनको आप खारिज करिये ।

श्री अध्यक्ष : वन मंत्री जी ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : साहब, मेरा भी नाम है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वन मंत्रीजी जवाब देंगे । अभी आधे घण्टे की चर्चा और है । आपका नाम था, आप अनुपस्थित थे ।

मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्न लगाकर के अनुपस्थित हो जाते हैं, इससे हजारों रुपये सरकार के खर्च होते हैं, समय जाया होता है । आप अपना नाम देकर अनुपस्थित हो जाते हैं । इसका मतलब आप बोलने में गम्भीर नहीं हैं । तो फिर मैं गम्भीरता से क्यों लूं । आप बोलिये, वन मंत्रीजी ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : यह प्रश्न सब पर लागू होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, सब पर लागू है । आपको यहां बोलना है तो यहां बैठे रहना चाहिये ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : आपने कल्ला साहब को परमिशन दी, जगमालसिंह जी को दी ।

श्री अध्यक्ष : उनको मैंने विशेष एक-एक दोनों तरफ से दी है ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : बोलने दीजिये, साहब मुझे भी ।

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, फिर 5 बजे की गारण्टी नहीं है मेरी । बोलिये, वन मंत्रीजी । ये सवाल पूछ लेंगे । आप बाद में सवाल पूछ लेंगे ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : सवाल तो पूछना ही है मुझे तो ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ लेना ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मामला सैण्ट्रल गवर्नमेंट का है, सवाल क्या पूछेंगे यहां के वन मंत्रीजी से ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : काफी तैयारी के साथ आये थे ।

श्री अध्यक्ष : काफी तैयारी के साथ आये थे और जब आवाज हुई तब गायब । यह क्या तैयारी हुई ? जिस समय पुकारा गया नाम, उस समय हाउस में मौजूद नहीं ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : दो मिनट ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट कोई नहीं बोल सकता । यह दो मिनट तो मुहावरा हो गया है ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब को समय दिया है तो हमको भी दो मिनट का समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोल लीजिये आप। दो मिनट का मतलब समझ रहे हैं ? ठीक 4.25 पर समाप्त कर दीजिये। बोलिये। (व्यवधान)... सम्भालिये, सचेतकजी, अपनी पार्टी को सम्भालिये। (व्यवधान) विराजिये। वन मंत्रीजी।

श्री अनंग कुमार जैन : हम भी बोलेंगे फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको भी मौका दीजिये। हम आपके आदेश की पालना करते हैं। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज बिगड़ते पर्यावरण के ऊपर यह हाउस चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हमने अलग से दिन रखा था बिगड़ते हुए पर्यावरण पर चर्चा करने के लिये, तो उसके ऊपर कुछ अच्छे सुझाव आयेंगे, अच्छी बातें आयेंगी लेकिन मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है कि पर्यावरण के बारे में बोलने में लोग आज उतने उत्सुक और उतने चिन्तित नहीं थे जितने उस दिन हमने देखे थे।

अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण बिगड़ने के बहुत सारे कारण पहले से भी थे और अब ज्यों-ज्यों विकास बढ़ रहा है, त्यों-त्यों वह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है।

श्री सम्पतसिंह : आप तो स्वयं सिगरेट पीते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : आपको भी सिखा दूंगा अगर सीखना चाहते हो तो।

श्री नत्थीसिंह : कई बातें तो सिखा दी हैं।

श्री लालचन्द डूडी एक ही सिखाई है कि हथियार जो खुद इस्तेमाल करते हो, खुद भी उसमें पड़ जाते हो।

श्री सम्पतसिंह : नत्थीसिंह जी को दर्द है कि इनको क्यों नहीं सिखाई बुढ़ापे में भी।

श्री नत्थीसिंह : नहीं, अच्छी आदत डाली थी, वह बिगाड़ दी इन्होंने आपकी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : विषय पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने का नहीं था, विषय पर्यावरण सुधारने का था। आप अपने आपको थोड़ा सही करिये।

(4.25 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर्यावरण के ऊपर जो चर्चा हम कर रहे थे और जो हमने उम्मीद की थी, उस तरह की चर्चा, मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है, इस हाउस के अन्दर पर्यावरण पर हुई नहीं। माननीय सदस्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक सीमित रहकर इसको भूल गये। इसके ऊपर पूरी चर्चा नहीं कर सके। (व्यवधान) आप क्यों इण्टरप्ट क्यों कर रही हैं, बहन श्री ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया सहयोग करें।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदूषण फैलने के कारण विकास के साथ-साथ और ज्यादा

(श्री लालचन्द डूडी)

बढ़ते जा रहे हैं और उसको जिस तरह से आज हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वह तरीका शायद उतना कामयाब नहीं हो सका, जितना होना चाहिये था ।

आपने पाली, बालोतरा के बारे में चर्चा की । हमने यह सोचा, हमने कानून बनाये थे, पिछली सरकार ने कि छपाई-रंगाई के किसी नये उद्योग को और कोई लाइसेन्स नहीं देंगे और नये उद्योगों की स्थापना नहीं होने देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं कि सरकारी फार्मेलिटी तो नहीं हुई, एन. ओ. सी. नहीं मिली, जगह नहीं मिली लेकिन उद्योगों की स्थापना नहीं रूक सकी । अपने घरों के अन्दर लोग 10 थान कपड़े के ले आये, उनको घर के अन्दर ब्लीचिंग करके, उनको रंग करके वापस छोड़ दिया और पानी सारा का सारा बाहर चला गया । यह समस्या बहुत लम्बे समय से चल रही थी । यह इस एरिया के लाखों लोगों के रोजगार का साधन है, यह रंगाई-छपाई का टैक्सटाइल का धन्धा । उसको हम कानून बनाकर के रोकने में कामयाब नहीं हो सके लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्यवाही की है । उनको कुछ एक सुझाव दिये हैं, कुछ एक केमिकल है, उनको अगर इस्तेमाल नहीं करें, उनके बजाय दूसरी विधि इस्तेमाल करें तो फिर प्रदूषण फैलने में काफी कमी आ जायेगी । इस तरह के कुछ एक सुझाव हमने दिये हैं । मुझे यह कहने में खुशी है कि लोगों ने उन सुझावों को काफी हद तक अडोप्ट किया है ।

पाली के बारे में ही जो हमारे संयन्त्र चल रहे हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी बहुत कम है । अब उसके वहां हमने और संयन्त्र लगाने की योजना बनाई है । इसी तरह से बालोतरा के अन्दर भी एफ्लूएण्ट प्लाण्ट लगाने के लिये हमने रीको को कह रखा है और रीको ने अगर जल्दी से उस मामले को टेक-अप नहीं किया तो हम किसी दूसरी एजेन्सी से उसको करवाने की कोशिश करेंगे ।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री केदारनाथजी ने गंगानगर के बारे में कुछ बातें बताई । उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर की जे. सी टी. मिल में पहले एक छोटा-सा उपचार संयंत्र लगा हुआ था उसमें कुछ सुधार लाने के लिये एक कमेटी बनाई गई है और उसमें सुधार लाने की कोशिश की है । उसमें कुछ सुधार हुआ भी है और उसको पूरा करने के लिये कोशिश की जा रही है । उसके पानी को तो ऐसा करके किसान लोग सिंचाई के काम में भी ले रहे हैं ।

इसी तरह से दूसरा जो गंगानगर का है—शुगर मिल, उसके अन्दर भी निकलने वाले प्रदूषित जल को उसका प्राथमिक उपचार कच्चे लैगून में एकत्रित किया जाता है । उस पानी को लेकर खेतों के अन्दर सिंचाई कार्य किया जा रहा है । इसमें प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र लगाने के लिये उद्योग में निविदाएं आमन्त्रित कर रखी हैं और उसके आने के बाद उसका कार्य करवाने का कार्य भी ले लिया जायेगा । संयन्त्र लगाने का कार्य पूरा कर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रदूषण फैलाने के अन्दर कई चीजें जैसे आजकल हमारे यहां

(श्री लालचन्द डूडी)

वाटर लॉगिंग का मामला है। जो इन्दिरा गांधी कैनाल है, उसके साथ-साथ वाटर-लॉगिंग का एरिया है टी. बी. और यहां के आस-पास वेटलैण्ड के अन्दर जो हो रहा है। मिथाइल गैस फैलने का बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए सिचाई विभाग को इस पानी को कम से कम खड़ा रह सके, वाटर लोगिंग कम से कम हो इस के बारे में लिखा है इसके बारे में आज ही सुबह मीटिंग थी कि इस पानी को किस तरह से लेकर कहां पर इसको इस्तेमाल किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बहुत बड़ी समस्या आज कल जिसके बारे में बहुत से गांवों और कस्बों के लोगों का ध्यान नहीं गया है वह आवासीय बस्तियां हैं। उनके अन्दर सीवर लाइन नहीं लगी है उनके शौचालय और मलवे के लिए कुए बन रहे हैं, बोर वैल बन रहे हैं, उनके अन्दर जो बाथरूम का और अन्य पानी जा रहा है उससे भी खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। उसके बारे में लोगों, विशेष रूप से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गंगानगर के अन्दर हर मकान के अन्दर इस तरह के बोर वैल बना कर सारे के सारे नीचे पानी को खतम किया जा रहा है। जयपुर में जे. डी. ए. और हाउसिंग बोर्ड को चिट्ठी लिखी है कि जिस वक्त एन. ओ. सी. देते हैं मकान बनाने के लिए उनमें सबसे पहले और कुछ नहीं होता है तो सैफ्टी टैंक बनाने के लिए जरुर यह कण्डीशन रखिए ताकि नीचे फैलने वाले प्रदूषण कम हो सके।....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बहिन श्री मैं आपसे फिर आ जाऊंगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मुझे शीशरामजी की तरह से एलर्जी नहीं है। मैं आपसे बात कर लूंगा। आप मुझे समझा देना, मुझे बता देना क्या तकलीफ है आपको। मैं आपके पास आ जाऊंगा मुझे समझा देना, बढ़ा देना।

डा. चन्द्रभान : आप शीशरामजी की तरह बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज आप शीशरामजी की तरह ही बोल रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दिल्ली का नोटिफिकेशन निकला है जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की है। उसमें कौन, किसका एजेन्ट है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। सरकार ने जिनकी एजेन्सीज हैं, तरुण भारत संघ और उनकी जानकारी करने वाले, उनकी जानकारी रखने वाले-लेने वाले हैं, उनको जो है ना हमने, वह करेंगे लेकिन मैं तो जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, उस नोटिफिकेशन के बारे में हमने पूरी जानकारी करके, उद्योग विभाग, रीको, हमारे डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट से सारी अच्छी तरह से बैठकर गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखा है, हमने अच्छा एक वकील भी किया है....उसके लिए सरकार का जो है ना....(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : क्या लिखा है? आप यों कहो ना कि हम नहीं चाहते हैं, क्या लिखा है?

श्री लालचन्द डूडी : वह जब जरूरत होगी तब बतला देंगे ।

श्री यदुनाथसिंह : तो यह क्या बात हुई. क्या लिखा है फिर । आपने लागू करवाने के लिए लिखा है या नहीं करवाने के के लिए लिखा है ?

श्री लालचन्द डूडी : लागू नहीं करवाने के लिए लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं करवाने के लिए लिखा है ।

श्री यदुनाथसिंह : अरावली का आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं....

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद इसी बात से चिन्तित हूं । जो नोटिफिकेशन निकले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप की ही तो बात वह कह रहे हैं ।

श्री जगमालसिंह यादव : उन नोटिफिकेशन का सरकार ने खण्डन किया है या नहीं किया है ? भारत सरकार को अरावली पर पड़ने वाले प्रभाव पर अवगत कराया या नहीं कराया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं । आप विराजिये ।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया को लिखा है, हमने आरोप दे दिए हैं, आक्षेप दे दिए हैं उसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बैठकर सुनवाई कर ली है, विनाश-रहित विकास की योजना बनाकर केवल उन नारों में आकर हम स्टेट के विकास को अवरुद्ध कर दें या स्टेट के विकास के साथ स्टेट के फोरेस्ट के विकास को खत्म कर दें । इन दोनों बातों में सामंजस्य बैठाकर, संतुलन बैठाकर उनके बारे में सरकार को लिखा है ।

श्री यदुनाथसिंह : वन क्षेत्र बढ़ना चाहिए आपका ।

श्री जगमालसिंह यादव : आपके यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है अलवर के लोगों पर जिन पर यह लागू हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री लालचन्द डूडी : इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था, उम्मीद थी कि कहीं अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आयेंगे । उनका मैंने जवाब दिया है । चर्चा पर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अर्जुनदासजी मदान ।... एक मिनट ।

श्री रमाकान्त : मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में वनों के संरक्षण और वनों के विकास के सम्बन्ध में कई प्रकार की चर्चाएं हुई हैं । इस चर्चा में माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में वनों की कटाई इन दो वर्षों में नहीं हुई ।

श्री बिरधाराम चौधरी : बहुत हुई है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कहा जा सकता है खाली। बात सुनिए आप। बहुत आगे चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लगातार कई वर्षों से हो रही है और विधान सभा में पहला मामला प्रोफेसर केदार अच्छी तरह से जानते हैं कि पानरवां काण्ड उठा था, उस समय से जंगलों की कटाई शुरु होती आ रही है। पहले कानून कटाई होती थी और अब अवैध रूप से कटाई हो रही है, मैं इसको मना नहीं करता हूं। मैं यह मानता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान में आल्टरनेटिव फ्यूल की व्यवस्था नहीं होगी वनों की कटाई पर पूर्णतया आत्म नियंत्रण ला सकें इसकी कोई सम्भावना नहीं रहती। आल्टरनेटिव फ्यूल के सम्बन्ध में कई बार भारत सरकार से निवेदन किया है। पिछली सरकार ने भी निवेदन किया था और हम भी लगातार यह निवेदन करते आ रहे हैं कि आल्टरनेटिव फ्यूल की व्यवस्था होगी तभी जाकर वन बचेंगे। प्रश्न आता है कि आप चाहें डूंगर में जाये, आप बांसवाड़ा में जायं या कहीं पर जायं सारे पहाड़ नंगे पहाड़ है। नंगे पहाड़ों में लोग आबाद भी हुए हैं। पहाड़ की चोटियों पर लोगों ने घर बनाये हुए हैं और वहां रहते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। नीचे के पानी ले जाकर ऊपर रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यदि सदन को यह चाहे कि सब लोगों को वहां से उजाड़ दिया जाय तो उसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा और उस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जहां तक अलवर के बारे में दो नोटिफिकेशन की बात आई है। एक नोटिफिकेशन का जवाब तो हमने तत्काल दे दिया था और 29 तारीख का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका भी राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया है। 7 तारीख को उसकी पेशी है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करने की बात कही है।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज कोई यह चिन्ता करे कि अवैध खनन के कारण से सारे वनों की कटाई हो रही है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अवैध खनन कार्य को रोकने की भी हमने व्यवस्था की है उसकी घोषणा करना नहीं चाहता लेकिन परिणाम शीघ्र ही मिलेंगे। राज्य सरकार को आय नहीं होती है, जंगल कटते हैं और अवैध खनन होता है उसको रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन आज उस सम्बन्ध में कुछ कहूं, यह उचित नहीं होगा।

यहां पर तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ गम्भीर आरोप लगाये हैं....

श्री बिरधाराम चौधरी : + + + है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल + + + है। इसमें आपको दर्द हो रहा है, + + + आप भी अगर कोई सही बात कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब ऐसी दृष्टि से ये जब पहले बोले तब भी इस प्रकार के आरोप लगाये हैं और कुछ विदेशी पूंजी के आधार पर इस देश में इस प्रकार का प्रचार चल रहा है। मैं समझता हूं कि

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वनों की कटाई से ज्यादा गम्भीर मामला यह है कि हमारे यहां कोई इस प्रकार का प्रचार कर रहा हो।

मैं नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को यह कह सकता हूं कि हम वनों की रक्षा करेंगे, वनों के सरक्षण मे काफी सक्रिय होंगे कोई कमी रही हैं उसको दूर करेंगे। दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस बात का प्रचार कर कहीं का औद्योगीकरण और रोटी-रोजी बन्द कर दें इस प्रकार की व्यवस्था पर गम्भीरता से आपको भी चिन्ता करनी पड़ेगी। और हमको भी चिन्ता करनी पड़ेगी लेकिन यहां यह आरोप लगाया कि विदेशी पूंजी के आधार पर सब कुछ हो रहा है और इन्होंने यह मांग भी की कि इस सदन की कमेटी गठित की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर मामले की जांच के लिए एक सदन की समिति बनाई जाय और इस समिति में होंगे-श्री हेतराम बेनीवाल, श्री लक्ष्मीनारायण दवे, श्री टीकमचन्द कान्त, श्री राजपालसिंह, श्री शम्भूदयाल बड़गुर्जर, श्री हरिसिंह जी महुआ, श्री प्रद्युम्नसिंहजी, श्री रामसिंहजी विश्नोई और श्री सम्पतरामजी। यह कमेटी इस बात की केवल जांच करेगी कि विदेशी धन के आधार पर जो प्रचार किया जा रहा है। उसमें कहां तक सत्यता है। यह जांच हो जाय, जांच रिपोर्ट सदन में भी पेश होगी, उसके पहले सरकार को पेश होगी और उस आधार पर यदि राजस्थान सरकार को भारत सरकार के ध्यान में यह बात लानी पड़े तो निश्चित रूप से लायेंगे। यह मैं घोषणा करना चाहता हूं।

श्री रमाकान्त : कुछ प्रश्न पूछने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह ओवर हो गया टापिक। टाइम बहुत हो गया है।

श्री रमाकान्त : प्रश्न पूछने की बात तो हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा बहुत हो जायेगा। माननीय रमाकान्तजी, प्लीज। आधे घण्टे की चर्चा। श्री अर्जुनदास मदान।

आधे घण्टे की चर्चा

रसायनिक उद्योग विषयक प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न मुद्दे पर चर्चा

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसी 25 मार्च को प्रश्न संख्या 559 के अन्तर्गत जो मैंने तारांकित प्रश्न रखा था—मैंने रासायनिक कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में कुछ सवाल रखे थे। और श्रम मंत्री महोदय ने उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया था किन्तु मैं सन्तुष्ट नहीं था और मेरे आग्रह और निवेदन को स्वीकार करते हुए जो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करली, सबसे पहले तो मैं उसके प्रति आपका आभार प्रकट करता हूं। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था। मंत्री महोदय ने बताया था केवल मात्र इस प्रांत में 94 रासायनिक उद्योग हैं और उसमें 21704 में से 3505 श्रमिकों पर रासायनिक उद्योगों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ केवल मात्र कि माननीय 7 लोग किसी रासायनिक उद्योग में काम करते हैं तो केवल एक आदमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय, कि क्या हम जान सकते हैं इस बात को कि यदि वो एक आदमी, 7 लोगों में से एक आदमी जिस

(श्री अर्जुनदास मदान)

पर प्रभाव पड़ता हो, यदि वो छुट्टी चला जाय या दूसरे शब्दों में यह कहूं कि 30,000 लोगों में 3.555 तो हो सकते हैं यानी ये वो होंगे जिनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव ना भी पड़ता हो। शेष लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव ना भी पड़ता हो किन्तु परोक्ष रूप से निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता हो। एक ही कल कारखाने में काम करने वाला मजदूर एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। यदि मान लीजियेगा, इस हिसाब से 7 लोगों में से एक आदमी ऐसा निकला जिसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो, जो मुझे प्रत्युत्तर मिला, उसके आधार पर मैं निवेदन करता हूं। माननीय, मैं एक निवेदन और करता हूं मान लीजिएगा ऐसे लोग जो प्रभावित हैं यदि वो छुट्टी चले जायं, उनके घर में शादी-ब्याह हो तो क्या आप यह नहीं मानते कि मिल मालिक इन लोगों में से वापिस उसी कल कारखाने या उसी विभाग में काम पर लगाता होगा जहां पर डाइरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता हो, उन लोगों का मेडिकल एक्जामिनेशन क्यों नहीं होता। मेडिकल एक्जामिनेशन केवल मात्र 30,000 मजदूरों में से 3,555 लोगों का करवाना और यह मान करके केवल मात्र रासायनिक उद्योगों का प्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ता है लगातार बाकी नहीं पड़ता, यह गणित और यह मेथेमेटिक मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं मुझसे यह भी कहा गया कि 94 में से 23 उद्योग आज भी ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जब तक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसका नामकरण संस्कार कैसे उसके मां-बाप कर लेते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज सदन के सामने। एक ऐसी स्थिति है कि 23 उद्योगों का पंजीकरण तो हुआ नहीं और वो उस उद्योग में आ गए। मैं सबसे पहले सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ये मेरे पास एक पत्र है। मैं उसके बारे में केवल निवेदन कर रहा हूं। ये है राजस्थान पत्रिका का अंक 15 फरवरी, 1991 का, इसमें एक खबर आई है कि क्लोरीन गैस के रिसाव से 6 लोग बीमार, इनको एस. एम. एस. अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन इस फैक्टरी में रिसाव हुआ, अगर श्रम मंत्री महोदय मेरे से सहमत हो तो मानेंगे और नहीं तो मैं किसी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं, मैं गलत नहीं हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं जो कुछ बात इस सदन में कह रहा हूं उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं हो, 6 लोगों पर गैस के हिसाब के कारण प्रभाव हुआ और फैक्ट्री इंसपेक्टर वहां मौके पर गये नहीं, उससे दो महीने पहले यह कह दिया गया कि यह फैक्टरी बन्द है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछ सकता हूं कि जो फैक्टरी बन्द है, उसमें रिसाव हुआ कैसे और क्लोरीन गैस निकली कैसे यानि आपके डिपार्टमेंट ने माना कि फैक्टरी बन्द है, वो चल नहीं रही और उसके अन्दर क्लोरीन का रिसाव हो रहा है। यह मैं जयपुर की धरती में, जो हमारे प्रान्त की राजधानी है, वहां की बात कर रहा हूं, मैं दूर-सुदूर इलाकों में काम करने वाले कल-कारखाने की बात नहीं कर रहा हूं। यह मैं उसका एक्जाम्पल दे रहा हूं।

(श्री अर्जुनदास मदान)

दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, हमसे यह कहा गया कि कई उद्योग ऐसे भी हैं मैं इसी कारण से मंत्री महोदय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा, कई एसी अनियमिततायें और विसंगतियां हैं कल-कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के साथ, जिसके ऊपर निश्चित रूप से सदन चिन्तित नहीं है। मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं मैं यह निवेदन करूंगा कि न तो पूर्व की सरकार कल-कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए चिन्तित थीं और यदि आज की सरकार थोड़ी बहुत चिन्तित भी है तो उपेक्षा से काफी दूर है। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं आपसे, आपके सामने जो वी. के. आई. ए. इण्डस्ट्रियल एरिया है, उसके अन्दर अरूणोदय फाउण्ड्री नाम से कल-कारखाना स्थित है। वहां पर एक श्रमिक की मौत हो गई, वहां पर मालिक ने किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की, फैक्टरी इंस्पेक्टर के नोटिस में भी यह बात नहीं आई, श्रम कार्यालय भी उसके ऊपर मौन धारण करता रहा, थोड़े दिनों बाद मजदूरों में जागृति आई मान लो किसी ने उन्हें एजीटेट किया। ऐजीटेट करने के बाद मजदूर जब ऐजीटेशन पर आए तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरान्त यह रिपोर्ट दर्ज हुई थाने में 28-10-86 को और इसकी एफ. आई. आर. है। 1955/85 और 12-9-85 को जैसा मैंने निवेदन किया, यहां पर रिपोर्ट दर्ज की गई, कोर्ट नम्बर 7 ने यह फैसला दिया 28-10-86 को कि यहां पर एक इंस्पेक्टर महोदय ने बिल्कुल लापरवाही बरती। इंस्पेक्टर महोदय की लापरवाही के बरतने के बावजूद भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि, जैसा मैंने निवेदन किया, कोर्ट नम्बर 7 में विवाद गया क्योंकि वो टाइम बार्ड केस था इसलिए एम्प्लोयर का तो कुछ बिगड़ा नहीं वो तो उससे बच गया लेकिन जो मजदूर था वो तो मर गया लेकिन सम्बन्धित फैक्टरी इंस्पेक्टर था, उसके खिलाफ लेबर मिनिस्टर ने यह कहा कि इसने लापरवाही बरती है। लेबर कमीश्नर महोदय ने यह कहा कि लापरवाही बरती है। मैं यह नाम भी बता दूं आपको उस समय कि लेबर मिनिस्टर के अतिरिक्त लेबर सेक्रेटरी थे वे श्रीमान् आर. बी. सोनलके थे वे शायद वर्तमान में कमीशनर है देवेस्थान के। इन्होंने यह कहा कि इस आदमी में इतनी लापरवाही बरती है, उसके ऊपर केस चलाया जाना चाहिये, मैं नाम नहीं बताना चाहता किन्तु याद होगा, मुझे इंस्पेक्टर का नाम भी याद है, यदि सदन चाहेगा तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। मैं क्या श्रम मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि कल-कारखानों में काम करने वाला वो मजदूर जो फैक्टरी के अन्दर मर गया, उसकी कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई, लेबर मिनिस्टर ने क्या, कोर्ट ने कहा, लेबर सेक्रेटरी ने कहा कि उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये तो क्या मान्यवर, मैं यह भी मान सकता हूं आज मैं सदन में इसकी बात रखता हूं, मेरी बात की भी परवाह होगी, मुझे तो लगता नहीं मेरी बात की भी परवाह होती होगी। जब लेबर मिनिस्टर की बात की परवाह नहीं हुई, जब लेबर सेक्रेटरी की बात की परवाह नहीं हुई, जब स्ट्रक्चर पास होने के बाद कोर्ट की मर्यादाओं को नहीं रखा गया तो माननीय मेरे जैसा आदमी कुछ कहेगा और उसके

(श्री अर्जुनदास मदान)

ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा मंत्री महोदय के ऊपर, तत्कालीन मंत्री महोदय तो अपनी भूमिका निभा गये, वर्तमान मंत्री महोदय से मैं निश्चित रूप से अपेक्षा करता हूं कि वो कुछ करेंगे तो मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं....

श्री अनंग कुमार जैन : आप प्रोटोकोल में मुख्य सचिव से भी ऊपर हो।

श्री अर्जुनदास मदान : आज स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है मान्यवर, कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कोई भी चिन्तित नहीं होता। मैं फैक्ट्रियों की बात नहीं करता, दूसरे रूप में श्रम के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए हम चिन्तित नहीं है। आज एक आदमी धरती का सीना फोड़कर आप और मेरे लिए अन्न उपजाता है, क्या उसके खेत और खलिहानों में काम करने वाले खाली का बच्चा पेट भर रोटी पाता भी है या नहीं पाता है, इसकी चिन्ता हम कर रहे हैं क्या? आज मेरे और आपके मकानों का निर्माण करने वाला एक कारीगर छेनी और हथौड़ा लेकर सवेरे से शाम तक पसीना बहाता हुआ आप और हमारे लिए मकान बनाता है किन्तु उसकी खोली भी बनती है या नहीं बनती है, इसकी चिन्ता हम कर रहे हैं क्या? कल-कारखाने में काम करने वाला एक आदमी आप और हमारे लिए कार तो बनाता है लेकिन उस मजदूर के लिए साइकिल भी है या नहीं है, इसकी चिन्ता क्या हम कर रहे हैं? मान्यवर, मैं केवल इतना निवेदन आपसे कर देना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी विसंगति है। निराशा का यह अथाह सागर निश्चित रूप से पूरा भर चुका है, ज्वार है इसके अन्दर, छोटे-छोटे टापू जो आपको पूंजीपतियों के रूप में दिखते हैं मान्यवर, यदि इस प्रभाव को नहीं रोका गया, यदि इस निराशा के अथाह सागर में बढ़ने वाला ज्वार है उसको नहीं थामा गया तो वो छोटे-छोटे टापू आपको दिखते हैं, निश्चित रूप से पानी कभी इनको भी ढांप लेगा और निराशा का समुद्र पूरा का पूरा सारे समाज में फैल जायेगा। मैं इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि भोपाल त्रासदी हुई। बहुत बड़ी त्रासदी हुई इस केमिकल इण्डस्ट्रीज के अन्दर और हजारों आदमी उससे प्रभावित हुए, मर-खप गये, कुछ लंगड़े हो गये, कुछ लूले हो गए, कुछ मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त हो गये और उसके बाद केन्द्र सरकार ने एक कानून बनाया 1985 में। उस फैक्टरी एक्ट 1948 के अन्तर्गत धारा 85 है जिसके उप नियम 100 के अन्तर्गत किसी भी स्टेट को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी शिड्यूल के अन्तर्गत उन कल-कारखानों में काम करने वाले लोगों का या उनकी खानों का विस्तार करें जहां पर श्रमिक प्रभावित होता है। 1987 में यह कानून बना और आज 1992 हो गया, आज 5 साल हो गये, हमारी सरकार उसके प्रति चिन्तित क्यों नहीं है, हम भी यह जानना चाहते हैं कोई भोपाल जैसी त्रासदी राजस्थान की धरती के किसी कोने पर होगी और फिर उसके बाद हमारे कानों पर जूं रेंगेगी, आज भी हम उसके ऊपर अपना मौन धारण किये बैठे हैं। मैं उसके अतिरिक्त आपसे और निवेदन कर देना चाहता हूं जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन

(श्री अर्जुनदास मदान)

किया, मंत्री महोदय ने मुझसे कहा, उन्होंने मेरे प्रत्युत्तर में एक बात यह कही थी कि परोक्ष रूप से सम्बन्धित लोगों का मेडिकल एक्जामिनेशन नहीं होता, मैं प्रश्न कर सकता हूं क्यों नहीं होता। जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि मेडिकल एक्जामिनेशन केवल मात्र उन्हीं लोगों का ही नहीं होना चाहिये जो कल-कारखानों में या रासायनिक उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि मिल मालिक कहता है, मैं मान्यवर, मैं तो यहां तक कह सकता हूं मिल मालिक अधिकांश केमिकल फैक्ट्रियों में साधारण वर्कर पर, जो ओन मस्टर रोल होता है उसको तो काम पर लगाते नहीं, जब वह जानता है कि केमिकल फैक्टरी में ये प्रभावित होने वाले हैं, वहां पर ठेकेदार की लेबर लगा देता है। ठेका दे देता है, आज मैं काम पर लगा, कल दूसरा लगा, परसों तीसरा लगा, 10-15 दिन मैंने काम किया, मैं दूसरी जगह चला गया, फिर दूसरे को ले लिया गया। इस प्रकार की स्थिति चलती चली जाती है और वो बिल्कुल मस्त होकर के, बिना प्रभाव के अपना कारखाना चलाता रहता है। इसके अतिरिक्त माननीय, मैं आपसे और निवेदन कर देना चाहता हू कि जयपुर में एक ग्राइन्डिग फैक्टरी हैं, इसमें भी यह हो गया कि ग्राइन्डिग फैसेलिटीज होती हैं जिसमें श्रमिकों की जांच पड़ताल होनी चाहिये। इसका भी एक कानून है मान्यवर, उसमें यह कहा गया कि सिलिका यदि किसी पत्थर के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से अधिक होता हो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदान साहब, थोड़ा शार्ट कीजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : शोर्ट करूंगा मान्यवर, जो मेरा टाइम है....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी उत्तर भी देंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस धारा के अन्तर्गत यह कानून की किताब, मान्यवर, यह कानून की किताब मेरे हाथ में है जिसके अन्तर्गत यह जांच पड़ताल होनी चाहिये.... किन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आज उसकी भी कोई जांच-पड़ताल नहीं होती। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि 23 कारखाने जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मेरा अगला सवाल है कि उनका रजिस्ट्रेशन कब से नहीं हुआ? जैसा मैंने एक एक्जाम्पल दिया। यह कहा गया कि उनका नक्शा नहीं बनाया गया, उनका किसी प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन नहीं हो सका। मैं कह सकता हूं 23 उद्योगों के अलावा भी कई उद्योग ऐसे होंगे जो 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन आज तक भी नहीं हुआ। होता क्या है कि केवलमात्र फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाता है, मैं किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाना चाहता लेकिन जैसी स्थिति आज समाज में चल रही है हर आदमी पैसा बटोरने की तरफ लगा है। केवलमात्र उसकी पूर्ति करने के बाद कोई आदमी मरता है या जीता है उसे कोई परवाह नहीं। मेरा एक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से और है तथा मैं देख रहा हूं कि यहां पर चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर महोदय भी बैठे हैं मेरा उनसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फैक्ट्री एक्ट में एक मेडिकल इंस्पेक्टर भी होता है जिसका उत्तरदायित्व

(श्री अर्जुनदास मदान)

यह होता है कि कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच करें। अब वह मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री के भी हैं तो नियम यह कहता है कि यदि मैं 10 रुपए प्रति श्रमिक के हिसाब से फीस दे दूं तो वह इंस्पेक्टर महोदय जायेंगे। जो 30 जिले हैं मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूं मान्यवर, उस मेडिकल एक्जामिनेशन इंस्पेक्टर के बारे में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सदन से पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय मुझे बता दें कि 1991 में कितने लोगों का मेडिकल एक्जामिनेशन किया? आदमी केवलमात्र अपने कमरे में बैठा रहता है, सरकार से वेतन उठाता रहता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में और प्रश्न पूछ लीजिए। अब कृपया मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिए।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय, जो मैंने 2-3 मूल प्रश्न रखे हैं, मैं इनके उत्तर चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) पहले मूल प्रश्नकर्ता के उत्तर आने दीजिए। माननीय श्रम मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खाण्डा (श्रम राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं समझता हूं आप रासायनिक उद्योगों से संबंधित रहे हैं इसलिए मुझसे भी ज्यादा जानते हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 जो सेन्ट्रल एक्ट है उसकी जैसे अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की उसकी धारा 87 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं कि वह घातक प्रक्रिया वाले कारखानों के संबंध में नियम बनाये। उसी धारा के तहत राजस्थान कारखाना, नियम 1951 बने हैं और उसके नियम 100 में एक शिड्यूल लगाई गई है जिसमें जितनी घातक प्रक्रियायें हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है कि इनमें काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उनकी सामयिक पीरियाडिकल मेडिकल एक्जामिनेशन होना जरुरी है। आपने हमें बताया कि 21000 के लगभग जो मजदूर नियुक्त हैं उनमें 3555 के ही आप क्यों मेडिकल एक्जामिनेशन कराते हो। माननीय सदस्य इसमें मेरा यह निवेदन है कि कच्चे माल से पक्के माल तक की कई प्रोसेस होती हैं। इस बीच में जो प्रक्रिया होती है जिसका दुष्प्रभाव वहां पर्टीकुलर खाते में काम करने वाले श्रमिक के शरीर पर पड़ता है उन्हीं का सामयिक परीक्षण होता है।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां जयपुर में जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कारखाना है। इसमें 2000 मजदूर कार्यरत हैं लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वह निरन्तर है उसमें केवल 15 श्रमिक कार्यरत है तो केवल 15 श्रमिकों का ही सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है न कि 2000 का और न आस-पास रहने वाले लोगों का।

इसी तरह से एक उदाहरण और देना चाहूंगा। मैसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा में 3000 श्रमिक नियोजित हैं जिनमें वो ही प्रोसेस जो मैंने अभी बताई इलेक्ट्रोप्लेटिंग

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

की, यह बड़ा टेक्निकल मामला है और यह मदान साहब जानते हैं उस खाते में केवल 50 श्रमिक ही कार्य करते हैं तो केवल 50 का ही सामयिक परीक्षण होगा न कि 3000 का। यह आप अच्छी तरह से समझते हैं।

जो महत्वपूर्ण बात मदान साहब ने उठाई है वह यह है कि बहुत सारे रासायनिक उद्योग हैं और आपने केवल 94 ही उद्योग इस सूची में ले रखे है, उनके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इसका एरिया बढ़ाया जाय। जैसे आपने अभी भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा की। उसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 1987 में कारखाना अधिनियम में कुछ संशोधन किए और उसके दायरे को बढ़ाया गया है। जो प्रोसेस है, हजार्डस इण्डस्ट्रीज हैं उस दायरे को बढ़ाया गया है। उसके अनुसरण में राजस्थान सरकार ने भी 1988 में ड्राफ्ट नियम बनाये, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है इसमें दो बातें हैं। एक तो दायरा बढ़ाया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उद्योग इसकी परिधि में आयें। दूसरा जो सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है उसको भी प्रभावी बनाया जाय। इसमें सारे दिए हुए हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के निदेशानुसार हैं, उनके अनुसरण में है। यह जल्दी लागू हो जायेगा और और अब केवल 94 ही रासायनिक उद्योग इसकी परिधि में है जिसमें पर्टीकुलर प्रोसेस में काम करने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। जब यह लागू हो जायेगा उस समय लगभग 1300 उद्योग इसकी परिधि में आ जायेंगे और उनमें लगभग 74 हजार श्रमिक नियोजित हैं और उनमें जो प्रोसेस में जो अफेक्टेड होंगे उनमें लगभग 19 हजार श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा तब देखिए कितना काम बढ़ जायेगा और यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह जो रूल्स हैं यह राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में प्रेषित किए हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि यह जल्दी ही प्रकाशित हों और जिस दिन यह प्रकाशित हो जायेंगे इसमें लागू हो जायेंगे। इसमें एक बात जो परीक्षण की थी जैसा आपने बताया कि जो सर्टिफाइड सर्जन्स नियुक्त किए हुए हैं उन्हें वक्त नहीं मिलता है और इसलिए वे पूरा परीक्षण नहीं कर पाते हैं। जैसा आपने पूछा कि आपको कितना करना था और कितना परीक्षण कराया ? 3555 श्रमिकों का परीक्षण कराना था। मैं स्वीकार करता हूं कि वह भांति-भांति नहीं हुआ उसमें 2,632 का ही परीक्षण हुआ जो 74 प्रतिशत होता है और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कोटा में माननीय सदस्य जहां से आते हैं वहां 6 उद्योग हैं और उनमें शत-प्रतिशत परीक्षण हुआ है बाकी में नहीं हुआ है। इसलिए मैंने 3-4 दिन पहले आदेश दे दिए हैं कि एक सैल खोला जाय चीफ इन्सपेक्टर फैक्ट्री, बायलर्स विभाग में ताकि वो रिटर्नस मंगाये ताकि शत-प्रतिशत परीक्षण हो। यह मैंने व्यवस्था कर दी है।

दूसरी, एक विशेष बात पूछी कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और नामकरण कैसे हो गया ? इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधा की बात है उसमें पंजीकृत और अपंजीकृत उद्योगों में

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

भेद मिटा दिया गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में टाइप लगता है, बहुत सारी फोर्मल्टीज होती हैं। (व्यवधान) उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान कारखाना नियम....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर सुनिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक प्रश्न पूछने की बात थी। या तो यह प्रश्न जब तक पूरा नहीं हो तब तक सदन की कार्यवाही चले।

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर सुनिए। यह तो मदान साहब का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हमारा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानवर्द्धन के लिए असेम्बली नहीं है। You are getting simply information from the Hon'ble Minister. यह थोड़े ही है कि यहां पर इस प्रकार का ज्ञानवर्द्धन किया जाय। (व्यवधान) टाइम होता है तो खूब समय देते हैं। आप भी खूब बोलते हैं। आप सबसे ज्यादा बोलने वाले मेम्बर्स में हैं।

श्री बाबूलाल खाण्डा : राजस्थान कारखाना नियम, 1951 की धारा 7 (ए) है उसमें यह प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति आवेदन....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बिराजिए।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 7 अप्रेल, 1992 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.00 बजे मंगलवार, दिनाक 7 अप्रेल, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 822 की सूची

राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. रीको व राजस्थान वित्त निगम द्वारा जनवरी, 1990 से फरवरी, 1992 तक लघु/मध्यम एवं बड़े उद्योगों को दियेगये ऋण एवं अनुदान का विवरण

	ऋण वितरित (रु करोड़ों में)	राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान वितरित (रु. करोड़ों में)
1. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	40.17	2.63
2. राजस्थान वित्त निगम	195.03	13.00

177

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 823 का सार

मरू त्रिकोण रिपोर्ट का सार—

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं	कार्य का नाम	जोधपुर	जैसलमेर	बीकानेर	योग
1.	आवास व्यवस्था	929.00	864.00	300.00	2093.00
2.	सड़क	1423.00	1813.00	668.00	3904.00
3.	मार्गस्थ सुविधायें	53.00	—	—	53.00
4.	हवाई, रेल, सड़क सम्पर्क (सिविल टरमिनल, प्लेट फार्म बस टरमिनल आदि)	55.00	75.00	75.000	205.00
4. (अ)	30 वातानुकूलित पर्यटन कोच	—	—	—	300.00
5.	पर्यटक स्वागत केन्द्र	100.00	96.00	74.00	270.00
6.	पर्यटन-स्थलों का विकास	1810.00	1170.00	565.00	3545.00
6. (अ)	अप्रत्यक्ष व्यय	—	—	—	5690.00
7.	संचार सुविधायें	15.00	25.00	15.00	55.00
8.	जल आपूर्ति	2700.00	210.00	1030.00	3940.00
9.	सीवरेज व्यवस्था	3330 00	340.00	520.00	4190.00
10.	विद्युत व्यवस्था	1333.00	1107.00	748.00	3188.00
11.	प्रशिक्षण	—	—	—	25.00
	योग	11748.00	5700.00	3995.00	27458.00

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 824 का विवरण

उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील के आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1990-91 व 1991-92 में सप्लाई की गयी औषधियों का विवरण

क्र. सं.	स्थान औषधालय	औषध सप्लाई (रुपयों में)	
		1990-91	1991-92 (29-2-92 तक)
1.	ऋषभदेव	6353.90	4868.70
2.	नयागांव	2421.70	2968.45
3.	पाटिया	2421.70	1862.75
4.	कल्याणपुर	2298.10	3160.45
5.	घोड़ी	2421.70	1862.75
6.	कनबई	2421.70	2895.20
7.	भूदर	2421.70	3160.45
8.	पीपली "बी"	2421.70	2335.15
9.	कानूवाड़ा	2421.70	1862.75
10.	खैरवाड़ा	2421.70	1862.75
11.	सागवाड़ा	2421.70	1862.75
12.	भाणदा	2421.70	1862.75
13.	थाणा	1254.15	1933.40

परिशिष्ट–6 अप्रेल, 1992–परिशिष्ट

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 827 की सूची

मसूरिया खादी व पोलिस्टर खादी के बुनकरों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	बुनकर संख्या
मसूरिया खादी		
1.	कोटा	6
पोलियस्टर		
1.	जयपुर	104
2.	सवाई माधोपुर	15
3.	भरतपुर	10
4.	दौसा	20
5.	उदयपुर	5
6.	सीकर	3
7.	अजमेर	3
		160

परिशिष्ट—5

तारांकित प्रश्न संख्या 829 का विवरण

मेजर व माईनर मिनरलवाईज क्षेत्र की नई मांग का विवरण

	वर्ष 1989-90			वर्ष 1990-91		
	डेडरेन्ट	अधिक रायल्टी	योग	डेडरेन्ट	अधिक रायल्टी	योग
प्रधान खनिज						
सीमेन्ट ग्रेड लाईम स्टोन	80567.88	33361338.00	5441925.00	60587.88	8061336.20	6141993.00
उपप्रधान खनिज						
1. लाईम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन)	12776372.00	7195446.00	19971816.00	14850682.20	8436728.77	33317700.00
2. सेन्ड स्टोन	243499.05	41915.15	283310.15	333220.75	119515.55	452536.50
3. बजरी	8767.29	13628.75	20394.00	7757.00	9434.00	17191.00
4. मेसनरी स्टोन	3476.00	61.50	3167.50	5471.00	1999.00	7470.00
कुल योग	13140097.05	12612288.00	25722505.05	15307607.00	14620912.00	29936610.00

खनि. अभियन्ता, रामगंज मण्डी

परिशिष्ट—6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं का विस्तार

830. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल संवर्धन (विस्तार) योजनाएं स्वीकृत हुई थीं ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाएं किस-किस गांव हेतु कब-कब स्वीकृत की गईं ?

(3) क्या यह योजनाएं क्रियान्वित कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? यदि नहीं, तो इनकी क्रियान्विति की क्या स्थिति है ? क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण हैं ? योजनाएं कब तक क्रियान्वित कर पूर्ण कर दी जायेंगी ?

(4) क्या योजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में योजनाओं पर स्वीकृत बजट कम पड़ेगा ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा सरकार योजना शीघ्र पूर्ण करवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सिरोही जिले में 243 ग्रामों की 210 संवर्धन योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जनवरी, 1990 में जारी की गई थी । इनमें से 209 ग्रामों की 185 योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां अगस्त, 90 से जनवरी, 92 की अवधि में जारी की गई । इनका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(3) उपरोक्त में से 78 योजनाएं क्रियान्वित कर दी गई है, 26 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं । शेष योजनाओं की स्थिति एवं अन्य विवरण परिशिष्ट "क" में उपलब्ध हैं । इन योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन धन की उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगा ।

(4) उपरोक्त योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु बड़ी राशि की आवश्यकता है जिसे अल्प अवधि में उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है । अतः योजनाओं को धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1992)

भीलवाड़ा एवं राजसमन्द में मार्बल सैण्ड स्टोन ग्रेनाइट माइन्स

635. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीलाल पटवा)

(1) भीलवाड़ा जिले में तथा राजसमन्द जिले में मार्बल सैण्ड स्टोन ग्रेनाइट पत्थरों की माइन्स कितने क्षेत्रफल की किन व्यक्तियों को सन् 1990-91 तथा 1991-92 में किन नियमों के आधार पर आवंटित की गई ?

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में कृषि भूमि में खातेदारों के अतिरिक्त अन्यों को कृषकों द्वारा नो आब्जेक्शन दिये जाने पर किन-किन व्यक्तियों को कहां-कहां माइन्स दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा एवं राजसमन्द जिले में वर्ष 90-91 एवं 91-92 में खनिज मार्बल, सैण्ड स्टोन व ग्रेनाइट की माइन्स निम्नानुसार आवंटित हुई, जिनका विवरण, क्षेत्रफल एवं नाम सहित संलग्न परिशिष्ट "अ" के पृष्ठ 1 से 67 तक के अनुसार है :—

नाम जिला	1990-91		1991-92		
	मार्बल	ग्रेनाइट	मार्बल	सैण्ड स्टोन	ग्रेनाइट
भीलवाड़ा--जिला	8	46	21	893	59
राजसमन्द–जिला	141	09	178	—	46

माइन्स राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली–1986 के अधीन आवंटित की जाती है ।

(2) उक्त अवधि में भीलवाड़ा जिले में कृषि भूमि में खातेदारों के अतिरिक्त अन्यों को कृषकों द्वारा नो-आब्जेक्शन दिये जाने पर कोई खनन-पट्टा स्वीकार नहीं किया गया । राजसमन्द जिले में ऐसे मामलों में कृषकों द्वारा नो-आब्जेक्शन दिये जाने पर स्वीकृत खनन-पट्टों का विवरण परिशिष्ट "अ" के पृष्ट-51 से 67 के कालम नम्बर-8 में अंकित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में सिरेमिक उद्योग सेन्टर की स्थापना

831. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अजमेर में सिरेमिक उद्योग सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या उक्त सेन्टर हेतु अब तक

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो स्थल का चयन कहां पर किया गया है और यह सिरेमिक सेन्टर कब तक स्थापित हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) सामान्य सुविधा केन्द्र सिरेमिक्स उद्योग, अजमेर की स्थापना हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार जयपुर से तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। ज्योंही परियोजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त होगा स्थान का चयन कर अविलम्ब स्थापित करने का प्रयास किया जावेगा ।

अटरू में पुरातत्व महत्व के देवालय

832. श्री मदन दिलावर (अटरू) : पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा कितने देवालय व स्थान संरक्षित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा रख-रखाव पर कितना व्यय किस-किस कार्य हेतु किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा संग्रहालय में अधिकतर मूर्तियां अटरू तहसील की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अटरू में संग्रहालय बनाने की योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(2) बारां जिले का अटरू विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान पुरातत्व विभाग के नीचे लिखे देवालय एवं स्थान संरक्षित घोषित हैं ।

1. मन्दिर ग्राम बिछालस
2. मन्दिर ग्राम बड़ोरा
3. मन्दिर समूह ग्राम सहरोद
4. मन्दिर समूह ग्राम घूमेन
5. शक्ति सागर तालाब, मोठपुर

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (केन्द्र सरकार) द्वारा नीचे लिखे देवालय संरक्षित घोषित हैं ।

1. गणेश मन्दिर
2. गढ़गच का मन्दिर
3. गदिया मन्दिर

(2) गत दो वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नीचे लिखे अनुसार धनराशि खर्च की गई ।

मरम्मत कार्य हेतु 31,528-/ रु.

कर्मचारियों को वेतन आदि 1,03,736-/ रु.

(3) राजकीय संग्रहालय, कोटा में अटरू तहसील की मात्र 46 पाषाण प्रतिमायें ही विद्यमान हैं। राज्य सरकार के सीमित साधनों के कारण अटरू तहसील में फिलहाल संग्रहालय बनाने की कोई योजना नहीं है ।

रसायन शालाओं द्वारा दवाई उत्पादन

833. **श्री चुन्नीलाल** (उदयपुर ग्रामीण), **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री बालचन्द** (डग) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत कुल कितनी रसायन शालाएं कार्यरत हैं ?

(2) इन रसायन शालाओं को प्रतिवर्ष कितनी दवाओं के उत्पादन का लक्ष्य दिया जाता है तथा उसमें से कितने प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जाती है ? गत 5 वर्षों के रसायन शालावार आंकड़े प्रस्तुत करें ।

(3) क्या इन रसायन शालाओं द्वारा निर्मित दवाएं विभाग के समस्त औषधालयों की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है ?

(4) क्या सरकार इन रसायन-शालाओं द्वारा आपूर्ति मांग के अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु अन्य निर्माताओं द्वारा बनी दवाओं की सीधी खरीद करने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत राज्य में 4 रसायन शालाएं वर्तमान में संचालित हैं ।

(2) वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक के रसायनशालावार औषध निर्माण लक्ष्य, निर्माण मात्रा एवं लक्ष्य के विरुद्ध निर्माण का प्रतिशत सम्बन्धी आंकड़े परिशिष्ट-1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं । जड़ी बूटियों एवं घटक द्रव्यों के अधिक क्रय हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । ताकि रसायन शालाओं की पूर्ण क्षमता के अनुरूप औषध निर्माण सम्भव हो सके ।

निर्माण व सप्लाई के मध्य समुचित तालमेल रखने हेतु वर्षभर का कार्य केलेन्डर निर्धारित किया जा रहा है ।

औषध क्रय, निर्माण व वितरण व्यवस्था में सुधार तथा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सुझाव देने के लिए अशासकीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है जो उक्त बिन्दुओं पर अध्ययन कर सरकार को तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

(4) आवश्यकता के अनुरूप दवा खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का अभाव

834. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कितने माध्यमिक (सैकण्डरी) विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रधानाध्यापक नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इनमें से कुछ विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के केन्द्र भी हैं ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों में बोर्ड की परीक्षाओं का संचालन किस प्रकार किया जावेगा ।

(श्रीमती मदन कौर)

(3) इतने लम्बे समय तक माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नहीं लगाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक सरकार इन रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में कुल 47 माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। इन विद्यालयों में परीक्षा केन्द्राधिक्षक की नियुक्ति परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले से ही जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कर दी गई है।

(3) माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त प्रधानाध्यापकों के पदों की लोक सेवा आयोग से आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण भरे नहीं जा सके। अब लोक सेवा आयोग से 234 चयनित आशार्थियों की सूची उपलब्ध हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के पश्चात् ये पद भरे जा सकेंगे।

क्र. सं. 1	नाम विद्यालय 2		पद कब से रिक्त है 3
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	खंडप	8.91
2.	,, ,,	मूंगा	2.90
3.	,, ,,	कवास	11.90
4.	,, ,,	विशाला	10.91
5.	,, ,,	भियाड	11.90
6.	,, ,,	बाटाडू	12.90
7.	,, ,,	सवाई पदमसिंह	7.86
8.	,, ,,	हरसानी	10.89
9.	,, ,,	होडूं	10.88
10.	,, ,,	गसईया का नला	1.87
11.	,, ,,	लीलसर	12.90
12.	,, ,,	रावतसर	6.90
13.	,, ,,	धनाऊ	7.88
14.	,, ,,	उण्डू	11.88
15.	,, ,,	असाडा	10.91
16.	,, ,,	हीरा की ढाणी	8.89

1	2		3
17.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	बावडीकला	7.86
18.	" "	रामसर	9.91
19.	" "	छोटू	7.91
20.	" "	खटीन	8.89
21.	" "	अरणियाली	7.87
22.	" "	इन्द्राणी	7.90
23.	" "	पाटोदी	2.91
24.	" "	बायडला	7.89
25.	" "	नोखडा	12.89
26.	" "	पायलाकलां	11.89
27.	" "	कुवा	11.89
28.	" "	बाखासर	11.89
29.	" "	सियाणी	11.89
30.	" "	तरातरा	11.89
31.	" "	निबाणिया की ढाणी	11.89
32.	" "	आडेल	11.89
33.	" "	कीटनोट	11.89
34.	" "	भेडाना	11.89
35.	" "	कोभा	11.89
36.	" "	मूलजी की ढाणी	3.89
37.	" "	लूहारबा	2.92
38.	" "	केलनोर	2.92
39.	" "	नाद	2.92
40.	" "	रामदेरिया	11.91
41.	" "	हुडो की ढाणी	2.91
42.	" "	बालेवा	2.92
43.	रा. बा. मा. वि.	सिणधरी	8.89
44.	" "	सिवाणा	5.89
45.	" "	चोहटन	1.89
46.	" "	रसोल	12.50
47.	" "	गडरारोड	10.91

बीकानेर जिले में भूमि अवाप्ति का मुआवजा

835. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले के 34 गांवों की भूमि व सम्पत्तियां महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थापित करने हेतु 1985-86 में अवाप्त की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है उक्त अवाप्त कार्यवाही के अवार्ड्स में विभिन्न विस्थापितों की सम्पत्तियों को मुआवजा हेतु एवार्ड में शामिल न होने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने एक पुनः अवलोकन समिति का गठन किया था जिसमें रक्षा मंत्रालय के स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल थे ?

(3) उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर जो अवार्ड राशि देय है उसके भुगतान कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या सरकार को ज्ञात है कि देशहित के लिये विस्थापित होने वाले इन लोगों में से अधिकांश का जीवन स्तर गाडोलिया लुहारों जैसा हो गया है तथा उन्हें पुनः स्थापना हेतु जीवनोपयोगी सुविधाओं यथा आबादी भू-खण्ड शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, भवन निर्माण ऋण व रोजगार के साधनों से वंचित रहना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थापित करने हेतु तहसील लूणकरनसर के 33 गांव अवाप्त किये गये थे।

(2) हां, यह भी सही है कि अवाप्ति के भुगतान के समय उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु दिनांक 20-4-86 एवं 28 जून, 86 को आदेश के द्वारा विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी जिसमें रक्षा मंत्रालय के स्थानीय प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

(3) उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर 13,07,507/– रुपये के एवार्ड रक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। राशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार से कार्यवाही की जा रही है। राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(4) यह सही नहीं हैं क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा विस्थापितों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उनके लिए कुछ नवीन आबादियां बसाई गई तथा इसके लिये अनेक ग्रामों की आबादियों का विस्तार कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराई गई। कृषि भूमि का आवंटन भी किया गया।

नव सृजित प्राथमिक विद्यालय

836. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत बजट सत्र में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की सरकार ने घोषणा की थी ? उक्त विद्यालयों में से कुल कितने विद्यालय खोल दिये गये हैं एवं शेष खोले जाने में क्या कठिनाई हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) उक्त विद्यालय खोले जाने में देरी के क्या कारण रहे ?

(3) क्या शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में विद्यालय नहीं खोलने से और विलम्ब से विद्यालय खोलने से शिक्षा प्रदान करने का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार लाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 92 में कुल 1500 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी जिसके अनुसार कुल 1500 प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गये हैं।

(2) विद्यालय खोलने से पूर्व प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण में समय लगने एवं जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण विद्यालय खोलने में देरी हुई।

(3) इन विद्यालयों का लाभ आगामी शिक्षा सत्र से प्रारम्भ हो जायेगा। इस वर्ष यह कार्यवाही समय पर करने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्रेनाइट ब्लाक की रायल्टी

837. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान ग्रेनाइट ब्लाक 15 × 15 × 26 की रायल्टी 75 रुपये प्रति टन के हिसाब से वसूल की जाती है ? यदि हां, तो वर्तमान में कार्यरत एवं प्रस्तावित उद्यमियों को भी 5 प्लाट 100 × 100 मीटर के खनन् पट्टे जारी किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो फिर इनसे ब्लाक की रायल्टी क्यों वसूल की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 27-11-1991 की नई नीति लागू होने के पश्चात् राजकीय भूमि में उपलब्ध खनिज ग्रेनाइट के क्षेत्रों का विधिवत् डेलीनिएशन किया जायेगा ? यदि हां, तो अब तक कितने क्षेत्रों का डेलीनिएशन किया जा चुका है एवं कितने नये क्षेत्रों की योजना प्रस्तावित हैं ? इससे कितने क्षेत्रों के खनन् पट्टों का निष्पादन सम्भव हुआ है ?

(3) क्या खनिज निकालने हेतु प्रोसेसिंग संयंत्र प्रत्येक खनन् पट्टाधारी को स्थापित करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या यह प्रत्येक क्षेत्र हेतु सम्भव है ? प्रोसेसिंग संयंत्र की कितनी अनुमानित लागत कितनी है और क्या यह व्यवसायिक तौर से उचित है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में ग्रेनाइट ब्लाक पर 75/- रु. प्रति टन की दर से रॉयल्टी वसूल की जाती है। प्रश्न में वर्णित ब्लॉक के आयाम की ईकाई अंकित नहीं होने से ब्लाक के आयाम स्पष्ट नहीं है लेकिन ब्लॉक का कोई एक आयाम 60 से. मी. से अधिक होने पर ब्लॉक उसी पर देय रॉयल्टी वसूल की जाती है।

(2) जी हां, नियमानुसार सरकार की नीति के तहत उद्यमियों को 5 प्लॉट

(खनिज राज्य मंत्री)

100 × 100 मीटर के स्वीकृत किये जा रहे हैं। लेकिन खनन् पट्टों की स्वीकृति संख्या व ब्लॉक पर ली जाने वाली रॉयल्टी की दर में आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। जी हां। क्षेत्र डेलीनियेशन किये जाने की कार्यवाही जारी है। अब तक 23 क्षेत्रों का डेलीनियेशन किया जाना प्रस्तावित है। बाकी क्षेत्रों के बारे में जांच जारी है।

(3) खनिज निकालने हेतु प्रोसेसिंग संयंत्र लगाना आवश्यक नहीं है बल्कि वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करके के लिये खनन् उपकरण लगाना अनिवार्य है।

अधिशासी अधिकारी पर अनियमितता का आरोप

838. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अभी कुछ ही दिनों पूर्व विद्या बिहार नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर एक अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया है ?

(2) क्या ये अधिशासी अधिकारी पहिले 11 अथवा 12 वर्ष तक इसी नगर पालिका में कार्यरत रहे थे परन्तु इनके द्वारा की गई अनियमितताओं तथा धांधली के कारण और उनकी जांच होने व आरोप सही पाये जाने पर इन्हें वहां से स्थानान्तरित किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि अनियमित एवं गलत तरीके से इन्होंने अपने ही पुत्र को सीधा वरिष्ठ लिपिक नियुक्त कर लिया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी इनके खिलाफ केस नं. 1037 पिलानी थाने में दर्ज है ? इन सब आरोपों के होते हुये पुनः विद्या बिहार नगरपालिका में इन्हें स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1978 के पश्चात् कोई भी एक अधिशासी अधिकारी लगातार 11 व 12 वर्ष तक कार्यरत नहीं रहा है। नगरपालिका विद्या विहार में सितम्बर, 79 से 8 नवम्बर, 87 तक श्री एस. के. पुरोहित, अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे थे। इनके विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर एवं प्रशासनिक कारणों से इनका स्थानान्तरण यहां से अन्यत्र कर दिया गया था।

(3) जी हां।

(4) यह सही है कि श्री एस. के. पुरोहित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में परिवाद सं. 1037 दर्ज थी। श्री एस. के. पुरोहित को विद्या बिहार से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाएं

839. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकिशन)

स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत राजस्थान में किस-किस वित्तीय संस्था को लिया गया है ?

उत्तर

राजस्थान वित्त निगम के अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 27-2-87 के अन्तर्गत राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 27 (2) व (3) तथा धारा 29, 30, 31, 32 व 32 ऐ से 32-जी का प्रयोग करने हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. को भी प्राधिकृत किया गया है ।

जालौर शहर में मदिरा की दुकानें

840. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर शहर में देशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बेचने की दुकानें कहां-कहां पर स्थित है ?

(2) क्या तिलक द्वार की देशी मदिरा की दुकान के पास भैरुनाथजी का अखाड़ा, रामदेवजी का मन्दिर, गणेशजी का मन्दिर, आखरिया, हनुमानजी का मन्दिर, सब्जी मण्डी, पब्लिक पार्क 50 फुट के दायरे में है या अधिक दूर है ? दूरी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या बागोड़ा रोड पर स्थित शराब विक्रय की दुकान के सामने 50-60 फुट की दूरी पर हनुमानशाला नामक विद्यालय है जो दो पारियों में चलता है ?

(4) क्या जालौर शहर में शराब की दुकानों की लोकेशन आबकारी नियमों के अनुसार निषिद्ध स्थानों को छोड़कर स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कैसे, नियम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) नियम विरुद्ध लोकेशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जालौर शहर में देशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकाने निम्न प्रकार स्थित है :—

1.	भा. नि. वि. म. खुदरा दुकान	बागोडारोड
2.	देशी मदिरा मुख्य दुकान	बागोडारोड
3.	देशी मदिरा उप दुकान	तिलकद्वार
4.	,, ,, ,, ,,	सूरजपोल
5.	,, ,, ,, ,,	तातखाना बावडी
6.	,, ,, ,, ,,	रेल्वे स्टेशन
7.	,, ,, ,, ,,	गोडीजी

(2) देशी मदिरा उप दुकान तिलकद्वार, जालौर से निम्न स्थानों की दूरी इस प्रकार है :—

(आबकारी मंत्री)

1.	भैरुनाथजी का अखाडा	135 मीटर
2.	रामदेवजी का मन्दिर	80 मीटर
3.	अक्रिया हनुमानजी का मन्दिर	130 मीटर
4.	गणेशजी का मन्दिर	दुकान के पास गणेशजी का कोई मन्दिर नहीं है मात्र एक मूर्ति तिलकद्वार की दीवार में लगी हुईहै ।
5.	सब्जी मण्डी	250 मीटर
6.	पब्लिक पार्क	दुकान के पास कोई पब्लिक पार्क स्थित नहीं है ।

उपरोक्त भैरुनाथजी का अखाड़ा, अक्रिया हनुमानजी एवं रामदेवजी का मंदिर धार्मिक स्थानों की तारीफ में नहीं आते है क्योंकि न तो वहां रोजाना पूजा अर्चना होती है और न ही दर्शनार्थी आते जाते हैं तथा न ही देवस्थान विभाग द्वारा जारी मन्दिरों की सूची में भी ये शामिल है । एक लाख से कम आबादी वाले स्थानों के लिए प्रमुख रूप से उन्हीं स्थानों को धार्मिक स्थलों की श्रेणी में माना जाता है जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है । चूंकि जालौर शहर की आबादी एक लाख से कम है अतः उपरोक्त वर्णित कारणों से प्रश्न में वर्णित स्थल धार्मिक स्थलों की श्रेणी में नहीं माना जायेगा ।

(3) बागोडा रोड़ स्थित शराब की दुकान के समीप हनुमानशाला प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो अलग-अलग दो पारियों में चलता है । यह दुकान से 50 मीटर की दूरी पर है । लोकेशन की शर्तो का 200 मीटर वाला बन्धन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं पर लागू नहीं होता है । फिर भी दुकान को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि शिक्षण संस्थान बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी ।

(4) जी हां । लोकेशन नियमों को ध्यान में रखकर ही दुकानें स्वीकृत की गई है । सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) लोकेशन नियम विरूद्ध स्वीकृत किया ही नहीं गया है ।

This Rule 75 has been subsitituted by new Rule 75 w.e.f. 27-2-92 (copy enclosed)

The Rajasthan Excise Rules, 1956.

Rule 75 :—Location of shops :—

(1) A licence for the retail sale of country liquor or hemp drugs

shall have his shop only at a place approved by the District Excise Officer.

(2) A shop for the retail sale of country liquor shall not be located—

(a) in close proximity to a collegiate educational institutions, Senior Higher Secondary School, hospital or place of worship or public entertainment or,

(b) in the neighbourhood of the factory or a labour or Harijan colony.

Explanation :—For the purpose, of clause (b) sub-rule (2) 75 "Harijan colony" shall mean a municipal ward in which population of persons belonging to scheduled castes according to the latest census exceeds fifty percent of the total population of that ward.

देशी मदिरा लाईसेन्स की शर्त संख्या 11 (क) लाईसेन्सधारी को शराब की दुकान का स्थान अपने हलके के जिला आबकारी अधिकारी से स्वीकार कराना होगा । बिना ऐसी स्वीकृति के दुकान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदली जा सकेगी । पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी को स्वीकृत स्थान से दुकान हटवाने का अधिकार होगा । इस प्रकार अन्यत्र दुकान स्थानान्तरित करने पर किसी प्रकार का हर्जाना या प्रति पूर्ति देय नहीं होगी ।

(ख) लाईसेन्सधारी शराब की दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकेण्डरी शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों, उद्यान तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से 200 मीटर के अन्दर नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी, के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर ही लागू होगा । महाविद्यालय स्तरीय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी संस्थान को छोड़कर अन्य विद्यालयों की निकट की दुकानों के लिये यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही खोली जा सकेगी ।

(ग) लाइसेन्सधारी फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती के नजदीक दुकान नहीं लगा सकेगा।

(ङ) दुकानों की अवस्थिति (लोकेशन) बाबत उक्त प्रतिबन्धों में प्रर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) खुदरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 27 :–

अनुज्ञाधारी शराब की दुकान हस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सेकेण्डरी शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से 200 मीटर के अन्दर नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर ही लागू होगा।

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

जयपुर, दिनांक 27-2-92

अधिसूचना

जी. एस. आर. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान आबकारी नियम, 1956 को ओर संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(क) इन नियमों का नाम राजस्थान आबकारी (संशोधन) नियम, 1992 है।

(ख) ये, नियम के स्पष्टीकरण सं. (4) में अधिरोपित निर्बंधन के अध्यधीन रहते हुए तुरन्त प्रवृत होंगे।

(2) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के विद्यमान नियम 75 के स्थान पर नये नियम 75 का प्रतिस्थापन— निम्नलिखित नया नियम 75 प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

75. दुकानों की अवस्थिति :—

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या भांग (हेम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए अपनी दुकान संबधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान, महाविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक संस्था, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मनोरंजन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या यथा-स्थिति, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बस स्टैण्ड से 200 मीटर के अर्द्धव्यास में अवस्थित नहीं होगी।

(3) कोई खुदरा दुकान, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और किसी दुकान के ऐसे स्थानान्तरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

परन्तु आबकारी आयुक्त मदिरा दुकान की अवस्थिति की उपर्युक्त शर्तों में आपवादित परिस्थितियों में, ऐसा करने के लिए लिखित में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शिथिलता दे सकेगा।

स्पष्टीकरण :—

(1) नियम 75 के उप नियम (2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में "पूजा स्थल" से दुकान की दूरी के सम्बन्ध में निर्बंधन केवल उन पूजा स्थलों के बारे में लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी गई सूची में दर्ज हैं।

(2) हरिजन कॉलोनी से ऐसा कोई नगरपालिका वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की कुल जनसंख्या की पचास प्रतिशत से अधिक है।

(3) महाविद्यालय या किसी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संस्था से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था के पास अवस्थित को दुकान उस संस्था के बन्द होने के समय के कम से कम एक घन्टे बाद ही खोली जायेगी।

(4) रेल्वे स्टेशन और बस स्टेण्ड से दुकान की दूरी से सम्बन्धित निर्बन्धन 1 अप्रेल, 1993 से लागू होंगे।

सं. एफ. 1 (6) वित/आब/91

राज्यपाल के आदेश से

ह.

(डी. बी. गुप्ता)

उप शासन सचिव

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बारां में अध्यापकों के रिक्त पद

841. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय. बारां में किस-किस विषय के कितने अध्यापकों के कब से पद रिक्त हैं ?

(2) क्या रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उक्त विद्यालय की ओर से उच्च अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) लम्बे समय तक पद रिक्त रहने से छात्राओं के अध्ययन में उत्पन्न बाधा के लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

(4) इन रिक्त पदों की पूर्ति सरकार कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारां में अध्यापकों के निम्नानुसार पद रिक्त हैं :—

व्याख्याता अंग्रेजी	1/91
हिन्दी	3/91
संस्कृत	2/91
नागरिक शास्त्र	3/91
गृह विज्ञान	1/91
अर्थशास्त्र	1/91
संगीत	12/89

(2) जी हां । 16-7-91 एवं 12-11-91 को पत्र लिखे गये हैं ।

(3) छात्राओं के अध्ययन में बाधा न हो, इस दृष्टि से स्थानीय विद्यालयों से एवं उसी विद्यालय के द्वितीय श्रेणी के अध्यापक जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर होते हैं, उनसे पढ़ाई की व्यवस्था यथा सम्भव कराई जाती है ।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने व तदर्थ पदोन्नति की अनुमति होने पर ये पद भरे जा सकेंगे ।

थाना पापूबड़ी में दर्ज मुकदमा

842. श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना पापूबड़ी में मु. नं. 40/91 व 41/91 दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो आई. पी. सी. की कौन-कौन सी धारा में कब-कब दर्ज हुआ ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) मु. नं. 41/91 में कितना-कितना किस-किस प्रकार का नुकसान हुआ ? कितना माल बरामद किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मु. नं. 40/91 का चालान अदालत में पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) मु. नं. 41/91 में कितने आरोपियों के नाम अंकित है ? इनमें कितने गिरफ्तार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इनके विरुद्ध कब तक चालान पेश कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मु. नं. 40/91 धारा 147, 148, 149, 323, 336 भारतीय दण्ड संहिता दि. 12-6-91 व मु. नं. 41/91 धारा 147, 148, 149, 427, 436, भारतीय दण्ड संहिता दि. 13-6-91 को थाना पादूबड़ी में दर्ज किये गये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) मु. नं. 41/91 के प्रथम सूचना अनुसार मुस्तगीस मंजूर खां का केबीन मुलजिमान द्वारा जला दिया गया, उसको 4000/– रुपये का नुकसान हुआ कोई माल चोरी नहीं गया व ना ही पुलिस द्वारा कोई माल बरामद किया गया है।

(3) जी हां। मुकदमा नं. 40/91 का चालान अदालत में दि. 10-2-92 को न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

(4) मु. नं. 41 91 में आरोपियों के नाम सर्वश्री (1) भवरलाल पुत्र गिरधारीलाल, (2) सतीशचन्द्र पुत्र पुरूषोत्तम (3) सत्यनारायण पुत्र आइदान पारीक (4) ओमसिंह पुत्र मांगेसिंह पुरोहित (5) शांतिलाल पुत्र गिरधारीलाल ओझा (6) अन्नाराम पुत्र जयराम चौकीदार (7) कंवरलाल, बुकिंग क्लर्क (8) ओमसिंह पुत्र हीरालाल व अन्य 20-25 और थे अभी तक कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकरण का अनुसन्धान सी. आई. डी. (सी. बी.) जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अन्वेषण पूर्ति पर तुरन्त कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समिति नैनवां की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

843. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां): क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति नैनवां की प्राथमिक पाठशालाओं में कितने विद्यार्थी तथा अध्यापक हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) छात्रों की संख्या के आधार पर कितने अध्यापक कम हैं तथा अब कब तक अध्यापकों की पूर्ति कर दी जायेगी?

(3) क्या ग्राम लक्ष्मीपुरा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की आबादी है तथा वहां की प्राथमिक पाठशाला में पूरे अध्यापक नियुक्त नहीं हैं? अब कब तक पर्याप्त अध्यापक लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नैनवां में 290 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं एवं 8663 छात्र अध्ययनरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 12 अध्यापकों के पद कम हैं। शीघ्र ही अध्यापकों की पूर्ति कर दी जावेगी।

(3) जी हां। ग्राम लक्ष्मीपुरा में 60 छात्र अध्ययनरत हैं जिनके लिए दो अध्यापक कार्यरत हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बरोड़ा तथा बामनीय पंचायत क्षेत्रों में अवैध खनन कार्य

844. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बरोड़ा तथा बामनीय पंचायत क्षेत्रों में किन-किन व्यक्तियों की मार्बल माइन्स चल रही हैं ?

(2) क्या इन क्षेत्रों में मार्बल माइन्स की जमीन आदिवासी खातेदारों व ग्रामवासियों के चरागाह भूमि पर एन. ओ. सी. जारी कराकर माइन्स सम्पन्न लोगों द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ये वैध हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त अवैध माइन्स मालिकों व स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) मार्बल माइन्स से सार्वजनिक स्थल की दूरी कितनी होनी चाहिए ? इस क्षेत्र में जो माइन्स चल रही है, क्या वे नियमानुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इन मार्बल माइन्स के कारण आस-पास के कुएं व खेतों की नमी व पानी सूख गया है व पानी का धरातल नीचे चला गया, जिससे वहां के निवासियों के जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है ? क्या सरकार प्रभावितों को मुआवजा व पुनर्वास की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बरोड़ा व बामनीय पंचायत क्षेत्र में मार्बल माइन्स के 19 खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ" अनुसार है।

(2) जी हां। क्षेत्र में निजी खातेदारी भूमि में व चारागाह भूमि में खनिज मार्बल के खनन पट्टे स्वीकृत हुये हैं। निजी भूमि में पट्टाधारियों की सहमति से व चारागाह में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर खनन पट्टे स्वीकार किये जा सकते हैं। खनन पट्टे नियमानुसार प्रावेदकों को स्वीकार किये जाते हैं।

(3) जी नहीं।

(4) मार्बल माइन्स में खनन कार्य सार्वजनिक स्थल के 45 मीटर के अन्दर नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में 45 मी. के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है।

(5) जी नहीं मार्बल माईन्स के कारण आस-पास के कुओं का पानी नहीं सूखता है और न ही खेतों की नमी कम होती है।

निकट ग्राम बरोडा/खीरावाडा/बामनीया तहसील सलूम्बर में चल रहे
खनन पट्टों की सूची

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	निकट ग्राम व तहसील	खनिज	अवधि
1	2	3	4	5
1.	मै. त्रिवेदी एण्ड शाह	बरोडा/सलूम्बर	मारबल	2-11-84 से 1-11-94
2.	श्री बदामीलाल नीमा	,,	,,	19-2-90 से 18-2-2002
3.	श्री पवन कुमार जैन	,,	,,	9-12-91 से 8-12-2001
4.	श्री अशोक मेहता	खीरावाडा/ ,,	,,	29-9-89 से 28-9-99
5.	श्री विनोद भट्ट	,,	,,	21-3-87 से 29-3-97
6.	श्री मनोहर माली	,,	,,	16-3-90 से 15-3-2000
7.	श्री प्रतापसिंह	,,	,,	19-8-89 से 18-8-99
8.	श्री प्रतापसिंह	,,	,,	5-2-85 से 4-2-95
9.	श्री जकरिया सुल्तान	धामनिया/ ,,	,,	21-2-85 से 20-2-95
10.	श्री हिम्मतलाल दोषी	खीरावाडा/ ,,	,,	26-4-78 से 25-4-93 व
			नवीनीकरण	26-4-83 से 25-4-93

1	2	3	4	5
11.	सुश्री मीना टांक	बरोडा/सलूम्बर	मारबल	20-9-83 से 19-9-93
12.	सनराइज मारबल	धामनिया/ ,,	,,	4-4-81 से 3-4-91 व
			नवीनीकरण	4-4-91 से 3-4-2001
13.	श्री अशोक मेहता	खीरावाडा/सलूम्बर	मारबल	26-9-90 से 25-9-2000
14.	श्री गजेन्द्रसिंह मेहता	बरोडा/ ,,	,,	21-9-91 से 20-9-2001
15.	सुश्री मीना टांक	धामनिया/सलुम्बर	,,	21-10-81 से 20-10-91
			नवीनीकरण	21-10-91 से 20-10-2001
16.	श्री मांगीलाल टांक	बरोडा/सलूम्बर	मारबल	11-2-92 से 10-2-2002
17.	श्री आर. सी. पाण्डे	,,	,,	31-7-91 से 30-7-2001
18.	श्री ,,	,,	,,	31-7-91 से 30-7-2001
19.	श्री शिवराम त्रिवेदी	,,	,,	21-9-91 से 20-9-2001

ह./—
खनि अभियन्ता, उदयपुर ।

2~~00~~

बीसलपुर योजना से अजमेर को जल आपूर्ति

845. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीसलपुर योजना से अजमेर जिले में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर इस योजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा ?

(3) क्या भिनाय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में भी पेयजल इस योजना से उपलब्ध कराया जायेगा ?

(4) यदि हां, तो किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) निर्माणाधीन बीसलपुर पेयजल योजना से केवल 6 शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है ।

(2) उपरोक्त योजना से अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी व सरवाड़ शहरों को पेयजल दिया जायेगा ।

(3) उपरोक्त योजना में ग्रामों को पेयजल दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

(4) उपरोक्तानुसार ।

झुन्झुनूं के सीमेंट उद्योग

846. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) झुंझुनूं जिले में कितने सीमेन्ट उद्योग चालू हालत में हैं एवं कितने उद्योगों का कार्य प्रगति पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार को बाहर के प्रवासी उद्योगपतियों द्वारा यहां उद्योग लगाने के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस के ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) झुंझनूं जिले में उत्पादनरत एवं निर्माणाधीन सीमेन्ट उद्योगों के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

झुंझुनू जिले में उत्पादनरत/निर्माणाधीन सीमेंट उद्योगों का विवरण

1. थार सीमेन्ट प्रा. लि. सीतापुर (नवलगढ़)	उत्पादनरत
2. चिनार सीमेन्ट प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र, बाखा	निर्माणाधीन
3. मोती सीमेन्ट प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र, झुंझनू	,,
4. शाकम्बरी सीमेन्ट प्रा. लि. मोर्डा पहाड़, झुंझुनू	,,
5. गुप्ता सीमेन्ट प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र, चिड़ावा	,,
6. शरद सीमेन्ट प्रा. लि. मोहब्बतसर	,,
7. चोखानी सीमेन्ट प्रा. लि. झुन्झुनू	,,

उद्योग लगाने हेतु बाहर के प्रवासी उद्योगपतियों द्वारा उद्योग लगाने हेतु किये गये आवेदनों की सूची

क्र. सं. 1	इकाई का नाम 2	उत्पादन का नाम 3
1.	ग्लोब सीमेंट प्रा. लि., झुंझुनू	पोर्टलैण्ट सीमेन्ट
2.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल, 157, आनन्द विहार, प्रीतमपुरा, दिल्ली	
2.	बसेरा सीमेन्ट प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र, झुंझुनू	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट
3.	गुप्ता सीमेन्ट प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र, चिडावा श्री नरेशकुमार पुत्र श्री रघुवरदयाल	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट
4.	शाकम्बरी सीमेन्ट्स, मोडा पहाड़ झुंझनू श्री रामभजन गाडिया, 312-कालवादेवी रोड़, बम्बई ।	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट
5.	एस. बी. एस. मिनरल्स, बगोरा एन. डी. डागरा, 96-6 मण्डीरोड़, बहादुरगढ़	क्वार्ट्ज पाउडर
6.	गगन ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, झुंझुनू गोरालाल गर्ग पुत्र श्री भूरालाल, ग्राम रामपुरा फूल-भटिण्डा	ग्रेनाइट टाइल्स

1	2	3
7.	निकेश ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज, ओद्योगिक क्षेत्र, झुंझुनू प्रो. प्रेमरानी गर्ग, ग्रेनवाल बस्ती, सिरसा।	ग्रेनाइट टाइल्स
8.	एम. बी. प्रोडक्ट, सूरजगढ़ प्रो विमलकुमार, कानपुर।	पान मसाला
9.	सुमेधा कैमिकल प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र, चिड़ावा रामनिवास शर्मा पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद, भिवानी	सी. पी. डब्लू
10.	देव कैमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र, चिड़ावा प्रो. देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री गणेशीलाल, पटेलनगर (हरि.)	सी. पी. डब्लू

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर

847. **श्री गुलाबसिंह** (सुमेरपुर) : एवं **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में कितने व्यक्ति किस-किस विषय के आचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) इनको आचार्य के पद पर पदोन्नत कब किया गया था ? प्रत्येक को पदोन्नति/नियुक्ति की तिथि तथा उनके द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

आचार्य पदों का विवरण

विषयानुसार स्वीकृत पद	नाम	आचार्य पद पर पदोन्नति तिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	शैक्षणिक योग्यता
शारीर	श्री अमरनाथ शर्मा	29-12-87	27-7-56	भिषगाचार्य (राजस्थान)
काय चिकित्सा	श्री गौरीशंकर श्रोत्रिय	29-12-87	10-5-58	भिषगाचार्य (राजस्थान)
शल्य शालाक्य	श्री नरहरि पण्डया	29-12-87	8-4-70	भिषगाचार्य (राजस्थान) एम. एस. ए. एम. (जामनगर)
प्रसूति कौमार भृत्य	श्री कनकप्रसाद व्यास	29-12-87	4-9-74	भिषगाचार्य (राजस्थान) आयुर्वेद वृहस्पति (रा. वि.)
द्रव्य गुण	श्री महेशचन्द्र शर्मा	29-12-87	6-2-73	आयुर्वेदाचार्य (रा. वि.) आयुर्वेद वाचस्पति (रा. वि.)
मौलिक सिद्धान्त	श्री भवानीशंकर पालीवाल	29-12-87	30-7-60	भिषगाचार्य (राजस्थान)
रस शास्त्र	श्री मुकुटबिहारी शर्मा	23-9-89	28-3-69	भिषगाचार्य (राजस्थान) एम. एस. ए. एम. (जामनगर)

नोट :—उपरोक्त व्यक्ति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित किये गये हैं।
एक आचार्य पद (काय चिकित्सा) का 1-10-90 से रिक्त है।

पाली जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

848. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय कहां-कहां पर है विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में अध्यापकों के पद काफी समय से रिक्त चले आ रहे है ? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं ?

(3) पाली जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

व्याख्याता	—	40
वरिष्ठ अध्यापक	—	5
अध्यापक	—	9

(3) पाली जिले के विभिन्न विद्यालयों में व्याख्याता के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर एवं तदर्थ नियुक्ति की अनुमति होने पर भरा जा सकेगा । वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आरक्षित केन्द्र के नकारा हथियार

849. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है पुलिस विभाग के आरक्षित केन्द्रों में नकारा बन्दूकें व अन्य हथियार नीलामी योग्य हैं ? यदि हां, तो कितनी तादाद में हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इनकी नीलामी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या प्रावधान है व कब तक नीलाम कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां निलामी योग्य नाकारा हथियारों की संख्या की जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां । इन नकारा हथियारों की नीलामी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित की जा चुकी है निकट भविष्य में इन हथियारों के निस्तारण की कार्यवाही अतिशीघ्र कर दी जावेगी ।

नीलामी योग्य हथियारों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नीलामी योग्य हथियार
1	2	3
1.	जोधपुर	बी. एल. गन. 1, टोपीदार बंदूक 2, एस. बी. एल. गन 41, बंदूक की नाल 6, तमंचा 12, राइफल 1, एम. के.–111 27, रिवाल्वर/पिस्टल 93, डी. बी. बी. एल. 9, एस. बी. बी. एल. 12, राइफल एम. के. 3, एल. एम. जी. 1, 2 इंच मोटर 1, राइफल 3, राइफल 5 एम. के. 2, गन देशी 1, 410 मस्केट 1, राइफल मोजर 4, देशी कट्टा 4, योग 223
2.	पाली	एम. एल. गन 194, 12 बोर 1, देशी कट्टा 1, टोपीदार बंदूक 1, नालें 10, योग 207
3.	जालोर	एम. एल. गन 32, योग 32
4.	सिरोही	एम. एल. गन 49, 12 बोर गन 1, योग 50
5.	बीकानेर	9 एम. एस. स्टेनगन 1, 303 बोर राइफल 21, 38 बोर रिवाल्वर 5, 455 बोर रिवाल्वर 1, 38 बोर देशी कट्टा 1, योग 29
6.	चूरू	पिस्टल देशी 20, 22 बोर बंदूक 1, एयर गन 1, बंदूक 12 बोर 16, बंदूक कारतूसी 1, 577 बोर बंदूक 1, 44 बोर राइफल 1, 310 बोर बंदूक 1, 28 बोर राइफल 1, रिवाल्वर 2, 38 बोर रिवाल्वर 1, स्टेनगन कारबाइन 1, टोपीदार बंदूक 231, नालें 16, बंदूक लमछड़ 6, टोपीदार तमंचा 4, कुल योग 304
7.	गंगानगर	स्टेन गन 1, 455 बोर रिवाल्वर 3, 38 बोर रिवाल्वर 2, योग 6
8.	भरतपुर	एस. बी. एम. एल. टोपीदार 28, डी. बी. एम. एल. टोपीदार 3, एस. बी. एम. एल. 12 बोर 17, 315 बोर कट्टा 4, 12 बोर कट्टा 56, 32 बोर रिवाल्वर 1, 303 बोर कट्टा 6, नाल 4, 410 बोर राइफल 1, एन. पी. बोर राइफल 2, योग 122

1	2	3
9.	अलवर	टोपीदार बंदूक 364, 12 बोर टोपीदार 4, देशी कट्टा 12 बोर 62, 12 बोर बंदूक 32, 12 बोर पिस्तोल 2, देशी पिस्तोल 2, 9 एम. एम. स्टेनगन 1, 38 बोर रिवाल्वर 1, योग 468
10.	सवाई माधोपुर	टोपीदार बंदूक 101, टोपीदार दोनाली 11, टोपीदार तोड़ादार 48, 12 बोर बंदूक एक नाली 11, 12 बोर बंदूक 6, पचफेरा 2, 315 बोर राइफल 1, 303 बोर राइफल 1, माउचर 1, 12 बोर कट्टा 14, कट्टा 303 बोर 1, 9 एम. एम. स्टेनगन 2, रिवाल्वर 1, 450 बोर राइफल 1, नाल 1, तोप बड़ी 3, तोप छोटी 2, योग 208
11.	धौलपुर	12 बोर बदूक देशी 15, 303 राइफल 2, टोपीदार बंदूक 24, एस. एल. आर. 1, देशी कट्टा 47, तमंचा 21, रिवाल्वर देशी 1, 32 बोर रिवाल्वर 2, स्टेनगन 1, एम. पी. बोर राइफल 2, एस. बी. बी. एल. 12 बोर 2, एम. एल. गन 91, 315 बोर पचफेरा 1, योग 210
12.	कोटा ग्रामीण	टोपीदार बंदूक 1, देशी कट्टा 1, योग 2
13.	बूंदी	नाल 1, टोपीदार बंदूक 3, देशी कट्टा 1, बंदूक 4 योग 9
14.	उदयपुर	टोपीदार बंदूक 4, बंदूक 6 योग 10
15.	राजसमंद	डी. बी. बी. एल. बंदूक 1, टोपीदार बंदूक 10, रिवाल्वर 1,
16.	चित्तौड़गढ़	टोपीदार बंदूक 59, पिस्तोल देशी 1, बंदूक 2, नालें 15, तमंचा 2 योग 79
17.	बांसवाड़ा	बी. एल. गन 3, एम. एल. गन 14, पिस्तोल 2, योग 19
18.	जयपुर शहर	देशी कट्टा 1, योग 1
19.	दौसा	टोपीदार बंदूक 5, योग 5
20.	टोंक	एम. एल. गन 11, योग 11

1	2	3
21.	सीकर	12 बोर डबल बैरल गन 2, एम. एल. गन 92, 12 बोर देशी कट्टा 4, तलवार 3, 12 बोर सिंगल बैरल गन 2, 16 बोर गन 1, 303 बोर राइफल 3, 303 बोर देशी कट्टा 2, बिना बोर की गन 1, 22 बोर राइफल 1, 7 × 57 बोर राइफल 1, 360 डबल बैरल गन 1, 38 बोर देशी कट्टा 2, रिवाल्वर देशी 6, चैम्बर का 1, देशी बंदूक डबल बैरल 6, तमंचा डबल 1, तमंचा सिंगल बैरल 4, रिवाल्वर नमूने के तमंचे 2, गुप्ती 1, योग 34
22.	नागौर	लमछड़ 30, तमंचा 14, एम. एल. गन 326, एस. बी. एम. एल. 683, डी. बी. एम. एम. 89, नालें 182, मोजर गन 1, नालें डी. बी. एम. एल. 77, देशी कट्टा 20, टोपीदार बंदूक 27, पिस्टल 2, 318 बोर गन 1, 450 बोर गन 3, 455 बोर रिवाल्वर 1, एस. बी. बी. एल. 6, 12 बोर डी. बी. बी. एल 34, 577 बोर गन 1, 410 बोर 4, 12 बोर एस. बी. बी. एल. 32, गन हैण्ड मार्रटिंग 15, 32 बोर गन 1, 442 बोर रिवाल्वर 1, 22 बोर 3, 38 बोर रिवाल्वर 2, डी. बी. बी. एल. 9, 512 बोर 2, 52 बोर 1, 35 बोर 1, योग 1568
23.	भीलवाड़ा	टोपीदार बंदूक 246, 803 देशी कट्टा 1, नाल 1, बंदूक की नाल 48, रिवाल्वर देशी 1, 12 बोर डी. बी. बी. एल. 2, 28 बोर राइफल 1, 10 बोर राइफल 1, 12 देशी कट्टा 2, 38 बोर रिवाल्वर 1, योग 304

ग्राम भामोलाव (किशनगढ़) के सरपंच पर अनियमितता का आरोप

850. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति अराई के ग्राम भामोलाव में इन्दिरा आवासीय कालोनी का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कौन से वर्ष में ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कालोनी के निर्माण में तत्कालीन सरपंच को अनियमितता करने का दोषी पाया गया ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश अजमेर द्वारा तत्कालीन सरपंच को दोषी मानते हुए थाना अराई में गबन का मुकदमा दर्ज कराने की कौन सी तारीख थी व अब तक जांच के क्या परिणाम रहे ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भामोलाव में इन्द्रा आवासीय कालोनी का निर्माण वर्ष 1987-88 में कराया गया था।

(2) जी हां। जांच विकास अधिकारी तथा उप खण्ड अधिकारी द्वारा की गई ?

(3) जी हां। दिनांक 4-9-91 को तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध पुलिस थाना अराई में मुकदमा दर्ज कराया था जो जैर तफ्तीश है।

मकराना की मार्बल खानों का सर्वे

851. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना के अन्तर्गत आने वाली मार्बल खानों के नक्शे कब से बने हुए है ?

(2) क्या मकराना मार्बल खानों का सर्वे बहुत पुराना होने से एवं खानों की स्थिति सही नहीं होने से आपसी विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं ?

(3) यदि हां तो क्या विभाग पुनः सर्वे करने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र का नक्शा दिनांक 20-7-1961 को बनाया गया था जिसे वर्ष 1973 में पुनः रिवाइज किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान स्थिति के अनुसार पुनः सर्वे का कार्य चल रहा है।

वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर द्वारा क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन

852. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987 में सप्तम् राज्य स्तरीय बालिका क्रीडा

(श्री जीतमल जैन)

प्रतियोगिता वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अलवर के तत्वावधान में सम्पन्न हुई थी ?

(2) यदि हां, तो इस आयोजन पर कुल कितना व्यय हुआ एवं व्यय की गई राशि किन-किन प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई ? एकत्रित राशि का पूर्ण विवरण प्रतिष्ठान व व्यक्ति के नाम एवं उनको जारी की गई रसीद संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आय व्यय का ब्यौरा कार्यालय के किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लिपीबद्ध किया गया ? उक्त आय व्यय के ब्यौरे की छाया प्रति एवं अधिकारियों के नाम व पद के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस आयोजन पर कुल रुपया 21,902.05 पैसे व्यय हुआ। एकत्रित की राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट (क)

(3) उक्त आय-व्यय का ब्यौरा कार्यालय के कैशियर श्री नेमीचन्द गर्ग पूर्व क. लि. (रोकड़िया) एवं वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर द्वारा लिपिबद्ध किया गया। आय-व्यय के ब्यौरे का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट (ख)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला मुख्यालयों पर बस डिपो

853. **श्री रामस्वरूप** (रायसिंहनगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने जिला मुख्यालय ऐसे है जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बस डिपो नहीं है ? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस डिपो खोलने के क्या-क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार चूरू जिला मुख्यालय पर बस डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश में निम्न जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां वर्तमान में परिवहन निगम के डिपो स्थापित नहीं हैं :—

1. चूरू
2. सवाई माधोपुर
3. पाली
4. जैसलमेर
5. दौसा
6. राजसमंद

किसी स्थान पर डिपो खोलने के लिये सामान्यतया निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :—

1. वहां से गाडियों का संचालन कम से कम 30 का हो।
2. आस-पास दूसरा डिपो कार्यरत नहीं हो।

(यातायात मंत्री)

3. निगम की आमदनी व यात्रियों की सुविधा के लिये डिपो खोलने की आवश्यकता हो।

(2) तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जिला मुख्यालयों पर डिपो खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

तहसील वैर (भरतपुर) में पेयजल समस्या

854. **श्री रामप्रसाद (वैर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील वैर, जिला भरतपुर के अधिकांश गांवों में पेयजल की समस्या अन्य क्षेत्रों से अधिक है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विशेष कर हरिजनों की बस्तियों में पानी की और भी गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वैर तहसील की ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु क्या-क्या योजनाएं बनायी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित तहसील के पेयजल योजनाओं से लाभान्वित 142 ग्रामों में से 54 ग्रामों में पेयजल वितरण का स्तर 50 प्रतिशत से कम है। इनमें से 27 ग्रामों हेतु पनघट योजनाएं अथवा एक एक हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष ग्रामों हेतु प्रस्ताव बनाये जाकर धन उपलब्धतानुसार क्रियान्विति प्रस्तावित है।

(2) समय-समय पर सन्दर्भित बस्तियों में हैण्डपम्प एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में भी 34 ग्रामों की उपरोक्त बस्तियों हेतु एक-एक हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये है जिनमें से 14 लगाये जा चुके है एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। इनकी संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बस्तियों में स्वीकृत हैण्ड पम्प एवं प्रगति

क्र. सं.	गांव का नाम	स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	मुखेना	1	1
2.	अमोली	1	1

1	2	3	4
3.	महतोली	1	1
4.	मुखरोली	1	1
5.	बिजवारी	1	—
6.	भगवानपुरा	1	1
7.	पाली	1	1
8.	बबेखर	1	—
9.	मालोनी	1	1
10.	हतीजर	1	1
11.	ताजपुर	1	—
12.	बाछरेन	1	1
13.	माईदपुर	1	—
14.	घाटरी	1	—
15.	गांगरोली	1	—
16.	गोठरा	1	—
17.	बांसी	1	—
18.	गोठरा	1	—
19.	चैंटोली	1	1
20.	गाजीपुर	1	—
21.	रनथीरगढ़	1	1
22.	दयापुर	1	—
23.	अटारीपुरा	1	—
24.	समराया	1	—
25.	खेरली	1	—
26.	हिसमड़ा	1	—
27.	नसवार	1	—
28.	खेरली	1	—
29.	गुढाकर	1	—
30.	जीवद	1	1
31.	महमदपुर	1	—
32.	सीता	1	—
33.	अतरामपुर	1	1
34.	ऊलु	1	1
	योग :—	34	14

212

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 की सूची

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ-26 (34) (1) जविप्रा/संस्था/अभि./88 दिनांक : 25-2-92

आज्ञा

एस. बी. सिविल याचिका क्रमांक 3727/91, नगर विकास प्राधिकरण कामगार संघ बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 10-10-1991 के अनुपालन में निम्नलिखित 24 बेलदारों को उनके सामने अंकित तिथि से अर्द्धस्थायी घोषित किया जाता है। इन समस्त बेलदारों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि से देय वेतन श्रृंखला के न्यूनतम पर अन्य समस्त परिलाभ देय होंगे :—

क्रमांक	नाम व पिता का नाम	नियुक्ति तिथि	दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि	वेतन श्रृंखला
1	2	3	4	5
1.	श्री शिवकुमार पुत्र दक्षकुमार	1-8.83	1-8-85	350-5-430
2.	श्री हिम्मतसिंह पुत्र नाहरसिंह	26-6-85	26-6-87	700-10-850-15-865
3.	श्री ताजमोहम्मद पुत्र बाबू खां	1-2-83	1-2-85	350-5-430
4.	श्री विनोदकुमार पुत्र पुरणचन्द	1-3-86	1-3-88	700-10-850-15-865
5.	श्री इन्दरसिंह पुत्र सम्पतसिंह	10-7-84	10-7-86	350-5-430
6.	श्री राजू पुत्र सूरजमल	1-6-86	1-6-88	700-10-850-15-865
7.	श्री हरीश पुत्र गोपीराम	1-6-86	1-6-88	,,
8.	श्री छीतर पुत्र नारायण	1-11-84	1-11-86	,,

1	2	3	4	5
9.	श्री जोगेश्वर पुत्र बैजनाथ	1-4-82	1-4-84	350-5-430
10.	श्री मोहनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	1-7-84	1-7-86	,,
11.	श्री कप्तानसिंह पुत्र शिवसिंह	1-5-85	1-5-87	700-10-850-15-865
12.	श्री रूपनारायण पुत्र गंगासहाय	1-4-87	1-4-89	,,
13.	श्री खैरातीलाल पुत्र कालूराम	1-12-82	1-12-84	350-5-430
14.	श्री फूलचन्द पुत्र रघुनाथ	1-7-84	1-7-86	,,
15.	श्री हेमन्तकुमार पुत्र बंशीधर	1-11-87	1-11-89	750-12-798-13-850-15-940
16.	श्री बदरी पुत्र नैनू	1-3-83	1-3-85	350-5-430
17	श्री बनवारी पुत्र रामचरण	1-10-85	1-10-87	700-10-850-15-865
18.	श्री राजकुमार पुत्र मुन्नालाल	1-7-85	1-7-87	,,
19.	श्री सूण्डाराम पुत्र बिरदीचन्द	2-9-85	2-9-85	,,
20.	श्री शिवपाल पुत्र बाबूराम	23-7-84	23-7-86	350-5-430
21.	श्री बाबूलाल पुत्र जवाहरमल	1-5-81	1-5-83	,,
22.	श्री सीताराम पुत्र रामसहाय	1-4-88	1-4-90	750-12-798-13-850-15-940
23.	श्री जगदीश पुत्र नारायण	1-8-83	1-8-85	350-5-430
24.	श्री कल्याण पुत्र गंगाराम	1-2-83	1-2-85	,,

उपरोक्त समस्त बेलदार कार्यप्रभारित नियमों के अनुसार मेडिकल ज्यूरिष्ट, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर, का स्वास्थ्य जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर ।

214

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सहायक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (विधि) जविप्रा, जयपुर/निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर/निदेशक (प्रवर्तन) जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर।
6. उप निदेशक (राजस्व)/लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) जविप्रा, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (पी. एण्ड. एस./निर्माण) जविप्रा, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता–i, ii, iii, iv व v जविप्रा, जयपुर।
9. उप वन संरक्षक/होर्टिकल्चरिष्ट (उद्यान विंग) जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त जोनल अधिकारी,————————
11. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट/बिल क्लर्क, जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
14. निजी पंजिका श्री————————
15. श्री————————————
16. रक्षी पत्रावली।

अतिरिक्त सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

215

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1307 का विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

ठेकेदार का नाम	मै. ग्यारसीलाल, मोहनलाल
अनुबन्ध संख्या	116/90–91
कार्य का नाम	पारिजात मकान ए टाइप 12 एवं टाइप तृतीय 8 मकान

क्र. सं.	भुगतान दिनांक	भुगतान राशि
1.	30–3–91	42,160.00
2.	30–4–91	98,460.00
3.	20–6–91	64,714.00
4.	2–7–91	44,549.00
5.	20–8–91	1,55,159.00
6.	31–8–91	1,48,995.00
7.	10–10–91	2,52,114.00
8.	2–11–91	80,572.00
9.	12–12–91	24,975.96
10.	सीमेंट इश्यू दर व अनुबन्ध दर का अन्तर	56,600.00
11.	स्टील इश्यू दर व अनुबन्ध का अन्तर	61,440.00
12.	विविध अन्य वर्ग	24,000.00
	योग	1054688.96

ह./—
आवासीय अभियन्ता, खण्ड 10, जयपुर

216

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

ठेकेदार का नाम	मैं. अर्जुन किशोर
अनुबन्ध संख्या	114/90–91
कार्य का नाम	पारिजात मकानों का कार्य एच. आई. जी. टाइप तृतीय 13, टाइप द्वितीय–3

क्र. सं.	भुगतान तिथि	भुगतान राशि
1.	30-3-91	1,08 552 00
2.	30–4–91	81,653,00
3.	12–7–91	2,46,994.00
4.	18–9–91	3,09,931.00
5.	2–11–91	2,85,906.00
6.	13–1–92	2,32,502.00
7.	17–3–92	1,85,147.00
8.		19,121.10
9.	सीमेंट इश्यू दर व अनुबन्ध दर का अन्तर	93,600.00
10.	स्टील इश्यू दर व अनुबन्ध दर का अन्तर	99,840.00
11.	विविध अन्य खर्च	39,000.00
	योग	17,02,246 10

ह./—
आवासीय अभियन्ता, खण्ड-10, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

ठेकेदार का नाम	:	मै. अर्जुन किशोर
अनुबन्ध संख्या	:	102/90-91
कार्य का नाम	:	पारीजात मकानों का निर्माण कार्य 12 मकान टाइप तृतीय

क्र. सं	भुगतान की तिथि	बिल राशि
1.	19-4-90	1,86,037.00
2.	24-7-90	1,58,396.00
3.	30-11-90	3,50,544.00
4.	19-2-91	3,98,489 00
5.	30-11-91	64,967.00
6.		35,552.68
7.	सीमेन्ट इश्यू दर व अनुबन्ध दर का अन्तर	1,15,200.00
8.	स्टील इश्यू दर व अनुबन्ध दर का अन्तर	1,07,520.00
9.	विविध अन्य खर्च	36,00.00
	योग :-	14,53,705.68

ह./—

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-10, जयपुर ।

218

परिशिष्ट—9

अतरांकित प्रश्न संख्या 1311 की सूची

जिन व्यक्तियों को भू-खण्डों के कब्जे नहीं दिये गये उनकी सूची

भू-खण्ड सं.	आवंटित व्यक्ति का नाम पिता का नाम	कब्जा नहीं दिये जाने का कारण
1	2	3
बी-44	श्री जौहरीलाल पुत्र कन्हैयालाल	श्री रामचरण/बोदूराम सर्वेधारी का कब्जा है।
बी-666	श्री महेन्द्रसिह/कमलसिह	श्री अब्दुल रहीम पुत्र इब्राहीम सर्वेधारी का कब्जा है। जांच की जा रही है।
डी-46	श्री रामावतार/गौरीदत्त	नजराना जमा नहीं है।
डी-58	श्री परमेश्वरसिह/गिरधारी	,,
डी-59	श्री पोखरमल शर्मा/दीपचन्द	,,
डी-65	श्री महेन्द्रसिह/सवाईसिह	,,
डी-67	श्री रामप्रकाश/केदारीलाल	इनका कब्जा अन्य किसी भूखण्ड पर है।
डी-72	श्री नवनीत/जगदीश	नजराना जमा नहीं है।
डी-73	श्री सीताराम/रामस्वरूप	,,
डी-74	श्री शंकरलाल/कालूराम	,,
डी-82	श्री सोहनलाल/मांगीलाल	,,
डी-85	श्रीमती भगवन्तीदेवी/हरीनन्दन	इनका कब्जा अन्य भूखण्ड पर है।
डी-86	श्री रेखाराम/कालूराम	नजराना जमा नहीं है।
डी-88	श्री मूलचन्द/नानगराम	भूखण्ड पर अतिक्रमण किया हुआ है।
डी-90	श्री ब्रजमोहन/बंशीधर	नजराना जमा नहीं है।
डी-92	की लल्लूलाल/पन्नालाल	,,
डी-93	श्री हमीद/जमरूदीन	,,
डी-94	श्री ग्यारसीलाल/गुलजारीलाल	,,

Page No. 219

1	2	3
डी-98	श्रीमती कमला/श्योजीराम	नजराना जमा नहीं है।
डी-102	श्री राधेश्याम/घासीलाल	,,
डी-106	श्री रतनलाल/सूरजमल	,,
डी-107	श्रीमती भंवरीदेवी/बजरंगसिंह	अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण है।
डी-112	श्री ब्रजमोहन शर्मा/घीसालाल	नजराना जमा नहीं है।
डी-113	श्री नसरूद्दीन/खुदाबक्स	,,
डी-121	श्री हबीब/नवाब खां	अन्य सर्वेधारी का कब्जा है।
डी-124	फयाज/नसीरखां	भूखण्ड पर अन्य सर्वेधारी का कब्जा है।
डी-125	श्री जमील अहमद/फोजदारखां	उनका कब्जा अन्य भूखण्ड पर है।
डी-126	श्री जहूरखां/सरफूखां	प्रार्थी का कब्जा इस भूखण्ड पर नहीं है।
डी-127	श्री भूलमोहम्मद/नसीरखां	,,
डी-130	श्री वफाती/इदूखां	,,
डी-132	श्री आबिद/अकबरखां	,,
डी-134	श्री सलीम/अकबरखां	,,
डी-135	श्री अजीजखां/नूरखां	,,
डी-146	श्री मजीत/नूरमोहम्मद	भूखण्ड पर अन्य का कब्जा है।
डी-149	श्री दीलदार/अ.रहमान	भूखण्ड पर कब्जा नहीं है।
डी-153	श्री ओमप्रकाश/ब्रजमोहन	नजराना जमा नहीं है।
डी-159	श्री मजीदखां/अलादीन	,,
डी-169	श्री गोपीराम/श्री गणेश नायर	,,
डी-170	श्री गोपालराम/भूराराम	,,
डी-173	श्री रमेश/सूर्यनारायण	,,
डी-175	श्री मदनलाल/जगन्नाथ	अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण है।

1	2	3
डी-189	श्री भूरालाल/जमनालाल	नजराना जमा नहीं है।
डी-190	श्री कैलाश/कजोड़	,,
डी-196	श्री रामसहाय/जयनारायण	,,
डी-197	श्री मोहनलाल/मांगीलाल	,,
डी-199	श्री ओमप्रकाश/खेतीलाल	भूखण्ड सं. डी–199 पर अतिक्रमण है।
डी-200	श्री भंवरलाल/सूरजमल	नजराना जमा नहीं है।
डी-201	श्रीमती धापूबाई/चौथूसिंह	भूखण्ड पर अतिक्रमण है।
डी-202	श्री भैरू/मंगल	प्रार्थी का कब्जा अन्य भूखंड पर है।
डी-208	श्री रामफल/रामदेव	प्रार्थी का नजराना जमा नहीं है।
डी-211	श्री सीताराम/रघुनाथ	प्रार्थी कब्जा नहीं लेना चाहता है।
डी-215	श्री सत्यनारायण/राधेश्याम	नजराना जमा नहीं है।
डी-217	श्रीमती स्नेहलता/मुरलीधर	प्रार्थी का कब्जा डी–108 पर है।
डी-218	श्री सोहनसिंह/बलवन्तसिंह	भूखण्ड पर अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण है।
डी-224	श्री राधेश्याम/छगनलाल	नजराना जमा नहीं है।
डी-225	श्रीमती रामप्यारी/मूलचन्द	,,
डी-41	श्री महेशचन्द/हरसहाय	भूखण्ड पर अतिक्रमण है।
डी-164	श्री सत्यनारायण/सुन्दरलाल	,,

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1312 की प्रति

RAJASTHAN HOUSING BOARD : JYOTI NAGAR : JAIPUR

Sh.............. ....

REF : CEM/89/JPR
LIG P-
DATE : 26/MAR/91

....

....

....

WE HAVE PLEASURE TO INFORM THAT YOUR PROVISIONAL PRIORITY NUMBER AS DETERMINED PSEUDO RANDOM NUMBER GENERATION METHOD ON 26/MARCH/91 IS AS FOLLOWS :—

SCHEME	CHLN. NO.	GROUP	PRIORITY NO.
JAIPUR	——	LIG/89/G/HPS/ORS	——

FOR ALL FUTURE CORRESPONDENCE PLEASE QUOTE ABOVE REFERENCE.

SD/
CHIEF ESTATE MANAGER

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 की सूची

हैदरियों की गली, मनिहारों का रास्ता, जयपुर में दिनांक 1–4–91 से अब तक लगाये गये सफाई कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम कर्मचारी	कब से लगाया गया है
1.	श्री जगदीश नाली वाला	1-4-91
2.	श्री सुनील ढेरी वाला	1-4-91
3.	श्रीमती यम्या झाडूवाली	1-4-91

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1325 की सूची

वर्ष 1991-92 की अवधि में हैण्डपम्पों से लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम
1.	बैर	मुखेना
2.	,,	अमोली
3.	,,	महतोली
4.	,,	मुखरोली
5.	,,	मोलोनी
6.	,,	चेटोली
7.	,,	अतरामपुरा
8.	,,	जोवद
9.	,,	पोली
10.	,,	नगला खरबेरा
11.	,,	नगला पचौरा
12.	,,	नगला कोठारी
13.	,,	नेबला
14.	,,	इटामड़ा
15.	,,	रहीमगढ़
16.	,,	मोरोदा
17.	,,	त्योहारी
18.	,,	राजगढ़

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम
19.	वैर	दयापुर
20.	,,	गढी साद
21.	,,	ताजपुरा
22.	,,	अटारीपुर
23.	रूपवास	खरेरा
24.	,,	अधियारी
25.	,,	बसई
26.	,,	निमेरा
27.	,,	कारई
28.	,,	रूपबास
29.	,,	ऐलऊ
30.	,,	नोहरदा
31.	,,	जयचौली
32.	,,	पना
33.	,,	खुडासा
34.	,,	सेहना
35.	,,	नगला बीजा
36.	,,	दाहिना गांव
37.	,,	केला देवी (झील)
38.	,,	पहाड़पुर
39.	,,	चुरारी डांग
40.	,,	गहलपुर काछी
41.	,,	खानवा
42.	,,	मिलसवा
43.	,,	चैंकोरा
44.	,,	खरका
45.	,,	बासरोली

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम
46.	रूपवास	बारामाफी
47.	"	बिनऊआ
48.	"	समहद
49.	"	बिरूग्रा
50.	"	नया गांव
51.	"	रूध रूपबास
52.	बयाना	महमुदपुरा
53.	"	खरेरी
54.	"	धुरेरी
55.	"	गुरदा नदी
56.	"	नगला खटका
57.	"	सामरी
58.	"	बुडवार
59.	"	ईटखेडा
60.	"	लहचोरा खुर्द
61.	"	सालाबाद
62.	"	सीदपुर
63.	"	मॉग ब्रह्मावाद
64.	"	सिकन्दरा
65.	"	दमदगा
66.	"	हरनगर
67.	"	नाथू का नगला

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1326 की सूची

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कुल स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या	सूखे हुए हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	शेरगढ़	कनोडिया	3	2	1
2.		सेतरावा	10	10	—
3.		चोरडीया	4	4	—
4.		खींचासरीया	5	4	1
5.		आसरलाई	3	3	—
6.		जेठानीया	4	4	—
7.		कनोड़िया महासिंग	7	7	—
8.		दासानीया	2	2	—
9.		कलाऊ	4	4	—
10.		बुडकीया	5	5	—
11.		सांवलों की ढाणी	2	2	—
12.		चादसमा	9	9	—
13.		अटवालीया	5	5	—
14.		संजरा	2	2	—
15.		देचू	10	9	1
16.		थाडीया	4	4	—
17.		जिलाकेर	6	4	2
18.		देवानीया	6	6	—
19.		बालेसर सता	11	10	1
20.		लोरता हरीदासोता	4	3	—

1	2	3	4	5	6
21.	शेरगढ़	देवातू	7	7	—
22.		कनोडिया पुरोहितान	4	4	—
23.		लवारन	3	3	—
24.		पंडितों का बास	3	3	—
25.		देड़ा	10	10	—
26.		सोंलकिया तलां	4	4	—
27.		बालेसर दुर्गावता	7	5	—
28.		बस्तावा	11	11	—
29.		भालू कलां	17	16	—
30.		भांडू चारनी	5	4	1
31.		भालू राजंवा	9	7	2
32.		भाडूं जारी	1	1	—
33.		बिराई	8	8	—
34.		चौमूं	10	10	—
35.		चावंलवा	5	5	—
36.		चिड़वाई	6	6	—
37.		डेरीपा	5	5	—
38.		दूदा बेरा	1	1	—
39.		गोपालसर	6	6	—
40.		भिभनियालां	5	5	—
41.		जुडिया	4	4	—
42.		केतू हेमां	7	7	—
43.		केतू कलां	9	9	—
44.		केतू यदां	7	7	—
45.		केतू मनावतां	2	2	—
46.		खिरजा भोजां	4	4	—
47.		खिरजा खास	2	2	—

1	2	3	4	5	6
48.	शेरगढ़	खिरजा तिबना	2	2	—
49.		खुडियाला	10	10	—
50.		कुई जाध्या	2	2	—
51.		निबों का गांव	3	3	—
52.		रायसर	1	1	—
53.		सांई	1	—	1
54.		सेखाला	10	10	—
55.		सुवेरी शासन	2	2	—
56.		उटाम्बर	6	5	1
57.		सियान्दा	4	4	—
58.		बेलवा	12	12	—

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1327 की सूचियां

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पनघट योजनाओं की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	मासोर	16
2.	घाटा का गांव	150
3.	जोगपुर	144
4.	कोकापुर	42
5.	कुआ	185
6.	पादरा	58
7.	आरा	83
8.	कराड़ा	22
9.	माविता	63
10.	सूरजगांव	143
11.	नयागांव	67
12.	सेपलिया	80
13.	बमासा	29
14.	ओड	59
15.	जोसावा	153

नोट :—उपरोक्त सभी ग्रामों में हैण्डपम्प भी लगाये गये हैं ।

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नल योजनाओं की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड न.
1.	करियाणा	26
2.	पादरड़ी बड़ी	30
3.	सरोदा	35
4.	टामटिया	53
5.	पाडवा	41
6.	जेठाणा	85
7.	गोवाडी	90
8.	नन्दोड़	91
9.	ठाकरड़ा	93
10.	वरदा	102
11.	ओवटी	110
12.	गामडा बामनिया	117
13.	बड़गदा	119
14.	घोटाद	124
15.	भोलूड़ा	130
16.	अम्बाड़ा	130
17.	चीतरी	164
18.	गलियाकोट	168
19.	नादिया	178
20.	गरियता	219
21.	साकोदरा चीखली	227/253
22.	अम्बाड़ा	234

231

1406

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1328 की सूची

पचपदरा तहसील में हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	कुल हैण्डपम्पों की संख्या
1.	सिमरखिया	83	3
2.	साथुनी चारनान	84	1
3.	खारडी	77	4
4.	कोरना	132	9
5.	परालिया धामट	130	1
6.	परालिया सासन	131	2
7.	मण्डली	127	7
8.	नागाना	134	3
9.	डेरिया	133	4
10.	ब्लाऊ जाटी	121	1
11.	जारती	129	1
12.	पतासर	119	2
13.	मोहनपुरा	81	2
14.	बनियावास	118	1
15.	गंगावास	128	2
16.	कुडी	98	1
17.	नाकोडा (मेवानगर)	44	1
18.	गिडा (तह. बाड़मेर)	—	1
			46

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1331 का विवरण

समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन का विवरण

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रकाशन तिथि
1.	हिन्दुस्तान टाइम्स अंग्रेजी दैनिक	दिल्ली	27-7-90
2.	जन नायक हिन्दी दैनिक	कोटा	23-7-90
3.	राष्ट्रदूत हिन्दी दैनिक	जयपुर, कोटा	21-7-90
4.	धरती करे पुकार हिन्दी दैनिक	कोटा	22-7-90
5.	कोटा रिपोर्टर हिन्दी दैनिक	कोटा	24-7-90
6.	सोशलिस्ट समाचार हिन्दी साप्ताहिक	कोटा	स्वाधीनता दिवस विशेषांक
7.	किसान सन्देश हिन्दी साप्ताहिक	कोटा	16-7-90 से 22-7-90

परिशिष्ट — 17

तारांकित प्रश्न संख्या 1338 का विवरण

वर्ष 1989-90 व 1990-91 में जिलेवार वितरित की गयी औषधियों की राशि का विवरण

क्र. सं.	जिला	औषध सप्लाई राशि (रुपयों में)	
		1989-90	1990-91
1.	अजमेर	774978	475458
2.	अलवर	189524	415724
3.	बांसवाड़ा	260003	267984
4.	बाड़मेर	112805	120545
5.	भरतपुर	312716	419352
6.	भीलवाड़ा	10312	324207
7.	बीकानेर	399451	301454
8.	बून्दी	77814	115432
9.	चित्तौड़गढ़	310975	204287
10.	चूरू	347185	228416
11.	धौलपुर	104443	149859
12.	डूंगरपुर	294071	296127
13.	गंगानगर	377995	328169
14.	जयपुर–दौसा	692510	666534
15.	जैसलमेर	54176	49604
16.	जालौर	70043	98771
17.	झालावाड़	109786	155718
18.	झुन्झनू	109742	130975
19.	जोधपुर	456230	317517
20.	कोटा–बारां	108045	252171
21.	नागौर	417373	264373
22.	पाली	234371	194348
23.	सवाईमाधोपुर	247494	362644
24.	सीकर	119892	135546
25.	सिरोही	78275	103423
26.	टोंक	289716	165091
27.	उदयपुर–राजसमन्द	732322	720658
	योग :	78,98,907	72,64,387

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1342 की सूची

पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर व सोजत के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूची

ग्राम का नाम	छात्र	छात्रा	योग
कलालिया	325	65	390
नानणा	409	39	448
कालनकलां	251	42	293
करमावास पट्टा	258	32	290
खोडिया	169	23	192
चांग	218	41	259
चिताड़	435	20	455

235
1410

परिशिष्ट—19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1349 की प्रति

शिकायती पत्र की प्रति

सेवामें,

श्रीमान् शिक्षा निदेशक महोदय,
प्राथ. एवं माध्य. शिक्षा बीकानेर (राज.)

विषय :—एक पारी स्कूल रा. मा. वि. ब्रह्मपुरी, जयपुर बजाय 10.30 बजे से 4.30 तक के प्र. अ. की मनमानी से 12.00 से 5.00 तक अनियमित चल रहा हैं।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि शिविरा के निर्देशानुसार यह एक पारी विद्यालय एक सितम्बर से 10.30 से 4.30 बजे तक चलना चाहिये था। लेकिन प्र. अ. श्री लज्जा शंकर माथुर ने अपनी मनमानी कर इस एक पारी विद्यालय को 12.00 से 5.00 बजे तक विभागीय नियमों के प्रतिकूल चला रखा है, जो गलत हैं।

इस विद्यालय के बड़े-बड़े सात कमरों का निजी एवं स्वतंत्र भवन है, तथा इसमें मात्र 250 लड़के हैं, जो इस भवन में आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन प्र. अ. ने यहां की व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है।

इसके अतिरिक्त भी उक्त प्र. अ. जी ने दिनांक 3-12-91 को विद्यालय में पिछले कई वर्षों से एकत्रित अखबार, पत्रिकाएं एवं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी को बजाय नीलाम करने या बेचने के जला कर राख कर दिया है।

आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी के जांच करवाये जाने के बावजूद भी अभी तक अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। अतः आप स्वयं यदि इस विद्यालय का निरीक्षण करें तो अति उत्तम होगा।

भवनिष्ठ
हस्तो/-
भंवर लाल गूजर, व. अ.
जिलाध्यक्ष (प्रा. शि.)
राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक संघ
जयपुर

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1359 की प्रति

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

प्रेषिति :—

निदेशक,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक : प. 9 (15) खान/ग्रुप-2/91   जयपुर, दिनांक 1 जनवरी, 1992

विषय :—रामगंजमण्डी क्षेत्र में खनन-पट्टे नीलामी के स्थान पर आवेदन पत्र से स्वीकृत करने बाबत ।

सन्दर्भ :—आपका पत्रांक निदे/प. 2/एच. 1/राम/89/1205
दिनांक 25-11-91 (पी-66)

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में इस विभाग के पत्र क्रमांक प. 3 (136) खान/ग्रुप-2/88 दिनांक 21-12-88 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने खनन-पट्टों के आवेदन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

1. रामगंजमण्डी क्षेत्र में, लाईमस्टोन (Dimensional Stone) के खनन पट्टे सरकारी भूमि में, नीलामी के द्वारा स्वीकृत किये जाएँ ।

2. राजकीय भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि में उक्त खनिज हेतु खनन पट्टे, प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर किये जाएँ ।

3. उक्त क्षेत्र में खनन-पट्टे केवल लाइम-स्टोन (Dimensional Stone) के लिए ही स्वीकृत किये जायें जिसे सामान्यतः कोटा स्टोन के नाम से जाना जाता है ।

भवदीय,
(ए. एस. सिंघवी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट—21

अतारांकित प्रश्न संख्या 1363 की सूची

बाल विकास परियोजना, उरमूल ट्रस्ट, बज्जू द्वारा कोलायत (बीकानेर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

नाम सैक्टर	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र
1. दियातरा	1. दियातरा
	2. केन्या बन्धा
	3. छिनेरी
	4. नया गांव
	5. टोकला
	6. खारिया उदठ
	7. रानेरी
2. बीठनोक	1. मढ़
	2. कोटडी
	3. इन्दों का बाला
	4. देवड़ों की ढाणी
	5. लाखासर
	6. राणासर
	7. सूरजड़ा
	8. सूरजड़ा
3. बन्थली	1. 6 आर. एस एम.
	2. दण्डकला
	3. बीजेरी
	4. बन्थली
	5. रणजीतपुरा
	6. 1000 आर. डी.
	7. भडल की ढाणी
	8. चारणवाला
	9. कोलासर (सेक्टर बीठनोक)
	10. एम. चक जागनवाला

परिशिष्ट—22

अतारांकित प्रश्न संख्या 954 की सूची

जालौर जिले की पंचायत समितिवार प्रा. एवं मा. शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के रिक्त पदों की सूची

पंचायत समिति	जिशिअ			जिशिअ			जिशिअ			संस्कृत शिक्षा		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
पंचायत समिति, जालौर	6	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
पंचायत समिति, भीनमाल	7	2	—	4	1	1	—	3	—	5	—	—
पंचायत समिति, सांचौर	9	7	—	—	1	5	—	2	—	—	—	—
पंचायत समिति, जसवन्तपुरा	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पंचायत समिति, आहौर	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पंचायत समिति, रानीबाड़ा	5	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
पंचायत समिति, सायला	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग :	34	11	—	6	2	8	—	7	—	5	—	—

परिशिष्ट—23

अतारांकित प्रश्न संख्या 958 की सूची

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सी-स्कीम, जयपुर के अध्यापकों/कर्मचारियों के लम्बित बिलों की सूची जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है

क्र. सं.	नाम अध्यापक/कर्म. मय पद	राशि	अवधि	कारण
1	2	3	4	5
1.	प्रेम शर्मा, अध्यापिका	2143.00	9/89 से 5/90	वेतन स्थिरीकरण पर अन्तर
		1674.00	9/88 से 6/91	विवरण प्रमाणित होने में विलम्ब
2.	सरोज वाल्टर	928.00	1/88 से 11/88	,, ,,
3.	भगवती मूलचंदानी	514.40	6/89 से 10/89	चिकित्सा बजट के अति. आवंटन के अभाव में
4.	आशा सक्सेना	84.19	4/90 से 4/91	,, ,,
		116.51	17-3-91	,, ,,
		48.35	6-5-91	,, ,,
5.	सावित्री महेन्दीरता	30.00	4-10-91	,, ,,
		430.86	8/90 से 1/91	,, ,,

1	2	3	4	5
6.	राजसरड्डा, अध्यापक	1038.85	2/90 से 10/90	चिकित्सा बजट के अति.
		364.01	8-1-90	आवंटन के अभाव में
7.	रामप्यारी चावला, अध्यापक	300.88	11/90 से 5/91	,, ,,
8.	निशी कपूर, व. अ.	307.19	8/90 से 16-8-90	,, ,,
9.	विमला पारीक, व. अ.	471.69	7/90 से 3/91	,, ,,
		120.47	22-12-90	,, ,,
		31.65	22-6-91	,, ,,
10.	रेखा श्रीवास्तव	56.75	17-11-89	,, ,,
		86.05	14-12-89	,, ,,
11.	अनीता शर्मा, अध्यापक	1698.02	4/89 से 2/91	,, ,,
12.	लक्ष्मीबाई, दे. वे. भोगी	520.00	11/90	वेतन-उपस्थिति प्रमाणित न होने के कारण जिशिअ. से मार्गदर्शन के अपेक्षा में।